International Literary Quest

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

E-mail : internationalliteraryquest@gmail.com
website : www.internationalliteraryquest.com

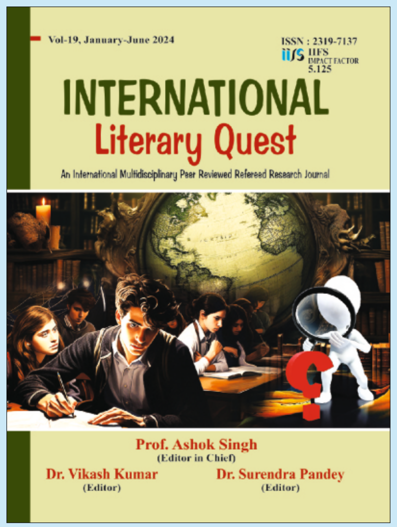

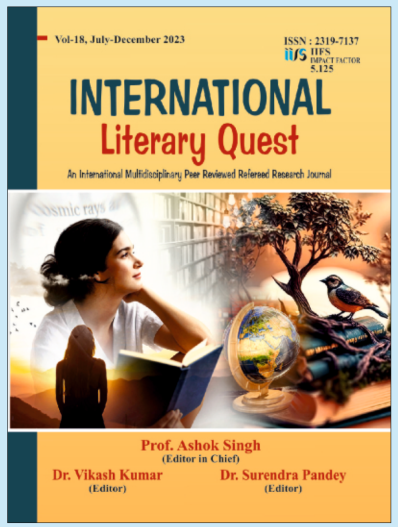

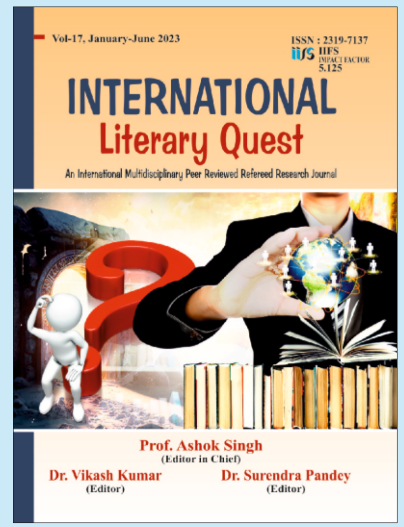

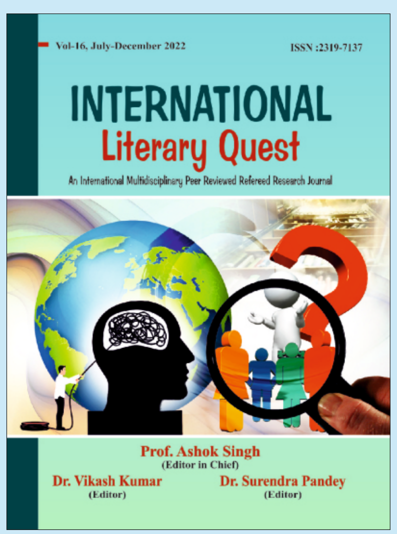

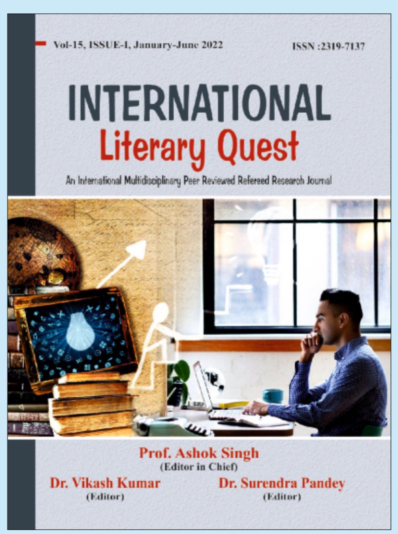

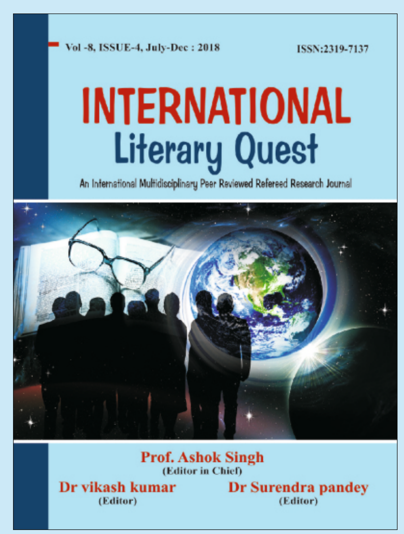

Published By : Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Email: akhandpublishing@yahoo.com

INTERNATIONAL Literary Quest

Vol-20, July-December 2024

Vol-20, July-December 2024

ISSN : 2319-7137
IIFS IMPACT FACTOR 5.125

INTERNATIONAL Literary Quest

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Prof. Ashok Singh
(Editor in Chief)

Dr. Vikash Kumar
(Editor)

Dr. Surendra Pandey
(Editor)

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

[An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal]

Chief Editor
Prof. Ashok Singh

Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Surendra Pandey

Published by
Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Mob. 9968628081, Email: akhandpublishing@yahoo.com

Note: The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of individual author and not to the publisher.

Email:internationalliteraryquest@gmail.com

Website:https://internationalliteraryquest.com/

Mob. 9470828492, 9451173404

Chief Editor

Prof. Ashok Singh
Ex-Vice Chancellor, Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur, Chhattisgarh

Editor

Dr. Vikash Kumar
Assistant Professor, Department of Hindi, Shri Varshney College, Aligarh, U.P

Dr. Surendra Pandey
Assistant Professor, Department of Hindi, Kooba P.G. College, Dariapur, Newada, Azamgarh

Deputy Editor

Dr Santosh Bahadur Singh
Assistant Professor
Department of English
Lady Irwin College, University of Delhi

Dr. Vinay Kumar Shukla
Assistant Professor,
HOD, Department of Hindi,
Ramanuj Pratap Singhdev
P.G. College, Koriya, Chhattisgarh

Dr Ramesh Kumar
Assistant Professor
Department of Hindi, Guest Faculty
University of Delhi

Executive Editor

Dr Arun Kumar Mishra
Assistant Professor, Department of Hindi, Munishwar Dutt Snatkottar Mahavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh

Dr Mohammad Aadil
Assistant Professor, Department of History, Bhavan's Mehta P. G. College, Kaushambi, Uttar Pradesh

Dr. Vivekanand Tiwari
HOD/Assistant Professor
Department of Hindi
Gopeshwar College, Hathwa
Gopalganj, Bihar

Sub Editor

Dr Varsha Singh
Associate Professor, Department of English, Deshbandhu College, University of Delhi

Dr Satyendra Kumar
Assistant Professor
Kirori Mal College, University of Delhi

Dr Atul Arora
Assistant Professor
Department of Law, Shri Varshney College
Aligarh

Managing Editor

Dr.Ravendra Rajput
Associate Professor,
Department of Teacher Education
S.V. College, Aligarh

Dr Rakesh Kumar Ranjan
Assistant Professor, Department of Hindi
Magadh University Bodhgaya,
Gaya, Bihar

Dr Rana Awadhoot
Former Research Scolar,
Bhojpuri, Adhyayan Kendra
Banaras Hindu University

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

......An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editorial Board

1. Prof. Miki Nishioka, Research Division of Asian, Language and Culture III Research Institute of World Language, Osaka University, Japan.
2. Prof. Kim Ou Jo, Department of Indian Study, Hoseo University, South Korea.
3. Prof. Sunita Singh, Faculty of Education, Le Moyne College, South New York, US.
4. Prof. Mritunjay Singh, HOD, Department of Hindi, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar.
5. Prof. Anita Singh, Department of English, Banaras Hindu University, Varanasi.
6. Prof. Ravindrnath Singh, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.
7. Prof. Prabhakar Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi
8. Prof. S.R. Jaishree, Department of Hindi, Kerala University, Kerala.
9. Prof. B. Ganesan, Banglore University, Karnataka.
10. Prof. Savitri Singh, Department of Sanskrit, Mahila Mahavidyalaya, Sasaram, Rohtas, Bihar.
11. Vedvati Rathi, Head, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh.
12. Prof. Ramcharan Meena, Department of Hindi, Motilal Nehru College, University of Delhi.
13. Dr. Santosh Patel, Assistant Registrar, Delhi Skill and Entrepreneurship University, New Delhi.
14. Dr. Narendra Shukla, President, Research and Publication Division, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

15. Dr. Digvijay Singh, Department of Hindi, K.D.B. Degree College, Dubahar, Balia, UP.
16. Dr. Ashutosh Kumar Singh, Professor, Department of Hindi, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, Uttar Pradesh.
17. Dr. Rajkumar Upadhaya Mani, Associate Professor, Department of Hindi, University of Delhi.
18. Dr. Devendra Pratap Singh, Associate Professor, Department of Hindi, Koba P.G. College, Dariapur, Nevada, Azamgarh.
19. Dr. Vikash Kumar Singh, Assistant Professor, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.
20. Dr. Sapna Bhushan, Assistant Professor, Department of Hindi, Vasant Kanya Mahavidyalaya, Kamchchha, Varanasi.
21. Dr. Bhartendu Pathak, Assistant Professor, Kashmir University, Hazratbal, Srinagar.
22. Dr. Preeti Jaiswal, Assistant Professor, Department of Hindi, Mahatam Gandhi Banaras Vidyapeeth, Varanasi.
23. Dr. Kamlesh Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh, Uttar Pradesh.
24. Dr. Sunil Kumar Singh, Assistant Professor, HOD, Department of History, Armapur P.G. College, Kanpur, Uttar Pradesh.
25. Sudarsan Chakradhari, Assistant Professor, Department of History, BBAU Lucknow, Uttar Pradesh.

विषय-सूची
Contents

PART–I

1. भारतीय इतिहास लेखन एवं जैन आदि पुराण 3
—प्रो0 ओंकार नाथ द्विवेदी

2. अवधी सूफी काव्य : विविध संदर्भ 10
—डॉ. अरुण कुमार मिश्र, डिम्पल सिंह

3. भारत में नारीवाद : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ 17
—प्रो. सुधा राजपूत

4. नई शिक्षा नीति : स्वरूप और आवश्यकता/प्रासंगिकता 25
—डॉ. जीतेन्द्र प्रताप, लवलेश कुमार विश्वकर्मा

5. पर्यावरणीय शिक्षा की महत्ता 33
—डॉ0 रवेन्द्र राजपूत

6. चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में किन्नर विमर्श 39
—डॉ0 अरुण कुमार मिश्र, सावित्री कुमारी

7. पुरुषोत्तम सिंह जी के चित्रों की तकनीकी विशेषताओं का अवलोकन 49
—कु. शहनाज

8. भाषा पारिस्थितिकी का नव साहित्य सृजन पर प्रभाव 60
—कुमारी विभा

9. भारतीय भाषाशास्त्र की प्राचीन अवधारणा 68
—डॉ॰ कुमारी आभा

10. नई शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि 77
—डॉ0 विजयेन्द्र कुमार गुप्त

11. ऋता शुक्ल की कहानियों में भारतीय समाज की स्थिति : एक अनुशीलन 83
—प्रियम्बदा कुमारी

12. महात्मा गांधी का चिंतन और हिंदी भाषा 87
—डॉ० रमेश कुमार

13. मुंशी प्रेमचन्द की कहानी में नारी जीवन का चित्रण 93
—सविता

14. पूर्वी दर्शन का पश्चिमी विचारों पर प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन 98
—संगम भारती

15. भारत में दलित: हाशिए से समावेशन तक 114
—डॉ. अर्चना सिंह

16. हिन्दी कथालोचना का स्वरूप और बदलता परिदृश्य 123
—सूर्यकान्त त्रिपाठी

17. मूल्यात्मक सापेक्षवाद बनाम मूल्यात्मक निरपेक्षता: एक तुलनात्मक अध्ययन 130
—संगम भारती

18. भीष्म साहनी का फिल्मी सफर 145
—सोनम सिंह

19. हिन्दी साहित्य में व्यंग्य का स्वरूप 150
—डॉ. सुरेन्द्र पाण्डेय

20. चित्रा मुद्गल के कथा शिल्प में संचेतना एवं भाषिक संरचना: एक समग्र अध्ययन 157
—प्रतिभा कुमारी

21. भीष्म साहनी की कहानियों का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य 164
—लक्ष्मी कुमारी

22. राजकमल कला मंदिर स्टूडियो का हिंदी सिनेमा में योगदान: विश्लेषणात्मक अध्ययन 173
—डॉ. राघवेन्द्र दीक्षित

23. उत्तराखण्ड का लोक साहित्य 184
—डॉ० विकास कुमार

24. मुगलकालीन साम्राज्य और उसका पतन 197
—डॉ0 विवेक सेंगर

25. शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना के स्वर 215
—अंजली आनंद

PART–II

1. The Grapes of Wrath: Steinbeck's Reflection of 1930s Struggle 3
—Amit Kumar

2. Legal Provisions of Transgender in India: An Analytical Study 11
—Khursheed Alam Khan, Prof. Reeta Nigam

3. Women Empowerment: Religious and Legal Status of Women in Present Times 21
—Dr. Lal Singh

4. Realisation of Sustainable Demographic Transition Created by Agrarian to Manufacturing Economies 31
—Dr. Pitamber Singh Chauhan

5. Strengthening Cashless Economy Trends through Digital Payments 40
—Dr. Umesh Singh Jadon

6. Bankim, Vande Mataram and Bharat Mata: The Making of the Nationalist Discourse 48
—Preet Choudhary, Dr. Ajay Kumar

7. Perspective of Agricultural Inputs in India 55
—Dr. Sandeep Kumar Poswal

8. Mahatma Gandhi views on Sociology of Education on India 64
—Vipul Dwivedi

9. The Need of Spirituality in the Current Education System 70
—Dr. Neeraj Kumar

10. A Comparative Study of Vividh Bharti Programmes and Radio Mirchi Programmes Among Youth: Special Context to Haldwani City 77
—Harshvardhan Pande

11. A Study on Consumer Behaviour towards Big Bazaar in Haldwani 86
—Harshvardhan Pande

12. Development and Political Mobilization: A Study of Regional Disparities in Karnataka 99
—Sampat Shanappa Lamani, Prof. Kamalaxi G. Tadasad

13. Traditional vs. Modern Medicine: Bridging the Gap in Rural Healthcare Delivery 109
—Dr. Satyam Dwivedi

13. Healthcare Inequality: A Comparative Study of Public and Private Healthcare Services in India 118
—Dr. Satyam Dwivedi

PART – I

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भारतीय इतिहास लेखन एवं जैन 'आदि पुराण'

प्रो0 ओंकार नाथ द्विवेदी
इतिहास विभाग
एम0जी0पी0जी0 कॉलेज, फतेहपुर, उ0प्र0

आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण जैन परम्परा के सर्वोत्कृष्ट पुराणों में परिगणित है। तीर्थंकरों की अभ्यर्चना से अभिपूरित यह ग्रन्थ अनेकानेक विशिष्टताएँ समेटे हुए है। वस्तुतः ब्राह्मण पुराण परम्परा के समानान्तर जैन मुनियों ने तीर्थंकरों के व्यक्तित्व को व्यापक रूप देने के निमित्त इस तरह के पुराणों का प्रणयन किया। निश्चित रूप से इस काल तक भारत में ब्राह्मण पुराणों की लम्बी परम्परा विद्यमान थी; जिसके समानान्तर जैन लेखकों ने पुराण इतिवृत्तों को अपनी लेखनी का आधार बनाया। वैदिक आख्यान् चरित परम्परा सतत् रूप से भारतीय लेखन में प्रवाहित रही। सूत, मगध, भृग्वांगिरस परम्परा सतत् रूप से भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल तक के लेख में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। जैन लेखन भी इस परम्परा से अछूता नहीं रहा है। जिनसेन से लेकर पूर्व मध्ययुगीन हेमचन्द्र आदि सभी ने पूर्व परम्परा को अपनाकर अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया। प्रो0 ए0के0 बार्डर ने अपने ग्रन्थ "An Introduction of India Histrography" में आदि पुराण के इतिहास लेखन की तरफ संकेत किया है।

जैन परम्परा में इतिहास लेखन का यह प्रथम प्रयास नहीं था, अपितु यहाँ भी इतिहास लेखन की सुदीर्घ परम्परा दिखाई देती है। आचारांग, व्याख्या प्रज्ञाप्ति, स्थानांग सुत्त आदि ग्रन्थों में जैन इतिहास लेखन के सभी सूत्र देखे जा सकते है। अन्तकृत दशक, ज्ञात, धर्मकथा तथा एक अन्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण में भी इतिहास लेखन की परम्परा दिखाई पड़ती है। पूर्व मध्ययुगीन जैन इतिहास लेखन की दृष्टि से प्रभाचन्द्र के प्रभावक चरित, मेरूतुंग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि, राजशेखर का प्रबन्धकोश तथा हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाका पुरुष जैसे ग्रन्थों को भी यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा।

आचार्य जिनसेन उस पंचस्तूप नामक अन्वय में हुए जो कि आगे चलकर 'सेनान्वय' या 'सेनसंघ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूँकि मुनियों की परम्परा उनके गुरुओं की परम्परा से आरम्भ होती है और आचार्य जिनसेन स्वामी आचार्य वीरसेन के शिष्य थे। अतः इन दोनों ने ही अपने वंश का परिचय 'पंचस्तूपान्वय' दिया है। अभी के अनुसंधान से इनके गुरु वंश की परम्परा आचार्य चन्द्रसेन तक ही पहुँच सकी है, अर्थात् चन्द्रसेन के शिष्य आर्यनन्दी, आर्यनन्दी के शिष्य वीरसेन, वीरसेन के शिष्य जिनसेन, जिनसेन के शिष्य गुणभद्र और गुणभद्र के शिष्य लोकसेन थे।

दिगम्बर मुनियों को पक्षियों की तरह अनियतवास बताया गया है। अर्थात् जिस प्रकार पक्षियों का कोई निश्चित आवास नहीं होता, उसी प्रकार मुनियों का भी कोई निश्चित आवास नहीं होता, किन्तु इनके सम्बन्ध में इनके निजग्रंथों में वंकापुर वाटग्राम और चित्रकूट का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह कर्नाटक प्रांत के रहने वाले होंगे। वंकापुर उस समय वनवास देश की राजधानी थी और इस समय कर्नाटक प्रान्त के धारवाड़ जिले में है। इसे राष्ट्रकूट अकाल वर्ष के सामन्त लोकादित्य के पिता वंकेचरसेन ने अपने नाम से राजधानी बसाया था, जिसका उल्लेख उत्तरपुराण प्रशस्ति से प्राप्त होता है। वाटग्राम की स्थिति के विषय में सूचना प्राप्त होती है कि यह राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के राज्य में था। अमोघवर्ष का राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कोचीपुर तक फैला हुआ था। अमोघवर्ष का राज्यकाल शक् सम्वत् 788 की एक प्रशस्ति में लिखा गया है कि– "गोविन्दराज जिसके उत्तराधिकारी अमोघवर्ष थे– केरल, मालवा, गुर्जर और चित्रकूट को जीता था। इन सब देशों के राजा अमोघवर्ष की सेवा में रहते थे।

जिनसेन स्वामी के सम्पर्क में रहने वाले राजाओं में अमोघवर्ष का नाम सर्वोपरि है। इनका धरू नाम वोद्दरण राव था। नृपतुण्ड, सर्वशण्ड, अतिशयधवल, वीरनारायण, पृथ्वीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक आादि इनकी उपाधियाँ थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत पराक्रमी शासक था। इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पायी और इन्होंने लगभग 63 वर्षो तक शासन किया। इतिहासकारों ने इनका काल शक सम्वत् 736 से 799 तक निश्चित किया है।

अमोघवर्ष ने अपनी दानशीलता व न्यायपरायणता से अपने नाम को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि पीछे से यह एक प्रकार की पदवी समझी जाने लगी और इसे राठौर वंश के तीन चार राजाओं तथा परमार वंश के महाराज मुंज ने अपनी प्रतिष्ठा का कारण समझकर धाारण किया। वे पिछले तीन–चार अमोघवर्ष जिनसेन स्वामी के चरण कमलों में अपना मस्तक रखकर अपने आपको पवित्र मानते थे और उनका सदा स्मरण करते थे। ये राजा ही नहीं विद्वान भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी। इन्होंने 'प्रश्नोत्तरमालिका' की रचना की थी। इन्होंने अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी का भार दूर कर दिया था। प्रश्नोत्तरमालिका के अतिरिक्त 'कविराजमार्ग' नामक अलंकार ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखा गया था। यह कन्नड़ भाषा में है और विद्वानों में इसकी बड़ी ख्याति भी है। इनकी राजधानी 'मान्यखेट' थी जो अपनी ख्याति से इन्द्रपुरी को भी हँसाती थी– यो मन्रूखेटममरेन्द्र पुरोपहासि, गीर्वाणि गर्वमिव खर्वयितुं व्यधत्त।

अमोघवर्ष ने जैन मन्दिरों एवं वसतिकाओं को अच्छा दान दिया था। शक् सम्वत् 788 के ताम्रपत्र से यह विदित होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेट में जैनाचार्य को दान दिया था, यह दानपत्र इनके राज्याभिषेक के 52वें वर्ष का है। शक् सम्वत् 797 का एक लेख कृष्ण (द्वितीय) महासायन्त पृथ्वी राय का मिला है जिसमें उनके द्वारा सोनदन्ति के लिए कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है।

अमोघवर्ष की राजधानी मान्यखेट थी, जो उस समय कर्नाटक एवं महाराष्ट्र इन दो राज्यों की राजधानी थी। इस समय वह मलखेड़ नाम से प्रसिद्ध है तथा हैदराबाद रेलवे लाइन पर मलखेड़ गेट नामक छोटे से स्टेशन से चार पाँच मील की दूरी पर है। अमोघवर्ष भी जिनसेन स्वामी का अनन्य भक्त था, अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने मान्यखेट में ही निवास कर अपने ग्रन्थ आदि पुराण की रचना की होगी। इनकी मृत्यु शक सम्बत् 765 में स्वीकार की जाती है।

जिनसेन स्वामी आचार्य वीरसेन स्वामी के शिष्य थे, इनके विषय में गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति में लिखा है कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह सर्वज्ञ के मुख से और देदीप्यमान सूरज का उदय पूर्वांचल से होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामी का उदय हुआ। जयधवला की प्रशस्ति में आचार्य जिनसेन ने अपना परिचय बड़े ही अलंकारिक ढंग से दिया है–

"तस्य शिष्योऽवच्छ्रीमान जिनसेन समिद्धधी।
अविद्धावपि यत्कर्णो विद्यौ ज्ञान शलाकाया।।
यस्मिन्नसन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः समुत्सुकाः।
स्वयंवरीतुकामेव श्रौति मालाययूयुजत।।
येनानुचरितंवाल्याद् महाव्रतखण्डित।
स्वयंवर विधानेन चित्रमूढ़ा सरस्वती।।
तयाप्यन्नशरणा यं सरस्वत्युपारचत्।।
ज्ञानाराधनया यस्य गत कालो निरन्तम्।
ततोज्ञानमयं पिंड यमाहुस्तत्वदर्शिनः।।"

आचार्य जिनसेन स्वामी सिद्धान्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्चकोटि के कवि भी थे। जहाँ जिसकी आवश्यकता हुयी वहाँ कवि ने उसी भावों को स्थान दिया और उसी शैली को प्रकट किया। वे स्तुत्व का यथार्थ विवेचन करना पसन्द करते थे। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए वस्तुत्व को तोड़मरोड़ कर अन्यथा कहना श्री जिनसेन स्वामी को कत्तई पसन्द नहीं था। अब तक उनके द्वारा निम्नांकित ग्रन्थों के प्रणयन का पता चला है–

1. पाश्र्वाभ्युदय :

जिनसेन स्वामी का पाश्र्वाभ्युदय काव्य जो कि 364 वृत्तों में पूर्ण हुआ है। यह कालिदास के मेघदूत का समस्या पूर्ति रूप है। इसमें मेघदूत के कही एक तो कही दो पदों को लेकर श्लोक की रचना की गयी है। इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत पाश्र्वाभ्युदय काव्य में अन्तर्विलीन हो गया है। पाश्र्वाभ्युदय मेघदूत के ऊपर समस्यापूर्ति के रूप में लिखा गया सर्वप्रथम स्वतंत्र ग्रन्थ है। इसकी भाषा और शैली

बहुत मनोहर है।

2. वर्धमान पुराण :

आचार्य जिनसेन स्वामी का द्वितीय रचना वर्धमान पुराण है। जिसका उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) ने अपने हरिवंश पुराण में किया है। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह जैन धर्म के अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का कथानक है।

3. जयधवला टीका :

कषाय प्रभृति के पहले स्कन्द की चारों विभक्तियों पर जयधवला नाम के 20,000 श्लोक प्रमाणटीका लिखकर जब श्री गुरू वीरसेनाचार्य स्वर्ग को सिधार चुके थे तब; उनके शिष्य श्री जिनसेन स्वामी ने उनके अवशिष्ट भाग पर 40,000 श्लोक लिखकर उसे पूरा किया। यह टीका 'जयधवला' अथवा 'वीरसेनीपा' नाम से प्रसिद्ध है। इस टीका में श्री जिनसेन ने श्री वीरसेन की शैली को अपनाया है। इन्होंने कही संस्कृत तो कहीं प्राकृत के द्वारा पदार्थ का सूक्ष्मतम अध्ययन किया है।

आदि पुराण महापुराण का आद्य भाग है। उत्तरभाग का नाम उत्तर पुराण है। आदि पुराण में 47 पर्व है जिसमें प्रारम्भ के 42वें पर्व के तीन श्लोक श्री जिनसेनाचार्य द्वारा रचित है। शेष पर्वो के 1620 श्लोक उनके शिष्य भदन्त गुणभद्राचार्य द्वारा विरचित है। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण के पीठिका बन्ध में जयसेन गुरू की स्तुति के बाद कवि परमेश्वर का उल्लेख किया है तथा उनके विषय में कहा है–

स: पूज्य: कविभिर्लोके कविना परमेश्वर:
वागर्थ संग्रह कृत्स्नं पुराणं य: समग्रहीत।।60।।

अर्थात् वे कवि परमेश्वर लोक में कवियों द्वारा पूजने योग्य है, जिन्होंने कि शब्द और अर्थ के संग्रह स्वरूप समाप्त पुराण का संग्रह किया था।

जैसा कि इस ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ॠषभदेव के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन करने के उद्देश्य को लेकर प्रणीत किया गया है। आदि पुराण के अन्तिम सर्ग के रचयिता तथा ग्रन्थ के पूरक के रूप में उत्तरपुराण के रचनाकार आचार्य प्रवर जिनसेन के शिष्य गुणभद्राचार्य ने आदिपुराण की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि– "यह आदिनाथ के चरित कवि परमेश्वर के द्वारा कही गद्य कथा के आधार पर बनाया गया है। इसमें समस्त छन्द तथा अलंकारों का लक्षण है। इसमें सूक्ष्म अर्थ तथा गूढ़ पदों की रचना है..... इसे सिद्धान्त ग्रन्थों के टीका करने वाले तथा गुणभद्रसूरि के अतिविस्तार के भय से और हीनकाल के अनुरोध से

संक्षेप में किया गया है।"

इस महापुराण के कथानायक त्रिषष्टिशलाका पुरुष है– 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण ये त्रेषठ शलाका पुरुष है। इनमें से आदिपुराण में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत का ही वर्णन हो पाया है। अन्य पुरुषों का वर्णन गुणभद्राचार्य प्रणीत उत्तर पुराण में हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने जिस रीति से प्रथम तीर्थंकर एवं भरत चक्रवर्ती का वर्णन किया है। यदि वह जीवित रहते और उसी रीति से अन्य कथानकों का वर्णन करते तो यह पुराण समस्त पुराण एवं काव्यों में महान होता। श्री जिनसेनाचार्य की मृत्यु के पश्चात् गुणभद्राचार्य ने अवशिष्ट भाग को अत्यन्त संक्षिप्त रीति से पूर्ण किया है, परन्तु उन्होंने संक्षिप्त रीति से लिखने पर भी सारपूर्ण बातों का समुल्लेख किया है। जिनसेन और दशरथ गुरू के शिष्य गुणभद्राचार्य भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। ये उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त पक्षोपवासी, परस्वी और भावालिंगी मुनिराज थे। इन्होंने आदि पुराण के अन्त में 1620 श्लोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तर पुराण की रचना की जो 8000 श्लोकों में निबद्ध है, वे अत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। आदिपुराण के 43वें पर्व के प्रारम्भ में जहाँ से अपनी रचना प्रारम्भ करते है, वहाँ इन्होंने जो पद लिखे है उनसे इनके गुरुभक्त हृदय का अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। इनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है–

1. **उत्तरपुराण**– यह महापुराण का उत्तर भाग है, इसमें अजितनाथ आदि को लेकर 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र, 9 प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषों के कथानक दिये गये है।

2. **आत्मानुशासन**– यह भर्तृहरि के वैराग्य शतक शैली में लिखा हुआ 272 पद्यों का बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है। इसकी सरस और सरल रचना हृदय पर तत्काल असर डालती है। इसकी संस्कृत टीका प्रभा चन्द्राचार्य ने की है। हिन्दी टीकाएं भी श्री स्व0 पं0 टोडर मल तथा पं0 वंशीधर शास्त्री सोलापुर ने की है। जैन समाज में इसका प्रचार भी खूब है।

3. **जिनदत्त चरित्र**– यह नवसर्गात्मक छोटा सा ग्रन्थ है। अनुष्टुप श्लोकों में रचा गया है। इसकी कथा बड़ी कौतुकावह है। शब्द विन्यास अल्प होने पर भी कही–कही भाव बहुत गम्भीर है। श्री लाल जी काव्यतीर्थ द्वारा हिन्दी में भी अनुवाद हो चुका है।

निष्कर्ष

आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में अपने पूववर्ती जिन विद्वानों का उल्लेख किया है; उसमें सिद्धसेन, समन्तभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, शिवकोटि, जटाचार्य (सिंहनन्दी) काणभिक्षु, देव अकलंक भट्ट, श्रीपाल, पात्रकेशरी, वादिसिंह, वीरसेन, जयसेन और कवि परमेश्वर आदि प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त आदिपुराण में कतिपय देशों का भी नामोल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें सुकोशल, अवन्ति, पुण्ड्र, काशी, कलिंग, अंग, बंग, सुह्य, कश्मीर, आनर्त, वत्स, पंचनद, मालव, पांचाल, दशार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, कोंकण, बनवास, आन्ध्र, कर्णाट्, कोसल, चोल, केरल, शूरसेन, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, कम्बोज, आरट्ट, तुरूष्क, शक, सौवीर, केकय आदि प्रमुख देश है।

आचार्य जिनसेन ने जैन परम्परा के प्रेषक शलाका पुरुषों का चरित वर्णन की इच्छा से आदि पुराण का प्रणयन किया अथवा मात्र इन शलाकापुरुषों में प्रथम आदिनाथ व भरत चक्रवर्ती का वर्णन ही इस ग्रन्थ का अभिशप्त था यह कहना कठिन है। यद्यपि आदिपुराण के प्रारम्भ में ही स्वयं जिनसेन इस ग्रन्थ में त्रेषठशलाका पुरुषों से सम्बन्धित आख्यानों का वर्णन करने की इच्छा प्रकट की है–

इत्याप्राप्तवचः स्तोत्रैः कृमंगलसत्क्रिय।
पुराणं संग्रहीष्यामि त्रिषष्टिपुरूपाश्रितम्।।
तीर्थेशामपि चक्रेषां हलिनामर्ध चक्रिणाम्।
त्रिषष्टि लक्षणं वक्ष्ये पुराण तद्ष्ठिषामपि।।
पुरातनं पुराणं स्यात् तन्हन्महदाश्रयात्।
महादिभरूपपदिष्टत्वात् महाश्रेयोखनुशासनात्।।

दुर्भाग्यवश इस पुराण के 43वें सर्ग के पूरा होते–होते आचार्य प्रवर का देहावसान हो गया। उनका यह ग्रन्थ कालान्तर में उनके योग्य शिष्य ने गुरू की प्रतिज्ञा को शिरोधर्य कर बाकी अन्य शलाका पुरुषों के चरित वर्णन रूप उत्तर पुराण की भी रचना की।

इतिहास पुराण परम्परा के मर्मज्ञ आचार्य जिनसेन ने न केवल पुराणों की यथार्थ को स्पष्ट किया है, अपितु इतिहास का यथार्थ भी निरूपित किया है।

इतिहास इतीष्टं तद् इतिह हासीदिति श्रुतेः।
इतिवृत्तमथैतिसमान्नायं चामन्ति तत्।
पुराणमितिहासाख्यं यत्प्रोवाच गणधिपः।
तत्किलाहमधीर्वक्ष्ये केवलं भक्तिचोदितः।

जैने आदिपुराण का इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस ग्रन्थ में न केवल तमाम महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया किया है, अपितु भौगोलिक दृष्टि से भी अनेक स्थल प्रकाश में आये है। एक इतिहास ग्रन्थ के रूप में इसकी उपयोगिता उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Pathak, V.S., Ancient Histrience of India, Chapter-1
2. बार्डर, ए0के0, एन इन्ट्रोडक्शन टू दी इण्डियन हिस्ट्रोग्राफी, पृ0 34
3. वही, पृ0 32
4. स्वामी श्री जिनसेन, जयधवला टीका, श्लोक-4
5. एपिग्राफिआ इण्डिका, भाग-6, पृ0 102
6. ध्रुवराज का दान पत्र, इण्डियन एण्टिक्वेरी, पृ0 12-181
7. गुणभद्राचार्य कृत उ0 पुराण प्रशस्ति, श्लोक-8
8. एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द, पृ0 192-196
9. आदिपुराण प्रस्तावना पाद टिप्पणी, पृ0 22
10. जिनसेन कृत जयधवलाटीका श्लोक, 289, 29, 30, 34
11. आदिपुराण, प्रथम पर्व, श्लोक-60
12. उ0पुराण प्रशस्ति, श्लोक 17-20
13. दर्शनसार
14. पं0 सीतराम जयराम जोशी और पं0 विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज कृत 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास'
15. आदिपुराण प्रथम पर्व, श्लोक संख्या 19, 20, 21
16. आदिपुराण, प्रथम पर्व, श्लोक संख्या 19, 20, 21

अवधी सूफी काव्य : विविध संदर्भ

डॉ. अरुण कुमार मिश्र
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
एम.डी.पी.जी. कॉलेज, प्रतापगढ़

डिम्पल सिंह
शोध छात्र, हिन्दी विभाग
एम.डी.पी.जी. कॉलेज, प्रतापगढ

हिन्दी के भक्तिकाल की एक विशिष्ट काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा गया है इसे अनेक नामों से पुकारा गया है– प्रेममार्गी (सूफी काव्य) प्रेमकाव्य, प्रेमगाथा, प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यान आदि, लेकिन ये नाम अस्पष्ट है ऐसे नामकरण से प्रेम–चित्रण वाले किसी भी काव्य को इस परम्परा में स्थान में मिल जाएगा। जबकि प्रेमाश्रयी काव्यधारा से तात्पर्य मात्र स्वछंद प्रेम से है।

भारत में प्रेमाख्यानकों की एक दीर्घ परम्परा मिलती है ऐसी कथाओं में सामान्यत: ऐसा समाज चित्रित हुआ है, जो सौंदर्य एवं प्रेम को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है तथा उसके समक्ष तमाम धार्मिक बन्धनों एवं रीति–नीति की मर्यादा में मिलते हैं सूफी कवियों ने अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए फारसी मसनवियों के आधार पर किया है इसी से इसका नाम सूफी काव्य परम्परा हो गया।

इस काव्य परम्परा के कवियो के सम्पूर्ण चित्रण का केन्द्र प्रेम है। इनकी प्रेम भावना श्रृंगारिकता का स्पर्श करती हुई भी उसे लौकिक से अलौकिक बना देती है। इनकी प्रेम भावना संघर्ष एवं साहस से अनुप्रणित है, जो सामाजिक मर्यादा को तथा परम्परा को विशेष महत्त्व नहीं देती। इनका प्रेम सौन्दर्यजन्य आकर्षण से शुरू होता है और परिस्थितियों के अनुसार उत्तरोत्तर गम्भीर होता चला जाता है। तथापि, सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आज के पाठक को ग्राह्य नहीं होता। साथ ही इनका प्रेम कभी–कभी वासना एवं कामुकता का आवेग बन जाता है। यह वासना आगे चलकर निखर जाती है और विशुद्ध प्रेम का रूप ले लेती है। काम भावना, प्रेम भावना के रूप में बदल जाती है। सूफी प्रेम साधना में तप के कष्ट को प्रेम का प्रमुख सोपान माना गया है यहाँ नायक का अनेक कष्ट सहना, उसके धैर्य की परीक्षा संघर्ष युद्ध आदि एक प्रकार की तपस्या ही है। पद्यमावत में पार्वती रतनसेन की परीक्षा लेती है, तथा अन्त में कहती है कि यह परीक्षा में तपा हुआ शुद्ध सोना है और प्रेम की आग में तप चुका है–

निश्चय यह प्रेमानल रहा
करने कसौटी कंचन लहा

सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेम है, जिसके अन्तर्गत कवियों ने संयोग का कम, विरह का अधिक चित्रण किया है। वस्तुत: यहाँ विरह दशा ही यह मनोभूमि है, जो चित्र की समाधि या प्रिय

के प्रति ऐकान्तिक निष्ठा लाती है, इन कवियों ने विरह-वर्णन के अन्तर्गत ऋतु वर्णन, बारहमासा आदि का विशेष वर्णन किया है। सूफी कवियों का रहस्यवाद भावनात्मक रहस्यवाद है। इन सूफी कवियों को 'प्रेम की पीर' का कवि कहा गया इन कवियों ने रहस्यात्मकता के माधुर्य भाव का प्रचार किया, जिसका प्रभाव कबीर एवं कृष्ण भक्ति परम्परा पर स्पष्ट दिखाई देता है। सूफी कव्वाल गाते-गाते हाल की दशा में चले जाते थे। लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना के लिए इन कवियों ने प्रबन्ध काव्यों की रचना की है। सूफी कवियों की शैली मसनवी है। मसनवी शैली में इन कवियों ने भारतीय प्रेम कथाओं को स्वर दिया है। दोहा, चौपाई, झूलना एवं कुण्डलियाँ इन कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख छंद हैं।

इस परम्परा में गुरू को ईश्वर तुल्य दर्जा प्राप्त है वही साधक को सिद्धि तक पहुँचाने का माध्यम है गुरूकृपा से शैतान एवं माया दोनों का नाश होता है।

सूफियों का प्रेम स्वरूप आलम्बन ईश्वर प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है। प्रकृति इनके लिए स्पृहणीय एवं आकर्षणपूर्ण है, 'रवि शशि नखत दीपही ओही जोती' ईश्वरीय ज्योति के कारण ही सब कुछ प्रकाशमान है। सूफियों के यहाँ प्रेमियों के विरह में प्रकृति भी समान रूप से दुःख महसूस करती है। वह उनके विरह ताप को कम करने की कोशिश करती है।

सूफी प्रेमाख्यानकों में माया के ही समान साधक को भ्रष्ट करने वाली या साधना के मार्ग में च्युत कराने वाली शक्ति के रूप ने शैतान की उपस्थिति मानी गई है। एक साधक पीर या गुरू की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है 'पद्ममावत' काव्य में राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। यहाँ यह स्मरणीय है कि निर्गुण सन्त कवि माया की निन्दा करते हैं, लेकिन सूफी कवि शैतान को त्यागने योग्य नहीं मानते क्योंकि, शैतान द्वारा उपस्थित किए गए व्यवधानों से साधक के प्रेम के गाम्भीर्य की परीक्षा होती है तथा उसके प्रेम में उज्ज्वलता और दृढ़ता आती है।

सूफी काव्य परम्परा के पूर्व निराशावादी सन्तों ने भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा कर दी थी, धार्मिक एकता का श्रीगणेश कर दिया था, परन्तु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली थी। समाज में व्याप्त कुरीतियों, कर्मकाण्डों और पाखण्डों के लिए कबीर हिन्दू-मुसलमान दोनों को फटकार चुके थे। उनके स्वर में खण्डनात्मकता, प्रतिक्रिया एवं चुभने वाली बातें थी, जिसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों चिढ़ गए।

दूसरी तरफ प्रेमाख्यानक परम्परा के कवियों ने किसी सम्प्रदाय या मतवाद का खण्डन नहीं किया। इनकी पद्धति ही मनोवैज्ञानिक थी। शुक्ल जी लिखते हैं, "प्रेमस्वरूप ईश्वर के सामने लाकर सूफी कियों ने हिन्दू-मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटा कर पीछे कर दिया।" हिन्दी के कतिपय विद्वानों का कहना है कि इन सूफी कवियों ने हिन्दू घरों की प्रेम

कहानियों के ब्याज से प्रच्छत्रत: इस्लाम का प्रचार करना चाहा था। परन्तु वस्तुस्थिति नितान्त भिन्न है। इनकी रचनाओं में इस्लाम की तरफ झुकाव या इस्लाम के प्रचार का कोई संकेत तक नहीं मिलता। इस काव्य परम्परा में कोई साम्प्रदायिक आग्रह नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं "कुछ भावुक मुसलमान 'प्रेम की पीर' की कहानियाँ लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियाँ हिन्दुओं के घर की हीं थीं। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके उन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों ने होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य के सारे बाहरी रंग रूप के भेदों की ओर से ध्यान हट एकत्व का अनुभव करने लगता है" पूर्वी प्रान्त के सभी सूफी कवियों की भाषा अवधी है, जिसका ठेठ देसी रूप जायसी के 'पद्ममावत' में मिलता है उनकी कविता में पहली बार अवधी भाषा सहज काव्य प्रवाह में बहने लगती है। दाऊद एवं कुतुबन की रचनाओं से तुलना करने पर लगता है कि अवधी भाषा काव्य प्रवाह में कुछ रोड़े अटका रही है, पर जायसी की भाषा बिल्कुल आम जनता की भाषा हो जाती है। इन कवियों ने कथानक को गति देने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए परम्परा से प्राप्त भारतीय कथानकों की रूढ़ियों का प्रयोग किया है।

इन कवियों की प्रेम गथाओं में भारतीय और फारसी कथा – तत्त्वों का अंत सामंजस्य मिलता है इन्होंने इस्लाम धर्म और हिन्दू धर्म का सामंजस्य करके कथानक का निर्माण किया इनकी रचनों में फारसी रहस्यवाद का भारतीय अद्वैतवाद से मेल मिलता है। प्रकृति की समस्त सत्ता में इन्हें ईश्वरीय तत्व की उपस्थिति दिखाई देती है। सूफी काव्यों में परमात्मा को प्रियतमा मानना सूफियों की खोज है। सूफी काव्य का प्रधान विषय ही प्रेम है, यह संपूर्ण काव्य परम्परा प्रेम रत्रोत है। प्रेम तत्त्व के चित्रण में इन्होंनेश्रृंगार रस के विरह पक्ष को विशेष महत्त्व दिया है वस्तुत: यहाँ विरह वर्णन ही वह उच्चतम चित्र भूमि है, जो कवि का लक्ष्य है विरह ही प्रेम को एकनिष्ठ एवं अडिग बनाता है परन्तु विरह चित्रण में इन कवियों ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, जिससे वर्णन कहीं–कहीं काल्पनिक या हास्यास्पद हो गया है। जायसी द्वारा किया गया नागमती का विरह वर्णन हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है।

इस काव्य परम्परा में अपभ्रंश के चरित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया गया है। यत्र तत्र सोरठे सवैये बरवै छन्द भी मिलते हैं।

अलंकारों में इन कवियों ने उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं रूपको का प्रयोग किया है सूफी कवियों ने समासोक्ति का खूब प्रयोग किया है।

अवध में लिखे गए पहले प्रेमाख्यान की रचना में चन्दायन का नाम आता है जिसमें मुल्लादाउद में लोरकचन्दा के प्रेम प्रसंग का सारगर्भित वर्णन किया है। इसने स्त्री के क्लीव और परकीयत्व को दिखाया गया है। इसमें मंदिर मस्जिदों मठो का भी उल्लेख दिखाई पड़ता है। इस काव्य रचना में कवि ने फारसी शैली का प्रयोग करते हुए नायक नायिकाओं के विरह प्रेम और व्याकुलकता को बड़े मार्मिक

ढंग से वर्णित किया है।

आगे चलकर कुतुबन द्वारा मृगावती ने प्रेमाख्यान में भी रस एवं मसनवी शैली परम्परा का निर्वहन किया गया है। इसमें लोकप्रिय कथा का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया है। इस काव्य रचना को आधार बनाकर कई भाषाओं में अन्य रचनाएँ लिखी गई है। कवि ने प्रेमार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत्प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच-बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यवाद आध्यात्मिक आभास है।

कथानक का उत्थान अलौकिक घटनाओं के माध्यम से दिखाया गया है। कुतुधन मृगावती में वर्णित करते हुए कहते हैं।

रूकमिनि पुनि वैसहि मरि गई।
कुलवंती सत सों सति भई।।
बाहर वह भीतर वह होई।
क्तर बाहर को रहै न जोई।।
विधि का चरित न जानै आनू।
सिरजा सो जाहि निआनू।।

इस प्रेमाख्यान को आधार बनाकर अनके कवियों ने अपनी रचनाओं में मार्मिक कथा को विस्तार दिया है।

मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्धासहृदयता का पता लगाता है मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच चोपाइयों के उपरान्त एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेमभाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है।

कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक ओर उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति अपूर्व संयम और निःस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर यौन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेमसूत्र में बँधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेममूर्ति तक पहुँचाने का मार्ग पा सकता है सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं।

जैसा कि मंझन कहते हैं-

देखत ही पहिचानेउ तोहीं।
एही रुप जेहि छँदर्यो मोही।।
एही रुप बुत अहै छपाना।
एही रुप रब सृष्टि समाना।।
एही रुप सकती औ सीऊ।
एही रुप त्रिभुवन कर जीऊ।।
एही रुप प्रगटे बहु भेसा।
एही रुप जग रंक नरेसा।।

ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती–

बिरह अवधि अवगाह अपारा।
कोटि माहिं एक परै त पारा।।
बिरह कि जगत अँविरथ जाही।
विरह रुप यह सृष्टि सबाहीं।।
नैन बिरह अंजन जिन सारा।
बिरह रुप दरपन संसारा।।
कोटि माहिं बिरला जग कोई।
जाहि सरीर बिरह दुख होई।।
रतन कि सागर सागरहिं,
गजमोती गज कोइ।
चंदन कि बन बन ऊपजै।
बिरह कि तन तन होई

'पद्यमावत' मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित अवधी का प्रतिनिधि महाकाव्य है जो प्रेमाख्यान काव्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महाकाव्य में जायसी ने उत्कृष्ट प्रेम को अवधी भाषा में अलौकिक ईश्वर की साधना को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर भक्तिकाल में अपनी उत्कृष्टता को दिखाया है।

अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्यमावत जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है। कि जायसी का हृदय केसा कोमल और प्रेम का पीर से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष में, क्या अध्यात्मपक्ष में दोनों और उसकी गूढ़ता गंभीरता और सरलता दिखाई देती है।

'पद्मावत' में राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन से युद्ध होता है। और अलाउद्दीन जीत जाता है यह पद्मावती को प्राप्त करना चाहता परन्तु पदमावती रत्नसेन की चिता पर बैठकर सती हो जाती है और अलाउद्दीन को अपनी ही योजना में असफलता मिलती है।

'पद्मावत' में प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है इसकी कहानियों में भी विशेषता है इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिन्दू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है। जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्द्ध तो बिल्कुल कल्पित है। और उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक आधार पर है।

जैसा कि कहा जा चुका है प्रेमगाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेममार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा मे यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्व3प आदि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है-

तन चितउर मन राजा किन्हा।
हिय सिंधल, बुधि पदमिनि चीन्हा।।
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा।
बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा।।
नागमती यह दुनिया धंधा।
बाँचा सोइ न एहि चित बंध।।
राघव दूत सोई सैतानू।
माया अलाउदीं सुलतानू।।

उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है जायसी के पहले के कवियों ने पाँच-पाँच चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है पर जायसी ने सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजानमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है।

अनुराग बाँसुरी यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इंद्रावत की रचना करने पर शायद नूरमुहम्मद को समय-समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम

मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इनकी एक विशेषता है जो सबसे अलग है कि इन्होंने चौपाइयों के जगह बीच-बीच में दोहे न लिखकर बरवै रखे हैं। सूफी रचनाएँ लोकरंजक एवं लोकमंगलकारी है इन रचनाओं द्वारा जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत विद्वेष को मिटाने का सरल प्रयास किया गया है ऐतिहासिक एवं काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोकगाथाओं पर आधृत प्रेम कथाओं में लोकतत्व की मात्रा अधिक है यह कहना भी भ्रामक है। कि सूफी कवि इस्लाम के छद्म प्रचारक थे। वस्तुतः यह सारी काव्य परम्परा विशुद्ध भारतीय रोमांचक काव्य परम्परा का अनुशीलन करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-55) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-061) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
3. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-61) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
4. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-363) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
5. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-57) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
6. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास (पेज नं.-64) प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
7. डॉ. नगेन्द्र- हिन्दी साहित्य का इतिहास -159 पेज, प्रकाशन- नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी
8. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पेज नं. 66, प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।
9. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पेज नं.-65, प्रकाशन- प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद।

भारत में नारीवाद : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

प्रो. सुधा राजपूत
प्रोफेसर, शिक्षक, शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उ0प्र0

शोध सार

नारीवादी अवधारणा का आरंभ इस विश्वास के साथ होता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अलाभ और हीनता की स्थिति में हैं। नारीवादी विचारधारा मुख्य रूप से स्त्री पुरुष भेदभाव से जुड़ी है तथा यह स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से संबंधित है। यह अवधारणा स्त्रियों की पराधीनता और उनके प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करती है। नारीवाद स्त्री पुरुष भेदभाव की पड़ताल के लिए मुख्य रूप से सेक्स और जेंडर को आधार बनाता है। नारीवादियों का मानना है कि सेक्स एक जीव वैज्ञानिक तथ्य है तथा जेंडर एक समाजवैज्ञानिक तथ्य है। नारीवादियों का मानना है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर स्थापित किया है उसी को सामाजिक स्थिति का आधार बना लिया गया जो कि तर्कसंगत नहीं है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों को सामाजिक जीवन में उपयुक्त मान्यता नहीं दी गई और उन्हें हीन स्थिति में रखा गया। नारीवादी विचारक जैविक निर्धारणवाद के विचार को खारिज करते हुए बताते हैं कि पुरुष और स्त्री की भिन्न छवि उनके जीव वैज्ञानिक अंतर पर आधारित नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति की देन है। यह अधीनता सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों विचारधाराओं और संस्थाओं की उपज है जो महिलाओं की भौतिक और विचारधारात्मक अधीनता यानी जेंडर के प्रभुत्व को सुनिश्चित करती है। ये मान्यताएं सामाजिक जीवन में स्त्री के संपूर्ण जीवन पर पुरुष के नियंत्रण को बढ़ावा देती हैं जिससे पितृसत्ता स्थापित होती है और यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही स्त्रियों के शोषण का कारण है। इस प्रकार से नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियों की हीन स्थिति का कारण कृत्रिम है और यह समाज द्वारा निर्मित है जिसे चुनौती दी जानी चाहिए।

शब्द कुंजी : नारी सशक्तीकरण, नारीवाद, समाज, समानता, संस्कृति, समुदाय, पितृसत्तात्मकता।

नारीवाद का अर्थ

एक अवधारणा के रूप में नारीवाद मुख्य पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति भूमिका और

अधिकारों से गहरा सरोकार रखना है, नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करना और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करना है। वस्तुतः नारीवाद पितृतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया एवं विद्रोह है, पुरुष प्रभुत्व के विरूध अवधारणा है तथा इस विचार का खण्डन है कि महिलाएँ पुरूषों के लिए ऐश का साधन है तथा एक विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं के साथ हुए शोषण का अंत चाहता है तथा इस विचार का विरोध है कि महिलाएँ सम्पूर्ण मानवीय स्वरूप से निम्न हैं

अवधारणा

एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नारीवाद 20वीं शताब्दी की देन है। महिला आंदोलन और उससे जुड़ा स्त्री मुक्ति का प्रश्न भी एक आधुनिक परिघटना है। संगठित नारीवादी आंदोलन की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई जब स्त्रियों द्वारा समस्त राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यवाहियों में खुल कर हिस्सा लिया गया। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की कानूनी स्थिति में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव लाए गए जैसे.. 1791 के कानून द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रावधानए 1792 में स्त्रियों को नागरिक अधिकार प्रदान किये गए तथा 1794 के कानून द्वारा तलाक की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया। अमेरिका में 1840 के दशक में एक लोकप्रिय सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ जिससे अमेरिका की स्त्रियों के अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसी प्रकार 1869 में स्त्रियों को वोट देने के अधिकार के एक राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऐसे संगठन धीरे–धीरे यूरोप में भी बनने लगे। सभी विकसित देशों से यह मांग उठने लगी कि स्त्रियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें पहली सफलता 1893 में न्यूजीलैंड में मिली। अमेरिका में 1920 में स्त्रियों को मतदान का अवसर मिला। 1970 के दशक में नारीवाद ने अपने आपको एक विचारधारा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और 1990 के दशक में यह पूर्ण रूप से एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुई। नारीवाद के विचार को न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र 1969के द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति मिली। इसमें उल्लिखित किया गया कि, स्त्रियाँ एक उत्पीड़ित वर्ग हैं। स्त्रियों का उत्पीड़न सर्वव्यापक है जो स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में इस विचारधारा में कई प्रभावशाली परिवर्तन हुए। आज नारीवाद एक बहुआयामी और प्रभावकारी विचारधारा है जिसने न सिर्फ अकादमिक जगत में बल्कि व्यवहारिक रुप से सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य किया है।

कट्टरपंथी नारीवाद, उदार नारीवाद

नारीवाद समानता की ओर एक सामूहिक मार्च है, इस साझा गंतव्य तक पहुंचने वाले रास्ते अक्सर

भिन्न हो सकते हैं।

- इन वर्षों में, यह शक्तिशाली आंदोलन विभिन्न उप. आंदोलनों या 'लहरों' में विभाजित हो गया है, जिनमें से प्रत्येक में समानता प्राप्त करने के अपने अद्वितीय दृष्टिकोण हैं।
- इस विमर्श के केंद्र में कट्टरपंथी नारीवाद और उदार नारीवाद हैं, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी हैं, जैसे सामाजिक नारीवाद, व्यक्तिगत नारीवाद और अस्तित्ववादी नारीवाद।

कट्टरपंथी नारीवाद

कट्टरपंथी नारीवाद सामाजिक संरचनाओं की गहन आलोचना प्रस्तुत करता है, यह दावा करते हुए कि ये आंतरिक रूप से पितृसत्तात्मक हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि लैंगिक असमानता समाज के मूल ढांचे में व्याप्त है, जिससे सच्ची समानता सुनिश्चित करने के लिए आमूल. चूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह सतही सुधारों से परे जाकर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उखाड़ने और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

कट्टरपंथी नारीवाद की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- लैंगिक असमानता से निपटने के लिए जड़ और शाखा दृष्टिकोण
- प्रजनन अधिकारों की वकालत, महिलाओं के अपने शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार को स्वीकार करना।
- महिला स्वायत्तता एवं आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना।

उदार नारीवाद

कट्टरपंथी नारीवाद य द्वारा प्रस्तावित कट्टरपंथी पुनर्गठन के विपरीत, उदार नारीवाद मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के भीतर बदलाव की वकालत करता है। यह परिप्रेक्ष्य कानूनी और नीतिगत सुधारों के माध्यम से सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों पर जोर देता है। संपूर्ण बदलाव के बजाय, यह वृद्धिशील परिवर्तन और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है।

उदार नारीवाद की मुख्य विशेषताएं–

- सभी लिंगों के लिए समान कानूनी अधिकारों और अवसरों की वकालत।
- मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर राजनीतिक और कानूनी सुधारों पर ध्यान दें।

- व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर

सामाजिक नारीवाद

सामाजिक नारीवाद, नारीवादी विचार का एक और पहलू, यह देखता है कि कैसे पूंजीवाद और पितृसत्ता मिलकर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। यह एक संयुक्त आर्थिक और लैंगिक क्रांति का आह्वान करता है, जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने के साथ-साथ आर्थिक बदलावों की वकालत करता है।

सामाजिक नारीवाद की मुख्य विशेषताएं-

- पूंजीवाद और पितृसत्ता के बीच अंर्तसंबंध की जांच। व लैंगिक समानता के साथ-साथ आर्थिक सुधार का आह्वान।
- व्यक्तिगत कार्यों के बजाय सामूहिक सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दें।

व्यक्तिगत नारीवाद

इसके विपरीत, व्यक्तिगत नारीवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्तिगत क्रियाएं सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं और बदल सकती हैं, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है। यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण और विकल्प चुनने की क्षमता पर जोर देता है।

व्यक्तिगत नारीवाद की मुख्य विशेषताएं-

- व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकल्पों पर जोर।
- सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए व्यक्तिगत कार्यों की शक्ति में विश्वास।
- व्यक्तिगत सशक्तिकरण और विकल्प चुनने की क्षमता पर ध्यान दें।

अस्तित्ववादी नारीवाद

अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित अस्तित्ववादी नारीवाद, पितृसत्तात्मक संरचनाओं के खिलाफ संघर्ष में व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक धारणा की भूमिका पर जोर देता है। यह मानवीय स्थिति के लैंगिक पहलुओं पर जोर देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का जश्न मनाता है।

अस्तित्ववादी नारीवाद की मुख्य विशेषताएं-

- व्यक्तिगत अनुभवों और व्यक्तिपरक धारणा पर जोर। व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का उत्सव।
- मानवीय स्थिति के लैंगिक पहलुओं पर ध्यान दें।

इन विविध दृष्टिकोणों में, समानता की खोज एक समान सूत्र बनी हुई है। ये विभिन्न दृष्टिकोण लैंगिक मुद्दों को देखने और संबोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक नारीवादी विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देता है

भारत में नारीवाद

पुरुष वर्चस्व हर एक समाज की सच्चाई है और भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों में महिलाओं की स्थिति आरंभिक समय से ही दोयम दर्जे की रही है। समाज की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएँ हमेशा से मूलभूत अधिकारों से वंचित रही हैं। भारत में भी नारीवाद पितृसत्ता के विरोध और समान अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। यदि हम भारतीय संदर्भ में नारीवादी आंदोलन को देखें तो इसको तीन कालखंडों में बाँटा जा सकता है -

1. प्रथम चरण 1850-1915
2. द्वितीय चरण 1915-1947 तथा
3. तृतीय चरण 1947 से वर्तमान तक।

ऐतिहासिक कारण- भारतीय सामाजिक संरचना, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के कारण भारत का नारीवादी आंदोलन पश्चिम से भिन्न है। भारत का नारीवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों रूढ़ परंपराओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबाफुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित रमाबाई, सर सैय्यद अहमद खान आदि विचारकों और समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रमुखता दी तथा विभिन्न संगठनों और कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में समर्पित प्रयास किया। दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगी।

इस चरण में भारतीय महिला संघ 1917 जैसे विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई और शारदा एक्ट 1929 जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहाँ महात्मा गाँधी ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत व विधवाओं के शोषण का मुखर विरोध किया वहीं डॉ. अंबेडकर ने कानूनी सुधारयप्रसूति अवकाश, मताधिकार व संवैधानिक प्रावधानों य समानता का अधिकार और लैंगिक विभेद का अंत के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में व्यावहारिक प्रयास किया। इस दौर में प्रमुख नारीवादियों में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुँच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक विभेद के अंत से जुड़ा हुआ है।

यदि हम वर्तमान में भारतीय नारीवादी विचारकों और आंदोलनकारियों की बात करें तो मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, मेधा पाटकर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है।

चुनौतियाँ

नारीवादियों के समक्ष अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। चूँकि प्रत्येक समाज की संस्कृतियाँ अलग हैं। इसलिये महिलाओं की पराधीनता और शोषण के कारण तथा संरचनाएँ भी अलग-अलग हैं। नारीवादी आंदोलन के समक्ष सबसे प्रमुख व्यवहारिक चुनौती स्त्रियों के प्रति बनी बनाई रूढ़ अवधारणाएं और पूर्वाग्रह हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के विरुद्ध की मानसिकता का निर्माण हजारों वर्षों का परिणाम है। असंख्य सुधारों के बावजूद भी लैंगिक भेदभाव सार्वजनिक जीवन की एक हकीकत है। नारीवादी आंदोलन की एक प्रमुख चुनौती समाज में विद्यमान असमानता और स्त्रियों के शोषण की समाप्ति के विचार को लेकर नारीवादी आंदोलन से जुड़े विचारकों के मध्य असहमति भी है। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त करना है लेकिन नारीवाद के अंतर्गत इसके तरीके पर सहमति नहीं है। जिस वजह से नारीवादी आंदोलन की गति धीमी रही है।

संभावनाएँ (निष्कर्ष)

नारीवाद से जुड़े हुए विचारकों का मानना है कि आज के वैज्ञानिक चिंतन के युग में शिक्षा

के विस्तार के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि स्त्री पुरुष की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं तथा उत्तरदायित्व से जुड़ी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। जहां भी स्त्रियों को अवसर मिला है वहाँ वे अपने आपको साबित कर चुकी हैं। शारीरिक क्षमता से जुड़े क्षेत्रों में भी स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। सेना तथा खेलकूद के क्षेत्रों में भी स्त्रियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसलिए स्त्री को सिर्फ अशक्त या अबला के रूप में देखना तर्कसंगत नहीं है। स्त्रियों की हीन स्थिति सामाजिक व्यवस्था की उपज है न कि प्राकृतिक व्यवस्था की देन। नारीवादी आंदोलन का सभी प्रकार के समाजों पर कमोबेश प्रभाव पड़ा है। नारीवादी आंदोलन के कारण स्त्रियों की दशा में काफी सुधार हुआ है और कई दूरगामी परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। वोट देने के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, विवाह एवं तलाक के कानून में परिवर्तन, दहेज एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध जैसे विभिन्न कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से महिलाओं की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज भी शासन व्यवस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयास क्रमिक रूप से जारी हैं जिसके सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं और आगे ढेरों संभावनाएं भी हैं। आज नारीवादी विचारकों का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुष के समान बनाना नहीं बल्कि प्राकृतिक अंतर को स्वीकार करते हुए उनकी सामर्थ्य का संपूर्ण उपभोग करने तथा समाज के द्वारा स्थापित कृत्रिम असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना है क्योंकि स्त्री पुरुष समानता स्थापित करके ही किसी भी समाज का संपूर्ण विकास संभव है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. आलेखः नारीवादी आंदोलन पृष्ठभूमि एवं विकासः वैश्विक संदर्भ धशिवानी कन्नौजिया
2. पश्चिमी नारीवादकी अवधारणा और विभिन्न नारीवादी आंदोलन आलेख (डॉ. नमिता सिंह)
3. नैयर, श्रीमती ऊषाः "ए. आई. डब्ल्यू. सी.एटअ ग्लान्स, द फर्स्ट ट्वन्टी फाइव इयर्स 1927-152" ई-बुक
4. मानवाधिकारः नई दिशाएँ, वार्षिकअंक-19, सेंट जोसेफ प्रेस, नई दिल्ली, 2013
5. नेशनलक्राइम रिकार्डस ब्यूरो
6. कौशाम्बी, दामोदर एवं धर्मानन्द, प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
7. हरिकृष्ण रावत, 2007, 'उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्व कोश' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 180-181
8. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनीलोकनीता, 2001, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
9. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फेमीनिज्म, 1986
10. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता 2001, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ-40

11. Ibid, साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, पृष्ठ–42,43
12. फेडरिक एंजिल्स 1884, द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रोपर्टी एण्ड द स्टेट, हॉटिंजेन ज्यूरिख, जर्मनी
13. इन रेडीकल इकोलॉजी द सर्च फॉर ए लाइवेवल वर्ल्ड, न्यूयार्क, रॉट्लीड्ज पृष्ठ 184
14. परमार, शुभ्रा, नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रकाषन, दिल्ली, पृ. 53 से उद्धृत
15. कोमबाही रिवर, कॉलेक्टिव: ए ब्लैक फेमीनिस्ट स्टेटमेन्ट, 1974

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

नई शिक्षा नीति : स्वरूप और आवश्यकता/प्रासंगिकता

डॉ. जीतेन्द्र प्रताप
(असि0 प्रोफे0)
दयानन्द वैदिक कॉलेज उरई, जालौन
लवलेश कुमार विश्वकर्मा
शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

सारांश (Abstract)

शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पियेगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा के द्वारा सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान निकाला जाता है शिक्षा वह हथियार है जो सम्पूर्ण जगत की समस्त समस्याओं का समाधान खोजती है। बदलते हुए समय के साथ-साथ सरकारों को शिक्षा नीतियों में भी परिवर्तन की जरूरत होती है। स्वतत्रंता के उपरान्त भारत सरकार ने सर्वप्रथम कोठारी आयोग (1964-66) के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 पारित किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किया जो 1990 तथा 1992 ई0 से कुछ परिवर्तनों के साथ-साथ 34 वर्षों तक अनवरत चलती रही है लेकिन आज की नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नवीन शिक्षा नीति-2020 पारित किया जिसका नेतृत्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष के0 कस्तूरी रंगन जी ने किया। जिसमें समाज की बदलती हुयी परिस्थितियों को देखते हुए 5+3+3+4 की शिक्षा संरचना को लागू करने पर बल दिया है। जिसमें प्रथम 5 का तात्पर्य आधारभूत स्तर/सोषन में 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालक शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिसके अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग आँगनबाड़ी हेतु तथा 7 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालक कक्षा 1 से 2 की शिक्षा प्राप्त करेगें। द्वितीय-3 का तात्पर्य उपरूपात्मक स्तर जिसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेगा। जो कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त करेगें। तृतीय-3 का तात्पर्य मध्यवर्ती स्तर जिसमें 11 से 14 आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेग जो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करेगें। इस स्तर में कौशल विकास प्रारम्भ किया जायेगा ताकि बालक शिक्षा प्राप्त करके स्वावलम्बी बन सकें। चतुर्थ-4 का तात्पर्य माध्यमिक स्तर जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेगा जो कक्षा 9 से 12 की शिक्षा प्राप्त करेगें। इस स्तर के बालक को विषय चुनने की आजादी होगी वह अपनी रूचि के अनुसार विषय चुन सकेगा। कक्षा 5 तक बालक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। कक्षा 6 से इन्टर्नशिप करायी जायेगी तथा त्रिभाषा फार्मूला में बल दिया जायेगा।

उच्च शिक्षा हेतु NCERT को नोडल एजेंसी माना जायेगा सभी संस्थानों को समाप्त करके एक सिंगल रेगुलेटर का गठन किया जायेगा। जो चिकित्सा शिक्षा तथा कानून शिक्षा को छोड़कर शेष सभी पर प्रभावी होगा। जिसे HCI कहा जायेगा। राष्ट्रीय पुस्तक संरक्षण नीति को अपनाया जायेगा। भारतीय चिन्ह भाषा का विकास मुक्त शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कराया जायेगा। चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी0एड0 पाठ्यक्रम को 2030 तक लागू किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम–शिक्षा मंत्रालय किया जायेगा।

मुख्य शब्द/संकेत शब्द– शिक्षा, समाज, 5+3+3+4, NCERT, नोडल एजेंसी मुक्त शिक्षण संस्थान, त्रिभाषा फार्मूला, मातृभाषा।

शिक्षा एक अद्वितीय राष्ट्रीय लक्ष्य है यह एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है जिससे देश के विद्यार्थियों और युवाओं का भविष्य बदला जा सकता है। भारत की लगभग 1.4 अरब जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या 26 वर्ष से कम है। 2026 तक यह संभावना है कि 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने लोगों में कौशलपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण, और आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने का संकल्प लिया। जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 01 जनवरी 2015 से एक अभूतपूर्व परामर्श का प्रारम्भ किया। जो बहुहितकारक, बहुआयामी, लोककल्याणकारी, लोक केन्द्रित समावेशी व सहभागी प्रक्रिया थी। इस शिक्षा नीति के निर्माण करने के लिए कई स्तरों जैसे ऑनलाइन, विशेषज्ञों के साथ, थीम आधारित, जमीनीस्तर के परामर्श जिसमें गांव, ब्लॉक, शहर, स्थानीय निकाय, जिला, मण्डल व राज्यों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शामिल किया गया था। गहन विचार–विमर्श तथा सलाह के पश्चात् भूतपूर्व केबिनेट सचिव टी0एस0आर0 सुबहम्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास की लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

सभी सुझावों तथा सलाहों को देखने और समझने के पश्चात् दिसम्बर 2018 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के0 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। इस समिति ने चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया।

सन् 1947 में देश की आजादी के पश्चात् भारत सरकार के द्वारा सन् 1968 ई0 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी थी तत्पश्चात् सन् 1968 ई0 में कांग्रेस की श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा किया था। जो 1990 एवं 1992 में कुछ परिवर्तनों के पश्चात् अनवरत 34 वर्षों की दीर्घ अवधि से चल रही थी। जो अब 29 जुलाई 2020 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को पारित करके देश

को समर्पित किया गया है। यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें विद्यालयी व उच्च शिक्षा में विभिन्न परिवर्तन करने की क्षमता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा0 के0 कस्तूरी रंगन जी द्वारा 31 मई 2019 को अपना प्रतिवेदन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा राज्य मंत्री श्री संजय श्याम राव धोत्रे जी को सौप दिया गया।

नवीन शिक्षा नीति–2020 का ड्राफ्ट पी0डी0एफ0 प्रारूप में हिन्दी 107 पृष्ठों में जबकि अंग्रेजी में कुल 69 पृष्ठों में लिखित है। स्कूल शिक्षा सम्बन्धी कुल 8 अध्याय जिनमें 143 बिन्दु हैं। उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी 5 अध्याय जिनमें 54 बिन्दु हैं तथा क्रियान्वयन की रणनीति को कुल 3 अध्यायों के 12 बिन्दुओं में प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति को कुल 308 बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अन्त में प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची भी दी गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान पाँच प्रमुख चुनौतियों को उजागर किया गया है। जो इस प्रकार हैं–

1. पहुंच (Access)
2. समानता (Equity)
3. गुणवत्ता (Quality)
4. वहनीयता (Affordability)
5. जवाबदेही (Accountabitity)

शिक्षा नीति के उद्देश्य

1. GDP का 4.43: शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाकर 6: किया जायेगा।
2. 2 करोड़ स्कूली बच्चों को Open School System से लाया जायेगा।
3. 2025 तक स्कूल और Higher School System में 50: स्मंतदमत को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया जायेगा।
4. GER- Gross Enrollment Ratio 100: किया जायेगा।
5. व्यावसायिक शिक्षा को 50: तक बढ़ाया जायेगा।
6. 2040 तक उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुउद्देश्यीय बनाया जायेगा।

7. कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाली योगात्मक सत्रंत परीक्षा के स्थान पर सीखने के लिए सतत् निर्माणात्मक मूल्यांकल पर जोर दिया जायेगा।

8. तार्किक निर्णय तथा नवाचार के लिए रचनात्मक व सोच को बढ़ावा दिया जायेगा।

9. विभिन्न जीवन कौशल जैसे–आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य तथा लचीलापन आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

10. विभिन्न नैतिक मानवीय व संवैधानिक मूल्यों जैसे सहानुभूति सम्मान, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, जिम्मेदारी, समानता तथा न्याय आदि को बढ़ावा दिया जायेगा।

शिक्षा का स्वरूप

भाग–1 स्कूली शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 5+3+3+4 की संरचना में गठित करती है।

A- Foundation Stage	–	5 साल उम्र– 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालक 3 से 6 वर्ष आँगनबाडी 7 से 8 वर्ष कक्षा 1 से 2
B- Prepatory Stage	–	3 साल उम्र– 9 से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5 विषय–विज्ञान, गणित
C- Middle Stage	–	3 साल उम्र– 12 से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8 विषय–कौशल विकास शुरू किया जायेगा।
D- Secondory Stage	–	4 साल उम्र– 15 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 विषय–बालक को विषय चुनने की आजादी होगी।

- कक्षा 5 तक बालक को मातृभाषा में पढ़ाया जायेगा। कक्षा 6 से इन्टर्नशिप करायी जायेगी।
- त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन कराया जायेगा। विद्यार्थी के ऊपर कोई भी भाषा थोपी नहीं जायेगी।

भाग–2 स्कूली शिक्षा

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय।
2. सभी संस्थानों को समाप्त करके Single Reguletor का गठन किया जायेगा।
3. Legal Education और Medical Education को छोड़कर एक Single Reguletor होगा जिसे HCI कहा जायेगा।
4. NCERT को Nodal Agency माना गया है।
5. राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अपनाया जायेगा।
6. CABE- Central Adulsony Board of Education को मजबूती प्रदान की जायेगी।
7. Four Year Integrated B.Ed. Course को 2030 तक लागू किया जायेगा।
8. Indian Sign Language का विकास Open Schooling के द्वारा किया जायेगा।

शोध उपाधि Ph.D

एक वर्षीय स्नातकोत्तर 1 Year PG	दो वर्षीय स्नातकोत्तर दूसरे वर्ष में शोध सहित 2 Year PG With Research in IInd Year	पाँच वर्षीय एकीकृत स्नातक व स्नातकोत्तर 5 Year integrated
चार वर्षीय शोध सहित स्नातक 4 Year UG With Research	तीन वर्षीय स्नातक 3 Year UG	

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की विवेचना से स्पष्ट है कि एक नीति पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों से काफी हद तक मिलती है लेकिन पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में जहां तक पहुँव को बढ़ाने पर बल दिया गया था वही इस नीति में पहुँच के साथ–साथ समावेशन तथा गुणवत्ता को बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया

है। अब वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नवीन शिक्षा नीति–2020 में निम्नलिखित बिन्दुओं में परिवर्तन की बात चली है जो समय की मांग है।

1. स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 की 5 वर्षीय फाउन्डेशन स्टेज 3 वर्ष का प्री स्कूल व 2 वर्ष का निम्न प्राथमिक 3 वर्षीय पिपेटरी स्टेज, 3 वर्षीय मिडिल स्टेज तथा 4 वर्षीय सेकेन्ड्री स्टेज वाली राष्ट्रीय संरचना को अपनाना।
2. सीखने के आधार स्तम्भ के रूप में खेल, गतिबिधि तथा खोज आधारित गतिबिधियों पर बल देना।
3. प्रारम्भिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर जोर देना।
4. नामांकन को शत–प्रतिशत करने का लक्ष्य करना तथा शालात्याग को समाप्त करना।
5. शिक्षा मे ंजरूरत के अनुसार ODL प्रणाली का उपयोग करना ।
6. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार करना तथा सीखने के लिए आंकलन पर जोर देना।
7. SC, ST, OBC निर्धनवर्ग, दिव्यांगों, लड़कियों आदि के लिए समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा की यथाशीघ्र व्यवस्था करना।
8. बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम दो प्रयास, व्यवस्था अपनाना तथा परख (PARAKH) नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र के द्वारा राष्ट्रीय निष्पत्ति सर्वेक्षण (NAS) कराना।
9. विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में सुधार करना तथा मानदण्ड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाना।
10. चार स्वतंत्र संघटक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनिश्यक परिषद (NHERC), राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAAC), उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC), सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) वाले भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) का गठन करना।
11. छात्र भागीदारी को बढ़ाना, प्रेरित, सक्रिय व सक्षम संकाय को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्टतम व नवाचार को बढ़ावा देना एवं योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार करना।
12. ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल अधिगम हेतु व प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग हेतु यथावत अध्ययन करना।
13. शिक्षा के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना व डिजिटल गैप करना।
14. पाठ्य सामाग्री का निर्माण करना, वर्चुअल प्रयोगशाला बनाना, शिक्षित मॉडल अपनाना, ऑनलाइन परीक्षा व मूल्यांकन को बढ़ावा देना तथा डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
15. भारतीय भाषाओं कला व संस्कृति का संवर्धन करना, अनुवाद तथा विवेचना क लिए भारतीय अनुवाद तथा विवेचना संस्थान की स्थापना करना।
16. 'एक भारत तथा श्रेष्ठ भारत' के अन्तर्गत छात्रों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना।
17. प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त अधिगम व्यवस्था में पाँच तथ्यों साक्षरता व संख्या ज्ञान, जरूरी जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा तथा सतत् शिक्षा पर जोर देना।
18. तीन वर्षीय, चार वर्षीय स्नातक उपाधि, बहुल निकास के द्वारा एक वर्ष में प्रमाण पत्र, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में डिग्री तथा चार वर्ष में शोध सहित उपाधि प्राप्त करना।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत सरकार ने सर्वप्रथम कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को पारित किया गया। जिसमें शिक्षा की संरचना 10+2+3 की संकल्पना प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात् कांग्रेस के नेतृत्व की भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 पारित किया। जिसमें शिक्षा की संरचना 10+2+3 की संकल्पना प्रस्तुत की गयी थी। आज 34 वर्षो बाद केन्द्र में भाजपा की नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पारित किया। जिसमें शिक्षा की संरचना 5+3+3+4 की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रथम 5 का तात्पर्य आधारभूत स्तर से है, जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेगें। द्वितीय 3 का तात्पर्य उपरूपात्मक स्तर से है, जिसमें 8 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेगा जो कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त करेगें। तृतीय 3 का तात्पर्य मध्यवर्ती स्तर से है, जिसमें 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेगा जो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करेगें। इस स्तर में कौशल विकास का प्रारम्भ किया जायेगा। कौशल विकास का उद्देश्य बालकों को स्वावलम्बी बनाना है। चतुर्थ 4 का तात्पर्य माध्यमिक स्तर से है, जिसमें 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया जायेगा जो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करेगें। इस स्तर में बालकों को विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। कक्षा 5 तक के बालकों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा कक्षा 6 से इन्टर्नशिप करायी जायेगी एवं साथ ही साथ त्रिभाषा फार्मूला में भी जोर दिया जायेगा।

अन्ततः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 बदलते हुए समय तथा तकनीकि के अनुकूल शिक्षा नीति है जो विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगी। शिक्षा सभी को समान रूप से सर्वसुलभ होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

1. गुप्ता, एस0पी0 व गुप्ता, डा0 अल्का (2021) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज। Page-734,735,736,738,783,784
2. www.google.com :
3. www.youtube.com :
4. Magazines : प्रतियोगिता दर्पण (मासिक)

5. News Paper	:	The Hindu
	:	The Hindustan Times
	:	The Times of India

पर्यावरणीय शिक्षा की महत्ता

डॉ0 रवेन्द्र राजपूत
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक सुषमा के प्रति जितना आदर और आकर्षण है, वह किसी से छुपा नहीं है। मनुष्य प्रकृति का पुत्र माना जाता है। प्रकृति के आँगन में विचरण करके वह बड़ा होता है। पर्वत, नदी, तड़ाग, शस्य श्यामला भूमि और सुवासित वायु हमारे जीवन को स्वच्छ और सुखद बनाती है। प्रकृति समय और परिस्थितियों के अनुसार माँ की ममता के समान सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन उलझने पर पिता के समान ही क्रोध भी देती है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र कहते हैं– "प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किन्तु जहाँ औद्योगिक विकास से अन्धें मानव ने प्रकृति को चुनौती माना और उस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा, यहीं से मानव तथा प्रकृति का संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम सामने हैं।" अत: प्रकृति में मनुष्य के हस्तक्षेप ने उसके समतोल को बिगाड़ दिया।

यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को गुरु मानकर उसके साथ सहयोग करता है और सब अवशिष्टों को प्रकृति को लौटाता है तो सृष्टि और मनुष्य स्वस्थ रह सकते है। भारतीय संस्कृति में इसी अटल सत्य को स्थान प्रदान किया गया है। इसने प्राकृतिक सुषमा के सभी आधारों में देवत्व गुण को आरोपित कर उन्हें आदर और श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु बनाया है। जैसी कि ऋग्वेद में स्तुति की गई है "हमारी देवी नदियों हमारी रक्षा के लिए दयामय बनी रहें, वे हमें पीने के लिए जल प्रदान करती रहें, और हम पर आनन्द और खुशियां बरसाती रहें, हमारी बहुमूल्य निधियों और मानव की भी विधाता, हे नदियो! हम तुम्हारे आरोग्यकर जल के आकांक्षी हैं।"

यह माना जाता है कि गंगा पापनाशिनी हैं। उसका जल पवित्र है और जब तक गंगा का जल प्रवाह बना रहेगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता पुष्पित और पल्लवित होती रहेंगी। लेकिन आज हम जिस स्थिति में पहुँच गये हैं उसमें तो गंगा का जल भी दूषित हो रहा है जो मानव के जीवन के उपयोग के योग्य नहीं रहा गया है। हमारे देश की दिनों दिन सुरसा के मुँह की तरह बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव निरन्तर बनों की कटाई करता जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से वातावरण दूषित व विषाक्त होता जा

रहा है। जिससे समस्त प्राणियों के अस्तित्व को खतरा पैदा होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं के प्रति गम्भीरता व पर्यावरण संरक्षण तथा उसके सुधाार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाना अति आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा एवं सुधाार व जनता को उसके प्रति जागरूक बनाने के लिए आज पर्यावरणीय शिक्षा का अनुभव किया जा रहा है। इसके महत्व को दर्शाते हुए प्रख्यात रसायनशास्त्री डॉ. सत्य प्रकाश कहते हैं "प्रकृति हमारी देवी है। उसके दूष्ठित होने से मन बौद्धिक चिन्तन भी प्रदूषित होता है। हमें अपने हित की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।"

पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ -

पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ समझने से पूर्व पर्यावरण का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। पर्यावरण दो शब्दों - 'परि+आवरण' से मिलकर बना है। 'परि' अर्थात चारों ओर 'आवरण' का अर्थ है ढका हुआ 'अर्थात्' पर्यावरण का अर्थ हुआ 'चारों और से ढका हुआ।"

समस्त भौतिक एवं जैविक प्रणाली जिसके हम व अन्य जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है।

'रॉस- "पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।"

पर्यावरणीय शिक्षा क्या है?

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सभा में कहा गया कि- "पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें मनुष्य स्वयं को समस्त भौतिक तरीकों के एक अंग के रूप में देखे तथा मनुष्य व पर्यावरण के मध्य अनुरूपता की आवश्यकता को समझे।"

डॉ. आर.सी. शर्मा कहते हैं- "पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती है।"

शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूलन करना ही नहीं सिखाती है वरन उसे पर्यावरण अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियन्त्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है।

पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा -

1. संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्यावरणीय शिक्षा अधिनियम 1970- "पर्यावरणीय शिक्षा वह शैक्षिक प्रक्रिया है जो मानव के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण से सम्बन्धित है। इसमें जनसंख्या,

प्रदूषण, संसाधनों का विनियोजन एवं निःशेषण, संरक्षण, यातायात, प्रौद्योगिकी तथा सम्पूर्ण मानवीय पर्यावरणीय के शहरी तथा ग्रामीण नियोजन का सम्बन्ध भी निहित है।"

2. फिनिश नेशनल कमीशन – "पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरणीय संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है, यह विज्ञान की एक पृथक शाखा या कोई पृथक अध्ययन विषय नहीं है। इसको जीवन पर्यन्त एकीकृत शिक्षा के सिद्धान्त के रूप में लागू किया जाना चाहिए।"

3. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिसर्च – "पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा का अधिगम क्षेत्र ही अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है लेकिन यह सर्वसम्मत अवश्य है कि पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु अन्तर्विषयक प्रकृति की है। इसमें जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य लोकोपकारी विषयों की विषय सामग्री सम्मिलित है, इस विचार से भी सभी सहमत हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा की सम्प्रत्यात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है।"

4. चैपमेन टेलर – "पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय सद्नागरिकता विकसित करने के लिए सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों एवं समस्याओं पर केन्द्रित करना है ताकि सद्नागरिकता का विकास हो सके तथा अधिगम कर्त्ता पर्यावरण के सम्बन्ध में भिज्ञ प्रेरित तथा उत्तरदायी हो सके।"

पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य – अक्टूबर 1975 बेलग्रेड में पर्यावरणीय शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बेलग्रेड घोषणा पत्र में पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य को इस प्रकार बताया–

(a) लक्ष्य :- पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है – विश्व जनसंख्या को पर्यावरण तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्धा में जागरूक बनाना।

(b) पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य –

1. जागृति :- व्यक्ति और समाज के सम्पूर्ण पर्यावरणीय की जागरूकता और उसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करें।

2. ज्ञान – पर्यावरण तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं और मानव की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का ज्ञान।

3. अभिवृत्ति – सामाजिक मूल्यों तथा पर्यावरण के लिए भावनाओं का विकास और इसके अनुरक्षण व सुधार में भागीदारी हेतु प्रेरणा अर्जित हो।

4. निपुणता – पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की निपुणता प्राप्त हो।

5. भागीदारी – पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए विवेकपूर्ण और उत्तरदायित्व में सक्रिय भागीदारी।

पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता संवेदनशीलता, ज्ञान, मूल्यांकन पर्यावरण

प्रतिबद्धता की उपलब्धि सम्मिलित है।

पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रमः-

बूरजेल वेचर (1976) के अनुसार - पाठ्यक्रम में निर्णायक तत्व समाहित हैं-

1. मानव और पर्यावरण
2. जनसंख्या तथा नगरीकरण
3. परिस्थितिकी
4. अर्थशास्त्र तथा पर्यावरण
5. नगरीय तथा क्षेत्रीय नियोजन
6. सामाजिक संसाधन
7. सरकारी नीति तथा नागरिक
8. वृक्ष एवं जल संसाधन
9. वन्य जीवन संसाधन
10. वायु प्रदूषण
11. बाह्य मनोरंजन तथा नागरिकों की भूमिका

पर्यावरणीय शिक्षा की शिक्षण विधियाँः-

1. कक्षा वाद-विवाद विधि
2. छोटी सामूहिक प्रयोजनायें
3. क्षेत्रीय पर्यटन
4. बाह्य अध्ययन
5. प्रदर्शनी का प्रयोग
6. अनुकरण तथा खेल

साधनः-

1. स्थानीय साधन - छात्रों के निवास स्थान का पर्यावरण, जल को प्रदूषित करने वाले स्रोत, वायु को प्रदूषित करने वाले स्रोत आदि।
2. राष्ट्रीय संगठन - टेलीफोन, पर्यावरणीय शिक्षा की बुलेटिन, 'Your Environment' नामक पत्रिका डाइरेक्टरी आदि।
3. विद्यालय का खेल मैदान, विद्यालय-उद्यान।
4. मुद्रित सामग्री - सरकारी प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन, पीरियोडिकल्स, पुस्तकें, पोस्टर, चार्टर्स सरकारी नीतियाँ आदि।
5. श्रव्य-दृश्य सामग्री - फिल्म, फिल्म-खण्ड, व्यक्तिगत स्लाइड्स, कामर्शियल टी0वी0, एजूकेशनल टी0वी0, ऑडियोटेप्स, कामर्शियल स्लाइड्स रेडियो आदि।

पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वः-

मानव जीवन में पर्यावरणीय शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इसे हम अग्रलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

1. पर्यावरणीय शिक्षा हमें बनों का महत्व बताकर उनके लाभों से अवगत कराती है।
2. पर्यावरणीय शिक्षा हमें वन संरक्षण की आवश्यकता का ज्ञान कराती है।
3. पर्यावरण को सन्तुलित रखने एवं इसके संरक्षण हमें प्रेरणा देती है।
4. पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के भयानक परिणामों का ज्ञान तथा बढ़ते प्रदूषण के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है।
5. इससे जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने में प्रेरणा मिलती है।
6. पर्यावरण की शिक्षा हमें प्रेम, सहयोग, सहकारिता सहनशीलता का पाठ सिखाती है।
7. इससे औद्योगिक विकास के तीव्र विस्तार के कारण होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का ज्ञान होता है तथा इनके समाधान एवं निराकरण हेतु प्रेरणा मिलती है।
8. पर्यावरण सम्बन्धी सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

9. प्रकृति के संसाधनों के भण्डार का समुचित प्रयोग करने तथा अनुचित दोहन के कुपरिणामों का ज्ञान कराये में पर्यावरणीय शिक्षा बहुत बड़ा योगदान देती है।

10. पर्यावरणीय शिक्षा का सम्पूर्ण वातावरण तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने में बहुत खड़ा योगदान रहता है।

संदर्भ सूची-

1. नागपाल सुरेश - पर्यावरण शिक्षा
2. वर्णवाल एवं रस्तोगी - पर्यावरण एवं पारिस्थिकी
3. हुसैन माजिद - पर्यावरण एवं पारिस्थिकी
4. त्रिपाटी विजय प्रकाश - पर्यावरणीय शिक्षा
5. कपूर उर्मिला - भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएँ

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में किन्नर विमर्श

डॉ0 अरुण कुमार मिश्र
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
एम0डी0पी0जी0 कॉलेज, प्रतापगढ़

सावित्री कुमारी
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
एम0डी0पी0जी0 कॉलेज, प्रतापगढ़

अन्यान्य सामाजिक विमर्शों की भाँति किन्नर विमर्श भी चित्रा मुदगल के साहित्य का एक उपांग बनकर प्रस्तुत होता है। किन्नरों से सम्बन्धित समस्याओं को ही साहित्य के अंतर्गत किन्नर विमर्श कहा जाता है। समकालीन साहित्यकारों ने भी किन्नर विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई है। इनमें प्रमुख रूप से नीरजा माधव, चित्रा मुद्गल, महेंद्र भीष्म, निर्मला भुराड़िया तथा प्रदीप सौरभ जैसे साहित्यकारों का उल्लेख किया जा सकता है। स्वयं थर्ड जेंडर समाज से जुड़े लोगों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी। इन आत्मकथाओं में थर्ड जेंडर के जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। इस सम्बन्ध में शरद सिंह की पुस्तक थर्ड जेंडर विमर्श के "लैप पर अंकित है– "हिन्दी कथा साहित्य में थर्ड जेंडर की पीड़ा को, उसके जीवन के गोपन पक्ष को दुनिया के सामने लाया जाने लगा। लोगों में कौतूहल जागा, भले ही शनैः–शनैः। 'यमदीप', 'किन्नर कथा', 'तीसरी ताली', 'गुलाम मंडी', 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' जैसे उपन्यास लिखे गए। स्वयं थर्ड जेंडर ने आत्मकथाएं लिखीं। शिक्षा, समाज, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में थर्ड जेंडर ने अपनी योग्यता को साबित किया। समय आ गया कि समाज और थर्ड जेंडर के बीच की दूरी मिटाई जाए। साहित्यकार इसके लिए साहित्यिक सेतु बनाने लगे हैं जो थर्ड जेंडर विमर्श के रूप में आकार ले चुका है।"[1]

चित्रा मुद्गल तो अपने उपन्यास पोस्ट बक्कक्स नंबर 203 नालासोपारा के माध्यम से किन्नरों की ज्वलंत समस्याओं पर विचार करती हैं और उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती हैं। इस उपन्यास में नालासोपारा में रहने वाले एक छोटे से लड़के विनोद उर्फ बिन्नी की कहानी प्रस्तुत की गई है।

विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ विमली चित्रा मुदगल के उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा का प्रमुख पात्र है। वह शारीरिक विकृति से पीड़ित है। जन्म से ही उसका जननांग गायब था। जब वह बड़ा होता है और उसे लैंगिक ज्ञान प्राप्त होता है तब वह बड़ा दुःखी होता है। उसके दोनों भाई सिद्धार्थ और मंजुल के पास तो नुन्नु है, आखिर उसके पास क्यों नहीं है? अपने प्रश्नों को लेकर वह अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है की माँ मेरे पास नुन्नू क्यों नहीं है? उसके प्रश्न सुनकर माँ

बड़ी परेशान होती है और उसे अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करती है। नियति के समक्ष लड़ने का साहस तो उसमें भी नहीं था। बड़े होने पर जब वह पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाता है तब उसे चिढ़ाया जाता है। वास्तव में बिन्नी का प्रश्न केवल उसका नहीं था अपितु सम्पूर्ण सामाजिक संरचना पर प्रश्न था जिसमें किसी लिंग हीन व्यक्ति को मनुष्य माना ही नहीं जाता। यह प्रश्न ही सम्पूर्ण उपन्यास का केंद्रीय प्रश्न बनकर उपस्थित होता है। अनेकों विशेषज्ञों और डॉक्टरों के परामर्श से भी कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे-धीरे बिन्नी अपने किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा हो गया जहाँ उसे और भी हीनता का शिकार होना पड़ा। इसके साथ ही उसकी प्रकृति में भी अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। उसके भीतर स्त्रियोचित गुणों का विकास प्रारंभ हो गया। धीरे-धीरे इस बात का पता किन्नरों की नायिका चंपाबाई को चल जाता है और वह बिन्नी के घर जाकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए बिन्नी के परिवार पर दबाव बनाने लगती है। आए दिन घर पर आकर वह हंगामा करती है। उसके हंगामों से परेशान होकर बिन्नी के घर वालों ने उसे चंपाबाई के सुपुर्द कर दिया। उस समय वह महज 14 वर्ष का था। हिजड़ों के समूह में शामिल होते ही उसे दिल्ली भेज दिया जाता है जहाँ उसे किन्नरों के डेरे में ही रहकर अपना दिन काटना पड़ता है। वहाँ उस पर लड़कियों जैसा व्यवहार करने का दबाव बनाया जाता है लेकिन यह सब बिन्नी को मंजूर नहीं होता। बिन्नी की रोज नहाने की आदत थी लेकिन इस पर भी डेरे वाले किन्नर उसका उपहास उड़ाते। बिन्नी पुरुष बनकर ही जीवन जीना चाहता था जिसे लेकर आए दिन अन्य किन्नरों के साथ उसकी बहस हो जाती। इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जाता लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता। बचपन से ही बिन्नी बड़ा मेधावी था और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। गणित जैसे कठिन विषय से उसे बड़ा लगाव था और वह उसी में पीएच0डी0 करके एक प्रोफेसर बनना चाहता था। इन हिजड़ों के साथ तो उसका जीवन सदा सदा के लिए नर्क बन गया था। परिवार से दूर रहकर भी बिन्नी के मन में अपने परिवार के प्रति बड़ा लगाव था। जब कभी उसे अपने परिवार की याद आती तो वह व्याकुल हो उठता था। कभी-कभी अपनी माँ को पत्र भी लिख लेता था। पत्र से ही अपने परिवार की हाल-चाल जान लेता था। इस प्रकार बिन्नी के जीवन में संघर्षों का कहीं कोई अंत नहीं था। चित्रा मुद्‌गल जैसी साहित्यकार ने किन्नरों के इन्हीं जीवन संघर्षों पर ख्रष्टिपात किया है।

अन्य मनुष्यों की भाँति किन्नर भी भावना प्रधान होते है। उनके मन में भी हमेशा यही इच्छा होती है कि उन्हें भी सामान्य मनुष्यों की भाँति जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार न किया जाए। सामाजिक तौर पर भी वह सम्मान ही प्राप्त करना चाहता है किन्तु उसकी यह इच्छा कभी पूरी होती दिखाई नहीं देती। उसे अपने परिवार से हमेशा यह अपेक्षा रहती है कि वह स्वयं उसे स्वीकार करेंगे और उसे यथोचित प्रेम भी प्रदान करेंगे। किन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा होता दिखाई नहीं देता क्योंकि किन्नरों के तिरस्कार की भावना सर्वप्रथम परिवार से ही उत्पन्न होती है। जब

परिवार वाले ही त्याग देते हैं तो समाज भला उन्हें केसे अपना सकता है? साहित्यकार महेंद्र भीष्म भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि– “प्रत्येक हिजड़ा अभिशप्त है, अपने परिवार से बिछड़ने के दंश से, समाज का पहला घात यही से उस पर शुरू होता है। अपने ही परिवार से अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर किया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्वप्रथम उन्हें ही भुगतना होता है।”[2]

माता–पिता भी एक किन्नर को अपनी संतान मानने में हिचकते हैं। इसलिए लोक लाज के भय से उसे त्याग देते हैं। अन्य शारीरिक दोषों के होने पर भी जहाँ अन्य संतानों को स्वीकार किया जाता हैं वहीं लैंगिक हीनता से अभिशप्त संतान सब के लिए त्याज्य हो जाती है। चित्रा मुदगल के उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है जब बिन्नी को लिंगहीन होने के कारण त्याग दिया जाता है। इस कारण उसे अपना जीवन हिजड़ो के बीच रहकर गुजारना पड़ता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसको लेकर वह अपनी माँ को अपने पत्र के माध्यम से खरी खोटी सुनाता है। अपने अंतर मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए वह अपनी माँ को पत्र लिखता है और उसे किन्नरों के साथ भेजे जाने पर फटकारता भी है। जब माँ चंपा बाई द्वारा रोज बरपे जाने वाले हंगामें की याद दिलाती है, तो वह कहता है– “मेरी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी करवाई क्यों नहीं की? ...क्यों वह अनर्थ हो जाने दिया तूने जिसके लिए मैं दोषी नहीं था। ...जिस नरक में तूने और पप्पा ने धकेला है मुझे, वह एक अन्धा कुआं है जिसमें सिर्फ सांप–बिच्छू रहते हैं। सांप–बिच्छू बनकर वह पैदा नहीं हुए होंगे। बस, इस कुएं ने उन्हें आदमी नहीं रहने दिया।”[3]

उपन्यास की इन पंक्तियों से साबित होता है कि लेखिका ऐसे हिजड़ों के बारे में कानूनी कार्रवाई किए जाने की पक्षधर है जो बच्चों के जन्म की सूचना पाते ही उनको उनके माता–पिता से जबरदस्ती छीन कर अपने अढे में ले जाने का प्रयास करते हैं और उनका जीवन नारकीय बना देते हैं। वे मानती हैं कि किसी भी बच्चे का अपने परिवार के साथ रहना उसका जन्मजात अधिकार है और उसे इस अधिकार से किसी भी दशा में वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ऐसी हरकतों पर विराम लग सके। बिन्नी को किन्नरों के साथ भेजना पूरे परिवार के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा का विषय था, लेकिन आसन्न परिवेश के समक्ष सभी विवश थे। पास पड़ोस के लोग बिन्नी के बारे में हमेशा अनाप–शनाप बकते रहते थे। हर कोई उसी के बारे में ही सवाल करता था। रोज–रोज के सवालों से तंग आकर बिन्नी को चंपाबाई के साथ भेजे जाने के बाद परिवार जनों ने एक सड़क दुर्घटना में उसके मौत की झूठी खबर फैला दी। यहाँ तक की पास पड़ोस के लोगों के रोज–रोज के तानों से परेशान होकर बिन्नी के माता–पिता कालवा देवी का पुराना मकान बेचकर नालासोपारा चले जाते हैं। बिन्नी की माँ साटिका जैसी गंभीर बीमारी की मरीज थी, ऊपर से उसे रोज बिन्नी को लेकर मानसिक आघात से गुजरना पड़ता था। उसे भी रह रहकर इस बात पर ग्लानि होती थी की महज 14 वर्ष की अवस्था में ही उसने अपने जिगर के टुकड़े को पराये

हाथों मे सौंप दिया था। तब उसे उन हाथों की क्रूरता का अंदाजा तक न था जो बिन्नी उसे अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराता। बिन्नी ने अपनी माँ को बताया था कि– "जिस दिन चंपा बाई के सुपुर्द कर दिया गया, कसाई खाने के कपाट खुल गए। गाली हो गया मैं। हिजड़ा हिजड़ा, हिजड़ा! गालियों की गाली। किन्नर कह देने भर से नासूर छटक जाएंगे देह से?"[4]

जब कभी बिन्नी का पत्र आता तो माँ बेटे के प्रति भावनात्मक रूप से और भी अधिक परेशान हो जाती। लेखिका यहाँ स्पष्ट करना चाहती है कि किन्नरों में भी भावना प्रबलता उतनी ही होती है जितनी की आम इंसान में होती है। आखिर वे भी तो माँ की कोख से ही पैदा होते हैं और उनका भी एक पिता होता है। उन्हें भी अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने की चाहत होती है। परिवार से विछोह किसी को भी और कभी भी बर्दाश्त नहीं होता चाहे वह किन्नर ही क्यों न हो। अपने ही परिवार से त्याग दिए जाने के बाद भी बिन्नी के मन में परिवार के प्रति लगाव पूरी तरह बना रहता है। वह हमेशा अपने माता–पिता और भाइयों को लेकर चिंतित रहता है। जब वह घर पर था तब अपनी माँ के डबल रोटी से फूले हुए थके पांव को देखकर परेशान हो जाता था। माँ की ऐसी हालत दिन–रात घर के काम काज करने के कारण होती थी। घर के काम तो अभी भी उतने ही होंगे और माँ के पांव तो अभी भी उतने ही सूजते होंगे, यह सोचकर वह हमेशा परेशान रहता था। उसे याद था कि वह दिन भर के घरेलू कामकाज से थकी हारी अपनी माँ के पैरों को दबाते समय उसकी उंगलियाँ खींचकर चटखाता था। माँ को लिखी गई चिठी में वह माँ की तबीयत के बारे में ही पूछता है। अपनी माँ के प्रति उसके भावनात्मक लगाव को निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है– "तेरे पाँव अब भी सूजते होंगे न बा। मैं उनकी उंगलियों को केसे चटखाऊँ। केसे दूर करूं उनकी थकान। थककर डबल रोटी से सूज जानेवाले तेरे उन पाँवों को मैं चूमना चाहता हूँ। उनकी टीसें हर लेना चाहता हूँ। उन्हें छाती से लगाकर सोना चाहता हूँ। हफ्ताभर। नहीं, दररोज। नहीं, महीनों। नहीं, पूरे वर्ष। संचित कर लेना चाहता हूँ ताउम्र की नींद। जितनी भी मिल जाए। फिर चाहे जितनी रातें पलक झपकाए बिना गुजरें। बैठे–बैठे करें। करवटें भरते बीतें या पूरी रात टहलते हुए। बस सह लूँगा, कष्ट झेल लूँगा। शिकायत नहीं करूँगा किसी से कि मैं इसलिए अनमना हूँ कि रातभर सो नहीं पाया।"[5]

अपने पिता और परिवार के बारे में भी बिन्नी हमेशा सोच कर परेशान रहता था क्योंकि जब वह घर पर था तो उसके पिता की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती थी। उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। अपनी चिठियों में अपनी बा से अपने पप्पा का हाल समाचार पूछना वह कभी नहीं भूलता था। वह लिखता– "घर में सब लोग केसे हैं? अच्छा बता पप्पा की तबीयत केसी रहती है, ब्लड प्रेशर की दवा पप्पा को नियमित दी जा रही है न। घर पर मैं था तो उन्हें मैं देता था सुबह–शाम। अब मंजुल देता होगा। मंजुल मुझसे छोटा जरूर है उम्र में मगर समझदार है। वैसे बा, जिम्मेदारी पड़ने पर लापरवाह बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। मोटा भाई ने जब मुझे जिम्मेवारी सौंपी थी कि पप्पा को सुबह–शाम

दवा अब तुझे खिलानी होगी तो मैं कितना खुश हुआ था। कुछ दिनों बाद मोटा भाई ने उनका ब्लडप्रेशर नापना भी सिखा दिया था लेकिन पप्पा मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे ब्लडप्रेशर नापकर लिख लेने के बावजूद वे मोटा भाई को अक्सर गुहार लगा बैठते, 'जरा मेरा ब्लडप्रेशर तो आकर ले लो, सिद्धार्थ।' देखो, बिन्नी ने ठीक लिया है कि नहीं। नीचे का कितना है?"[6]

एक किन्नर को जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी विसंगति उसकी स्वयं की देह होती है। किन्नर की शारीरिक बनावट और उनके अंत:करण की भावनाओं में भी सामंजस्य नहीं होता। यही कारण है कि उन्हें मानसिक वेदना के दौर से भी गुजरना पड़ता है। उनकी देह स्त्रियों की देह से कुछ हद तक साम्य रखने के कारण आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। ऐसे कई किन्नर होते हैं जो स्त्रियों की तरह साज सज्जा भी करते हैं। कई–कई बार तो लिंग विहीन होने के बावजूद कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों द्वारा उनका शारीरिक शोषण भी हो जाता है। चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा में इसी वास्तविकता को उजागर किया है। पूनम जोशी नाम के किन्नर के साथ भी कुछ कुत्सित मानसिकता वाले अमीर जादे बलात्कार कर देते हैं। जोशी एक रसूखदार व्यक्ति होने के साथ साथ एक बड़ी पार्टी का नेता और विधायक है और उसका भतीजा न्यू जर्सी में रहता है। अपने जन्मदिन पर वह वापस दिल्ली लौटता है। विधायक जी उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने नाच गाने का इंतजाम कर रखा है। नाच गाने के लिए उन्होंने पूनम जोशी की टीम को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण के दौरान जब वह अपने कपड़े बदलने के लिए फार्म हाउस के एक छोर पर बने माली के घर के बगल वाले कमरे में जाती है तो विधायक जी का भतीजा अपने चार अन्य दोस्तों के साथ जबरन उसके कमरे में घुस आता है। पूनम द्वारा इस बात का विरोध करने पर वह उस के साथ बलात्कार करता है। इस काम में उसके चार साथी भी सहयोग करते हैं और वे भी बारी बारी से अपना मुँह काला करते हैं। लेखिका लिखती है– "उन लोगों को खाने के लिए कहकर पूनम फार्म हाउस के एक छोर पर बने माली के घर के बगल वाले कमरे में पोशाक बदलने चली गई। ...किवाड़ ठीक से बंद नहीं किया उसने या उसके सिटकनी चढ़ाने के पहले ही अपने चार दोस्तों के साथ बलात किवाड़ ठेल विधायक जी का भतीजा और उसके चार दोस्त कमरे में घुस आए।"[7]

अपराधी अपराध को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए वह अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करता है और प्रभावित व्यक्ति पर नाना प्रकार से दबाव डालने का प्रयत्न करता है। वह पीड़ित को मोटी रकम देकर खरीदना भी चाहता है। उपन्यास का आरोपी भी एक राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति का भतीजा है इसलिए पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती है। कोई भी शिकायत न करने के लिए पूनम पर दबाव डाला जाता है और उसको मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है साथ ही यह भी बताया जाता है कि उसके इलाज का सारा खर्च विधायक जी उठाएंगे।

लेखिका के शब्दों में– “पूनम जोशी के इलाज का सम्पूर्ण खर्चा विधायक जी वहन करेंगे। विदेश जाने की जरूरत पड़ी तो विदेश ले जाया जाएगा।”[8]

पूनम जोशी के साथ किया गया यह पाशविक तथा नृशंस व्यवहार समाज मे किन्नरों के साथ होने वाले दुराचार को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। चित्रा मुद्‌गल समस्त घटनाक्रम का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। आखिर समाज इतना संवेदनहीन केसे हो सकता है कि वह लिंगरहित व्यक्ति को भी अपनी हवस का शिकार बनाने में जरा सी शर्म नहीं करता। तभी तो यौनिक अपूर्णता के बावजूद किन्नरो के साथ भी शारीरिक दुराचार किया जाता है। रजनी प्रताप के शब्दों में–

“चित्रा मुद्‌गल के उपन्यास के इस प्रसंग के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि यौनिक अपूर्णता के बावजूद किन्नरों को शारीरिक यौनाचार का शिकार होना पड़ता है। अतः उनको समाज की दोहरी मार झेलनी पड़ती है– पहला, अपूर्ण देह के साथ जीवनयापन करना पड़ता है और दूसरा बलात्कार का दंश भी सहना पड़ता है।”[9]

शारीरिक विकृतियों के अतिरिक्त किन्नर समाज को और भी कई विडंबनाओं से जूझना पड़ता है। जीवन यापन के संसाधनों की आवश्यकता तो उन्हें भी होती है। इस राह में आर्थिक विपन्नता उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी होती है। अपना पेट पालन करने के लिए किन्नर समुदाय को मंगल पर्वों अथवा उत्सवों में लोगों के घर जाकर नृत्य संगीत इत्यादि करना पड़ता है। रेलगाड़ियों, बसों इत्यादि में यात्रियों के सामने ताली बजाकर भिक्षावृत्ति करते उन्हें देखा जा सकता है। दुर्भाग्य पूर्ण बात तो यह है कि देश निरंतर आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है किन्तु किन्नरों को इस आर्थिक विकास के समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। यही कारण है कि वे अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सरकार की नीतियाँ भी किन्नरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती। परिणाम स्वरूप उन्हें किसी अन्य काम अथवा व्यवसाय का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता। चित्रा मुद्‌गल ने किन्नरों के आर्थिक पक्ष पर भी विचार किया है और उन्हें आम नागरिकों की तरह विकास के सारे अवसर प्रदान करने का पक्ष लिया है। चित्रा मुदगल के उपन्यास में जितने भी किन्नर हैं वे सभी गाने बजाने का काम करके ही अपना पेट पालते हैं। बिन्नी एक ऐसा किन्नर है जिसे ये सारे काम पसंद नहीं। वह मेहनत करके अपने लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना चाहता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहता है। इसीलिए उसने गाड़ियाँ साफ करने का काम ढूँढ लिया था। बाद में विधायक जी उसे नौकरी पर रख लेते हैं। तब वह गाड़ी धोने का काम पूनम जोशी को सौंप देता है।

“विधायक जी ने मुझे नौकरी पर रख लिया है। सुबह साढ़े नौ बजे तक उनके घर लाजपतनगर पहुँचना होता है। समय के पाबंद हैं विधायक जी। समय की पाबंदी से बंधना मुझे चुस्त, दुरुस्त रखता है। अनुशासित महसूस करता हूँ। हाँ, बताना भूल न जाऊँ। गाड़ी धोने का काम पूनम जोशी को पकड़वा

दिया है। ढंग से तैयार होकर निकलती है सुबह। उसके बदले अब चाय बनाने का जिम्मा मैंने ले लिया है। चाय मैं बनाता हूँ। दोनों पीते हैं बैठकर।"[10]

किन्नरों की आर्थिक विपन्नता के लिए उत्तरदाई एक प्रमुख कारण है– अशिक्षा। किन्नर समाज की शिक्षा का उचित प्रबंध आज तक नहीं हो पाया है। सरकार और प्रशासन दोनों ही इस और ध्यान नहीं देते। सरकारी शिक्षा नीतियों में भी इस वर्ग का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ तक की स्कूल और कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म में भी केवल स्त्री और पुरुष का विकल्प दिया जाता है। किन्नरों को इसमें से कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि इस देश में स्त्री अथवा पुरुष ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों में सरकार ने इस ओर भी अपना ध्यान दिया है और इसमें किंचित सुधार करके अन्य–0 वाला कॉलम भी जोड़ दिया है। किन्तु इसे भी कोई प्रभावशाली प्रयास नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि जब तक किन्नरों की शिक्षा को लेकर विशेष योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी तब तक यह समाज सामान्य लोगों की भाँति शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा। किन्नरों को उनका यथोचित अधिकार प्रदान करने के लिए हमें अपनी मानसिकता में भी कुछ परिवर्तन करना होगा। हमें उन्हें मनुष्य समझ कर उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा और तदनुसार व्यवहार भी करना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह होगी की किन्नर समुदाय में भी चेतना का संचरण किया जाए। चेतना के विकास से वे अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोजने में समर्थ हो सकेंगे। अभिभावकों को भी अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और यह ध्यान देना होगा की की लिंक दोषी बच्चों को कलंक मानकर उन्हें घर और समाज से बहिष्कृत न किया जाए। उन्हें ट्रांसजेंडर के खाते में न धकेलकर एक सामान्य मानव की तरह जीवन यापन करने का पूरा अधिकार प्रदान करना चाहिए। किन्नर समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए लेखिका लिखती है–

"जरूरत है सोच बदलने की। संवेदनशील बनाने की। सोच बदलेगी, तभी जब अभिभावक अपने लिंग दोषी बच्चों को कलंक मान किन्नरों के हवाले नहीं करेंगे। उन्हें घूरे में नहीं फेंकेंगे। ट्रांसजेंडर के खाते में नहीं ढकेलेंगे।"[11]

चित्रा मुद्गल ने इस उपन्यास में किन्नरों के राजनीतिक मोहरा बनने की परिस्थितियों पर भी दृष्टिपात किया है। राजनीतिक पार्टियाँ अपने लाभ के लिए हिजड़ों को भी वर्ग और जाति के स्तर पर बाँटने का प्रयत्न करती है। यद्यपि किन्नरों की दुर्दशा एक सुलगता हुआ राजनीतिक मुद्दा है, किन्तु राजनेता इस समस्या का समाधान ढूँढने के बजाय अपने वोट पाने के साधन के रूप में ही अधिक इस्तेमाल करते हैं। उपन्यास के अंदर भी जोशी एक ऐसे राजनेता है जो हिजड़ों को अपनी पार्टी के वोट बैंक के रूप में बदल देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हिजड़ा बिरादरी को उत्तेजित करके उन्हें आरक्षण के लिए आंदोलित करने का प्रयत्न किया था। वे तृतीय लिंगियों को जीरो श्रेणी में आरक्षण

दिलाकर उनकी सहानुभूत बटोरना चाहते थे और उनका एकमुश्त वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब चारों ओर से किन्नर आरक्षण की माँग उठने लगेगी तब वे उसका समर्थन कर किन्नरों की एकमात्र पसन्द बनकर उभरेंगे और उनका वोट हाशिल करके चुनाव जीतना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने विनोद को ही आगे करना उपयुक्त समझा था। किन्तु विनोद उनका मोहरा नहीं बनना चाहता क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ आरक्षण देना हिजड़ा बिरादरी की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, किन्तु वह यह भली-भाँति जानता है कि यह एक सशक्त शुरुआत अवश्य हो सकती है। इसलिए उसने किन्नरों के आरक्षण का समर्थन करने वाली पार्टी का समर्थन करना स्वीकार कर लिया था। वह यह भी जानता था कि यदि वह अपनी बिरादरी की समस्याओं को उठाने के लिए स्वयं किसी नए मंच का निर्माण करेगा तो यह एक कठिन कार्य होगा, किन्तु जोशी द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच का इस्तेमाल कर वह आसानी से अपनी हिजड़ा बिरादरी के स्वाभिमान और सम्मान की बात आसानी से कर सकेगा। विनोद शोषित बहिष्कृत हिजड़ो के भीतर उनकी बेहतरी की ललक पैदा करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि जब तक उनके भीतर यथास्थिति को परिवर्तित करने की चेतना जागृत नहीं होगी तब तक किसी भी स्तर के प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकते। यद्यपि वह यह भी नहीं चाहता कि सिर्फ आरक्षण देकर अन्य मुद्दों से पल्ला झाड़ लिया जाए। वह चाहता है की हिजड़ों को भी सामान्य लोगों की भाँति अपना लिंग खुद चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। किन्नरों को अलग से चिन्हित करना वह घोर अमानवीय कृत्य मानता है। वह चाहता है कि किन्नरों को भी शिक्षा के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। वह कहता है-

"देखिए, मेरा मानना यह है, अपना लिंग उन्हें चुनने की स्वतंत्रता दीजिए। यही मैं सोचता रहा हूँ। मानता भी आया हूँ। आज आप सबके सामने वही सब दोहरा रहा हूँ। विमर्श कीजिए इस मुद्दे पर...उन्हें अलग से इस रूप में चिह्नित करना घोर अमानवीय कृत्य है। किन्नर चाहे जिस भी वर्ग की संतान हों, चाहे जिस जाति-बिरादरी, समुदाय से सम्बन्धित हों, उसी जाति-वर्ग के अनुसार उन्हें अपना सामान्य जीवन जीने की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर वे आरक्षित श्रेणी के माता-पिता की सन्तानें हैं तो वे उस आरक्षित श्रेणी को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की हकदार हैं। समर्थ माता-पिता के समक्ष उनके समुचित भरण-पोषण की दिक्कत है ही नहीं। उन्हें जरूरत है तो जागरूकता की। देखिए, शिक्षित और स्वावलंबी होकर ही वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं।"[12]

गंभीरता पूर्वक विचार करने पर हम इस तथ्य से अवगत होते हैं की किन्नरों के जीवन मार्ग की सबसे बड़ी अवरोधक सामाजिक नैतिकताएं व अर्थहीन वर्जनाएं हैं। यद्यपि सामाजिक नैतिकताएं कभी भी स्थाई नहीं हो सकती, समय-समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ, एक कालखंड में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था वहीं दूसरी तरु विधवा विवाह का पूर्णतया निषेध था। प्राचीन भारतीय समाज में किसी भी कन्या के रजस्वला होने से पूर्व ही उसका विवाह आवश्यक माना जाता

था। तकरीबन 14 वर्ष की अवस्था में ही कन्या रजस्वला हो जाती थी। इसलिए छोटी उम्र में ही उसका कन्यादान करना पुण्यदायी माना जाता था। किन्तु समय के सापेक्ष सामाजिक मान्यताओं तथा नैतिकताओं में भी परिवर्तन हो गया। वे सभी प्राचीन मान्यताएं आज परिहास का विषय बन गई है। सामंती समाज में व्याप्त रूढ़ियों को आज मान्यता प्रदान नहीं की जाती। आज कन्या का विवाह बालिग होने के बाद ही किया जाता है। इसी प्रकार समाज में विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की जा सकी है। वर्तमान परिवेश में जवान बेटे की मृत्यु के बाद सास ससुर स्वयं अपनी बहू का पुनर्विवाह करने के लिए आगे आ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है की किन्नरों की स्थिति में भी समयानुरूप परिवर्तन आएगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करते हुए अन्य लोगों की भाँति जीने और विकास करने के समस्त अवसरों को प्रदान किया जाएगा। जिस प्रकार माता-पिता अपने अन्य विकलांग और मानसिक रोगी बच्चों को अपने बीच रखते हैं इस प्रकार जननांग से विकलांग बच्चों को भी सभी बच्चों के समान अपने पास घर परिवार में ही रखेंगे और उसे किसी चंपाबाई के हाथों सौंप कर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझेंगे।

वास्तव में समस्या सामाजिक ढाँचे की संरचना में है जिसमें समाज सदा से ही जेंडर को स्त्री और पुरुष की बाइनरी में देखता आया है। यही कारण है कि थर्ड जेंडर के विषय में अब तक निर्मित की गई समस्त अवधारणाएं उनके पहचान पर ही संकट खड़ी कर देती है, क्योंकि किसी भी दशा में यह वर्ग उस बाइनरी में फिट नहीं बैठता। एक लंबे समय से यह वर्ग अपने सामाजिक पहचान को लेकर संघर्ष करता चला रहा था। इस संघर्ष की सुखद परिणति उस समय हुई जब 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में थर्ड जेंडर को भी समस्त संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए और सरकार को इसे लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने का कार्य संपन्न हो गया। वास्तव में यह 'मैं हूँ' की लड़ाई से बाहर निकल कर 'मैं भी हूँ' की लड़ाई बन गया था। इस सम्बन्ध में ट्रांसजेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का अप्रतिम योगदान रहा जिसमें उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन 'अस्तित्व' का निर्माण कर तृतीय लिंगी लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी थर्ड जेंडर को संपत्ति के साथ-साथ सभी संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। सन 1994 में देश के एक प्रमुख राज्य तमिलनाडु में तृतीय लिंगी लोगों को थर्ड जेंडर की मान्यता देते हुए उन्हें मतदान का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। अब राजनीतिक रूप से भी किन्नर समाज का महत्व बढ़ गया और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास भी हो पाया। यहाँ तक की वह चुनाव के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचने लगा। इसका पहला उदाहरण मध्य प्रदेश राज्य में शबनम मौसी के रूप में आया जब वह विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक चुनी गयी। शबनम मौसी का मध्य प्रदेश की विधानसभा में पदार्पण तृतीय लिंगी लोगों के लिए एक सुखद एहसास

के समान था जहाँ उन्हें भी अपना आत्म सम्मान वापस पाने की आस जगी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन्नरों की कानूनी व संवैधानिक परिस्थितियों में परिवर्तन भले ही आया हो लेकिन सामाजिक संरचना में उन्हें उनका वास्तविक स्थान प्राप्त हो पाएगा, यह कहना आज भी आसान नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी स्वीकृति के बावजूद समाज की स्वीकृत भी आवश्यक है। क्या परिवार संस्था के भीतर किन्नरो को परिवार के एक सदस्य के रूप में मान्यता मिल पाएगी, यह अहम प्रश्न है? इस महत्वपूर्ण कार्य लिए परिवार के साथ-साथ समाज के नजरिए में भी परिवर्तन आवश्यक है। जब तक समाज के साथ-साथ परिवार के लोगों का किन्नरो को लेकर दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होगा तब तक परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार हो पाना संभव नहीं है।

संदर्भ संकेत

1. सं. शरद सिंह, थर्ड जेंडर विमर्श, लैप, संस्करण-2020, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
2. वही, पृष्ठ-91
3. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नंबर-203 नालासोपारा, पृष्ठ-11, संस्करण-2022, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
4. वही, पृष्ठ-42
5. वही, पृष्ठ-8
6. वही, पृष्ठ-11
7. वही, पृष्ठ- 202, 203
8. वही, पृष्ठ-206
9. सं. शरद सिंह, थर्ड जेंडर विमर्श, पृष्ठ-86, संस्करण-2020, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
10. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नंबर-203 नालासोपारा, पृष्ठ-76, संस्करण-2022, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
11. वही, पृष्ठ-76
12. वही, पृष्ठ-195, 196

पुरुषोत्तम सिंह जी के चित्रों की तकनीकी विशेषताओं का अवलोकन

कु. शहनाज
शोधार्थी, चित्रकला विभाग,
बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से ही कलाप्रिय हिन्दू नरेशों और धन-सम्पन्न व्यक्तियों ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, उसे प्रश्रय देकर पोषित किया था। उस समय भित्ति चित्रों को बनाने की विशेष परम्परा थी। अजन्ता और बाघ गुफाओं के चित्र इसके उदाहरण है। इस्माली शरियत के अनुसार किसी प्रकार के जीव-जन्तु और मनुष्यों के चित्र बनाना वर्जित है। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों ने चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया। परन्तु मुगल काल में इसका पुनरुत्थान हुआ। भवन निर्माण कला के साथ-साथ मुगल सम्राटों ने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। हमारे देश में पहले राजा, महाराजा, सम्पन्न जमीदार ही फोटोग्राफी की ओर आकृष्ट हुए थे। बाद में युग परिवर्तन के साथ साधारण लोग केवल अपने मृतजनों, परिजनों के चित्र ही केमरे के माध्यम से खींचकर या खिंचवाकर रखते थे। ऐतिहासिक अथवा पौराणिक घटनाओं के साथ-साथ कहानियों के लोकप्रिय नायकों से सम्बन्धित चरित्रों का भी चित्रण किया गया। प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बने, काव्य साहित्य के विशेष ग्रन्थों के आधार पर चित्रांकन हुआ रागों को आधार मानकर रागमाला-चित्रों का सृजन किया गया। ऐतिहासिक अथवा पौराणिक घटनाओं के साथ-साथ कहानियों के लोकप्रिय नायकों से सम्बन्धित चरित्रों का भी चित्रण किया गया। प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बने, काव्य साहित्य के विशेष ग्रन्थों के आधार पर चित्रांकन हुआ रागों को आधार मानकर रागमाला-चित्रों का सृजन किया गया।

प्रत्येक कलाकार की कलाकृति का लक्ष्य उसके सृष्टा कलाकार से लेकर सहृदय मानव तक को आनन्द की अनुभूति कराने में कला की तकनीकी विशेषताऐं सहायक होती हैं। यों तो कलाकृति को देखकर साधारण सा दर्शक भी कुछ न कुछ प्रभावित होता है, किन्तु कलागत सक्षमताओं से अवगत दर्शक ही उसके मर्म तक पहुँचने में समर्थ होता है, अतः कलाकृति के सहायक रसास्वादन के लिए कला के तकनीकी पक्ष का विवेचन परमावश्यक है।[1] यह कृति के आन्तरिक तथा भौतिक पक्षों के प्रभावपूर्ण समन्वय पर निर्भर करता है। कलाकार निरन्तर साधना के द्वारा यह कुशलता प्राप्त करता

है। अतः कलाकृति का विश्लेषण केवल एक नीरस बौद्धिक क्रिया नहीं है बल्कि इससे कृति के उन अन्तरंग पक्षों के रस्योद्घाटन में पर्याप्त सहायता मिलती है जो प्रथम दृष्टि में दिखायी नहीं देते। कृति के विश्लेषण से ही हमें कलाकार की कला का बोध होता है।[2]

कलात्मक अनुभूति अखण्ड होते हुए भी किसी भौतिक माध्यम में रूपान्तरित होने पर ही 'कृति' बनती है। माध्यमों की अपनी विशेषतायें उनकी व्यंजना-शक्ति का आधार बनती है। कलाकार किसी सामग्री का चयन करता है, फिर उसे एक व्यवस्था या रूप प्रदान करता है। इसी रूप के माध्यम से वह अपनी बात दूसरों से कहता है। इस प्रकार कलाकृति में तीन तत्वों का प्रयोग होता है-साम्रगी, रूप तथा अन्तःवस्तु। इन्हीं को भोग, रूप तथा प्रतिपाद (विषय वस्तु) भी कहा गया है।[3]

शैली का शाब्दिक अर्थ है रीति या ढंग अर्थात् किसी कार्य को करने का व्यक्तिगत तरीका। यह तरीका या ढग प्रत्येक का अपना होता है किसी से सीखा हुआ नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु के निर्माण में उसकी तकनीकी विशेषताऐं अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं उसी प्रकार प्रत्येक कला विशेषकर चित्रकला के चित्रांकन में भी तकनीकी विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है। यह तकनीकी विशेषताऐं ही कला को सुन्दर, आकर्षक और मनमोहक बनाती हैं। अन्य कलाकारों की भाँति मुगल कला के कलाकार ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह द्वारा बनाए गये चित्रों में भी यह तकनीक देखने को मिलती है। इन्होंने अपने चित्रों को अलग-अलग तकनीक से चित्रित किया है। चित्रों की तकनीक किसी प्राचीन या आधुनिक कला की निर्धारित मान्य परम्परा या मान्यता से बंधी हुई नहीं रही अपितु वह अनेक परम्पराओं से हटकर व्यक्तिगत तकनीक रही है। इस तकनीक में पाश्चात्य शैलियों का भी थोड़ा बहुत अंश या देखने को मिला समन्वित है, लेकिन यह सम्मिश्रण मौलिकता लिये हुये है।

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने कभी अपने आप को निर्धारित कला परम्परा या मान्यताओं से आबद्ध नहीं किया वरन् उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने उसे ही अपना लिया। उनकी कला तकनीक के सम्बन्ध में आपका स्वयं सिद्ध कलाकार होना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बुद्धि स्वतन्त्र, जागरूक और संचरणशील थी। उनके रंग एवं शैली भी थिरकती गति के साथ सम्पादित होती प्राण धारा के समान, कलावृक्ष के समक्ष मूल कारण बनी, साथ ही कला उनके प्रयोग की अखण्ड साधना भी थी। वह चमकीले रंगों के वैभव में ही नहीं अपितु आत्मा की साधना में भी अर्न्तमुखी वृत्तियों में तदुरूप हो गयी। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने अपने समय में तकनीकी विधियों को अपनाया। जिसके कारण विभिन्न तकनीकों को पनपने का अवसर मिला। जहाँ कहीं भी कुछ ग्रहण करने योग्य आपको मिला उसको आपने अपनी कला में घुला मिला लिया। आपके चित्रों की रेखाओं में मुगल शैली की सुकुमारुता एवं बारीकी तथा आपके चित्रों की सजीवता और रेखाओं की पुष्टि दर्शकों को भाव विभोर कर देती है। रेखाओं का चित्रण, रंगविधान, मानव-आकृति तथा कल्पना शक्ति में आपकी प्रतिभा अद्वितीय थी। प्रतिभाओं और

प्रेरणाओं को समाहित कर उन्होंने जिस-जिस विशेष शैली और तकनीक का प्रयोग किया उसमें वह कला के 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' जैसे महान् तत्वों को समाहित कर गये। कल्पना और भावनात्मकता, संवेदनाओं से परिपूर्ण उनकी अभिव्यक्ति पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रही।

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्रों को देख कर हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से वे सामयिक वस्तुओं को कलात्मक दृष्टि से देखते थे और उनका सारांश निकाल कर उनका विश्लेषण करते थे। उन्होंने कला को प्राणों में ढाल लिया था। वह जैसे उनके जीवन के साथ एकाकार भी हो गयी थी। वह एक योगी थे जिन्होंने कला को न जाने कितनी दृष्टि भंगिमाओं एवं मानदण्डों से जाँचा-परखा था। वर्तमान भारतीय कला स्कूल के कितने ही कलाकार प्रयोगों एवं परीक्षणों के लिये उत्साही रहते हैं, पर एक ही शैली एक ही दिशा में आगे बढ़ कर उनकी प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। परन्तु ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह में कभी शांत न होने वाली एक व्यापक अन्त: चेतना थी जो नित नये परीक्षणों से कभी थकती नहीं थी। उनका सौन्दर्य बोध इतना विकसित हो चुका था कि वे जीवन के प्रत्येक पहलू को सौन्दर्य में डूबा देखना चाहते थे। उन्होंने कई विषयों पर कार्य किया ओर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र या शैली हो जो उनकी चित्रण - शैली में पूरी तरह विद्यमान न थी। चित्रकार ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने सभी माध्यमों में कार्य किया। हाँथी दाँत, टेम्परा, जल, तैल तथा रेखांकन-चित्रण आदि सभी तकनीकों को अपनाया। विभिन्न कागज, हस्त कागज, सूती मारकीन, कार्ट्रेज कागज, भारतीय हस्त कत कागज, वाट्समेन कागज, पोस्टकार्ड, गत्ता तथा केन्वास पर उन्होंने कार्य किया।

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने पेन्सिल, पैन तथा चारकोल से अनेक रेखाचित्र बनाये और अपनी कल्पना व बुद्धि द्वारा कला का सुन्दरतम रूप प्रस्तुत किया। उनकी कल्पनाशीलता ने उनके चित्रों के रंग व रेखाओं में प्राण डाल दिये हैं। उनके चित्रों को देखने पर कलाकार की अन्त: चेतना के दर्शन होते हैं। उनकी रेखांकन की विशेषता उन्हें मुगल कलाकारों के समक्ष बैठा देती है। उन्होंने आत्मा की गहराई व भावनाओं से एक नई शैली को जन्म दिया। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्रों की एक दूसरी विशेषता यह है कि चाहे वह किसी भी विधि से बनाये गये हो प्रत्येक चित्र का रूप-आकार एवं उसकी रेखायें अपनी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति देती हैं। किसी भी जटिल तकनीकी पक्ष को उन्होंने ने अपनी अभिव्यक्ति पर हावी नहीं होने दिया। जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण चित्र को देखकर दर्शक खुले पन से राहत महसूस करता है। चित्रकार भी स्वयं अपने चित्रों की प्रकृति के स्वरूप की व्यावहारिक ही मानता है, जिसमें रंगों की पारदर्शिता द्वारा अधिकतम संभावनाओं की चित्रों द्वारा निकालने का प्रयास किया गया है।

1. हाथी दाँत पद्धतिः

किसी भी कलाकार की रचना में उसके समय के वातावरण, सामाजिक परिस्थियाँ एवं जन-जीवन की झलक सामान्यतः देखने को मिलती है। जिस लगाय सामाजिक परिवेश में ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह मुख्यतः हाथी दाँत पर चित्र बनाते थे उनकी वे कला कृत्तियां एक अनुपम और अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। हाथी दांत पर बनाए गये चित्रों में उन्होंने अधिकतर रुपहले, सुनहरे चमकते, हरे, लाल, पीले तथा नीले आदि रंगो का अधिक प्रयोग किया है। आपने कुछ देवी-देवताओं तथा मुगल सल्तनत के चित्रों को बनाया जिसमें मुख्य रूप से दुर्गा, श्रीकृष्ण, बाबर, शाहजहाँ मुमताज आदि के सुन्दर एव सजीव चित्र हैं, जो यर्थाथ हैं और दर्शक को प्रभावित करते है। सभी चित्र अंलकारिक ढंग तथा स्वतन्त्र रूप से बनाए गए हैं। इन कला कृतियों को विविधता के अन्दर हमें मुगल शैली, विशेषकर भारतीय चित्र कला शैली के स्पष्ट दर्शन होते है जिससे हम उनकी सभी कलाकृतियों को भारत की एक ऊँची चित्रकला की परम्परा के अन्तर्गत रख सकते है।

श्रीकृष्ण के शरीर की चमक साँवले रंग के कमल के समान है तथा उनके नेत्र कन्ज के समान हैं अर्थात् उनके नेत्र कंजे हैं। उनके घुँघराले केश घने काले बादलों के समान दिख रहे हैं। इनके शरीर की तुलना श्यामं वर्ण से की गई है। इनके होठ लाल कलियों के समान दिखते हैं। जो बहुत सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। इनकी मोतियों की माला बिजली की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है। उनका पीताम्बर सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा है। उनका पीताम्बर उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहा है। इनकी मोहिनी सूरत इतनी सुन्दर प्रतीत हो रही है अधखिली कली। बाजू का बाजूबन्द श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को दुगना कर रहा है। इनके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एव कानों में मछली की आकृति के कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे लाल तिलक और सुन्दर विशाल नेत्रों से इनका श्याम वर्ण शरीर अत्यन्त सुन्दर दिखाई दे रहा है। अमृतरस से भरे इनके होठ और इनके वक्ष स्थल पर लाल, श्वेत पुष्पों से निर्मित माला मन को मोहित कर रही है। इनके मोर मुकुट से जुड़ी हुई लड़ी में लाल रंग के मोतियों के नीचे छोटे-छोटे मोती सुशोभित हो रहे है। कृष्ण भगवान के मुख के पीछे दर्शाया गया पीला-वक्र सूर्य, की भाँति बड़ा ही सुन्दर सुशोभित प्रतीत हो रहा है। इनके मोतियों की माला में लटके हुए लॉकेट में जड़ा हरा मोती जैसे संसार के व्यक्तियों के ह्रदय को शान्ति प्रदान कर रहा है। श्रीकृष्ण सुख, शान्ति प्रदान करने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले अनुपम, सुन्दर दिखाई दे रहे हैं। मोर मुकुट, मछली के आकार के कुण्डल धारण करने तथा मोहिनी मूरत और नीलवर्ण सूरत में अनुप्रास है। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण मनमोहक छवि को परम्परागत छवि का भाँति दर्शाया गया है।

अरजुमन्द बानो (मुमताज बेगम) का विवाह सन् 1612 ई0 में जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ (खुर्रम) के साथ हुआ था जो आसफ खाँ की पुत्री व नूरजहाँ की भतीजी थी।[4] मुमताज ने आठ बेटे व छः बेटियों को जन्म दिया। बेटियों में जहाँआरा और रोशनआरा के नाम इतिहास में चर्चित हैं। चौदहवें प्रसव के दौरान 6 जून सन् 1631 ई0 की रात्रि को बुरहानपुर मुमताज बेगम का देहान्त हो गया।[5] शाहजहाँ का समय स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल था। शाहजहाँ को इमारतें बनाने विशेषतः संगमरमर के भवन बनबाने का बहुत शौक था। इस मामले में वह अपने पूर्वजों एवं वंशजों में सबसे आगे कहा जाने योग्य है। आगरा में उसके समय की प्रमुख इमारत ताजमहल हैं। विश्व की सुन्दरतम इमारतों में गिना जाने वाला ताजमहल आगरा में जमुना किनारे स्थित है।[6] कहा जाता है कि इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे थे। बुरहानपुर के समीप जैनाबाद नामक स्थान से मुमताज का शव 21 दिसम्बर 1631 ई0 को आगरा लाया गया था।[7] जहाँ वह 9 वर्ष तक ताजमहल में, जहाँ आज मस्जिद है, के पास स्थित बाबड़ी परिसर में रखा रहा।[8] तत्पश्चात् उसे ताजमहल के मुख्य भवन में वर्तमान जगह पर दफनाया गया। यह चित्र कलाकार पुरुषोत्तम सिंह ने ताजमहल के साथ उसके निर्माता शाहजहाँ और उसकी बेगम मुमताजमहल का हाथी दाँत पर कई रंगों में चित्रित किया है। हर कलाकार अपने आप में भगवान का स्वरूप होता है। जिस प्रकार भगवान निर्जीव को जीवन देता है। वैसे ही एक कलाकार अपनी कला द्वारा निर्जीव में भी जान डाल देता है।

ठा. पुरुषोत्तम सिंह ने अपने इस चित्र को सजीव बना दिया है। चित्र में प्रेम का प्रतीक ताजमहल दर्शाया गया है और उस प्रेम को अमर करने वाली मुगल जोड़ी के रूप में मुमताजमहल और शाहजहाँ को दिखाया गया है। यह तो प्रसिद्ध है कि शाहजहाँ ने संसार के इस आश्चर्य को अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। प्रेम के प्रतीक ताजमहल की इस अद्‌भुत सुन्दरता को देखने के लिए विश्व के कोने–कोने से पर्यटक आते हैं। सफेद संगमरमर से बना यह ताजमहल इतना अद्‌भुत है कि इस पर बनी पुष्प–पत्तियों की नक्कांशी देखते ही बनती है। इसके चारों ओर कोनों पर चार गगनचुम्बी मीनारें दिखाई गयी है। ताजमहल के निचले भाग में मुमताज और शाहजहाँ की कब्र आज भी बनी हुई है। इस चित्र को देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुमताज और शाहजहाँ अपनी इस अमर प्रेम निशानी को निहार कर मन में यह विचार कर रहे हों कि इस प्रेम प्रतीक को सालों साल दुनियाँ याद रखेगी।[9]

अपनी उत्कृष्ट चित्रकला के कारण पुरुषोत्तम सिंह प्रसिद्ध के उस शिखर पर विराजित हैं जहाँ हर किसी के लिए पहुँच पाना बहुत ही कठिन है। श्री पुरुषोत्तम सिंह ने प्रत्येक काल तथा प्रत्येक जीवन को बहुत ही सुन्दर ढंग से अपने चित्रों में सँवारा है। आपने मुगल काल से सम्बंन्धित चीजों को बहुत ही सुन्दरता से चित्रित किया है। इस चित्र में शाहजहाँ को बहुत ही बारीकियों से निखारा है। चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अभी बोल उठेगा। शाहजहाँ के सिर पर सुशोभित पगड़ी

इतनी बारीकी से चित्रित की है कि उसमें लगी कलंगी में लगे लाल और हरे नग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चेहरे की रौनक लम्बी सुन्दर नाक, भौंहों की गोलाई, नेत्रों की सुन्दरता अत्यन्त मोहक है। गले में पड़ी मालाऐं, मालाओं के लाल, हरे नग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाजुओं पर बंधे बाजूबन्ध कन्धे पर पड़ा पट्टा भी सुन्दर दिखाई दे रहा है। हाथ में लिऐ गुलाब का पुष्प, पुष्प से निकली पत्तियाँ स्पष्ट दिखाई दें रही हैं। इन सबको देख कर हम कह सकते हैं कि श्री पुरुषोत्तम सिंह ने इस चित्र को काफी मेहनत और बारीकी से बनाया है।10 शाहजहाँ भी चित्रकला के प्रति अपार आदरभाव रखता था किन्तु चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य की ओर उसकी विशेष रुचि थी। उसके दरबार में भी उसके पूर्वजो की सी उन्मुक्तता न थी फलतः उसके समय की चित्रकला पर भी दरबारी अदब, कायदे का प्रभाव पड़ा। इस काल की शैली में निम्नलिखित विशेषताऐं परिलक्षित होती हैं।

पुरुषोत्तम सिंह जी ने बाबर के मुख मण्डल व उस पर उभरते शान्त भावो को बहुत ही सुन्दर से स्पष्ट किया हैं। दुपट्टे पर सिलवटें भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। बाबर का उठा हुआ हाथ यह प्रदर्शित कर रहा है जैसे हाथ पर कोई पक्षी बैठा हो। ऊँची-नीची जमीन व उस पर हरी-भरी घास का, उभार व आस-पास छोटे-छोटे पौधे भी मानों इस सुन्दरता में शामिल होने के लिए लालायित हैं।[11] बाबर ने 'बाबरनामा' में एक अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में इस प्रकार लिखा है, 'एक अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर अपने चित्रों में एक का सादृश्य बहुत सुन्दरता से ले आता था। परन्तु वह अधिक समय तक जीवित बल एय न रहा और उसकी उस समय मृत्यु हो गयी जब वह ख्याति प्राप्त करने लगा था।' इन लेखों से ऐसा प्रतीत होता है। कि बाबर की चित्रकला में स्वयं बहुत रुचि थी और उसने ईरान के इन चित्रकारों की कृतियाँ भी देखी थीं। बाबर ने समरकन्द की उस मस्जिद का भी वर्णन किया है कि वह चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी। अरब का रहने वाला प्याजा हुमायूँ के समय में भारत आया। अकबर के नौ रत्नों में उसका भी स्थान था। भोजन में उसे (दो प्याजा) अधिक पसन्द थी। इसलिये अकबर ने उसे (दो प्याजा) की उपादि प्रदान कर दी।[12] ठा. पुरुषोत्तम सिंह जी की इस हाथी दाँत पेन्टिंग को बड़ी सुन्दरता के साथ जल रंग के माध्यम से चित्रित किया गया है। अकबर के नौरत्नों को आपने गेरू, आसमानी तथा सफेद रंग का प्रयोग कर तैयार किया गया है। पगड़ियों तथा सुन्दर कपड़ों को भी आपने नवीन आकृतियों से सजाया है।

2. टेम्परा पद्धतिः

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने इस चित्र में अपनी कल्पना के माध्यम से रंगों का इस प्रकार से प्रयोग किया है, जिससे इस सुन्दर कृति में ठोसपन आ गया है। उन्होंने बहुत सुन्दर ढंग से पीली पृष्ठभूमि पर लाल, हरा, काला, नीला तथा नारंगी रंग को बहुत सुन्दर ढंग से गहरी और सुन्दर चमकते रंगों पर

लयात्मक शक्तिशाली केलीग्राफिक रेखाओं से सुन्दर आकार को निकाला है। चित्र को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस चित्र को बनाते समय चित्रकार का हाथ बहुत ही सधा हुआ चला है।

चित्र कला वह कला है जिसके अन्तर्गत हम अपने विचारों को चित्र के रूप में व्यक्त कर दूसरों में वास्तविक आनन्द और सुन्दरता की अनुभूति कराने का प्रयास करते हैं। पुरुषोत्तम सिंह जी ने इसे अपने इस आलेखन में प्रस्तुत किया है। पोस्टर द्वारा आपने पृष्ठ भूमि को पीला चित्रित किया है। इस चित्र में आपने छः किनारी आलेखन को अलग-अलग भागों में विभाजित, पोस्टर रंगों द्वारा चित्रित किया है। इस किनारी में आपने लाल, काले त्रिभुज के आकार में आलेखन की बेल को चित्रित किया है। द्वितीय किनारी में आपने अर्द्ध खिले नांरगी पुष्पों के साथ नुकीली पत्तियों का चित्रण किया है। इस किनारी की पृष्ठभूमि आपने काले पोस्टर रंगों द्वारा चित्रित की है। तृतीय चित्र में आपने लाल रंग का प्रयोग किया है। तीन कलियों वाले कमल के पुष्प व उनकी बेल को बड़ी ही सुन्दरता के साथ पोस्टर रंगों द्वारा चित्रित किया है। साथ में लहरियादार नन्हीं-नन्हीं पत्तियों के साथ टहनियाँ भी चित्रित की हैं। यह सभी किनारी आलेखन जरदोजी, साड़ी की किनारी या हाशियों आदि में प्रयोग के लिए आपने चित्रित किये, इनमें से कुछ ज्यामितीय आलेखन में हैं। इस गहरे रंग के साथ आपने हल्के नीले पुष्पों के साथ नन्हीं कलियों को दर्शाया है।

3. जल-पद्धतिः

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने अपनी कला का प्रारम्भ रेखाचित्रों से किया था लेकिन शीघ्र ही उन्होंने जल-रंगों को भी अपना लिया, क्योंकि यही माध्यम उनके स्वभाव के अनुकूल थे। अधिकांश चित्र जल रंग की वाश पद्धति में बने हैं। सम्भवतः जलरंगों के प्रयोग पर ध्यान देना इसलिये सम्भव हुआ हो क्योंकि जो कोमलता, लयात्मकता ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जलरंगों द्वारा अपने चित्रों में ला सकते थे वह तैल रंगों में कदापि नहीं आ सकती थी । तैल रंगों में एक प्रकार का भारीपन होता है जो तूलिका धात ब्रुश स्टोक्स द्वारा ड्रम की आवाज का घोतक है तथा उसी के विपरीत जल रंगों में शास्त्रीयता का अनुभव व्याप्त है अर्थात् मध्यम सुर की झनकार किसी शास्त्रीय गायन का सुर, किन्ही शास्त्रीय सुरों का संगम हमें जल रंगों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने जल रंग पद्धति को अपनाया।

पुरुषोत्तम सिंह जी ने अपने इस चित्र में केवल जल-रंगों का ही प्रयोग किया है। इस चित्र में आपने बड़ी ही सुन्दरता के साथ लाल, नांरगी, हरा, आसमानी, गुलाबी, पीला आदि सभी जल रंगों को आलेखन की सुन्दरता में वृद्धि करने के लिए प्रयोग किया है। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जी ने अपने इस जल-रंग चित्र में फारसी भाषा को मान्यता दी है। इस चित्र में आपने पीले, काले तथा सफेद रंग

का प्रयोग किया है। पीली पृष्ठभूमि के ऊपर सफेद रंग की शोभा बढ़ाते हुऐ काले शब्दों के द्वारा यह कहने का प्रयास किया है।

4. तैल-पद्धतिः

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने प्रत्येक पद्धति से कार्य किया है। सन् 1848 में जन्में भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने अंग्रेज कलाकार थियोडोर जसन से तैल-रंगों का ज्ञान प्राप्त कर भारत में सर्वप्रथम अपने चित्रों में तैल-रंगों का प्रयोग किया। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होनें तैल-चित्र केवल नाम मात्र को ही बनाये और जो थोड़े बहुत बनाये भी हैं। उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे उमर खय्याम का वह चित्र अनेक कलाकारों ने बनाया है, और सबने एक सा ही बनाया है। इसके अतिरिक्त तैल पद्धति से सूरजमुखी तथा कनेर के पुष्पों को नारंगी, पीले, लाल तथा हरे रंग से दर्शाया गया है। सम्भवतः कलाकार का कोमल हृदय इस माध्यम को नहीं अपना सका था। हो सकता है कि अपने देश की शैली को बढ़ावा देने के लिए जान बूझ कर योरोपीय कलाकारों के प्रिय माध्यम को न अपनाया हो।

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह अधिकतर धूमिल रंगों का प्रयोग करते थे, किन्तु हमेशा नये पन से व स्वतन्त्रता से। चित्रकार ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह का रंगों को प्रयोग करने का तरीका अपने आप में प्रवीण था। आपकी वर्ण योजना आपके भावों को तथा कलाओं को सूक्ष्मता से शक्ति प्रदान करती है। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्र तथा उनकी आकर्षित करने वाली वर्ण योजना और भावात्मक रंगों के उतार-चढ़ाव आत्मा को एक उल्लास से भर देते हैं। चित्रकार के वर्ण दृष्टि को तुरन्त आकृष्ट करते हैं। अधिकांशतः वर्ण को रूपाकार के एक आलंकारिक सहयोगी तत्व की तरह लिया जाता रहा है।

मुगल कालीन चित्रकला के सुप्रसिद्ध चित्रकार ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने जहाँ विभिन्न पद्धतियों में अनेक चित्रों का चित्रांकन किया है वहीं तैल-रंग पद्धति से भी अनेक चित्रों का चित्रांकन किया है। उनमें उनका बहुचर्चित चित्र फारसी की संगीतमय रुबाइयों के रचयिता उमरखय्याम का हैं। उमर खय्याम अपने जीवन-काल में ही ज्योतिषी, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। उसके कुछ अरबी शेर भी मिलते हैं, किन्तु उसे प्रसिद्धि फारसी रुबाइयों के कारण ही मिली। संसार की सभी भाषाओं में उसकी रुबाईयों के पद्य अथवा गद्य में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रुबाइयों में बसंत, सुरा-सुन्दरी, उपभोग, बिहार, प्रेम, रति एवं विषय वासना के जो भाव प्रगट हुऐ है तथा जो व्यंग्य प्राप्त है, उनके आधार पर कुछ विद्वानों ने उन्हें नास्तिक, जड़वादी अथवा केवल रसिक, कामुक या मौजी बताया है। परन्तु उसकी रुबाइयों का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि बड़े उच्चकोटि एवं स्वतन्त्र विचारों के सूफी और परम्पराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं धर्मान्धिता का विरोध करने में

उसे ईश्वर का भी कोई भय नहीं था।[13]

5. रेखांकन पद्धतिः

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्रों को देखने से पता चलता है कि वे परम्पराओं के बन्धनों से मुक्त होकर आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे। चित्रकार द्वारा रेखांकन मात्र वर्ण (रंगों) द्वारा ही नहीं बल्कि वर्तिका (पेंसिल), चारकौल तथा पैन की सहायता से चित्रों में जो आकार बने है। वह सादा और सशक्त रेखाओं से नवीन आकृतियों प्रदान की गई है। यूं तो भारतीय चित्रकला में रेखा का महत्व अत्यधिक बताया गया है जिसका मूल्यांकन कलाचार्यों[14] ने सदैव किया है। रेखा की प्रशंसा आचार्य लोग भी करते हैं। भारतीय विचारकों ने कला सिद्धान्तों के निर्धारण में रेखा को रूप निर्मात्री तथा आकारोद्घाटन प्रक्रिया कहा है। प्रवाहमुक्त कोमल अथवा टूटी हुई कठोर रेखा द्वारा विभिन्न सतहों की बनावट को अभिव्यक्त किया जा सकता है। सामान्यतः रेखा द्वियामिक प्रभाव की रचना करती है। इसके द्वारा कलाकार के मान पटल पर स्थिर रूपाकार स्थूल रूप धारण करता है, और चित्र का निर्माण करता है।

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह की कला रेखा प्रधान कला है। आपने रेखा के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है। आपके अधिकतर रेखा चित्र प्राप्त होने के पश्चात् पता चलता है कि रेखा आपके चित्रों का विशेष गुण बन गई है। कला रचना के संदर्भ में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। रेखा को हम चित्र कौशल का प्राचीन आविष्कार तथा कलाकार की भाव व्यजना का मूल साधन भी कह सकते हैं। आपकी रेखा-कला आपके व्यक्तित्व को पूरी दृढ़ता से आपके चित्रों पर प्रतिविम्बित करती है। आपके हाथों स्वतन्त्र रूप से सधी हुई स्वतन्त्र एवं सुव्यवस्थित रेखा आपके चित्रों में जान डाल देती है।

निष्कर्ष

ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जी के चित्र एक ऐसे अटूट बन्धन में बंधे हैं जो अपने साथ भारत की पहचान को लिये हुए है, इनके चित्रों का कला पक्ष इनके तकनीकी संसार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इन चित्रों का विन्यास चित्राधारों की अनेकता के साथ उपलब्ध है। और यह भारतीय चित्रकला के कला पक्ष का एक ऐसा प्रामाणिक स्त्रोत है जिसके अद्भुत गुण इस कला की परम्परा एवं विरासत के विस्तृत पटल से परिचित कराते हैं साथ ही ये चित्र वर्ण तथा वर्णिका का उज्जवल प्रकाशन करते हैं। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्र अनेकानेक लोक विश्वास जन अभिरूचि एवं लोक संस्कृति के संवाहक हैं। इनके चित्रों में भारतीय कला का कलेवर कुछ इस तरह समाया हुआ है कि चित्रों में भारत की आत्मा मुखरित हो उठती है। ये चित्र लोक संस्कार एवं अभिरुचियों का एक लम्बा तारतम्य

है। ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के चित्र मानव की भावनाओं तथा कला रसिकों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके चित्रों को देखने के बाद एक ऐसी सनातन छवि अभिव्यक्त होती है जो द्वैत एवं अद्वैत के विवाद को निर्मूल करने में सफल रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ० हरद्वारी लाल शर्मा: सौन्दर्य शास्त्र, पृ0 63
2. अशोक-कला सौन्दर्य और समीक्षा शास्त्र, पृ0 56
3. अशोक-कला सौन्दर्य और समीक्षा शास्त्र, पृ0 59
4. सामान्य अध्ययन शंकर घोष, पृष्ठ 153, 154, 155
5. हिन्दी विश्व साहित्य कोश सं० डा० सुधाकर पाण्डेय प्र0 नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी पृ० 307-8-9
6. कला और कलम, गिर्राज अग्रवाल अशोक पृष्ठ-130
7. मुगलकालीन भारत, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, पृ0 306
8. शाहजहाँनामा - पृ0 67
9. शाहजहाँनामा - पृ0 69
10. शाहजहाँनामा-पृ0 69
11. पिक्टोरियल आगरा, पृ0 23
12. रेखां प्रशसन्त्याचार्या वर्तना च विचक्षण:। स्त्रियों भूषणमिच्छन्ति वर्णाढयमितरे जना:।। विष्णु धर्मोत्तर एकचत्वारिधोशयाया: पृ0 154
13. शुक्ल द्विजेन्द्रनाथ डा0 चित्र के दोष-गुण यन्त्र चित्रादि शिल्प विज्ञान वास्तुवाङ्मय प्रकाशन वाला शुल्क कुटी फैजाबाद रोड़ लखनऊ 1967 जून पृ0 87
14. दौर्बल्य विन्दुरेखात वमविभक्त त्वेम च........चेति। चित्रदोषा: प्रकीर्तिता:।। (विष्णु धर्मोन्तरे एक चत्वारिशोध्याय) पृ0 154
15. अमर उजाला
16. दैनिक जागरण
17. दैनिक आज
18. साप्ताहिक हिन्दुस्तान
19. दैनिक पंजाब केशरी
20. नव भारत टाइम्स
21. जनसत्ता

22. राजस्थान पत्रिका
23. V.S. Agrawal & Indian Art
24. Krishna chaitanya & A history of India Painting
25. Milo develand Beach & The Grand Mughal
26. Richard Kehin & The Art of Drawing Persian and Mughal Illustrations
27. Ashok Kumar Das & The Drawn of Mughal Painting
28. A.K. Das & Splendour of Mughal Painting.

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भाषा पारिस्थितिकी का नव साहित्य सृजन पर प्रभाव

कुमारी विभा
शोध छात्रा (हिंदी विभाग)
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

भाषा पारिस्थितिकी को समझने के पहले यह समझना जरूरी होगा कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? वास्तव में पारिस्थितिकी शब्द जीव विज्ञान और भूगोल से संबंधित है जिसमें एक ही परिवेश में रहनेवाले जीवों एवं उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है द्य इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि एक ही परिवेश में रहने वाले जीव अपने संपर्क में रहने वाले सजीव एवं निर्जीव घटकों के साथ परस्पर केसा व्यवहार करते हैं। भाषा पारिस्थितिकी ठीक उसी तरह का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए अपने परिवेश से जुड़े वस्तुओं से संबंधित शब्दों का सहारा लेता है। जैसे-जैसे मनुष्य का वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक एवं यांत्रिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे वह अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए नए-नए प्रतीकों का सहारा लेता है, जो उसके परिवेश से जुड़े होते हैं द्य इस क्रम में बहुत से प्रतीक पीछे छुट जाते हैं और कुछ नए प्रतीक सामने आते जाते हैं। परिवेश के इसी छुटने और जुड़ने वाले शब्दों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा पारिस्थितिकी कहा जाता है।

भाषा के सन्दर्भ में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सत्तर के दशक में मिलता है द्य भाषा पारिस्थितिकी की संकल्पना पहली बार एइनर हॉगेन (Einar Haugen) ने वर्ष 1971-72 में की। उनके अनुसार भाषा पारिस्थितिकी इस बात का अध्ययन है कि भाषाएँ एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं और वे जिस स्थान पर बोली जाती हैं और प्रायः जैविक प्रजातियों के संरक्षण की तरह ही लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए उपाय करती हैं।

हॉगेन ने भाषा विज्ञान के रूपक के रूप में पारिस्थितिकी के उपयोग हेतु दस प्रश्न तैयार किए जो एक साथ उसके वातावरण में भाषाओं की स्थिति से संबंधित कारकों को व्यापक रूप से संबोधित करते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न भाषा के अध्ययन का एक पारंपरिक उपक्षेत्र से संबंधित है जिसमें ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, भाषायी जन संस्कृति, समाज भाषा विज्ञान, संपर्क विविधता, भाषा विज्ञान, भाषाई जन सांख्यिकी, समाज भाषा विज्ञान, योजना और नीति, भाषा की राजनीति, नृतत्व विज्ञान और टाईपोलोजी शामिल है। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी सामाजिक

और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है जिससे प्रयोक्ता की परम्परा, इतिहास और भौगोलिक अवस्थिति, नृतत्व विज्ञानी परिप्रेक्ष्य आदि शामिल है।

पाल्मर जे. डी. ने बताया कि भाषा का वातावरण दो आयामी होता है -----

1. भाषा प्रयोक्ता का मानस
2. समाज जिसमें वह प्रयुक्त होती है।

हर रचनाकार का मानस अलग होता है। वह अपने समाज में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा केवल जीभ नहीं बल्कि मन और माथा भी है। वह अपने आस-पास के और दूर के भी संसार को देखने-परखने का संस्कार अपने में सहज संजो लेती है। ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज की मिट्टी, पानी, हवा से अंकुरित होते हैं, पलते-बढ़ते हैं और यदि उनमें कुछ मुरझाते भी हैं तो उनकी सूखी पत्तियाँ वहीँ गिरती हैं, उस मिट्टी में खाद बनाती हैं। उस खाद यानी असफलता के ठोकरों के अनुभव से भी समाज कुछ नया सीखता है द्य इस तरह धीरे-धीरे भाषा में बदलाव होता जाता है। यह बदलाव इतना चुपचाप होता है कि साहित्य के सजग प्रहरी भी समझ नहीं पाते। इस बदले हुए सामाजिक और मानसिक स्थिति के कारण 50-60 वर्षों में शब्दों की एक पूरी बारात जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पहले और बाद के रचानाकारों की अभिव्यक्ति में काफी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि हर रचनाकार अपने समय की पारिस्थितिकी भाषा का प्रयोग करता रहता है। नये साहित्य के सृजन में उसका महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है जिसे उस काल की रचनाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है।

अब प्रश्न उठता है कि भाषा पारिस्थितिकी की आवश्यकता क्यों है? हम जानते हैं कि जिस तरह समय के साथ अनेक जैव और अजैव घटक परिवर्तित होते रहते हैं उसी तरह भाषाएँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। प्राचीन शब्द जो भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं वे बार-बार प्रयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाते हैं और नए-नए शब्द उसका स्थान लेने लगते हैं। इसी को व्यक्त करते हुए अज्ञेय ने लिखा था ----

> “अगर मैं तुम को ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका
> अब नहीं कहता,
> या शरद के भोर की नीहार न्हायी हुई,
> टटकी कली चम्पे की, वगैरह, तो
> नहीं कारण कि मेरा ह्रदय उथला या कि सूना है
> या कि मेरा प्यार मैला है द्य
> बल्कि केवल यही : ये उपमान मैले हो गए हैं।

देवता इन प्रतीकों के कर गये हैं कूच।"[1]

नव साहित्य सृजन में भाषा पारिस्थितिकी पर काफी कुछ लिखा गया है द्य इस संबंध में कुंवर नारायण की कविता "भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में" देखा जा सकता है ----

प्लास्टिक के पेड़/नाइलौन के फूल/रबर की चिड़ियाँ/टेप पर भूले–बिसरे/लोकगीतों की उदास लड़ियाँ ----/एक पेड़ जब सूखता/सबसे पहले सूखते/उसके सबसे कोमल हिस्से -----/एक भाषा जब सूखती/शब्द खोने लगते अपना कवित्व/भावों की ताजगी/विचारों की सत्यता ----/बढ़ने लगते लोगों के बीच अपरिचय के उजाड़ और खाइयाँ ----/सोच में हूँ कि सोच के प्रकरण में किस तरह कुछ कहा जाय/कि सबका ध्यान उसकी ओर हो/जिसका ध्यान सबकी ओर है -----/कि भाषा की ध्वस्त परिस्थितिकी में/आग यदि लगी तो पहले वहाँ लगेगी/जहां ठूँठ हो चुकी होंगी/अपनी जमीन से रस खींच सकने वाली शक्तियाँ।"[2]

इस कविता में कुंवर नारायण ने समय के एक खतरनाक चाल के लक्षण को उसकी तिर्यक भंगिमा के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भाषा इंसानी दुनिया की इजाद है। इसका कोई मनुष्येतर सत्य नहीं होता है। 'ऑफ ग्रामेटोलोजी' में देरिदा ने भी कहा है, "भाषा और इस दुनिया के बीच का एक सीधा–सरल संबंध है तथा भाषा इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है।" किसी भी भाषा के सूखने का सन्दर्भ मनुष्यता के लिए एक आसन्न संकट है, यह सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रिया का अनिवार्य लक्षण है। यह हमें बताता है कि हमारे सभ्य हो जाने की प्रक्रिया में कई जरूरी चीजें नष्ट हुई जो मनुष्यता के लिए आवश्यक थीं। वर्चस्ववादी व्यवस्था सबसे पहले छोटी–छोटी अस्मिताओं की भाषा पर सबसे पहले हमला करती है और उसे नष्ट करती है, ताकि वर्चस्ववादी भाषा अपना आधि पत्य जमा सके। एक भाषा की हत्या दरअसल एक सभ्यता की हत्या होती है। कुंवर नारायण की इस कविता में 'अपरिचय', 'उजाड़', 'खाइयाँ', एक सभ्यता की हत्या किए जाने की प्रक्रिया के उत्पाद हैं।

कुंवर नारायण की कविता 'चक्रव्यूह' बहुचर्चित और बहु उद्धरित रही है द्य महाभारत के युद्ध का सन्दर्भ अपने अतीत की क्रूर सच्चाई के साथ हमारे वर्तमान में केसे उतर आता है, यह इस कविता में उस तरह से नहीं देखा जा सकता जैसे धर्मवीर भारती की काव्य नाटिका 'अंधायुग' में देखा जाता है। दर असल कोई भी युद्ध अपनी त्रासदी के साथ जितनी देह पर उतरती है उतनी देह से परे भी। युद्ध केवल मनुष्यता के लिए संकट नहीं है बल्कि यह पूरी संस्कृति के साथ स्वयं के ध्वस्त हो जाने की दास्तान है ---

"मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया,
पिघलती आग–सी संध्या,
बदन पर एक फूटा कवच,

सारी देह क्षत-विक्षत,
धरती खून में ज्यों सनी लथपथ लाश,
सर पर गिद्ध-सा मंडरा रहा आकाश -----"[3]

इस कविता में यह साँझ जो आग की तरह पिघलती जा रही है, वह महज साँझ का पिघलना नहीं है, बल्कि युद्ध की सांझ का धीरे-धीरे रात की राख में तब्दील हो जाना है। युद्ध अपने अंतिम उत्पाद में महज राख ही तो होता है। यह राख किसी गैर का नहीं अपनों का और स्वयं का ही होता है। हम युद्ध में स्वयं को स्वयं के साथ लड़ते हैं और स्वयं राख हो जाते हैं। वे पुनः आगे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं ---

"किसी ने कहा- लड़ो,
जिंदगी हक की लड़ाई है।
हथियार उठाया तो देखा
मेरे खिलाफ पहला आदमी मेरा भाई है।"
ये पंक्तियाँ अपने पूरे परिवेश की सच्चाई को नंगा कर देती है।

यह हमारे पूरे परिवेश के यथार्थबोध को उजागर कर देती है। हम संघर्ष किसी गैर के साथ नहीं अपनों के साथ करते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। यह विनाश सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता और संस्कृति की होती है।

कुंवर नारायण ने 'एक वृक्ष की हत्या' में व्यक्ति और पर्यावरण के अभिन्न संबंधों का जिक्र करते हुए उसके विनाश के साथ ही मानव के अस्तित्व पर होने वाले खतरे को भी रेखांकित किया है ----

"अबकी घर लौटा तो देखा वह नहीं था ---
वही बूढा चौकीदार वृक्ष
जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात।
x x x
दरअसल, शुरू से ही था हमारे अंदेशों में
कहीं एक जानी दुश्मन
कि घर को बचाना है लुटेरों से
शहर को बचाना है नादिरों से
देश को बचाना है देश के दुश्मनों से।
x x x
बचाना है; जंगल को मरुस्थल हो जाने से
बचाना है; मनुष्य को जंगल हो जाने से।"[4]

यह कविता हमारे सामने पारिस्थितिकी तंत्र की सच्चाई को प्रस्तुत करती है जहां मनुष्य अपनी सार्थकता खोकर जंगल में तब्दील हो रहा है और जंगल मरुस्थल में जब मनुष्य वृक्ष लगाकर उसकी पूजा करता था और उसकी सुखद छाया में विश्राम करता था। वह उसे देवता समझता था। आज उसे अंधाधुंध काटता जा रहा है फलतः धरती वीरान होती जा रही है और हवा जहरीली। यह एक सभ्यता के विनष्ट होने का संकेत है।

कुंवर नारायण कहते हैं कि घने पेड़ों से लहलहाते जंगल इंसान के चौकीदार हुआ करते थे। पेड़ बारिश लाते हैं, पहाड़ों के कटान को रोकते हैं, पशु पक्षियों को आश्रय और मनुष्यों को स्वादिष्ट फल एवं औषधि प्रदान करते हैं। ये हमारे मित्र और रक्षक हैं। किन्तु हमने अपने ही हाथों अपने इस चौकीदार की हत्या की है जो रात–दिन हमारी रक्षा करता था। आज नदियाँ नाला बन गयीं हैं जो थोड़ी सी उफान पर चारों तरफ कहर बरपा करती हैं और हवा जहरीली हो गयी है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यदि इसे बचाया नहीं गया तो मानव का अंत निश्चित है।

पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए मानवेतर वस्तुओं को उसी गहनता के साथ अनुभूत करने की आवश्यकता होती है, जिस तरह मनुष्य के अस्तित्व को अनुभूत किया जाता है। इसे विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में स्पष्ट देखा जा सकता है ––––––

"यह चाहता हूँ कि पानी आए
पहले आँखें भींगो दे
फिर कोई चिड़िया
मेरी बाहों की हरियाली में घोंसले बनाए अंडे दे।"[5]

विलुप्तप्राय वन्य जीवों की कविता में सीधे चले आना उस भयानक पारिस्थितिकी–संकट की त्रासदी की ओर संकेत है जो इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा प्रश्न है द्य यह एशियाई देशों के लिए और भी विकराल है क्योंकि वे अभी जीवन के उस स्तर का स्वप्न देख रहे हैं जो उतर के देशों ने एक सदी पहले ही प्राप्त कर लिया था द्य विनोद कुमार शुक्ल की कविता उस स्थिति का आभाष कराती हैं –––

"अंतिम चीता मरा और
चीता की जाति समाप्त हो गयी मनुष्य से।
चीता शब्द है, पर चीता नहीं
चीते के चित्र और घटनाएँ, कहानियां हैं मनुष्यों में ।"[6]

मनुष्य स्थान बदलकर रह सकता है किन्तु पेड़–पौधे, पशु–पक्षी एवं जैव विविधता को अपने साथ स्थानांतरित नहीं कर सकता है। यह उसकी मजबूरी है। मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति का साहचर्य

जरूरी है। आलोक धन्वा ने इसको प्रतिविम्बित करते हुए लिखा है -----

"अगर अनंत में झाड़ियाँ होतीं तो बकरियाँ
अनंत में भी हो आतीं
भर पेट पत्तियाँ टूंग कर वहाँ से
फिर धरती के किसी परिचित बरामदे में
लौट आतीं। ....
लेकिन चरवाहे कहीं नहीं दिखे
सो रहे होंगे
किसी पीपल की छाया में
यह सुख उसे ही नसीब है।"[7]

इस दौर की कविता में पारिस्थितिकी संबंधित जो कविताएँ हैं वह भौतिक वातावरण की प्रवृतियों का प्रतिफल हैं। कवि यदि इरादतन पर्यावरण संबंधी कविता न भी लिखना चाहे तो भौतिक पर्यावरण की प्रवृतियाँ अकारण उसे इस दिशा में ले जाती हैं क्योंकि ऐन्द्रिक अनुभूतियों में हमारे आस-पास का वातावरण बहुत मायने रखता है और अनायास ही उपस्थित हो जाता है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि भी अपने पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील नजर आते हैं। वे मनुष्य और प्रकृति के अभिन्न संबंधों को स्वीकारते हुए लिखते हैं ----

"चिड़िया उदास है----
जंगल के खालीपन पर
बच्चे उदास हैं ---
खिड़की-दरवाजों में कील की तरह
ठुकी चिड़िया की उदासी पर"[8]

प्रकृति और आदिवासी जीवन का अभिन्न संबंध है। उसमें शोषण और दमन का जितना प्रतिकार है उतना ही पर्यावरण और प्रकृति को बचाने चिंता का भाव भी है। आदिवासी कविता का सौन्दर्यशास्त्र उसकी जल, जंगल और जमीन के सौन्दर्य से ही निर्मित हुआ है। कवयित्री जेसिन्ता केरकेट्टा की कविताओं में पारिस्थितिकी, हरित सौन्दर्य बोध है।

"धूप चुन रहा है
महुआ साथ-साथ
जवानी की माँ थकती नहीं
चुनती है महुआ शाम तक।"[9]

महुआ आदिम संस्कृति का प्रतीक है जो आदिवासियों के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा है। वनों पर टिकी आदिम संस्कृति या आदिवासी जीवन पद्धति से अगर वनों को छीन लिया जाय तो उनका जीवन तहस-नहस हो जाएगा। जंगल के साथ जैव पारिस्थितिकी और जैव विविधता का परस्पर जुड़ाव है। इसकी अभिव्यंजना निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है ----

"आंवला बहेड़ा हरद के पौधे
देते थे जीवन मानव को
नहीं है अब वैसा जंगल
बीरान होते, उजड़ते जंगल, कटते पेड़
प्रदूषण का जाल फैला
बादल उड़ा, उड़ गयी बारिश भी
भाग गए हैं जानवर, एक जंगल से दूसरे जंगल।"[10]

निर्मला पुतुल की कविताओं में भी अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपार निष्ठा देखने को मिलती है। उनकी 'बूढ़ी पृथ्वी' शीर्षक कविता में पर्यावरणिक पारिस्थितिक सौंदर्यबोध के दर्शन होते हैं -----

"क्या तुमने कभी सुना है
सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से
पेड़ों का चीत्कार?
कुल्हाड़ियों के वार सहते
किसी पेड़ की हिलती टहनियों में
दिखाई पड़े हैं तुम्हें
बचाव के लिए पुकारते हजारों-हजारों हाथ?"[11]

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा पारिस्थितिकी बीसवीं शताब्दी में अपनी पहचान बनाती हुई तत्कालीन साहित्यकारों को अपने आगोश में लेती हुई अपना विस्तार करती जाती है। अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक से लेकर आज तक विभिन्न कवियों की कविताओं में अपने परिवेश से जुड़ने और उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने की इच्छा और आकांक्षा को देखा जा सकता है। ये कवि अपने पर्यावरण के प्रति इतने सचेत हैं कि उसपर हो रहे कुठाराघात का विरोध करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। टूटते पहाड़, सूखती नदियाँ, कटते जंगल, वीरान होती धरती की पीड़ा तत्कालीन कवियों की कविताओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। अज्ञेय, कुंवर नारायण, विनोद कुमार शुक्ल, आलोक धन्वा, ओमप्रकाश वाल्मीकि, निर्मला पुतुल जैसे अनेक कवियों की कविताओं में भाषा पारिस्थितिकी के दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित जान पड़ता है कि भाषा पारिस्थितिकी का नव सृजन साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कलगी बाजरे की : अज्ञेय (कविता कोश)
2. कुंवर नारायण : प्रतिनिधि कविताएँ, राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली 2008, पृष्ठ 142
3. कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली
4. कुंवर नारायण, प्रतिनिधि कविताएँ, राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली
5. शुक्ल विनोद कुमार, वृक्ष की सूखी टहनी, कवि ने कहा, किताब घर प्रकाशन, पृष्ठ 23
6. वही, पृष्ठ 49
7. धन्वा आलोक, बकरियाँ, दुनिया रोज बनती है, राज कमल प्रकाशन, पृष्ठ –11
8. वाल्मीकि ओमप्रकाश, खेत उदास हैं, बस्स ! बहुत हो चुका, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 24
9. केरकेट्टा जेसिन्ता, महुआ चकित है, सहजि–सहजि गुण रमें : जसिन्ता
10. सिंह बड़ाईक, सरिता, आज का जंगल, समकालीन आदिवासी कविता, सं- हरिराम मीणा, अलख प्रकाशन, पृष्ठ 82
11. पुतुल, निर्मला, बूढ़ी पृथ्वी का दु:ख, नगाड़े की तरह बजाते शब्द (रूपांतर) अशोक सिंह, भारतीय ज्ञानपीठ, पृष्ठ 31

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भारतीय भाषाशास्त्र की प्राचीन अवधारणा

डॉ० कुमारी आभा
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
शान्ति प्रसाद जैन महाविद्यालय, सासाराम, बिहार

भाषा मनुष्य के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यह मनुष्य की महानतम खोज है। जैसे-जैसे मनुष्य की प्रगति होती गयी वैसे-वैसे भाषा की संरचना में परिवर्तन होता गया। भाषा विकास के साथ उसकी उत्पत्ति और परिवर्तन के बारे में भी अनुसंधान होते रहे। उस अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकले उसे विभिन्न विद्वानों ने लिपिबद्ध किया जिसे भाषाशास्त्र कहा जाता है। इसमें भाषा की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है।

भारतीय भाषाशास्त्र का प्रारम्भिक चरण मुख्य रूप से पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' में देखने को मिलता है। इसमें चार हजार सूत्रों में संस्कृत भाषा का व्याकरण निर्मित किया गया है। आगे चलकर आचार्य भरत, कालिदास, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, भोज आदि ने भाषा के विभिन्न रूपों पर अपना-अपना विचार दिया। कुमारिल भट्ट ने भी अपने शास्त्रीय अध्ययन में शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के अर्थ का निर्धारण माना और कहा कि वाक्य का अर्थ शब्दों के अर्थ से ही मिलता है। शब्द की तरह वाक्य का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए अपूर्ण वाक्य में छूटे शब्दों की कल्पना करके ही वाक्यार्थ मिलता है।

प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य के आलोचकों एवं अलंकारिकों ने साहित्य के विचार के सन्दर्भ में भाषा संबंधी सभी अवधारणाएं प्रस्तुत की। अलंकारिकों के विमर्श में साहित्य में आनंदानुभूति या रसानुभूति के केंद्र में क्या होता है, इस प्रश्न के समाधान में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। आनंदवर्धन ने अभिधा और लक्षणा के साथ व्यंजना को भी अर्थ का एक स्तर माना भारतीय भाषिक चिंतन में धातु, प्रत्यय एवं शब्दों से प्रारम्भ कर भाषा-दर्शन में स्फोट या वेदान्त में अद्वैत दर्शन तक की यात्रा है। अर्थात भौतिक पदार्थों से प्रारम्भ कर एक आदर्श व्यवस्था तक का चिंतन है।

वैदिक ऋचाओं की व्याख्या करने वालों ने भाषाशास्त्र की वैज्ञानिक मीमांसा नहीं की है। बाद के आचार्यों ने भाषाशास्त्र की व्यापक मीमांसा की जिनमें प्रमुख प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्री निम्न हैं:-

1. पाणिनी
2. कात्यायन

3. पतंजलि

4. भर्तृहरि

5. कौण्डभट्ट

6. नागेश भट्ट

भारतीय भाषाशास्त्र की प्राचीन अवधारणा के क्रम में पहला ध्यान वेदों पर जाता है। कारण कि बिना भाषा शास्त्र के वेदों का अध्ययन संभव नहीं छह वेदांगों में उच्चारण, शब्दार्थ और छंद भाषा शास्त्र के प्रमुख अंग माने गए हैं। इसे हम भाषा शास्त्र के प्रारम्भिक चरण मान सकते हैं। किन्तु इसका प्रमुख शास्त्रीय रूप हमें यास्क के निरुक्त में दिखाते हैं। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति। अर्थात यह बताना कि कोई शब्द किन-किन शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में यास्क एवं उनके पूर्ववर्ती निरुक्त्कारों का मानना था कि सभी शब्दों की उत्पत्ति धातुओं (क्रियारूपों) से होती है। वहीँ वैयाकरण संप्रदाय का मानना था कि सत्ववाचक (द्रव्य वाचक) शब्दों (जैसे - पानी, पुस्तक आदि) की उत्पत्ति धातुओं से नहीं होती है, वहीँ भाव वाचक (क्रियावाचक) शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हो सकती है। उन्होंने शब्दों के चार प्रकार बताए है- नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।

1. पाणिनी - भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पाणिनी के अष्टाध्यायी में मिलता है। महर्षि पाणिनी कृत 'अष्टाध्यायी' आठ अध्यायों में विभक्त है। इसमें लगभग आठ हजार सूत्र मिलते हैं। उन्होंने सभी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए प्रक्रति-प्रत्यय का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिन शब्दों की प्रकृति-प्रत्यय विभाग स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता वहाँ भी मूल ढूंढ़कर काल्पनिक प्रत्यय के योग द्वारा शब्द सिद्धि (विश्लेषण) कर लेना चाहिए द्य उनकी कृति 'उणादि सूत्र' में ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति की गयी है जिनको व्याकरण के सामान्य नियमों से विश्लेषित नहीं कर सकते।

अष्टाध्यायी के पहले-दूसरे अध्यायों में संज्ञा और परिभाषा संबंधी सूत्र हैं एवं वाक्य में आए हुए क्रिया और संज्ञा शब्दों के पारस्परिक संबंध के नियामक प्रकरण भी हैं, जैसे क्रिया के लिए आत्मनेपद-परस्मैपद-प्रकरण, एवं संज्ञाओं के लिए विभक्ति समास आदि। तीसरे, चौथे और पांचवे अध्यायों में सब प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। तीसरे अध्याय में धातुओं में प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्दों का निर्वाचन है और चौथे तथा पांचवे अध्यायों में संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने नए संज्ञा शब्दों का विस्तृत निर्वाचन बताया गया है। ये प्रत्यय जिन अर्थ विषयों को प्रकट करते हैं उन्हें व्याकरण की परिभाषा में वृति कहते हैं, जैसे वर्षा में होने वाले इंद्रधनुष को वार्षिक इंद्रधनुष कहेंगे। वर्षा में होने वाले इस विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला 'इक' प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रकरण में 1,190 सूत्र हैं और कृदंत प्रकरण में 6,31 सूत्र। इस प्रकार कृदंत, तद्धित प्रत्ययों के विधान के लिए अष्टाध्यायी

के 1,821 सूत्र हैं जो आधे से कुछ ही कम सूत्र विनियुक्त हुए हैं। छठे, सातवें और आठवें अध्यायों में उन परिवर्तनों का उल्लेख है जो शब्द के अक्षरों में होते हैं। ये परिवर्तन या तो मूल शब्द में जुड़ने वाले प्रत्ययों के कारण या संधि के कारण होते हैं। द्वित्व, संपसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ आदि के विधायक सूत्र छठे अध्याय में आए हैं। छठे अध्याय के चौथे पद से सातवें अध्याय के अंत तक अंगाधिकार नामक एक विशिष्ट प्रकरण है जिनमें उन परिवर्तनों का वर्णन है जो प्रत्यय के के कारण मूल शब्दों में या मूल शब्द के कारण प्रत्यय में होते हैं। ये परिवर्तन भी दीर्घ, ह्रस्व, लोप, आगम, आदेश, गुण वृद्धि आदि के विधान के रूप देखे जाते हैं। अष्टम अध्याय में वाक्यगत शब्दों के द्वित्व विधान, प्लुत विधान एवं षत्व और णत्वविधान का विशेषतः उपदेश है।

पाणिनी के अष्टाध्यायी में तीन संबध ग्रन्थ है ----

1. शिव सूत्र - यह अष्टाध्यायी से पहले की चौदह प्रारम्भिक पंक्तियों में एक ध्वन्यात्मक संकेतन प्रणाली है। यह सांकेतिक प्रणाली स्वरों के विभिन्न समूहों का परिचय देती है जो संस्कृत के आकृति मूलक विज्ञान में विशेष भूमिका निभाते हैं, और पूरे पाठ में संदर्भित होते हैं प्रत्येक समूह को प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे---

- “अ इ उ ण्
- ऋ ऌ क्
- ए ओ ङ्
- ऐ औ च्
- ह य व र ट्
- ल ण्
- ञ म ङ ण न म्
- झ भ ञ्
- घ ढ ध ष्
- ज ब ग ड द श्
- ख फ छ ठ थ च ट त व्
- क प य्

- श ष स र्
- ह ल् '1

इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है।

2. धातु पाठ – पाणिनी अपने अष्टाध्यायी में धातुओं के गणों का निर्देश करते हुए विकिरणों और उनके लोप का विधान करते हैं। वे संख्या में 1970 हैं जिन्हें निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया गया है–

   1. स्वरादि गण (1035) 2. अदादि गण (72) 3. जुहोत्यादि गण (24) 4. दिवादि गण (140) 5. स्वादि गण (35) 6. तुदादि गण (157) 7. रुधादि गण (25) 8. तनादि गण (10) 9. क्रयादि गण (67) 10. चुरादि गण (401) 2 धातु पाठ में परिगणित धातुओं के साथ उनके अर्थ का भी निर्देश मिलता है।

3. गण पाठ – धातु पाठ के धातु–परिगणन की तरह ही पाणिनी ने गण पाठ में गणों का परिगणन एक विशेष लक्ष्य को दृष्टि में रखकर किया है ये गण मूलतः सूत्रों द्वारा संपन्न प्रकार्यों को दृष्टि में रखकर निर्धारित किए गए हैं। इतना ही नहीं, गणों में परिगणित प्रातिपदिकों का क्रम भी अक्सर सूत्र कार्य से सीधा संबंध रखता है।

   इस तरह पाणिनी ने भाषा शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जिसपर आगे चलकर भाषा विज्ञान की नींव पड़ी जो आज के अध्येताओं के लिए काफी सुविधाजनक प्रतीत होता है।

2. कात्यायन – कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी है। ये पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्द वार्तिककार हैं। वे नौ शुल्ब सूत्रों में से एक के रचयिता भी हैं। कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनीय व्याकरण अधूरा सा रह जाता। उनहोंने तर्क, वितर्क और आलोचना करके सूत्रों के संरक्षण की चेष्टा की है। उन्होंने कहीं–कहीं पाणिनी सूत्रों का परिवर्तन भी किया है और कहीं पर दोष दिखाकर उसका प्रतिषेध किया है। कात्यायन के वार्तिकों की संख्या लगभग 1400 मानी जाती है। ये वार्तिक व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि द्वारा सन्दर्भ के रूप में ही उपलब्ध है। रामनाथ शर्मा के शब्दों में -----

"कात्यायन ने पाणिनी के सूत्रों पर कुछ ऐसे व्यवस्थापरक वाक्य लिखे हैं जिनमें सूत्रों में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ नहीं कहा जा सका है, अथवा जो कुछ नहीं कहा जाना चाहिए – इन बातों पर व्यवस्थित चर्चा की गयी है। ये वाक्य ही वार्तिक के रूप में प्रसिद्ध हैं।"[3]

कात्यायन के वार्तिक का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यह हमें महाभाष्य में मिलता है।

3. पतंजलि – पतंजलि ने पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे 'व्याकरण महाभाष्य' का नाम दिया गया द्य महाभाष्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई है। महाभाष्य की निम्नांकित विशेषताएं हैं ---

1. महाभाष्य व्याकरण का एक ग्रन्थ है। यह पाणिनी के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक-सूत्र पर आधारित है।
2. महाभाष्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त की चर्चा की गयी है।
3. महाभाष्य से प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
4. व्याकरण शास्त्र में पतंजलि की बात को अंतिम प्रमाण माना जाता है।
5. पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण को दार्शनिक शब्द नित्यात्ववाद या स्फोटवाद कहा है।
6. यह 84 आह्निकों (अध्यायों) में विभक्त है। आह्निक का तात्पर्य एक दिन में पूर्ण होने वाला।
7. पतंजलि ने शास्त्रीय शब्दावली के साथ साथ लोकव्यवहार की भाषा और मुहावरों का प्रयोग कर अपने ग्रन्थ को दुरूह होने से बचा लिया है।

पतंजलि ने अपने महाभाष्य को "अथशब्दानुशासनं" पद से प्रारम्भ किया है जिसे मंगलाचरण कहते हैं। उन्होंने इसे प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया है। शिक्षार्थी के मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत किया है। यह प्रश्नोत्तर विधि पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है जिससे ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है।

पतंजलि ने शब्दानुशासनशास्त्र के प्रयोजन को दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम मुख्य प्रयोजन तथा द्वितीय गौण प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन में पांच प्रयोजन हैं----रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह।

रक्षा -वेद शास्त्र की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वेद की रक्षा वही कर सकता है जो लोप तथा आगम का ज्ञान रखता हो।

ऊह -ऊह अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम भी शब्दशास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है। वेद में प्रयुक्त शब्दों की विभक्तियों, वचनों आदि का ज्ञान आवश्यक है जो व्याकरण से ज्ञात होता है।

आगम -आगम भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है, क्योंकि वेद के छह अंगों में मुख्य अंग व्याकरण ही है।

लघु -व्याकरण अध्ययन का लघुता भी एक प्रयोजन है। कारण कि वैयाकरण शब्द से अर्ध मात्रा भी कम करके उसी अर्थ में शब्द प्रयोग करता है तो उसे पुत्र प्राप्ति के समान आनंद प्राप्त होता है।

असंदेह –किसी शब्द के अर्थ में किसी तरह का संदेह न हो इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।

पतंजलि ने गौण प्रयोजनों की संख्या 13 बताई है। गौण प्रयोजन को बताते हुए कहते है– इमानि च भूयः शब्दानुशानस्य, प्रयोजनानि– तेऽसुराः। दुष्टः शब्दः। यदधीतम। यस्तु प्रयुक्त्क्ते। अविद्वांसः। विभक्तिं कुर्वन्ति। यो वा इमाम्। चत्वारि। उत त्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्। दशभ्यां पुत्रस्या। सुदेवो असि वरुणेति। इत्यादिना।

पतंजलि ने वार्तिकों का प्रयोग करते हुए कहा है कि ये वार्तिक भिन्न भिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे –

1. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे।
2. लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः।
3. यथा लौकिकवैदिकेषु।
4. अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात।
5. अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात।
6. अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत।
7. सर्वे देशान्तरे।
8. ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाऽधर्मः।
9. आचारे नियमः।
10. प्रयोगे सर्वलोकस्य।
11. शास्त्रपूर्वके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद शब्देन।
12. सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थोऽनुपपन्नः।
13. शब्दाप्रतिपत्तिः।
14. शब्दे ल्युडर्थः।
15. भवे च तद्धितः।
16. प्रोक्तदयश्च तद्धिताः।

17. लक्ष्यलक्ष्यव्याकरणम्।

18. वृत्तिसमवायार्थ उपदेशः।

19. अनुबन्धकरणार्थश्च।

20. इष्टबुद्ध्यर्थश्च।

21. इष्टबुद्ध्यर्थश्चेति चेदुदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकदीर्घप्लुतानामप्युपदेशः।

22. आकृत्युपदेशात् सिद्धम्।

23. आकृत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः।

24. लिक्त्गार्था तु प्रत्यापत्तिः।

इस प्रकार से प्रथमाह्निक में महाभाष्यकार ने आक्षेप के समाधान में कात्यायन की वार्तिकों का प्रयोग किया है। महाभाष्य में "लोकतः" इस वार्तिक को अनेक टीकाकारों ने वार्तिक न मानकर वार्तिक का अंश मात्र माना है।

4. भर्तृहरि –भर्तृहरि ने अन्य काव्य-ग्रंथों के अतिरिक्त 'वाक्यपदीय' नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा जो काफी लोकप्रिय हुआ द्य इसमे भर्तृहरि ने भाषा की प्रकृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वाक्यपदीय को त्रिकांडी भी कहा जाता है, क्योंकि यह तीन कांडों में बंटा है –ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पद्कांड। यह समस्त ग्रन्थ पद्य में लिखा गया है। प्रथम 'ब्रह्मकांड' में 157 कारिकाएँ हैं। द्वितीय 'वाक्यकांड' में 493 कारिकाएँ हैं तथा तृतीय 'पदकांड' में 450 कारिकाएँ हैं।

वाक्यपदीय के प्राथन काण्ड की प्रथम कारिका में शब्द तत्व को अनादि और अनंत तथा 'अक्षर ब्रह्म' कहा गया है। उन्होंने बताया कि शब्द में अर्थ का स्वरुप और उसका अपना स्वरुप दोनों की प्रतीति होती है। उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि जिस प्रकार जल के अणुओं के एकत्रित होने से बादल बनते हैं उसी प्रकार शब्द के अणु इकट्ठे होकर सभी कार्य करते हैं। वस्तुतः यह आगमिक काण्ड है। आगम की दृष्टि से लिखा गया है।

द्वितीय काण्ड में 'पद' वाचक है या वाक्य इसका विषद विचार है। उन्होंने बताया है कि शब्द और अर्थ एक ही परं तत्व के दो भेद हैं जो पृथक नहीं रहते (2.31)।

तीसरे काण्ड में 'पद विचार' का प्रक्रम दिया गया है। अर्थ द्वारा पदों की परीक्षा होती है। वाक्यपदीय के अनुसार मुख्य या औपाधिक देश-भेष के कारण आकाश में भी जाति है (3. 15-16)। 'ज्ञान' स्व प्रकाश है। विषय ज्ञान और उसका परामर्श ज्ञान दोनों भिन्न है।

भर्तृहरि के भाषा संबंधी निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है –

1. वाक् : एकमात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है।
2. प्रयोक्ता (वक्ता) और ग्रहिता (श्रोता) के बीच अभिप्राय का आदान-प्रदान केवल शब्द के माध्यम से ही होता है।
3. भाषा का ज्ञानार्जन उसके मूल शब्द के द्वारा किया जाता है। जैसे -अम्बा- अम्मा -माँ।
4. भाषा मूलतः प्राकृत होती है जो संस्कारित होकर बाद में शिष्ट बन जाती है।
5. भाषा के साधू और असाधु रूपों में शीश रूपों का ही अनुशरण करना चाहिए।
6. अपभ्रंश या लोकभाषा का भी महत्व है क्योंकि अपभ्रंश ही बाद में शिष्ट शब्द बनता है।
7. व्याकरण का प्रयोजन और क्षेत्र सिर्फ बैखरी (उच्चरित शब्द) तक ही सीमित नहीं है बल्कि 'मध्यमा' और 'पश्यंती' भी इसी क्षेत्र में आती है।
8. शब्द के संस्कार को जान लेना ही 'शब्दब्रह्म' है अर्थात परमात्मा को पा लेना है।
9. वर्ण, पद और वाक्य के रूपों में वाक् का विभाजन केवल स्थिति सापेक्ष ही है, अन्यथा इनमें से किसी एक का भी व्यक्तित्व निश्चित एवं नित्य नहीं है।
10. नाम, आख्यात, पद और निपात को पदभेद माना गया है।
11. किसी शब्द के उच्चरित होते ही जिस अर्थ या प्रयोजन की प्रतीति होती है वही उस शब्द का अर्थ है।
12. वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ स्फोट के द्वारा होता है।"[5]

5. कौण्डभट्ट -कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण, वैयाकरणभूषणसार तथा लघुवैयाकरणभूषणसार तीन ग्रंथों की रचना की। वैयाकरणभूषण ने व्याकरण दर्शन के सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी है। वैयाकरणभूषणसार वैयाकरणभूषण का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें व्याकरण का प्रकरण निम्नवत है –

1. धात्वर्थ निर्णय 2. लाकारार्थनिर्णय 3. सुबर्थनिर्णय 4. नामार्थनिर्णय 5. समासशक्तिनिर्णय 6. शक्तिनिर्णय 7. नयर्थनिर्णय 8. निपतार्थनिर्णय 9. भावप्रत्ययार्थनिर्णय 10. देवताप्रत्ययार्थनिर्णय 11. अभेदैकत्वासंख्यानिर्णय 12. संख्याविवक्षानिर्णय 13. क्वाद्यर्थनिर्णय 14. स्फोटनिर्णय। [6]

इस ग्रन्थ में कौण्डभट्ट ने नवीन्याय की भाषा को अपनाया है तथा भाषा दर्शन के उपर्युक्त सिद्धांतों पर नैयायिकों के मीमांसकों और वैयाकरणों के मतों का उपस्थापन करते हुए वैयाकरण मत

का प्रतिपादन किया है।

6. नागेश भट्ट –नागेश भट्ट के भाषाशास्त्र संबंधी प्रमुख ग्रन्थ हैं – प्रत्याख्यान संग्रह, महाभाष्य उदयोत, शब्देंदुशेखर बृहत् शब्देंदुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, वैयाकरंसिद्धांतमंजूषा, लघुमंजूषा, परमलघुमंजूषा और स्फोटवाद। व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में नागेश भट्ट का अवदान महत्वपूर्ण और अनुपेक्षणीय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भाषाशास्त्र के सूत्रधार, संपा० डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 16
2. वही पृष्ठ 18
3. राम नाथ शर्मा पाणिनी और उनकी अष्टाध्यायी, भाषा शास्त्र के सूत्रधार, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृष्ठ 1-2
4. महाभाष्य का पस्पशाह्निक : एक अध्ययन
5. भाषाशास्त्र के सूत्रधार, संपा० डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 69-73
6. संस्कृतव्याकरणदर्शन को कौण्डभट्ट और शंकर शास्त्री का योगदान, राघवेन्द्र, पृष्ठ 44

नई शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि

डॉ0 विजयेन्द्र कुमार गुप्त
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (बी0एड0)
बिहारी महिला पी0जी0 कालेज, मछलीशहर, जौनपुर

शोध सारांश

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिये संदर्भित है जो मुख्यतः नई (राष्ट्रीय) शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषतओं का वर्णन करता हैं नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिये एक समान अवसर प्रदान करना हैं तथा छात्रों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है।

मूलशब्द– नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल युग, शिक्षार्थियों, ज्ञान, शिक्षा।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले ली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 27 अध्याय और 4 भागों में विभक्त है। नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने भारत की शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किये है। इस नीति का मकसद शिक्षा को ज्यादा समावेशी प्रभावी और बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच स्तम्भ है– पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिये तैयार करती है।

नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
- पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गयी है।

नई शिक्षा नीति 2020 अध्ययन के उद्देश्य-

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना हैं प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

- छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक शिक्षा व क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
- शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल करना।
- स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा मे लाना।
- कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को शामिल करना।
- शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद 6 प्रतिशत करना।

अनुसन्धान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुये प्राथमिक और माध्यमिक स्त्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के रूप में नई शिक्षा, नीति 2020 के सम्पूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

डेटा संग्रह

शोध अध्ययन के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किये गये है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन स्त्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर सन्दर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर–मूल जानकारी प्रदान करता है। इसमे शोध प्रबन्ध, विकिपीडिया और अन्य वेबसाइट शाामिल है।

नई शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक संरचना (शैक्षिक ढांचा)

नई शिक्षा नीति 2020 10+2 के शैक्षिक संरचना को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया है। जो निम्नलिखित है।

पुरानी शैक्षिक संरचना 10+2 प्रारम्भ 6 वर्ष के बच्चों से

नई शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 प्रारम्भ 3 वर्ष के बच्चों से।

1. फाउंडेशन स्टेज– 5 वर्ष
(कोई परीक्षा नहीं)

3 वर्ष प्ले व 2 वर्ष (कक्षा 1 व 2)

2. प्रीपेरेटरी स्टेज – 3 वर्ष कक्षा 3 से 5
(परीक्षा प्रारंभ) एक्टिविटी + अध्ययन
भाषा मातृभाषा
राष्ट्रीय भाषा

3. मिडिल स्टेज – 3 वर्ष कक्षा 6 से 8
(भारतीय भाषा)

कम्प्यूटर कोड
व्यावसायिक शिक्षा — सिलाई
गणित माली
विज्ञान बढ़ई
कला

4. सेकेण्डरी स्टेज – 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 (सेमेस्टर)

कोई स्ट्रीम नहीं
एकाधिक विषय
आलोचनात्मक सोच

5. स्नातक कोर्स – 4 वर्ष –B.A/Bsc/ Bcom

1 Year – सर्टिफिकेट
2 Year – डिप्लोमा
3 Year – डिग्री (job/competition)
4 Year – अनुसन्धान

6. परास्नातक कोर्स 1/2 वर्ष M.A/MSc/ MCom
7. M. फिल समाप्त
8. पी–एच.डी0

नई शिक्षा नीति 2020 के महत्व–

वास्तविक तथ्यो पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे नई शिक्षा नीति 2020 का मकसद छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। यह नीति छात्रों को रोजगार के लिये तैयार करने के साथ–साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर देती है।

नई शिक्षा नीति के जरिये छात्रों को व्यावहारिक कौशल और प्रशिक्षण दिया जाता हैं इसके अलावा इस नीति में कला, संगीत, खेल, कौशल विकास ओर नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के निष्कर्ष–

नई शिक्षा नीति के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित है।

- यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिाक समावेशी, लचीली और छात्र केन्द्रित बनाती है।
- यह नीति रटने वाली शिक्षा की जगह आलोचनात्मक सोच, कल्पना, और समस्या समाधाान पर जोर देती है।
- यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने और नये विषयों को शामिल करने में मदद करती है।
- यह नीति शिक्षा में प्रोद्योगिकी और डिजिटल संसाधानों का इस्तेमाल बढ़ाती है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.education.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/NEP Final English 0.pdf.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National Education Policy 2020.
3. Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India-The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.
4. Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education, 33.

5. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy 2020-final.pdf.

6. http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jmer/pdf/volume10/volume 10-issue2(5/33.pdf.

7. Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,

8. https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf Education Policy 2020.

9. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020.

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

ऋता शुक्ल की कहानियों में भारतीय समाज की स्थिति : एक अनुशीलन

प्रियम्बदा कुमारी
शोधार्थी,
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक हिस्सों या किसी एक घटना का वर्णन करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। उपन्यास की भांति इसमें जीवन के संपूर्ण रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। कहानी की विकास यात्रा लगभग सौ वर्षों की है। जिसमें नए-नए परिवर्तन होते रहे हैं। कहानी ने बहुत ही कम समय में श्रेष्ठ विद्या का रूप धारण कर लिया है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध एवं इक्कीसवीं सदी के आरंभ में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। स्वातंत्र्योत्तर कहानी लेखकों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर यथार्थपरक रचनाएं की हैं। कहानी जीवन के भोगे हुए यथार्थ की प्रतिबिंब होती हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से अध्ययनकर्ता में मूल्य बनकर अटल छाप छोड़ जाती है।

ऋता शुक्ल की कहानियों में भारतीय समाज के जीवन मूल्यों के लिए श्रम किया गया है। उनकी लेखनी जीवन मूल्यों की संघर्ष करती है जो मूल्य को ढूंढती और स्थापित करती हैं। वर्तमान समय में यह सवर्था उपर्युक्त और प्रासंगिक है। राजनीति ने मानवीय मूल्यों को सर्वधिक प्रभावित किया है। "आज के समय में मूल्यों की सर्वत्र हत्या की जा रही है। वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर बर्बरता का माहौल है। राजनीति ने न्याय, शांति एवं शिक्षण- संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। संपूर्ण विश्व का वातावरण विषाक्त हो गया है। नारी जात की दुर्दशा हो रही है।"[1]

ऋता शुक्ल की कहानियों में भारतीय जीवन मूल्य सहज ही देखने को मिल जाते हैं। मूल्यों का आग्रह उनकी लगभग सभी कहानियों की विशिष्ट उपलब्धि है। इस दृष्टि से उनके कहानी संग्रहों में 'क्रौंचवध तथा अन्य कहानियां', 'कासों कहों मैं दरदियां', 'मानुष तन', 'कायांतरण' , 'मृत्युगंध-जीवनगंध', 'भूमिकमल', 'तुलसीदल', 'गंगाजल' , 'क्रंचवध तथा अन्य कहानियां' आदि प्रमुख हैं।

ऋता शुक्ल की कहानियां भारतीय समाज के विभिन्न पार्श्व को स्पर्श करती हैं। उनकी कहानियों में प्रमुख रूप से सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सांस्कृतिक विमर्श देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने

अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में व्याप्त मूल्यहीनता, विसंगतियों एवं विरोधाभासों को पड़ताल की है। उनकी कहानियों की प्रस्तुति में सहजता एवं रोचकता के दर्शन होते हैं। उन्होंने भारत के ग्राम्य जनजीवन का विश्लेषण मानवीय दृष्टिकोण से किया है। जिसमें सामाजिकता का स्वर दीर्घ है। अपनी कहानियों में मनुष्य के जीवन का विश्लेषण समाजार्थिक दृष्टिकोण से करते हुए यथार्थ के साथ आदर्श को भी जोड़ा है। किंतु इसमें स्वस्थ सामाजिकता के विकास की आकांक्षा प्रमुख रूप से विद्यमान है।

भारतीय समाज सदियों से पितृसत्तात्मक समाज रहा है जो महिलाओं को आजादी के बाद सभी अधिकार तो मिले लेकिन भारतीय समाज की औसत महिला आज भी सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इस सत्य से साक्षात्कार उनकी विभिन्न कहानियों में होता है। 'छुटकारा' कहानी में ऋता शुक्ल ने कमली के माध्यम से निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचार को दिखाया है। उन्होंने लिखा है कि एक गरीब परिवार की लड़की को केसे बहला–फुसलाकर उसको अपने बस में करके फिर उसकी औकात दिखाई जाती है। "नान्ह जात की तिरिया और झूठी हाड़ी दोनों एक बरोबर होती है।"[2] चाहे हमारा समाज कितना भी विकास क्यों न कर ले लेकिन एक स्त्री के लिए वह समाज कभी भी नहीं बदलता उसकी कमजोरी का फायदा हर कदम पर उठाया जाता है। स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, शोषण, दमन के साथ–साथ उनको पढ़ने लिखने पर भी रोक लगा दी जाती है। हमारे भारतीय समाज में आज भी लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा दी जाती है। अगर वह पढ़ने को कहती है या अपने दम पर कुछ करना चाहती है तो कहा जाता है कि तुम पढ़ कर क्या करोगी चूल्हा–चौका ही तो संभालना है, कढ़ाई–बुनाई करना है और कभी–कभी खंडन का वास्ता देखकर उसकी पढ़ाई पर रोक लगा दी जाती है। "हमारे घरों में बहू–बेटियों का अधिक आगे बढ़ना अभिशाप माना जाता है। मेरे बुजुर्गों की भी यही राय है।"[3] 'दूर जाना है' कहानी के माध्यम से ऋता शुक्ल ने हमारे समाज के दोहरे मानदंड, पुराने ढकोसलों पर भी लिखा है। एक लड़की जिसके पास सारी मेधा होते हुए भी जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा भी पास कर जाती है लेकिन यह जो हमारा पुरुषवादी समाज है, उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि एक लड़की अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करें और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। "सदियों से समाज में नारी की स्थिति हमेशा से दूसरे स्थान पर रही है। पुरुष–प्रधान समाज में नारी को पुरुषों के सामने हमेशा नगण्य माना गया है। केवल घर और परिवार की चाकरी करना ही नारी का कर्तव्य है। नारी के प्रति ऐसी सामाजिक मानसिकता नारी को कभी भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा नहीं दे सकी।"[4] उनकी रचनाओं का माध्यम मुख्य रूप से हमारे समाज में हो रही स्त्रियों के साथ शोषण और अत्याचार पर है। उनकी कहानियाँ स्त्रियों के शिक्षा–दीक्षा, रहन–सहन, खान–पान, शादी–विवाह आदि के इर्द–गिर्द घुमती नजर आती हैं।

ऋता शुक्ल की पात्र दो तरह की है– एक जो सारी यातनाओं को चुपचाप सहती जाती हैं, तो दूसरी ओर उनका खुलकर विरोध करती हैं। "सतिया के सामने कोई दृष्टि नहीं थी, इसलिए उसकी

मानसिकता तमाम अत्याचारों के बावजूद प्रतिरोध की कोई दिशा नहीं ढूंढ सकी। लेकिन मेरे सामने तो एक सार्थक विकल्प है। अनिश्चित के पीछे भागने के बदले मैं निश्चित को पकड़ने में विश्वास रखती हूँ। जो मेरे मन का मर्यादित सच है उसे पाने के लिए मैं समाज की बंदिश को क्यों न तोड़ डालू?"[5] 'विकल्प' कहानी में ऋता शुक्ल ने समाज में हो रहे जातिवाद, भेदभाव, छुआ-छूत का खुलकर विरोध किया है। उनकी पात्र रचना के माध्यम से उन्होंने दिखाया है की रचना के पिता जो दूसरों के सामने जात-पात छुआछूत को एक ढकोसला मानते हैं लेकिन जब बात उनकी बेटी की आती है तब उसे मना कर देते हैं। कि तुम अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकती हो, लेकिन रचना समाज के सभी कुरीतियों को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं। हमारे समाज की स्त्रियां अब खुलकर जीना चाहती हैं। उसकी पुरानी परंपराओं वाली जिंदगी अब मंजूर नहीं है। वे धीरे-धीरे आधुनिक बनना चाहती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं।

आज समाज में हो रहे भेदभाव के कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन कष्मय और संकटमय है। ऋता शुक्ल की कहानियाँ जीवन के सभी पहलुओं को अपने में समेटे हुए हैं। उनकी कहानी 'मानुष तन' का पात्र शिशिर जो की जन्म की समय से ही बदसूरत अष्टावक्र के जैसा शरीर है। उनका लेकिन, उसके दिमाग में कोई दोष नहीं है वह पढ़ने लिखने में एकदम सक्षम है। उसे अपनी कुरुपता की सजा कदम-कदम पर भुगतनी पड़ती है। "हमउम्र लड़कों के बीच रहता हूँ तो अपनी इस कुरुपता की सजा मुझे कहाँ-कहाँ किस-किस रूप में भुगतनी पड़ती है यह तुम्हें नहीं मालूम अपनी असहता को सहजता में बदलने के लिए जो लड़ाई मुझे रात-दिन लड़नी पड़ती है। उसमें मेरा साझीदा कोई नहीं, अकेला मैं हूँ... मैं!"[6] उनका पत्र अपने शरीर के बनावट के कारण शादी का आया हुआ रिश्ता भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समाज में अगर किसी गरीब की लड़की है और उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है, इसी कारण अपनी बेटी का विवाह मुझे करना चाहता है लेकिन यह अन्याय वह नहीं कर सकता है। समाज में रह रहे भीष्म पिता को वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य ऋता शुक्ल ने किया है।

'उभयनिष्ठा बनाम उभयनिष्ठा' कहानी की पात्र 'आजी' एक बुजुर्ग महिला है। आजी को गांव से बहुत लगाव है। वह गांव में ही रहना चाहती है और वही अपने समाज में ही मरना चाहती है लेकिन उसके बेटे जो शहर में रहते हैं और चाहते हैं कि गांव की सारी जमीन जायदाद बेचकर हम लोग हमेशा के लिए शहर चले जाएं। आजी कहती हैं, "इस घर की, इस जमीन की हमें कोई जरूरत नहीं। अवधेश और छोटू जैसा चाहें, अपनी मिलकियत का बंटवारा कर ले, हमें कोई उजर नहीं होगा। इस बुढ़ापे में हम गांव छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। हमारे पास हमारा पितृ धन है-बाबूजी मारति बेर हमें अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा दे गए थे। अगर पंचों में से किसी को बुरा नहीं लगे तो हम बरगद के नीचे एक छोटी सी कोठारी डालकर वही रहना...।"[7]

भारतीय समाज में वृद्धों यथार्थ स्थिति का चित्रण ऋता शुक्ल की कहानियों में देखने को मिलता है। उन्होंने परिवार में हो रहे बुजुर्गों के साथ अत्याचार, भेद–भाव, उनकी भावना की कद्र ना करना, सिर्फ पैसों के लिए जमीन–जायदाद के लिए उनका इस्तेमाल करना आदि समाज के इस अंधकारमय हिस्से की तरफ भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। एक बूढी औरत को बेटे और बहू के होते हुए भी उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। गांव वालों के सहारे जीवन बिताना पड़ता है। जिस बुढ़ापे में औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी बुढ़ापे में आजी को अकेलापन का सामना करना पड़ता है। इसी यथार्थ का चित्रण लेखिका ने संवेदनशीलता से किया है।

ऋता शुक्ल समकालीन कथा साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने अपनी कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की दशा–दुर्दशा, भेदभाव, अत्याचार, लूट खसोट, शोषण–उत्पीड़न पर सार्थक हस्तक्षेप किया है। उनकी कहानियों में मध्य वर्ग की विभिन्न समस्याओं का यथार्थपरक और प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से भारतीय समाज की कठोर सच्चाई को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि उनकी रचनाओं में भारतीय समाज अपनी शक्ति और सीमा के साथ वास्तविक रूप में उपस्थित है।

संदर्भ सूचीः

1. समकालीन साहित्य और मूल्य–विमश : डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करणः 2020, पृ.सं.–38,
2. दस प्रतिनिधि कहानियाँ : ऋता शुक्ल, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2015, पृ.सं.–18,
3. कायांतरणः ऋता शुक्ल, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, संस्करण : 2018, पृ.सं.–36,
4. स्त्री–लेखन : के वनजा, अनुज्ञा बुक्स, शाहदरा, दिल्ली, संस्करण : 2023, पृ.सं.–121,
5. दस प्रतिनिधि कहानियाँ : ऋता शुक्ल, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2015, पृ.सं.–66,
6. हंस : सं. संजय सहाय, जुलाई–2024, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं.–20,
7. दस प्रतिनिधि कहानियां : ऋता शुक्ल, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2015, पृ.सं.–164,

महात्मा गांधी का चिंतन और हिंदी भाषा

डॉ० रमेश कुमार
अतिथि शिक्षक, हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

दर्शन, चिंतन, आंदोलन, शिक्षा और समाज-व्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गांधी जी के विचारों की उपस्थिति न रही हो या वो जीवन के अनेक पक्षों से न जुड़ी हो। भारत एक ऐसी पवित्र भावभूमि है जहाँ अनेक महात्माओं, चिंतकों और यायावरी वृत्ति के विचारकों ने जन्म लिया। आधुनिक युग में उनमें से ही महात्मा गांधी के विचारों को सर्वाधिक प्रासंगिकता मिली है। इसीलिए कुछ मुद्दों पर उन्हें विवादों की श्रेणी में रखने के बावजूद आज भी शिक्षा जगत में सर्वप्रमुख स्वीकार्यता मिलने के नाते शाश्वत और प्रासंगिक स्वीकार किया गया है।

जब भी बात भाषा और गांधी जी के संबंधों को जोड़कर शिक्षा की होती हैं, तो गांधी जी का नाम लेते ही मन में एक ऐसे महापुरुष का चित्र उभरता है जिसकी हर क्षेत्र में समावेशी संकल्पना से मातृभाषा, समाज-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण को बल मिला। 20वीं सदी और भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में कुछ मार्के की पुस्तकों का भारत-निर्माण और विचारधारा निर्माण में विशेष बल मिला था। इनमें से ही एक था 'हिन्द स्वराज'। गांधीजी का भाषा संबंधी विचार सबसे पहले 1909 में 'हिंद स्वराज' और 'होमरूल', पत्रिका 'नवजीवन' और 'सत्य के प्रयोग' जैसी कृतियों में देखने को मिलता है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' के माध्यम से भारत की कमजोर और असहाय जनता को भारतीयता, सभ्यता एवं संस्कृति का ऐसा संदेश दिया जो 21वीं सदी के भारत के निर्माण का आधार साबित हुआ। उन्होने इसके माध्यम से भारतीय समाज में भाषा के प्रति प्रेम और शाश्वत उत्सुकता भरने का कार्य किया।

भाषा, साहित्य, संस्कृति कला और राजनीति के विविध पक्षों में गांधीजी के विचार भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शन की भूमिका अदा करते रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान में भी गांधी जी की भाषा-नीति का प्रभाव हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में निर्धारित किए जाने के रूप में प्रलक्षित होता है। उन्होने हिन्दी भाषा के लिए सेवाभाव की दृष्टि से इसे जीवन का लक्ष्य मानते हुए कहा था कि "समाज की हम जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, वह यह कि हमने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के प्रति जो अंधविश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है, उससे स्वयं मुक्त हों और समाज को मुक्त करें।" सेवाभाव का विचार मन में आते ही हमारा ध्यान बुनियादी शिक्षा और मातृभाषाई शिक्षा

पर जाता है। चूंकि व्यक्ति के समग्र विकास और संपर्क का आधार है शिक्षा और वह भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, न कि अंग्रेजी भाषा में।

स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गांधी जी और हिन्दी भाषा का योगदान एक लंबे ऐतिहासिक कालखंड के रूप में दस्तावेजीकृत है। स्वाधीनता आंदोलन में हिन्दी के योगदान को समझने के लिए राजनीतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक महात्मा गांधी गुजरात से होकर भी 1915 से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरे भारत में उपस्थित हुए लेकिन उनकी कार्यशैली की भाषा हिन्दी थी। गांधी जी ने अपनी पत्रिका 'नवजीवन' को गुजराती से अँग्रेजी फिर हिन्दी में निकालना शुरू किया ताकि अपने विचारों को व्यापक और अंतिम जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने हिंदी की स्थिति और शक्ति को स्वराज और स्वशासन के स्वरूपों से जोड़ते हुए एक नई पहचान देकर कहा था कि "हिन्दी भाषा का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।" अर्थात हिंदी भविष्य में एक सर्जक का काम करने वाली भाषा थी जिसे गांधीजी ने जन-मन की भाषा घोषित करते हुए उसे दैनंदिन की भाषा बनाने की वकालत की थी जो तत्कालीन समय की राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जिसे साहित्य में भारतेन्दु युग कहा गया है, वो कवि-वचन-सुधा 1867 और बाल बोधिनी 1876 जैसी महत्वपूर्ण हिन्दी पत्रिकाओं के शुरुआत का दौर था जिससे हिन्दी भाषा, समाज और साहित्य को एक नई दिशा मिलनी शुरू हुई।

प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा ने ऐसे ही युग को 'हिन्दी नवजागरण' की संज्ञा दी थी जोकि प्रासंगिक है। इसी तरह देश के अन्य भागों में हिन्दी के महत्व को देखते हुए केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, दयानन्द सरस्वती जैसे विचारकों ने हिन्दी भाषा में अपना सारा काम प्रारम्भ किया। गांधी जी ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ 11 नवंबर 1917 को बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने भाषण में कहा था कि "मैं कहता आया हूँ कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिन्दी में करें। हमारे बीच हमें अपने कानों में हिन्दी के ही शब्द सुनाई दें, अंग्रेजी के नहीं। इतना ही नहीं, हमारी धारा-सभाओं में जो वाद-विवाद होता है, वह भी हिन्दी में होना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए मैं जीवनभर प्रयत्न करता रहूँगा।" यह प्रयास हिंदी को राष्ट्रीय और हृदय में स्थान प्रदान करने का व्यापक मेहनत का परिणाम था।

गैर-हिन्दी भाषी लोगों में देश के प्रति भक्ति तो थी लेकिन हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम के स्तर क्या था, इसे समझने की जरूरत है। तत्कालीन दौर में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास से थे लेकिन वे अपने जीवन में हिन्दी को महत्व देते थे। इसी तरह राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय मूलतः बंगाली थे लेकिन वे स्वाधीनता आंदोलन में अपने लिए हिन्दी भाषा का उपयोग

करते थे। क्योंकि वे भारत की एकता के लिए भाषाई नब्ज को जानते थे। राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों की क्षेत्रीय बोलियों और लोगों से संपर्क साधने के लिए हिन्दी भाषा को चुनना इस दौर के चिंतकों की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी। कहने का अर्थ यह कि क्षेत्रीय विविधता तो मौजूद थी ही लेकिन राष्ट्र के नवनिर्माण और आजादी के लिए देश के विभिन्न कोनों से प्रत्येक व्यक्ति ने हिन्दी भाषा को अग्रिम भाषा के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। तो यह है हिन्दी की उपलब्धि जिसे नकारा नहीं जा सकता है, जिसका अपना लंबा इतिहास रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन अपनी आत्मा में तमाम देशभक्तों का लहू, दर्द, पीड़ा, आत्मसम्मान और गौरव समेटे हुए है। वास्तव में हिन्दी के समक्ष अन्य कोई भाषा नहीं जिसे बहुसंख्यक आबादी अपने कार्य व्यवहार और जुबान पर रखती हो। गांधीजी और भाषा का संबंध एक-दूसरे का पूरक था। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। हिन्दी भाषा के प्रति उनके प्रेम को समझने के लिए हमें मातृभाषा प्रेम, ग्रामीण परिवेश में भाषा की भूमिका और राजभाषा-राष्ट्रभाषा के प्रति उनके प्रेम को समझना पड़ेगा। इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि "शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए क्योंकि अँग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से बालक को परिचित भाषा की दुरूहता के कारण विचारों की स्पष्टता नहीं होती। बालक मातृभाषा को जन्म से ही वातावरण से सीख लेता है, उस भाषा में अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकता है।"

1915 से गांधीजी का आगमन भारत में होता है जो हिन्दी भाषा और साहित्य की स्थापना और उन्नयन का दौर था। एक ओर वे भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का उद्यम कर रहे थे तो दूसरी ओर वे अंग्रेजों की विभाजक मानसिकता का आंकलन कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की 'फूट डालो राज करो' वाली नीति के विरुद्ध भारत में प्रत्येक व्यक्ति को भाषाई स्तर पर बांधने का प्रयास किया। और इसके लिए सबसे पहले उन्होने मातृभाषा से जोड़ने का कार्य किया। सर्वोदयवादी दर्शन को अपना आधार बनाकर 1938 में अपनी पत्रिका 'हरिजन सेवक' में उनका कहना था कि "हाँ अब मैं जरूर देखता हूँ कि जितना, गणित रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे 4 साल लगे, अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने पढ़ा होता तो उतना मैंने 1 साल में ही सीख लिया होता।" साहित्य के विविध कालखण्डों में विविध साहित्यकारों ने उन्हें उनके हिन्दीप्रेम के नाते विभिन्न नामों से पुकारा। रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी को 'सर्वोदय का दूत' कहा तो शिवमंगल सिंह सुमन ने 'इतिहास में नया मोड़ लाने वाला - शांति प्रेम संबोधि वृक्ष' से संबोधित किया। वहीं प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने गांधी जी की हिन्दी भाषा के बढ़ते आकर्षण को देखकर कहा कि 'पश्चिम के तूफान से पूर्व के मशाल के बुझ जाने का अंदेशा है। मगर गांधी जी ने रोशनी के बारे में बताकर अब हमें आश्वस्त किया है।' इस दौर में गांधी जी की कार्यशैली की भाषा हिन्दी उनकी पूरक बन चुकी थी। देश की सभी भाषाओं के कवियों ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रचेतना से उद्भूत कविताओं में गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकारा और उसे ही अपनी कविताओं में स्थान दिया। बंगाल

के प्रसिद्ध कवि सत्येंद्रनाथ दत्त ने अपनी बांग्ला कविताओं में गांधी जी के विचारों उड़ेला। बंगाल के गुरु रबिन्द्र्नाथ टैगोर ने संपूर्ण भारत में गांधी जी को उनके कार्यों के लिए उन्हें महात्मा कहना शुरू किया। हिन्दी क्षेत्र यानि बिहार से गांधी जी ने हिन्दी भाषी जनसमुदाय को एकत्रित करके अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जिससे संपूर्ण हिन्दी भाषी समाज में एक बड़ा संदेश फैलने लगा। बंगाल के साहित्यकार सत्येंद्र्नाथ दत्त ने अपनी बांग्ला कविता में गांधी जी के बारे में लिखा कि :

शहर के रास्तों पर शोर है,
ध्यान से सुनो, एक तेज लहर
की आवाज, गांधी जी गांधी जी।।

दरअसल गांधी जी का हिन्दी के प्रति इस गहरे झुकाव का कारण था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ रूप देने के लिए अहिंसा मार्ग द्वारा सत्याग्रह को मजबूत आधार बनाना। और इसके लिए उन्होने मध्यकालीन कवियों कबीर, नानक, दादू और तुलसी के चिंतन से अपना स्वस्थ्य वैचारिक मार्ग निकाला जो भारतीय समाज की एकता के लिए प्रेरणा का काम करता था। तमाम राष्ट्रवादी कविताओं के लिए गांधीवादी विचार साहित्य के केंद्र में आ गया। हिन्दी भाषा के साथ-साथ तमिल, तेलगु, बंगाली मलयालम और ओड़िया, गुजरती आदि में गांधी जी कविताओं के केंद्र में आ गए। तमिल कवि रामलिंगम ने बापू पर एक कविता लिखी जो बाद में हिन्दी भाषा में प्रयाण गीत के रूप में प्रयुक्त किया गया :

एक युद्ध बिना शस्त्र के,
बिना रक्त के हुआ है शुरू
आओ उसमें भाग लें ।
वे सब जो सत्य के स्थायित्व में करते हैं विश्वास
आओ उसमें भाग लें।।

वास्तव में गांधी जी हिन्दी भाषा को मातृभाषा से जोड़कर भाषा, साहित्य और व्यक्ति की उन्नति करना ही अपना लक्ष्य समझते थे। वे राष्ट्र के विकास और विनाश के साथ चरित्र-निर्माण के लिए मातृभाषा को सबसे आवश्यक मानते थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, वे राष्ट्र के साथ-साथ व्यक्ति के विकास पर भी उतना ही बल देते थे जितना समाज निर्माण पर। हर व्यक्ति को निर्मित करके उसे राष्ट्र-निर्माण और स्वाधीनता के कार्यों में लगाना ही उनका मुख्य उद्यम बन चुका था। 'यंग इंडिया' में उन्होंने कहा था कि "मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय विद्यार्थियों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है और हमें नकलची बना दिया है, कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता।" इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी शिक्षा पद्धति क्या है। उसकी क्या उन्मुखता है। शिक्षा का

माध्यम और विषय क्या है। ऐसे ही सवाल शिक्षा और समाज के साथ-साथ हमारा भविष्य तय करने की भूमिका निभाते हैं। जब तक शिक्षा की पद्धति, उसके विषय और माध्यम राष्ट्र और जनकेंद्रित नहीं होंगे तब तक न ही लोगों का व्यक्तित्व विकास होगा और न ही राष्ट्र का। गांधी जी ने भाषा के सवाल पर हिन्दी को प्रमुखता देते हुए, उसे राजनीतिक संदर्भों से जोड़ा। इसीलिए गांधी जी ने 15 अगस्त, 1947 को बीबीसी लंदन को दिए गए अपने एक संदेश में कहा था कि "दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।.... करोड़ों लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना उन्हे गुलामी में डालने जैसा होगा।" हिन्दी के प्रति इतना मुखर और उग्र समर्पण गांधी जी के सिवाय किसी में भी देखने को नहीं मिलती।

वे सचेत भारतीय की तरह एक सचेत भाषाप्रेमी भी थे। समय और परिस्थिति को भाँपते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की नीति और मंशा को अपनी उपस्थिति के साथ ही समझ लिया था। भाषा की लड़ाई और मुगलों के शासन से मुक्ति के कुछ वर्षों बाद ही साहित्यकारों ने भारतेन्दु युग नाम से नया अभियान शुरू किया। इस युग में भाषा की लड़ाई मुख्य एजेंडे में थी, बाद में गांधी जी के आगमन से भाषा को मुख्य प्रश्न से जोड़ा गया और जनता की मुक्ति और एकता के लिए इसे अनिवार्य माना गया। बीबीसी को दिये गए अपने वक्तव्य में गांधी जी ने कहा कि "हिन्दी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद है। यह केसे हो, केवल यही विचार करना है। जिस स्थान को आजकल अंग्रेजी भाषा लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है वही स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए क्योंकि हिन्दी का उस पर पूर्ण अधिकार है।"

हिन्दी भाषा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गांधी जी इसी संदर्भ में कहा था कि "जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया है उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो बैठते हैं। हममें से अधिकांश लोगों की यही हालत गई है।" गांधी जी के हिन्दी के प्रति इस प्रेम और समर्पण को देखते हुए दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त और सुभद्रकुमारी चौहान के साथ अकबर इलाहाबादी, सोहनलाल द्विवेदी आदि ने उन्हें हिंदीसेवी के रूप में साहित्य के केंद्र में स्थापित किया सम्मानित किया और राष्ट्रपिता की उपाधि तक पहुंचाया। दिनकर जैसे ओजस्वी कवि ने गांधी जी सर्वाधिक ओजपूर्ण और हिंदी का सर्वाधिक समर्पित कवि घोषित किया :

तू कालोदधि का महास्तंभ
आत्मा के नभ का तुंग केतु,
बापू ! तू मर्त्य-अमर्त्य,
स्वर्ग-पृथ्वी, भू-नभ का महासेतु ।

गांधी जी ने हिंदी को न सिपर्फ भाषा माना बल्कि उसे युगानुरूप संदर्भ प्रदान करके राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। आज गांधी जी का ही हम आभार मानेंगे कि उन्होने हिंदी को भारत की शीर्ष भाषा होने का स्वरूप और कारण प्रदान किया। भारत जैसे बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक और बहुजातीय

देश में विविध समस्याओं से जूझते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी जैसी भाषा को अपनी लड़ाई की मुख्य भाषा बनाया। इसे संपर्क भाषा और अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध स्थापित किया, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़ी चुनौती थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर उन्हें सबसे मुख्य बात यही देखने को मिली कि भारत जैसे देश को सिर्फ हिंदी भाषा के माध्यम से एकसूत्र में पिरोया जा सकता है। हिंदी में ही वह सामर्थ्य है जो राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर संपूर्ण जनता को एकजुट करने में सक्षम हो सकती है। गांधी जी भारत राष्ट्र में प्रथम और अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रांतीय भाषाओं के साथ राष्ट्रभाषा के महत्व, उसके स्थान और मूल्य को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ते हुए राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप में अभियान चलाया। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक पूरे भारत में हिन्दी की जय-जय का गुणगान करवाया। इसीलिए विभिन्न सम्मेलनों में वर्ष 1916, 1918, 1921, 1924, 1928 और 1931, 1937 में उन्होने हिन्दी की हिमायत करते हुए अपने सभी व्याख्यान हिन्दी में दिये थे ताकि राष्ट्र के प्रति उनका भाषा प्रेम और सत्याग्रह दिनोंदिन अग्रसर होता रहे और मजबूत होता रहे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि यदि भारत स्वाधीन होता है और यदि "सरकार और सेक्रेटरिएट सावधान न रहे तो संभव है अँग्रेजी हिंदुस्तानी की जगह ले ले। इससे करोड़ों भारतीय जनता का बेहद नुकसान होगा जो अँग्रेजी समझ नहीं पाएगी।" वास्तव में शासन की बागडोर बदलते ही हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम का स्वरूप दोहरा हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1. भाषा की अस्मिता और हिन्दी का वैश्विक संदर्भ, संपा. रवीन्द्र कालिया, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, 2012।
2. राजभाषा विमर्श, पत्रिका, अंक 2, अप्रैल-जून 2022, आईआईएमसी, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, महात्मा गांधी, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद, 2008।
4. हिन्द स्वराज, महात्मा गांधी, 1909।
5. मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी, 1942।
6. हिन्दी राष्ट्रवाद, आलोक राय, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2022।
7. हिन्दी भाषा का उद्‌गम और विकास, उदय नारायण तिवारी, लोकभारती प्रकाशन, 2016।
8. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी, वाणी प्रकाशन, 2017।
9. राजभाषा भारती, पत्रिका, अंक 140, जुलाई-सितंबर 2014, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार।
10. भाषा पत्रिका, अंक 292, सितंबर-अक्टूबर 2020, केंद्रीय हिन्दी संस्थान नई दिल्ली।

मुंशी प्रेमचन्द की कहानी में नारी जीवन का चित्रण

सविता
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
नागरिक पी0जी0 कालेज, जंघई, जौनपुर

हिन्दी कहानी के विकास क्रम में सन् 1916–36 ई0 तक का समय 'प्रेमचन्द युग' के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेमचन्द ने स्त्री की अस्मिता और सामाजिक स्तर, स्थान के प्रश्न को किसी वर्ग विशेष की स्त्रियों तक सीमित न रखकर समस्त नारी वर्ग के जीवन से जोड़ा है। स्त्री हर वर्ग में उच्च, मध्य या निम्न वर्ग हो अपने अधिकारों व सामाजिक स्तर से वंचित और शोषण का शिकार रही हैं। प्रेमचंद के साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में नारी जीवन को दयनीय स्थिति के साथ–साथ पुरूष के समान महिलाओं का भी वर्णन किया है। इनके साहित्य में नारी संघर्ष और चुनौतियों को भी उजागर किया गया है। बेटा वाली विधवा, अन्तिम शान्ति, स्वामिनी, ठाकुर का कुंआ, बड़े घर की बेटी, जीवन का शाप, दो बहनें, गृह–दाह, सती आदि नारी जीवन पर आधारित प्रमुख कहानियां हैं। घास वाली दलित कहानी जीवन संदर्भो को एक नवीन दृष्टिकोण से देखने और उभारने वाली कहानी है। यह कहानी दलित जाति की एक घास वाली के चरित्र को उसकी समूची ऊर्जा तथा उन्मेष के साथ उद्घाटित करती है। यह कहानी भारतीय तथाकथित भद्र समाज की वैचारिक कलुषिता पर चोट करती है जो दलित अथवा निम्न जाति की स्त्रियों के जीवन पर एकाधिकार समझते थे तथा उसको अपने हाथ का खिलौना समझते थे जो भद्रजनों के चेहरे पर पड़े हुए नीति और नैतिकता के मुखौटे को उघाड़ने का सामर्थ्य रखती है।

मुलिया का अनलंकृत स्वाभाविक रूप सौन्दर्य, उसका आन्तरिक सौन्दर्य, उसकी सोच, उसके विचार, उसके चरित्र तथा आचरण का अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु विशद उद्घाटन प्रेमचन्द ने किया है। मुलिया का एक निर्भीक, दृढ, स्वाभिमानी और साहसी युवती के रूप में चरित्रांकन किया गया है। गांव के ठाकुर परिवार के युवक चौन सिंह के द्वारा किए गये दुर्वव्यवहार को चुपचाप सहने की अपेक्षा वह उसका दृढ़ता से विरोध करती है। वह उसकी अवहेलना करते हुए कहती है कि वह चमारिन है इसके कारण ही उसे छेड़ने की उसकी जुर्रत हुई है ऊँची जाति की किसी औरत को छेड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। ऊँची जाति के लोग कमजोर और बेबस हैं इसी नाते उसकी दृष्टि में उनकी इज्जत और आबरू का कोई महत्व नहीं है, वे तो उसको खेलने के खिलौने मात्र हैं। इसके माध्यम से मुलिया सामाजिक विसंगति, वर्ग–भेद, जाति–भेद तथा सभ्यता के आवरण में छिपी विलासी प्रवृत्ति पर तीक्ष्ण प्रहार करती है। उसमें विरोध करने की शक्ति है तथा विद्रोह करने का साहस। वर्गगत चेतना की चिंगारी के रूप

में प्रेमचन्द ने उसका चित्रांकन किया है। आत्म सम्मान उसका आभूषण है।

समय व साहित्य में परिवर्तन के साथ-साथ स्त्री के जीवन में भी परिवर्तन आता रहा है। कभी उसे पैरों की जूती के समान समझा गया है तो कभी उसे बहुत ऊँचे आसन पर बैठा दिया गया है। कभी उसकी तुलना विष से की गयी है तो कभी पुण्य से। यह साहित्यकारों की अपनी-अपनी दृष्टि रही है कि उन्होंने स्त्री के किस रूप को देखा है और अपने साहित्य में स्थान दिया है। डॉ0 राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'धर्म और समाज' में स्त्री की बहुत प्रशंसा की है, वे कहते हैं कि 'जब आकाश के बादलों में आकाल पड़ जाता है, भविष्य के मार्ग घने वन से होते हैं। जब हम अन्धकार में बिल्कुल अकेले होते हैं प्रकाश की एक किरण भी नहीं दिखाई देती है और सब ओर कठिनाईयां होती हैं तब हम अपने आपको किसी प्रेममयी स्त्री के हाथों में छोड़ देते हैं।'[1] साहित्य समाज का दर्पण होता है और इनके साहित्य में भारतीय समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं की जितनी सटीक और प्रामाणिक जानकारी मिलती है उतनी शायद ही किसी साहित्य में मिले। प्रेमचन्द अपने साहित्य में समाज की मूक जनता के साथ-साथ हासिए पर खड़ी स्त्री समस्याओं की ही बात नहीं करते बल्कि स्त्री मुक्ति की भी बात करते हैं। उनके साहित्य में प्रस्तुत स्त्री छवि को देख ऐसा जान पड़ता है कि 'मानो समाज में मनोवांछित गुणों की वाहक मात्र स्त्री ही है और जो पुरूष मानवीय गुणों से सम्पन्न हैं वे भी स्त्री के प्रभाव में आकर ही मानवीयता से सम्पन्न हुए हैं।'[2] प्रेमचन्द ने नारी को प्रेम शक्ति का विकास माना है। इन्होंने स्त्री के विकास में विवाह को बंधन मानते हैं वे कहते हैं कि 'सत्री का जीवन विवाह के बाद बदल जाता है, वैवाहिक असंगतियां समाज में अनेक विकृतियों को पनपने का अवसर देती हैं इसलिए उन्होंने स्त्री की वैवाहिक समस्याओं से सम्बन्धित अनेक कहानियां लिखी है। धर्म संकट, सौत, भूल, स्वर्ग की देवी, नया विवाह, सुहाग का शव, मिस पद्मा इत्यादि।'[3] प्रेमचन्द ने स्त्री वर्ग की जिन समस्याओं पर प्रकाश डाला है वे अधिकांशतः मध्यम वर्ग की नारियों की अपनी ही समस्यायें हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मध्यम वर्ग की दुविधा भरी परिस्थिति का चित्रण किया है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वह बौद्धिक विकास की दृष्टि से उच्च वर्ग के तुल्य होता है, किन्तु आर्थिक आभाव के कारण उसका जीवन विकसित नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कितने ही माता-पिता दहेज की चिन्ता में घुट-घुटकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते है। कोई-कोई सन्यास ग्रहण कर लेता है, तो कोई कन्या को बूढ़े के गले मढ़कर अपना गला छुड़ा लेता है। प्रेमचन्द युग में मध्यम वर्ग की आर्थिक दशा सोचनीय थी। धनाभाव के कारण "भूत" की नायिका खिन्नी के माँ-बाप उसका विवाह सीतानाथ जैसे 50 वर्षीय बूढ़े के साथ करने को तैयार हो जाते हैं और "उदार" कहानी में माँ-बाप लड़की की मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं। एक आंच की कसर में प्रेमचन्द ने 'उन समाज सुधारकों की पोल खोली है जो चोरी छिपे दहेज लेते थे और माल भी चुपके-चुपके उड़ाते थे और यश भी कमाते थे। यह व्यवहार

कुशल सुधारक एक न एक ऐसा बहाना निकाल लेते हैं कि कन्या का पिता निरूत्तर हो जाता है और कहता है कि साहब हमें तो दहेज से सख्त नफरत है यह मेरे सिद्धान्त के विरूद्ध है पर क्या करूँ? बच्चे की अम्मीजान नहीं मानती। इन्होंने दहेज समस्या को ही अनमेल विवाह का प्रमुख कारण माना है।'[4] कफन में दो तथ्य महत्वपूर्ण है एक ग्रामीण परिवेश का जीवन्त और घटनापूर्ण चित्र तथा दूसरा है आर्थिक शोषण की पृष्ठभूमि। पहला कथा के आरम्भ में ही स्पष्ट है 'झोपड़े के द्वार पर बाप-बेटे दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अन्दर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। वस्तुतः प्रेमचन्द ने सामाजिक वास्तविकता को घीसू के इस कथन के माध्यम से फलीभूत कर दिया है। 'कफन' लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है। कुछ बहू के साथ तो न जाता और दोनों बाप-बेटे कफन बेचकर दारू पी रहे हैं और आलू खा रहे हैं।'[5] यह हमारी उस शोषण व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है जो अपने चरम रूप में पहुँच गयी है। निम्न वर्ग इतना क्षुधातुर हो गया है कि वह कुछ भी करने को तैयार है और उसकी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। स्त्री की दयनीय दशा के पीछे यदि कोई कारण जिम्मेदार है तो वह है भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इस समाज की सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि एक ओर तो वह 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' कहकर उसे जगत जननी, देवी, लक्ष्मी, माता, सरस्वती आदि अनेक रूपों में उसकी वन्दना एवं उपासना करता है तो दूसरी तरफ उसी स्त्री को पीड़ित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। सदियों से स्त्री के साथ ऐसा दोगला व्यवहार होता आया है। वह सदा के लिए एक उपेक्षिता बनकर ही रह गयी। घर परिवार तथा समाज में उसका स्थान हमेशा दूसरे दर्जे का ही रहा है। समाज में स्त्री की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया। कथित पुरूष सत्तात्मक व्यवस्था में उसे दबोच कर रखा था। ऐसे में प्रेमचन्द ऐसी शोषित निराधार, दुःखी, पीड़ित, लाचार तथा मजबूर स्त्री जाति के वकील बनकर प्रस्तुत होते हैं। प्रेमचन्द के चले जाने के इतने वर्षो के बाद भी नारियों की स्थिति में जो परिवर्तन आना चाहिए वह नहीं आया। युग बदल गया, युगीन परिस्थितियां भी बदल गयी लेकिन स्त्री की दशा अब भी वैसी की वैसी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि शोषण करने का तरीका बदल गया है, किन्तु शोषण तो अब भी जारी ही है। आज भी औरतें हर जगह अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि यह अपने जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित हो रही है। वर्तमान समय में जो 'बेटी बचाओ' आन्दोलन इतने जोर-शोर से चल रहा है वह यही सूचित करता है कि आज उसके जन्म लेने से पहले ही उसे मार दिया जाता है।

डॉ0 श्रीपति शर्मा प्रेमचन्द की कहानियों के निम्नलिखित संग्रहों की तालिका देते हैं - सप्त-सरोज, नव-निधि, प्रेम-पचीसी, प्रेम-पूर्णिमा, प्रेम-द्वादशी, प्रेम-तीर्थ, प्रेम-पीयूष, प्रेम-कुंज, प्रेम-चतुर्थी, पंचप्रसून, सप्त-सुमन, कफन, मानसरोवर भाग-1, मानसरोवर भाग-2, मानसरोवर भाग-3, मानसरोवर भाग-4, मानसरोवर भाग-5, प्रेम-प्रतिभा, प्रेरणा, प्रेम-प्रमोद, प्रेम-सरोवर, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी,

अग्नि समाधि, प्रेम-पंचमी, प्रेम-गंगा।[6] प्रेमचन्द ने जैनेन्द्र जी से एक बार कहा था, 'कहानी हृदय की वस्तु है, नियम की वस्तु नहीं है, नियम है और वे उपयोगी होने के लिए है, हृदय के दान में जब वे अनुपयोगी हो जाय तो उन्हें तोड़ देना चाहिए', इसलिए उनकी कहानियों का गठन एक सा नहीं है। विष्णु प्रभाकर की मान्यता है कि 'भले ही आज की कहानी आकाश में कितनी ऊपर उठ गयी है परन्तु उसकी नींव उसी प्रेमचन्द की भूमि पर है क्योंकि प्रेमचन्द ने मनोविज्ञान का जो रूप अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है वही बहुत कुछ आगामी कहानीकारों का भी आदर्श रहा। आज के लेखकों की मनोवैज्ञानिक कहानियां तो प्रगति के नाम पर मनोविज्ञान का लक्षण ग्रन्थ बनी जा रही हैं। प्रेमचन्द ने पहली बार हिन्दी कहानी का सम्बन्ध हरखू किसान, बुद्धू गड़रिया, बूढ़ी काकी, विश्वम्भर जैसे सत्याग्रही और रूप मणि जैसी देहाती महिलाओं के साथ जोड़ा। ये कहानियां ऐतिहासिक रोमैंटिसिज्म के चक्रव्यूह से बाहर निकल सामाजिक प्रगतिशीलता के मार्ग पर अग्रसर हुई।

समग्रत: प्रेमचन्द महान साहित्यकार थे, उनकी महानता कथावस्तु के संगठन में ही नहीं पात्रों के चयन में भी दर्शित होती है। उनके पात्र चाहे पुरूष हो या नारियां, जीवन्त है। वे हमारे सुख-दु:ख के निकट हैं। प्रेमचन्द के नारी पात्र किसी एक वर्ग से न होकर सभी वर्गों से चुने गये हैं। पात्रों की यह विविधता कहानियों के यथार्थ के निकट पहुंचाती है। प्रेमचन्द ने करूणा, गोपा आदि को आदर्श माताओं के रूप में चित्रित किया है तो सुभागी को साहसिक, स्वावलम्बिनी कन्या के रूप में उनकी गंगी निम्न कुल की स्त्री है जो जाति व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करती है। उनकी मुलिया निम्न वर्ग की स्त्रियों को अपनी वासना का खिलौना बनाने वाले उच्च वर्ग की दाम्भिकता का उपहास करती है। इसी प्रकार प्रेमचन्द के नारी पात्रों में वैविध्य है और चरित्रगत पहलुओं की विशेषतायें हैं। प्रेमचन्द के नारी पात्र व्यष्टि होते हुए भी समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अधिकांश नारी पात्र ग्राम जीवन, ग्राम सभ्यता और ग्राम संस्कृति से संबंधित हैं। उनके नारी पात्र गांव की सोंधी मिट्टी के शाश्वत गुणों से सर्जित है। अत: वे निम्न तथा निम्न मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगरीय, उच्च वर्गीय नारी पात्रों का भी चित्रण किया है जैसे – हार की जीत, लज्जावती, सती, चिता आदि। नारी के प्रति प्रेमचन्द्र का दृष्टिकोण सर्वथा भारतीय रहा है। उनके मन में नारी के प्रति एक सहज मर्यादा का भाव है। उनकी कहानियों में कुछ नारी पात्र परम्परा बद्ध कुछ आदर्शवादी भी है। नारी समस्याओं को उद्‌घाटित कर उन्होंने समाज को सचेत किया है, कहानीकार के रूप में प्रेमचन्द की विशेषता यह है उन्होंने नारी के अंतरंग को पहचाना, उनकी दृष्टि में पैनापन था जिसके कारण उन्होंने नारी जीवन तथा उनकी समस्याओं की गहराईयों में जाकर उनका उद्‌घाटन किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ0 राधाकृष्णन, धर्म समाज, पृ0 163।

2. मानसरोवर भाग–3, पृ0 99।
3. प्रेमचन्द का नारीवाद लेख, प्रियंका कुमारी गाँव कनेक्शन वेबसाइट, पृ0 13
4. सहचर, त्रैमासिक ई–पत्रिका, पृ0 54।
5. मुंशी प्रेमचन्दः कफन, पृ0 3।
6. शर्मा, श्रीपतिः कहानी कला और प्रेमचन्द, नन्द किशोर एण्ड सन्स, वाराणसी, 1940, पृ0 44।
7. गुर्टू शचिरानी (सं0) प्रेमचन्द व्यक्तित्व एवं कृतित्व, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1955, पृ0 235

पूर्वी दर्शन का पश्चिमी विचारों पर प्रभावः एक तुलनात्मक अध्ययन

संगम भारती
शोधार्थी
दर्शनशास्त्र विभाग
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार

सारांश

यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे पूर्वी दर्शन, जैसे कि भारतीय, बौद्ध और ताओवाद, ने पश्चिमी विचारों और दर्शन पर प्रभाव डाला है। इसमें प्रारंभिक संपर्क के इतिहास से लेकर, पश्चिमी दार्शनिकों पर पूर्वी विचारों के प्रभाव, और आधुनिक पश्चिमी समाज में इन विचारों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में दोनों दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं की तुलना की गई है और यह दिखाया गया है कि पूर्वी और पश्चिमी विचारों के बीच केसे एक आदान-प्रदान हुआ, जिससे नए विचारों का विकास हुआ। साथ ही, यह भी जांच की गई है कि वर्तमान समय में इन विचारों का केसे संगम हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वी दर्शन ने पश्चिमी विचारों को समृद्ध किया है, और दोनों के बीच का यह संवाद आज भी जारी है, जो वैश्विक संस्कृति और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के इतिहास में दर्शन का विशेष महत्व रहा है, जिसने विचारों, संस्कृतियों और समाजों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, दोनों ही अपने-अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में विकसित हुए हैं, लेकिन उनके बीच एक गहरा संवाद भी रहा है। पूर्वी दर्शन, जिसमें भारतीय, बौद्ध, और ताओवाद जैसे दर्शन शामिल हैं, ने न केवल अपने समाजों को आकार दिया, बल्कि पश्चिमी विचारधारा को भी प्रभावित किया है।

यह अध्ययन 'पूर्वी दर्शन का पश्चिमी विचारों पर प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन' के माध्यम से इस संवाद और प्रभाव की गहराई से पड़ताल करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि केसे पूर्वी दर्शन के सिद्धांतों और विचारों ने पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया और किस प्रकार दोनों ने एक दूसरे से सीखते हुए वैश्विक विचारधारा के निर्माण में योगदान दिया है।

यह तुलनात्मक अध्ययन न केवल दर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि केसे विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के आदान-प्रदान ने मानवता की सामूहिक समझ को समृद्ध किया है। यह प्रस्तावना इस दिशा में एक कदम है, जिसमें हम पूर्व और पश्चिम के विचारों के बीच के इस बहुमूल्य संवाद को समझने और सराहने का प्रयास करेंगे।

1. प्राचीन ग्रीक दर्शन और पूर्वी विचारधाराएँ

प्राचीन ग्रीक दर्शन और पूर्वी विचारधाराएँ दोनों ही मानव अस्तित्व, ज्ञान, और ब्रह्मांड के मूलभूत सवालों पर गहराई से विचार करती हैं। ग्रीक दार्शनिकों जैसे हेराक्लिटस और प्लेटो के विचार और पूर्वी दार्शनिकता जैसे ताओवाद और उपनिषदों के सिद्धांतों के बीच समानताएँ और भिन्नताएँ हैं। इस खंड में, हेराक्लिटस और ताओवाद, तथा प्लेटो के विचार और उपनिषदों के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी।

हेराक्लिटस और ताओवाद

हेराक्लिटस (Heraclitus):

हेराक्लिटस एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका प्रसिद्ध सिद्धांत था कि 'सब कुछ प्रवाह में है' (पैंτα री). उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है और कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। हेराक्लिटस का मानना था कि बदलाव और संघर्ष ब्रह्मांड के मूलभूत तत्व हैं और यह कि हर चीज एक विरोधाभासी स्थिति में रहती है। उनके अनुसार, ब्रह्मांड की प्रक्रिया और परिवर्तन अनिवार्य हैं और इसके माध्यम से सच्ची समझ प्राप्त की जा सकती है।

ताओवाद (Taoism):

ताओवाद एक प्राचीन चीनी दार्शनिकता है, जो ताओ (道) की अवधारणा पर आधारित है। ताओ को विश्व की मूलभूत शक्ति और प्राकृतिक प्रवाह के रूप में देखा जाता है। ताओवाद का मुख्य

सिद्धांत यह है कि जीवन का उद्देश्य ताओ के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। ताओवाद में, जीवन और ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक और निरंतर प्रवाह के रूप में समझा जाता है, जहां परिवर्तन और प्रवाह स्वाभाविक और आवश्यक हैं।

समानताएँ और अंतरः

1. **समानताएँः** हेराक्लिटस और ताओवाद दोनों ही निरंतर परिवर्तन और प्रवाह की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। हेराक्लिटस का विचार कि 'सब कुछ प्रवाह में है' और ताओवाद का सिद्धांत कि ताओ के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, दोनों ही जीवन के स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय प्रवाह को स्वीकार करते हैं।
2. **अंतरः** हेराक्लिटस के दृष्टिकोण में परिवर्तन और संघर्ष को ब्रह्मांड का मूलभूत हिस्सा माना जाता है, जबकि ताओवाद में ताओ के सिद्धांत के अनुसार जीवन और ब्रह्मांड का प्रवाह स्वाभाविक और सहज होता है। ताओवाद में श्वू वेईश (अक्रिया) के माध्यम से परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जबकि हेराक्लिटस के दृष्टिकोण में परिवर्तन और संघर्ष को एक अनिवार्य तत्व के रूप में देखा जाता है।

प्लेटो के विचार और उपनिषदों का प्रभाव

प्लेटो (Plato):

प्लेटो एक प्रमुख ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने विचारों में वास्तविकता, ज्ञान, और आदर्श रूपों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके 'आदर्श रूप' (Theory of Forms) के अनुसार, इस भौतिक दुनिया में जो वस्तुएँ और अनुभव हमें दिखाई देते हैं, वे केवल आदर्श रूपों के अंश हैं। प्लेटो का मानना था कि केवल आदर्श रूपों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इसे समझने के लिए व्यक्ति को भौतिक संसार से परे जाकर ज्ञान की खोज करनी चाहिए।

उपनिषद (Upanishads):

उपनिषद भारतीय दार्शनिकता की महत्वपूर्ण शाखा हैं, जो वेदों के अंतिम भाग हैं। वे आत्मा (आत्मा) और ब्रह्म (सर्वोच्च चेतना) के एकत्व की अवधारणा पर आधारित हैं। उपनिषदों में यह सिखाया जाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, और सच्चा ज्ञान आत्मा की प्रकृति और ब्रह्म के

साथ एकत्व की प्राप्ति में निहित है। उपनिषदों में ध्यान, साधना, और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के अद्वैत को समझने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

समानताएँ और अंतर:

1. **समानताएँ:** प्लेटो के आदर्श रूपों की अवधारणा और उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की अवधारणा दोनों ही यह मानती हैं कि भौतिक संसार केवल सतही है और सच्चा ज्ञान इसके परे छिपा हुआ है। प्लेटो और उपनिषद दोनों ही ध्यान और साधना के माध्यम से सच्चे ज्ञान की खोज पर जोर देते हैं।
2. **अंतर:** प्लेटो के आदर्श रूपों की अवधारणा और उपनिषदों के अद्वैत वेदांत के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि प्लेटो का दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत और दार्शनिक है, जबकि उपनिषदों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और साधना पर आधारित है। प्लेटो ने आदर्श रूपों को ज्ञान की ओर ले जाने वाले एक दार्शनिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की अनुभूति को आध्यात्मिक साधना के माध्यम से प्राप्त करने पर जोर दिया।

2. बौद्ध दर्शन और पश्चिमी अस्तित्ववाद:

बौद्ध दर्शन और पश्चिमी अस्तित्ववाद दोनों ही जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बौद्ध दर्शन जीवन के दुख, शून्यता, और करुणा पर केंद्रित है, जबकि पश्चिमी अस्तित्ववाद अस्तित्व, स्वतंत्रता, और अर्थहीनता पर विचार करता है। हालांकि दोनों दर्शन अलग-अलग सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वे कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं में समानताएं साझा करते हैं।

शून्यता और सार्त्र का अस्तित्ववाद:

शून्यता (Sunyata):

बौद्ध दर्शन में शून्यता या 'शून्यता' (Sunyata) की अवधारणा महत्वपूर्ण है। शून्यता का अर्थ है कि सभी चीजें स्वभाव से शून्य या निर्भर उत्पत्ति पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। इस दृष्टिकोण से, बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि सभी घटनाएँ और वस्तुएँ अस्थायी और परस्पर निर्भर होती हैं। शून्यता को समझना और अनुभव

करना व्यक्ति को मुक्ति या निर्वाण की ओर ले जाता है, क्योंकि यह ज्ञान जीवन के अज्ञान और भ्रम को दूर करता है।

सार्त्र का अस्तित्ववादः

जीन-पॉल सार्त्र (Jean &Paul Sartre) पश्चिमी अस्तित्ववाद के प्रमुख दार्शनिकों में से एक थे। उनके अस्तित्ववाद के केंद्र में 'अस्तित्व पूर्ववर्ती है' (Eñistence precedes essence) का विचार है। सार्त्र के अनुसार, मानव का कोई पूर्वनिर्धारित सार या स्वभाव नहीं होता; बल्कि व्यक्ति अपने कार्यों और चुनावों के माध्यम से अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है। सार्त्र के अस्तित्ववाद में, दुनिया और जीवन की कोई पूर्वनिर्धारित अर्थ या उद्देश्य नहीं है; यह अर्थ मनुष्य द्वारा ही निर्मित होता है। सार्त्र के लिए, यह स्वतंत्रता और अर्थहीनता की स्थिति चिंता (Anguish) का कारण बनती है, लेकिन यह भी एक अवसर है आत्मनिर्माण का।

समानताएँ और अंतरः

बौद्ध शून्यता और सार्त्र के अस्तित्ववाद दोनों ही किसी निश्चित और स्थायी सार की अनुपस्थिति पर जोर देते हैं। दोनों ही दर्शन इस बात को मानते हैं कि दुनिया में कोई स्थायी सार नहीं है और जीवन की स्थिति अस्थायी और परिवर्तनशील है। लेकिन अंतर यह है कि बौद्ध शून्यता व्यक्ति को आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है, जबकि सार्त्र का अस्तित्ववाद व्यक्ति को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बोझ की ओर धकेलता है, जहां उसे अपने अर्थ और अस्तित्व को खुद ही बनाना पड़ता है। बौद्ध धर्म में शून्यता मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है, जबकि सार्त्र के लिए अस्तित्ववादी स्थिति में इंसान को अपनी स्वयं की पहचान और उद्देश्य निर्मित करना पड़ता है।

करुणा और पश्चिमी नैतिकताः

करुणा (Karuna):

बौद्ध धर्म में करुणा या 'करुणा' (Karuna) एक केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के अनुसार, करुणा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, और सहायता की भावना है। यह उन सभी को दुख से मुक्त करने की इच्छा है। बौद्ध साधना में, करुणा का विकास व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की ओर ले जाता है, बल्कि यह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित होने का मार्ग भी प्रशस्त करता

है। करुणा का अभ्यास बोधिसत्व मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां साधक अपनी मुक्ति को स्थगित करके दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करता है।

पश्चिमी नैतिकताः

पश्चिमी नैतिकता का विकास मुख्य रूप से ईसाई धर्म, ग्रीक दर्शन, और आधुनिक नैतिक दार्शनिकों के विचारों पर आधारित है। पश्चिमी नैतिकता में करुणा, दया, और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण का सम्मान करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, इमैनुएल कांट की नैतिकता में 'व्यक्तियों को साध्य के रूप में उपयोग करना' का सिद्धांत, और जॉन स्टुअर्ट मिल की 'यूटिलिटेरियन' नैतिकता, जिसमें अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख का विचार है, करुणा और दूसरों के कल्याण को महत्व देते हैं।

समानताएँ और अंतरः

बौद्ध धर्म की करुणा और पश्चिमी नैतिकता के बीच समानता यह है कि दोनों ही अन्य प्राणियों के प्रति दया और उनके कल्याण की चिंता पर जोर देते हैं। दोनों नैतिक प्रणालियों में यह विचार निहित है कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना और उनके दुःख को कम करना नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

फिर भी, अंतर यह है कि बौद्ध करुणा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास से संबंधित है, जहां साधक अपने अहंकार को समाप्त करने और सभी प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत, पश्चिमी नैतिकता अधिकतर सामाजिक और कानूनी ढांचे में व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। पश्चिमी नैतिकता में करुणा को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, जो समाज में न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, बौद्ध दर्शन और पश्चिमी अस्तित्ववाद, दोनों ही अलग-अलग दृष्टिकोण से जीवन के अर्थ, नैतिकता और अस्तित्व के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोनों में समानताएँ भी हैं और महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी, जो हमें उनके मूल दार्शनिक ढांचे को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती हैं।

3. वेदांत और आधुनिक पश्चिमी विचारः

वेदांत और आधुनिक पश्चिमी विचार, दोनों ही दर्शन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो मानव जीवन, आत्मा,

और ब्रह्मांड के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। अद्वैत वेदांत, जो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, और आधुनिक पश्चिमी दार्शनिकों, जैसे हेगेल और कांत, के विचारों में कई समानताएँ और भिन्नताएँ पाई जाती हैं।

अद्वैत वेदांत और हेगेल का दर्शनः

अद्वैत वेदांत (Advaita Vedanta):

अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका प्रमुख विचारक आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्म (सर्वोच्च चेतना) और आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा) एक ही हैं। यह दर्शन कहता है कि संसार माया (भ्रम) से निर्मित है और केवल ब्रह्म ही वास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म के इस एकत्व की अनुभूति करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है, जो संसार के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार, ज्ञान और आत्मा का एकत्व ही वास्तविकता की अनुभूति है।

हेगेल का दर्शन (Hegelian Philosophy):

जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल (G-W-F- Hegel) जर्मन आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक थे। हेगेल का दर्शन 'संपूर्णता' और 'विकासात्मकता' पर आधारित है। उनका मानना था कि इतिहास और ब्रह्मांड एक तर्कसंगत प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जिसे वह 'डायलेक्टिक प्रक्रिया' कहते हैं। इस प्रक्रिया में, एक थीसिस (सिद्धांत) का विरोध (एंटीथीसिस) होता है, जिससे एक उच्चतर सत्य (सिंथेसिस) उत्पन्न होता है। हेगेल के अनुसार, अंतिम सत्य या 'संपूर्णता' वह स्थिति है जिसमें आत्मा और तर्क का पूर्ण एकत्व होता है। इस दृष्टिकोण से, हेगेल के दर्शन में भी आत्मा और ब्रह्मांड के एकत्व का विचार निहित है, जो अद्वैत वेदांत के विचार से कुछ हद तक मेल खाता है।

समानताएँ और अंतरः

1. **एकत्व की अवधारणाः** अद्वैत वेदांत और हेगेल के दर्शन दोनों ही 'एकत्व' की अवधारणा पर जोर देते हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म का एकत्व और हेगेल के दर्शन में आत्मा और तर्क का एकत्व, दोनों ही दर्शन ब्रह्मांडीय सत्य की एकता की ओर इशारा करते हैं।

2. **विकासात्मक दृष्टिकोणः** हेगेल का दर्शन एक विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, जहां विचार

और तर्क की प्रक्रिया समय के साथ उच्चतर स्तर पर पहुंचती है। अद्वैत वेदांत में, यह विकासात्मकता इस रूप में प्रकट होती है कि आत्मा माया (भ्रम) से ज्ञान की ओर बढ़ती है, जब तक कि वह ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति न कर ले।

3. **भिन्न दृष्टिकोण:** जबकि अद्वैत वेदांत एक स्थिर सत्य की बात करता है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा का एकत्व अपरिवर्तनीय है, हेगेल का दर्शन इस बात पर जोर देता है कि सत्य एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। अद्वैत वेदांत में माया को वास्तविकता का एक मिथ्या स्वरूप माना जाता है, जबकि हेगेल इस प्रक्रिया को एक तर्कसंगत विकास के रूप में देखता है।

आत्मा और कांत का दृष्टिकोण:

आत्मा (Atman) का वेदांतिक दृष्टिकोण:

वेदांत, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, आत्मा (आत्मा) को ब्रह्म के साथ एक ही मानता है। आत्मा को शाश्वत, अजर-अमर, और अभेद्य माना गया है, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व ही सत्य और वास्तविकता है, और यह शरीर, मन, और बुद्धि से परे है। वेदांतिक दृष्टिकोण के अनुसार, आत्मा का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म के साथ पुनर्मिलन करना है, जो ज्ञान और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है।

कांत का दृष्टिकोण (Kant's Perspective):

इमैनुएल कांत (Immanuel Kant) आधुनिक पश्चिमी दर्शन के एक प्रमुख दार्शनिक थे। कांत का दृष्टिकोण 'आत्मा' के बारे में अद्वैत वेदांत से काफी भिन्न है। कांत ने 'आत्मा' को एक 'स्वायत्त' और 'स्वतंत्र' नैतिक एजेंसी के रूप में देखा, जो नैतिक कानून का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। कांत के अनुसार, आत्मा का अस्तित्व वस्तुगत अनुभव से परे है और इसे किसी भी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने आत्मा को 'अज्ञेय' माना, जिसका अर्थ है कि हम इसे तर्कसंगत तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन इसे नैतिक आवश्यकताओं के संदर्भ में स्वीकार कर सकते हैं। कांत का मानना था कि आत्मा की अमरता एक नैतिक आवश्यकता है, क्योंकि यह नैतिकता के उच्चतर सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

समानताएँ और अंतर:

1. **आत्मा की अमरता:** दोनों दृष्टिकोण आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे इसे अलग-अलग तरीकों से समझते हैं। वेदांत में आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना गया है, जबकि कांत ने आत्मा की अमरता को नैतिकता के संदर्भ में आवश्यक बताया।

2. **आत्मा की प्रकृति:** वेदांत आत्मा को ब्रह्म के साथ एकात्मक मानता है, जो सर्वव्यापी और सर्वोच्च चेतना है। दूसरी ओर, कांत आत्मा को एक नैतिक एजेंसी के रूप में देखते हैं, जो स्वतंत्र और स्वायत्त है, लेकिन अज्ञेय है।

3. **ज्ञान और तर्क:** वेदांत में आत्मा की अनुभूति का ज्ञान महत्वपूर्ण है, जबकि कांत आत्मा को तर्कसंगतता से परे मानते हैं और इसे नैतिकता के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। कांत का दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत और अनुभववाद से संबंधित है, जबकि वेदांत का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और रहस्यमय है।

4. ताओवाद और पश्चिमी प्रकृतिवाद:

ताओवाद और पश्चिमी प्रकृतिवाद दोनों ही प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों पर गहराई से विचार करते हैं। ताओवाद, जो प्राचीन चीनी दर्शन की एक शाखा है, और पश्चिमी प्रकृतिवाद, जो आधुनिक पश्चिमी दर्शन का हिस्सा है, में प्रकृति और मानव अस्तित्व को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इस खंड में, ताओवाद के ताओ के सिद्धांत और स्पिनोजा के दर्शन के बीच तुलना की जाएगी, साथ ही प्रकृति के साथ मानव संबंध पर उनके विचारों की भी चर्चा होगी।

ताओ का सिद्धांत और स्पिनोजा का दर्शन:

ताओ का सिद्धांत (Taoism):

ताओवाद की बुनियादी अवधारणा ताओ (道) है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'मार्ग' या 'पथ'। ताओवाद में ताओ को विश्व की मूलभूत शक्ति माना गया है, जो सभी चीजों को नियंत्रित और संतुलित करता है। ताओ किसी निश्चित दिशा या उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि यह स्वत: प्रवाहित होता है। ताओवाद के अनुसार, जीवन का लक्ष्य ताओ के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, जो सरलता, स्वाभाविकता, और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ताओवाद में ताओ को अदृश्य, अवर्णनीय, और अप्रत्यक्ष शक्ति के रूप में समझा जाता है, जो सभी चीजों की उत्पत्ति और जीवन का आधार है।

स्पिनोजा का दर्शन (Spinoza's Philosophy):

बारूख स्पिनोजा (Baruch Spinoza) एक प्रमुख पश्चिमी दार्शनिक थे, जिन्होंने 'पेंटेइस्टिक' दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। स्पिनोजा ने तर्क दिया कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं, और यह कि सब कुछ, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। उनका दर्शन यह मानता है कि प्रकृति स्वयं में स्वायत्त और असीमित है, और इसका अध्ययन तर्कसंगतता और गणितीय सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है। स्पिनोजा के अनुसार, प्रकृति के नियम अटल और सार्वभौमिक हैं, और मनुष्य को इन नियमों के अनुसार जीना चाहिए। उनका मानना था कि सत्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता के माध्यम से, मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।

समानताएँ और अंतर:

1. **समानताएँ:** ताओवाद के ताओ और स्पिनोजा के 'देवता-प्रकृति' के विचार में एक समानता यह है कि दोनों ही दर्शन एक सार्वभौमिक शक्ति को मान्यता देते हैं, जो सभी चीजों को संचालित करती है। ताओवाद में ताओ और स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर-प्रकृति, दोनों ही जीवन और ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं।
2. **अंतर:** ताओवाद में ताओ को रहस्यमय और अप्रत्यक्ष माना गया है, जो शब्दों और तर्कसंगतता से परे है, जबकि स्पिनोजा का दर्शन प्रकृति को तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। स्पिनोजा का दृष्टिकोण ताओवाद के अनौपचारिक और सहज दृष्टिकोण के विपरीत, अधिक औपचारिक और गणितीय है।

प्रकृति के साथ मानव संबंध पर विचार:

ताओवाद में मानव-प्रकृति संबंध:

ताओवाद में मानव और प्रकृति के बीच का संबंध सामंजस्य और संतुलन पर आधारित है। ताओवाद सिखाता है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और अपने जीवन को ताओ के अनुसार जीना चाहिए। ताओवाद के अनुसार, जब मनुष्य प्रकृति के साथ मेलजोल में रहता है, तो उसे शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। ताओवाद का यह सिद्धांत 'वू वेई' (無爲) या 'अक्रिया' के विचार में भी परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह के साथ बहते हुए, बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के, जीवन जीना चाहिए।

पश्चिमी प्रकृतिवाद में मानव-प्रकृति संबंधः

पश्चिमी प्रकृतिवाद, विशेष रूप से आधुनिक काल में, प्रकृति को वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान और नैतिकता के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रकृतिवाद के अनुसार, मनुष्य को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और इसके संतुलन को बनाए रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की आधुनिक विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है।

समानताएँ और अंतरः

1. **समानताएँः** ताओवाद और पश्चिमी प्रकृतिवाद दोनों ही मानते हैं कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे संतुलन और सामंजस्य के साथ जीना चाहिए। दोनों दर्शन इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए।
2. **अंतरः** ताओवाद का दृष्टिकोण प्रकृति के साथ एक सहज और सरल सामंजस्य स्थापित करने का है, जहां ष्वू वेईष के माध्यम से जीवन जिया जाता है। इसके विपरीत, पश्चिमी प्रकृतिवाद प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और उसे मानव कल्याण के संदर्भ में सुधारने का प्रयास करता है। ताओवाद में मानव-प्रकृति संबंध आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि पश्चिमी प्रकृतिवाद अधिक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है।

5. भारतीय दर्शन और ट्रान्सेंडेन्टलिज्मः

भारतीय दर्शन और ट्रान्सेंडेन्टलिज्म दोनों ही आत्मा, ज्ञान, और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत, और ट्रान्सेंडेन्टलिज्म, जो एक प्रमुख पश्चिमी दार्शनिक आंदोलन है, में कई समानताएँ और भिन्नताएँ हैं। इस खंड में, वेदांत का इमर्सन और थोरौ पर प्रभाव और आत्म-चिंतन और आत्मज्ञान पर विचार किया जाएगा।

वेदांत का इमर्सन और थोरौ पर प्रभावः

वेदांत (Vedanta):

वेदांत भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है। वेदांत का मुख्य विचार यह है कि आत्मा (आत्मा) और ब्रह्म (सर्वोच्च चेतना) एक ही हैं। वेदांत सिखाता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति है, जो केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से संभव है। वेदांत का यह विचार मानव जीवन को आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, और यह बताता है कि सभी जीवन के अनुभव केवल माया (भ्रम) हैं।

इमर्सन और थोरौ (Emerson and Thoreau):

राल्फ वाल्डो इमर्सन (Ralph Waldo Emerson) और हेनरी डेविड थोरौ (Henry David Thoreau) ट्रान्सेंडेन्टलिज्म के प्रमुख दार्शनिक थे। इमर्सन और थोरौ ने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग, से गहरे प्रभाव को स्वीकार किया।

- **इमर्सन** (Emerson): इमर्सन ने वेदांत के सिद्धांतों को अपने दार्शनिक विचारों में अपनाया। उन्होंने आत्मा के अद्वैत के सिद्धांत और जीवन की अंतर्निहित एकता को अपने लेखों और भाषणों में प्रमुखता से प्रस्तुत किया। इमर्सन का मानना था कि व्यक्ति के भीतर एक दिव्य तत्व है, जो उसे ब्रह्म से जोड़ता है। उनका 'स्वतंत्रता' और 'स्वाभाविकता' पर जोर वेदांत के आत्मा और ब्रह्म के एकत्व के विचार से मेल खाता है।
- **थोरौ** (Thoreau): थोरौ ने भी भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर आत्म-चिंतन और साधना पर जोर दिया। उनकी किताब 'वाल्डन' में, उन्होंने प्राकृतिक जीवन और आत्म-आवलोकन के महत्व को दर्शाया। थोरौ का ध्यान और साधना का तरीका वेदांत के ध्यान और आत्मा के खोज के साथ समानता दिखाता है।

समानताएँ और अंतर:

1. **समानताएँ:** वेदांत और ट्रान्सेंडेन्टलिज्म दोनों ही आत्मा के दिव्यता और जीवन के एकत्व पर जोर देते हैं। इमर्सन और थोरौ ने वेदांत के सिद्धांतों को अपनाया और उसे पश्चिमी दार्शनिकता में एक नया रूप दिया। दोनों दृष्टिकोण आत्म-ज्ञान और आत्मा के अद्वैत को महत्वपूर्ण मानते हैं।
2. **अंतर:** वेदांत का दृष्टिकोण भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों से व्युत्पन्न है, जबकि ट्रान्सेंडेन्टलिज्म पश्चिमी दार्शनिकता का एक हिस्सा है जो पूर्वी दार्शनिकता से प्रेरित था। वेदांत के अनुसार, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि

ट्रान्सेंडेन्टलिज्म में स्वाभाविकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है।

आत्म-चिंतन और आत्मज्ञानः

आत्म-चिंतन (Self &Reflection):

आत्म-चिंतन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, और कार्यों का विश्लेषण और आत्मसमर्पण। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां वह अपनी आंतरिक वास्तविकता और स्वभाव को समझता है। भारतीय दर्शन में, आत्म-चिंतन एक महत्वपूर्ण साधना है जो ध्यान और योग के माध्यम से की जाती है। यह व्यक्ति को अपने आत्मा के गहरे स्तर को जानने और समझने में मदद करता है।

आत्मज्ञान (Self &Knowledge):

आत्मज्ञान वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सच्ची आत्मा और ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। भारतीय वेदांत में, आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति माया (भ्रम) से मुक्त होता है और ब्रह्म की वास्तविकता को जानता है। यह ज्ञान केवल तर्क या अनुभव से नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। ट्रान्सेंडेन्टलिज्म में, आत्मज्ञान स्वाभाविकता और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के दिव्यता और वास्तविकता को समझता है।

समानताएँ और अंतरः

1. **समानताएँ:** भारतीय दर्शन और ट्रान्सेंडेन्टलिज्म दोनों ही आत्म-चिंतन और आत्मज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्म-चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को समझता है, और आत्मज्ञान के माध्यम से वह अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है। दोनों ही दृष्टिकोण आत्मा की खोज और आत्मा के दिव्यता की पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं।

2. **अंतरः** भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके विपरीत, ट्रान्सेंडेन्टलिज्म में आत्मज्ञान एक व्यक्तिगत और स्वाभाविक अनुभव है, जो व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के माध्यम से प्राप्त होता है।

निष्कर्ष:

पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच परस्पर संवाद ने वैश्विक दार्शनिक परंपरा को अत्यधिक समृद्ध किया है। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्वी और पश्चिमी दार्शनिक विचारधाराएँ केवल विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि दोनों ने एक–दूसरे के विचारों से गहरे प्रभाव और प्रेरणा प्राप्त की है। यह संवाद दार्शनिक चिंतन को नए दृष्टिकोण और विचारों से भरपूर करता है, और इसने वैश्विक सांस्कृतिक और मानवता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है।

पूर्वी दर्शन, जैसे कि ताओवाद, वेदांत, और बौद्ध दर्शन, ने पश्चिमी दार्शनिक विचारधाराओं पर गहरा प्रभाव डाला है। विशेष रूप से, ताओवाद और वेदांत के सिद्धांतों ने पश्चिमी दार्शनिकों जैसे राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरौ को प्रेरित किया।

पश्चिमी दार्शनिकों ने पूर्वी दर्शन के तत्वों को अपने विचारों में समाहित कर लिया और उन्हें अपने समाज और संस्कृति में ढाला। इमर्सन और थोरौ ने वेदांत के सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत और दार्शनिक विचारों में शामिल किया, जिससे एक नए दार्शनिक आंदोलन की शुरुआत हुई।

पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच इस संवाद ने विश्व संस्कृति और मानवता को कई स्तरों पर समृद्ध किया है। दार्शनिक विचारों का यह मिश्रण और संवाद विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को जोड़ने और उन्हें एक साझा समझ की ओर अग्रसर करने में सहायक रहा है। इसने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य और सहयोग को प्रोत्साहित किया है।

अंततः, पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच का यह परस्पर संवाद एक गहरे और व्यापक दार्शनिक परंपरा को जन्म देता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और दार्शनिक दृष्टिकोणों को एक साझा मंच पर लाता है। यह संवाद दार्शनिक चिंतन को न केवल समृद्ध करता है, बल्कि यह वैश्विक संस्कृति और मानवता की एकता और विविधता को भी बढ़ावा देता है।

संदर्भ:

- राधाकृष्णन, एस. (1953). प्रिंसिपल उपनिषद. हार्पर एंड ब्रदर्स।
  - उपनिषदों की प्रमुख कृतियाँ, जो उनके दार्शनिक विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जॉर्ज, एच. (2004). ग्रीक दर्शन: एक संक्षिप्त अध्ययन. पेंगुइन बुक्स।

  - ग्रीक दर्शन के प्रमुख विचारों का संक्षिप्त और समग्र अध्ययन।

- प्लेटो. (1997). गणराज्य. पेंगुइन क्लासिक्स।
  - प्लेटो के आदर्श रूपों और आदर्श समाज पर विचार।
- प्लेटो. (2006). फेडो. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
  - आत्मा की अमरता और आदर्श रूपों पर प्लेटो के विचार।
- लाओ त्ज़ू. (2008). ताओ ते चिंग. डोवर पब्लिकेशंस।
  - ताओवाद का मूल ग्रंथ, ताओ की अवधारणा को समझने के लिए।
- मिशेल, एस. (1992). ताओ ते चिंग: एक चित्रित यात्रा. क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप।
  - ताओवाद की अवधारणाओं पर एक चित्रित और सरल परिचय।
- रामकृष्ण, एस. (2009). भारतीय दर्शन: वेदांत और उपनिषद. जैन प्रकाशन।
  - कंपबेल, जॉर्ज. (2007). ग्रीक दर्शन और ताओवाद: एक तुलनात्मक अध्ययन. अल्फा पब्लिशर्स।
- ग्रीक दर्शन और ताओवाद के बीच समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण।
  - सिंह, रामेश्वर. (2011). हेराक्लिटस और ताओवाद: विचारों की समानता. ज्ञान पीठ।
- हेराक्लिटस और ताओवाद के विचारों की तुलनात्मक समीक्षा।
  - शर्मा, प्रकाश. (2008). प्लेटो के आदर्श रूप और भारतीय दर्शन. भारतीय सांस्कृतिक संस्थान।
- प्लेटो के आदर्श रूपों का भारतीय दर्शन पर प्रभाव।
  - कोठारी, मंगला. (2015). ग्रीक और भारतीय दार्शनिकता: एक तुलनात्मक अध्ययन. साहित्य अकादमी।
- ग्रीक और भारतीय दार्शनिकता के बीच तुलनात्मक अध्ययन।
  - सिंह, शिवकुमार. (2012). प्लेटो और उपनिषद: एक तुलना. नेशनल बुक ट्रस्ट।
- बक्शी, अमित. (2014). हेराक्लिटस का दर्शन और ताओवाद की अवधारणाएँ. मानविकी विभाग।
  - शाही, विवेक. (2016). भारतीय और पश्चिमी दर्शन: एक गहराई से अध्ययन. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय।
- शर्मा, राजेश. (2013). वेदांत और प्लेटो: दार्शनिक दृष्टिकोण. एडवांस्ड बुक्स।
  - वेदांत और प्लेटो के दार्शनिक दृष्टिकोण की समीक्षा।
- साहनी, बृजेश. (2010). ताओवाद और पश्चिमी दार्शनिकता: एक तुलनात्मक विश्लेषण. कोलंबिया विश्वविद्यालय।
  - ताओवाद और पश्चिमी दार्शनिकता के विचारों की तुलना।
- अहमद, हुसैन. (2009). आध्यात्मिकता और दार्शनिकता: ग्रीक और भारतीय दृष्टिकोण. एशियन बुक्स।
  - ग्रीक और भारतीय आध्यात्मिकता और दार्शनिकता का तुलनात्मक विश्लेषण।
- दास, सुभाष. (2017). ताओवाद और ग्रीक दर्शन: एक समकालीन अध्ययन. विश्व विद्या प्रेस।
  - ताओवाद और ग्रीक दर्शन के विचारों की समकालीन समीक्षा।

- गुप्ता, अशोक. (2018). प्लेटो और भारतीय दर्शन: सामंजस्य और भिन्नताएँ. बुद्धिजीवी प्रकाशन।
    - प्लेटो और भारतीय दार्शनिकता के बीच सामंजस्य और भिन्नताओं पर चर्चा।
- कुमार, अनिल. (2021). पश्चिमी और पूर्वी दर्शन: विचारों की तुलना. एकेडमिक पब्लिशर्स।

भारत में दलितः हाशिए से समावेशन तक

डॉ. अर्चना सिंह
प्रधानाध्यापक
डॉ. एस. एन. वसु पूर्व माध्यमिक विद्यालय,
बहादुरगंज, प्रयागराज

सारांश

यह शोधपत्र भारत में दलितों के ऐतिहासिक हाशिए पर जाने से लेकर समावेश की दिशा में समकालीन प्रयासों तक की यात्रा की पड़ताल करता है। यह दलितों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों और उनके समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए विभिन्न उपायों की जांच करता है। यह अध्ययन दलितों के जीवन को बदलने में सरकारी नीतियों, सामाजिक आंदोलनों और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

परिचय

दलित, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत कहा जाता है, भारत में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समुदायों में से एक हैं। संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद, दलितों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय समाज में गहराई से जड़ जमाए बैठी जाति व्यवस्था ने भेदभाव और बहिष्कार को कायम रखा है, जिससे दलित सामाजिक और आर्थिक प्रगति के हाशिए पर रह गए हैं।

यह पत्र दलितों के हाशिए पर रहने की ऐतिहासिक जड़ों पर प्रकाश डालेगा, उनके बहिष्कार में योगदान देने वाले सामाजिक-धार्मिक और आर्थिक कारकों पर प्रकाश डालेगा। इसमें दलितों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें गरीबी, शिक्षा की कमी और संसाधनों तक सीमित पहुंच शामिल है। इसके अलावा, राजनीतिक सशक्तिकरण की भूमिका और दलितों के समावेश पर सरकारी नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के प्रभावका विश्लेषण किया जाएगा।

नीतिगत उपायों के अलावा, यह शोधपत्र दलितों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके

अधिकारों को बढ़ावा देने में सामाजिक आंदोलनों और समावेशन की वकालत के योगदान की जांच करेगा। दलितों और मुख्यधारा के समाज के बीच की खाई को पाटने में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका का भी पता लगाया जाएगा।

केस स्टडी और अनुभवजन्य डेटा के माध्यम से, इस शोध का उद्देश्य दलितों के समावेशन में योगदान देने वाली सफल पहलों को उजागर करना है। यह शोधपत्र दलितों के समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए चल रही चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा करेगा, जिसमें सरकारी नीतियों, सामाजिक आंदोलनों और तकनीकी प्रगति को जोड़ने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा।

अंततः, ये शोध निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करना चाहता है कि दलित पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन प्राप्त करें, जिससे अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त हो। शोध पत्र का उद्देश्य इस शोध पत्र का उद्देश्य दलितों के हाशिए से समावेश तक की यात्रा का पता लगाना है, ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और विभिन्न नीतियों और सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव की जांच करना है। समावेशन के लेंस को पेश करके, यह अध्ययन दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और उन्हें संबोधित करने के लिए किए गए प्रयासों की सूक्ष्म समझ प्रदान करना चाहता है।

भारत में दलितों का ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में जाति व्यवस्था ने सामाजिक पदानुक्रम को कायम रखा है, जिसमें दलित सबसे निचले पायदान पर हैं।

'दलित' शब्द संस्कृत शब्द 'दलित' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'टूटा हुआ' या 'बिखरा हुआ', जिसे 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने पारंपरिक हिंदू जाति पदानुक्रम से बाहर उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े समुदायों का वर्णन करने के लिए प्रचलित किया था। ऐतिहासिक रूप से, दलितों, जिन्हें 'अछूत' के रूप में भी जाना जाता है, को गंभीर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जो उच्च जातियों के लिए सबसे नीच और अपमानजनक कार्य करते थे।

प्राचीन और मध्यकालीन काल

दलित उत्पीड़न की जड़ें हिंदू समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में देखी जा सकती हैं, जैसा कि मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से है। दलितों को चार वर्ण

व्यवस्था से बाहर रखा गया था, जिससे पंचम नामक पाँचवाँ वर्ण बना। उन्हें अपवित्र माना जाता था और अक्सर समाज के बाकी लोगों से अलग रखा जाता था, उन्हें गांवों और कस्बों के बाहरी इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था।

औपनिवेशिक काल

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, दलितों की दुर्दशा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ज्योतिराव फुले और डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे समाज सुधारक दलित अधिकारों की वकालत करने वाले प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। अंबेडकर ने विशेष रूप से जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को शामिल किया गया।

स्वतंत्रता के बाद का युग

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारतीय संविधान ने 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत दलितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपाय प्रदान किए। इन कानूनी सुरक्षाओं के बावजूद, दलितों को व्यापक भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा।

समकालीन घटनाक्रम

हाल के दशकों में, पूरे भारत में दलित आंदोलनों की महत्वपूर्ण लामबंदी हुई है। इन आंदोलनों ने दलित पहचान को मुखर करने, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और समान अधिकारों की मांग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) जैसे दलित राजनीतिक दलों और नेताओं के उदय ने दलित मुद्दों को भारतीय राजनीति में सबसे आगे ला दिया है'।

इन प्रगतियों के बावजूद, दलितों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जाति आधारित हिंसा और भेदभाव शामिल हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों, सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक पहलों के माध्यम से दलितों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

जातिगत भेदभाव के चल रहे मुद्दों को संबोधित करने और अधिक समावेशी समाज की दिशा में

काम करने के लिए भारत में दलितों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है।

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

दलितों को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच से वंचित रखा गया है। वर्तमान में, भारत में लगभग 210 मिलियन दलित रहते हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 17% है। हालाँकि, उनकी महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय उपस्थिति के बावजूद, दलितों का देश के संसाधनों पर न्यूनतम नियंत्रण है, जो 5% से भी कम है। आधिकारिक आँकड़े कठोर वास्तविकताओं को उजागर करते हैं: दलितों की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिसमें से 62% से अधिक में बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है। मुख्य रूप से कृषि श्रम में लगे कई दलित भूमिहीन हैं, जिससे उनकी आर्थिक कमजोरी बनी रहती है।

भारत में दलितों को कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें हाशिए पर धकेलती हैं और उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं। प्राथमिक मुद्दों में से एक जाति आधारित भेदभाव है, जो सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और संसाधनों तक सीमित पहुँच सहित विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। आर्थिक रूप से, कई दलित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उच्च बेरोजगारी दर का अनुभव करते हैं, अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच के कारण कम वेतन वाली, नीच नौकरियों तक ही सीमित रहते हैं। वेतन भेदभाव उनकी आर्थिक दुर्दशा को और बढ़ा देता है, दलितों को अक्सर समान काम के लिए गैर दलितों की तुलना में कम वेतन मिलता है। शैक्षिक बाधाएँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दलित छात्रों को अक्सर स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है और शैक्षिक प्राप्ति कम होती है। स्वास्थ्य असमानताएँ भी एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं, दलितों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य परिणाम खराब होते हैं और कुपोषण और बीमारी की दर अधिक होती है। कानूनी सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद, ये सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ भारतीय समाज में दलितों के पूर्ण समावेश और सशक्तिकरण में बाधा डालती रहती हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप, सामुदायिक सहभागिता और जाति आधारित भेदभाव से निपटने के प्रयास शामिल हों।

राजनीतिक सशक्तिकरण

दलित नेताओं और राजनीतिक आंदोलनों ने दलितों के अधिकारों की वकालत करने और सरकारी संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से, डॉ.

बी. आर. अंबेडकर जैसी हस्तियों ने दलितों के सामाजिक-राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अस्पृश्यता के उन्मूलन और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की स्थापना सहित महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक सुधार हुए। 1970 के दशक में दलित पैंथर्स जैसे आंदोलनों ने जाति-आधारित हिंसा और सामाजिक बहिष्कार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे दलित अधिकारों के लिए समर्थन जुटाया गया। कांशीराम द्वारा स्थापित और बाद में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) दलित अधिकारों की वकालत करने और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत रही है। इन आंदोलनों और नेताओं ने न केवल दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय को उजागर किया है, बल्कि समुदायों को संगठित किया है, नीतिगत बदलावों को प्रभावित किया है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, जिससे दलितों के अधिकारों और भारतीय समाज में समावेश के लिए चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठनात्मक मुद्दों और उभरते राजनीतिक परिदृश्य जैसी चुनौतियों के बावजूद, दलित नेताओं और आंदोलनों के प्रयास दलितों के लिए सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं।

सरकारी नीतियाँ और सकारात्मक कार्रवाई

शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसी प्रमुख नीतियों का भारत में दलितों के समावेश पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में दलितों सहित अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया है। शिक्षा में, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित निजी संस्थानों में 15% आरक्षण ने दलित छात्रों के नामांकन और प्रतिधारण दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक अधिक पहुँच प्राप्त हुई है। इस नीति ने दलित समुदायों के लिए बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में योगदान दिया है। रोजगार के क्षेत्र में, आरक्षण सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दलितों के लिए 15% कोटा सुनिश्चित करता है, जिससे रोजगार के अवसर खुलते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरकारी सेवाओं में दलितों के बढ़ते प्रतिनिधित्व ने उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी आवाज को सुनने में भी मदद की है। हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में भेदभाव, उच्च-स्तरीय पदों पर कम प्रतिनिधित्व और निजी क्षेत्र के रोजगार में अंतर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, आरक्षण ने दलितों के समावेशन को बढ़ावा देने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा भारत में दलित समुदायों के समग्र उत्थान में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक आंदोलन और अधिकारों की वकालत

सामाजिक आंदोलनों ने दलित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक पैंथर पार्टी से प्रेरित दलित पैंथर्स जैसे आंदोलनों ने जाति आधारित हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों को उजागर करते हुए दलितों की दुर्दशा पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अंबेडकरवादी आंदोलन ने दलितों के सामाजिक-राजनीतिक सशक्तीकरण की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अस्पृश्यता के उन्मूलन और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की स्थापना सहित महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक सुधार हुए। कांशीराम द्वारा स्थापित और बाद में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) दलित अधिकारों की वकालत करने और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत रही है। जय भीम आंदोलन जैसे समकालीन आंदोलन जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करना और शिक्षा, जागरूकता अभियान और सामुदायिक आयोजन के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। इन आंदोलनों ने न केवल दलितों के सामने आने वाले अन्याय को उजागर किया है, बल्कि समुदायों को संगठित किया है, नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित किया है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, जिससे भारतीय समाज दलित अधिकारों और समावेश के लिए चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और समावेशन

डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ दलितों और मुख्यधारा के समाज के बीच की खाई को पाटने की क्षमता रखती हैं। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में दलितों के समावेश को बढ़ावा देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है। शिक्षा में, कोर्सेरा और खान अकादमी जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दलित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण होने वाली शैक्षिक खाई को पाटते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन जैसी एडटेक पहलों का उद्देश्य हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, जिससे दलित परिवारों को आवश्यक डिजिटल कौशल से सशक्त बनाया जा सकें रोजगार में, जॉब पोर्टल और लिंक्डइन जैसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दलितों को संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने और उनके कौशल से मेल खाने वाले नौकरी के अवसरों तक पहुँचने में मदद करते हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम दलित युवाओं के लिए रोजगार क्षमता को और बढ़ाते हैं। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म

जैसे फिनटेक समाधानों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो दलित समुदायों के लिए वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाते हैं। माइक्रोफाइनेंस और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म दलित उद्यमियों को अपने व्यवसायों के लिए धन जुटाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। दलित केमरा जैसी सोशल मीडिया और डिजिटल स्टोरीटेलिंग पहल दलित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं और सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए समर्थन जुटाती हैं।

टेलीमेडिसिन सेवाएँ और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड दलित आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और परिणामों में सुधार करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें समय पर और उचित चिकित्सा देखभाल मिले। कानूनी तकनीक प्लेटफॉर्म दलितों को कानूनी जानकारी और सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकारों को समझने और कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर, तकनीक दलितों को शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली प्रवर्तक है, जो शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सहायता तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है।

केस स्टडीज

मध्याहन भोजन योजना (MDMS), जिसे अब PM & POSHAN योजना के रूप में जाना जाता है, भारत में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है। 1995 में शुरू की गई यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करती है, जिसमें दलित समुदाय के बच्चे भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम ने दलित बच्चों के बीच स्कूल में नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है और शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ावा मिला है। यह सुनिश्चित करके कि बच्चों को दिन में कम से कम एक पौष्टिक भोजन मिले, यह योजना कुपोषण और भूख के मुद्दों को भी संबोधित करती है, जो आर्थिक रूप से वंचित दलित परिवारों में प्रचलित हैं।

नमस्ते (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) योजना एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म करना है, एक ऐसी प्रथा जो मुख्य रूप से दलित समुदायों को प्रभावित करती है। यह योजना स्वच्छता कार्य के लिए मशीनीकृत समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे मैनुअल स्केवेंजिंग से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे और सामाजिक कलंक कम होते हैं। इसके अतिरिक्त, नमस्ते सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों पर जोर देता है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है।

दलितों के समावेश को बढ़ावा देने में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम भी सहायक रहे हैं। डॉ. अंबेडकर

फाउंडेशन जैसी पहल दलित छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास तक उनकी पहुँच बढ़ती है। समुदाय आधारित कार्यक्रम, जैसे कि एनजीओ और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएस 4) जैसे संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, दलित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करते हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार होता है। इन कार्यक्रमों ने, सरकारी नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई उपायों के साथ, दलितों के सामने आने वाली शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने, भारतीय समाज में उनके समग्र सशक्तिकरण और समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चुनौतियाँ और अवसर

महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, दलितों के लिए पूर्ण समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन साथ ही यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करता है। प्राथमिक चुनौतियों में से एक है जाति-आधारित भेदभाव जिसका सामना दलितों को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में करना पड़ता है। यह भेदभाव अक्सर सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के रूप में प्रकट होता है, भय को बनाए रखता है और सामाजिक-आर्थिक उन्नति में बाधा डालता है। आर्थिक असमानताएँ इन मुद्दों को और बढ़ा देती हैं, कई दलित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उच्च बेरोजगारी दरों का सामना करते हैं। वेतन भेदभाव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच निरंतर आर्थिक हाशिए पर रहने में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त, दलित छात्रों को अक्सर शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उच्च ड्रॉपआउट दर और सीमित शैक्षिक प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य असमानताएँ एक और महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि दलितों को अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य परिणाम खराब होते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, दलितों के समावेशन को बढ़ावा देने के कई अवसर हैं। कानूनी और नीतिगत ढाँचे, जैसे सकारात्मक कार्रवाई और भेदभाव विरोधी कानून, ने दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। छात्रवृत्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित शैक्षिक पहल दलित छात्रों और युवाओं के लिए अवसरों को और बढ़ा सकती है। माइक्रोफाइनेंस और उद्यमिता पहलों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण स्थायी आजीविका बनाने और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है। जाति-आधारित पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में सामाजिक

जागरूकता और वकालत के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक जुड़ाव और समर्थन नेटवर्क दलितों को संसाधन और सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और उनसे पार पाने में मदद मिल सकती है। इन अवसरों का लाभ उठाकर, भारत में दलितों के लिए अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज बनाना संभव है।

निष्कर्ष

भारत में दलितों के लिए हाशिए से समावेशन तक की यात्रा जारी है। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, दलितों को पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यह शोधपत्र एक समावेशी समाज बनाने के लिए सरकारी नीतियों, सामाजिक आंदोलनों और तकनीकी प्रगति को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है।

संदर्भ–सची

1. Between Eñclusion and Eñclusivity% Dalits in Contemporary India & JSTOR-https%@@www-jstor-org@stable@41969444-
2. DALITS IN INDIA & FROM MARGINALISATION TO INCLUSION & Academia-edu-https%@@www-academia-edu@25130996@DALITS_IN_INDIA_FROM_MARGINALISATION_TO_INCLUSION-
3. Dalits in India% From Marginalisation to Inclusion- https%@@papers-ssrn-com@sol3@papers-cfm\abstract_id¾2323268-
4. https%@@bmjopen-bmj-com@content@14@7@e080100
5. https%@@link-springer-com@chapter@10-1007@978&981&19&9426&5_13
6. https%@@www-journalofpoliticalscience-com@uploaosQ@archives@5&1&56&628-pdf
7. https%@@www-ohchr-org@en@stories@2021@04@dalit&born&life&discrimination&and&stigm.

हिन्दी कथालोचना का स्वरूप और बदलता परिदृश्य

सूर्यकान्त त्रिपाठी
शोधार्थी, हिन्दी विभाग,
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

हिन्दी कथालोचना का धारातल अपना स्वरूप विकसित करने की दिशा में है, अपनी नई भूमि का निर्माण कर रहा है। कथालोचना ज्यादा पुरानी नहीं है, इसका आलोचकीय दायित्व अभी तक निर्धारण की अवस्था में है। कथा-समीक्षा की पृष्ठभूमि का निर्माण भले ही बीसवीं सदी के शुरुआत के साथ होना शुरू हुआ हो पर इसका वास्तविक आलोचकीय दायित्व बीसवीं सदी के उत्तराधर्द में ही देखने को मिलता है। इससे पहले की कथालोचना कथा-शिल्प और कथा-तत्त्व के निर्धारण में ही प्रवृत्त दिखाई देती है। नई कहानी के समय के बाद ही वास्तविक रूप में हिन्दी कथालोचना मुखरता के साथ सामने आती है। डॉ. अमरनाथ इस संदर्भ में लिखते है- "स्वाधीनता के बाद नई कहानी के रूप में एक ऐसा कहानी आंदोलन चला जिसने कहानी के पारम्परिक प्रतिमानों को नकार दिया और अपने मूल्यांकन के लिए नई कसौटियाँ निर्धारित की।"[1] नई कहानी के बाद कथालोचना में स्पष्टता और प्रतिमान निर्माण की प्रक्रिया चली। आज हम जब कथालोचना के स्वरूप की बात करते है तो इसकी शुरुआत से लेकर वर्तमान पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। कथालोचना का स्वरूप बीसवीं सदी के आठवें दशक के बाद से नयेपन को लिए हुए है। हिन्दी कथालोचना में भारतेन्दु युग से लेकर इक्कीसवीं सदी के प्रथम दो दशक तक बहुत सारे परिवर्तन हुए है। इस आधार पर हिन्दी कथालोचना को निम्न आधारों पर देखा जा सकता है-

- शास्त्रीय या कथा-तत्त्वों के आधार पर कथालोचना
- विषयप्रधान कथालोचना
- यथार्थवादी कथालोचना
- ऐतिहासिक कथालोचना
- मनोविश्लेषणवादी कथालोचना
- मार्क्सवादी कथालोचना
- आँचलिक कथालोचना

- नई कहानी और कथालोचना
- विमशपरक कथालोचना
- भूमंडलीकरण और कथालोचना

कथासाहित्य की समीक्षा का शुरुआती चरण भले ही टीका-टिप्पणी या पुस्तक परिचय के रूप में हुआ हो, लेकिन सर्वप्रमुख विशेषता कथातत्त्वों के आधार पर समीक्षा की रही है। कथातत्व कहानी और उपन्यास का मूल होता है।[2] कथासाहित्य के प्रमुख छह तत्वों कथावस्तु, पात्र या चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, स्थिति अथवा वातारण, शैली एवं उद्देश्य[3] है। कहानी और उपन्यास दोनों में समान यही तत्त्व है। कथा की समीक्षा के लिए इन्ही तत्त्वों को आधार बनाकर आलोचना की जाने लगी। ये तत्त्व पाश्चात्य गद्य शैली के साथ हिन्दी में आ गए। कथा और कथ्य के संबंधा विषय में विनोद तिवारी लिखते है "कथा, कालक्रम में संजोयी गयी घटनाओं का विवरण है तो कथानक घटनाओं का ऐसा विन्यास है जिसमें कार्य -कारण पर बल रहता है और कथावस्तु, कथ्य का तर्कसंगत और बौद्धिक पहलू व दृष्टिकोण है।"[4] कथावस्तु रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। पात्र और कथोपकथन, कथा को परिपक्वता की दिशा में ले जाते है। वातावरण और देशकाल वस्तु-स्थिति को स्पष्ट करते करने के साथ कथा को सहजता से ग्रहण करने में सक्षम बनाते है। प्रारम्भिक चरण में कथालोचना, कथा परिचय के साथ इन्ही कला तत्वों के से मूल्यांकित की जाती थी। ये तत्त्व अपनी सर्वकलिकता को आज भी बनाए हुए है। लेकिन इस आधार पर की गई आलोचना कथा को एक निश्चित कसौटी में देखते है जो रचना की मौलिकता और उसके अलगपन को नहीं परखती है। परमानन्द श्रीवास्तव इस तरह की कथालोचना के विषय में लिखते है- 'कहानी का कथानक सशक्त है' या 'कहानी में चरित्र-चित्रण अच्छी तरह हुआ है' या 'कहानी में चित्रित वातावरण बड़ा रोचक है' इस प्रकार की समीक्षात्मक सम्मतियाँ अधूरी ही कही जा सकती हैं। समीक्षा की रचनात्मक आवश्यकता तो यह है कि हम कहानी में बिखरे हुये कथासूत्रों के आभ्यन्तर सम्बन्ध की वास्तविकता को पहचान सकें, या किन परिस्थितियों के आभ्यन्तर सम्बन्ध 'चरित्र' की प्रतिमा को किस स्तर पर मूर्त करते हैं, इसको ठीक-ठीक समझ सकें और वातावरण को परिस्थितियों के भोक्ता रचनाकार संवेगों के उचित सन्दर्भ में प्रतिष्ठित कर, उसकी अनुभाव्यता का मूल्यांकन कर सकें।"[5]

कथालोचना का एक प्रकार कथातत्वों के साथ ही विकसित हुआ, विषय के आधार पर कथा को जाँचना। कथा में विषय, आलोचन की दृष्टि प्रदान करता है। कथा की प्रवृत्ति किस विषय पर आधारित है साथ ही किस वर्ण्य-विषय और उद्देश्य को लेकर चलती है। हिन्दी कथा साहित्य में उपन्यास शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिखे गए इसका उदाहरण हिन्दी का प्रथम उपन्यास 'परीक्षा गुरु' है। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना, तिलिस्मी-ऐयारी एवं जासूसी उपन्यासों की प्रधानता रही है।

स्वाधीनता के समय राष्ट्रीय समस्याओं, गाँधीवाद, समाज-व्यवस्था आदि उपन्यासों की धारा प्रेमचंदयुगीन उपन्यासों में दिखती है। हिन्दी कहानी इस समय देशभक्ति, शिक्षा-व्यवस्था, समाज-चेतना, वर्गीय-चेतना आदि को वर्ण्य-विषय बनाकर लिखी जा रही थी। कथा-साहित्य के विषय को लेकर आलोचकों द्वारा आलोचना की गई।

उपन्यास का जन्म यथार्थवाद के साहित्यिक निरूपण के लिए हुआ। यथार्थ जनमानस, पूंजीवाद, ग्रामीण, शहरी, नारी, दलित एवं वंचित वर्ग चेतना का है। कथालोचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण से आलोचनात्मक कसौटियों और प्रतिमानों का निर्माण हुआ है। सत्यकाम लिखते है- "उपन्यास की आलोचना की मूल कसौटी बना 'यथार्थवाद' और उस पर जो कृति खरी उत्तरी उसे 'उपन्यास' के अंतर्गत शामिल किया गया। पश्चिमी आलोचकों ने अपने यहा रचित 'नॉवेल' को व्याख्यायित करने और उसे सैद्धांतिक आधार प्रदान करने के लिए सामाजिक यथार्थवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद, प्रकृतवाद जैसे आलोचनात्मक औजार निर्मित किए। इसलिए आद्या में पश्चिमी (अंग्रेजी) शैली में लिखे गए 'उपन्यासों' को ही महत्व मिला और उन्हें दरकिनार कर दिया गया जो 'यथार्थवाद' की कसौटी पर खरे न उतरते हों।"[6] प्रेमचंद युग सामाजिक यथार्थवादी कथासाहित्य का युग रहा है। युग परिवेश की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थतियों का वास्तविक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। उनके कथा साहित्य में सामाजिक समस्याओं, स्वाधीनता आंदोलन, गाँधीवाद, वर्ग-विभाजन, किसान-समस्या, मानवीय त्रासदी, मजदूर संघर्ष आदि पर आधारित है। रामदरश मिश्र 'हिन्दी उपन्यास : एक अंतर्यात्र' में कहते है- "प्रेमचन्द के उपन्यासों की यथार्थ चेतना ही उनकी मूल शक्ति है। उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकार यथार्थ को गहराई से नहीं पकड़ सके और शिल्प भी नहीं सँवार सके। प्रेमचन्द ने यथार्थ को पहचाना और मुख्यत: उसे ही अभिव्यक्ति देना अपने उपन्यास का लक्ष्य समझा।"[7] कथालोचना का जो स्वरूप विकसित हुआ है, उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण का विशेष महत्त्व रहा है।

कथासाहित्य ने मानव-मन और उसकी मन:स्थतियों को कथा का विषय बनाया है। फ्रायड ने साहित्य और कला को अवचेतन मन की ग्रंथियों की उपज कहा है। फ्रायड के सिद्धांतों व प्रतिमानों का प्रयोग करके कथा साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया, मनोविश्लेषणवादी कथालोचना कहा गया। डॉ. अमरनाथ लिखते है- "फ्रायड, एडलर और जुंग के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का जितना प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं पर पड़ा, उतना ही प्रभाव आलोचना के स्वरूप पर भी पड़ा और उसी के परिणामस्वरूप मनोविश्लेषणवादी आलोचना प्रणाली का जन्म और विकास हुआ।"[8] मनोविश्लेषणवाद, जीवन सत्यों को एक अलग सिरहने से देखता है। और स्वीकृत मूल्यों को नए तरीके से सोचने के लिए बाध्य करता है। मानव की चारित्रिक जमीन को उसकी अवचेतन की उपज मानता है। परमानंद श्रीवस्तव इसकी व्याख्या में लिखते है- "मनोविश्लेषणवादियों ने आधुनिक कृतिकारों, विशेषत: कथाकारों की रचना-प्रक्रिया को इस सीमा तक प्रभावित किया है कि वह आभ्यन्तर मोड़

(इनवर्ड टर्निंग) आधुनिक कथा-साहित्य की अन्यतम विशेषता बन गया है, जो मानस के संश्लिष्ट अनुभूत्यात्मक प्रभाव को बहन करता है तथा जिसे "चेतना का प्रवाह" (स्ट्रीम आफ कान्यासनेस) कहा गया है।"[9] कथालोचना का स्वरूप निर्धारण में मनोविश्लेषणवाद ने महती भूमिका निभाई। हिन्दी में डॉ. देवराज, अज्ञेय, नगेन्द्र व इलाचंद्र जोशी आदि ने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों को प्रतिमान बनाकर कथालोचन किया है।

कथालोचना के स्वरूप निर्माण में ऐतिहासिक कथालोचना पद्धति ने नया रूप प्रदान किया है। क्रोचे ने कहा है कि "हमारा इतिहास हमारी आत्मा का इतिहास है और मानव आत्मा का इतिहास विश्व का इतिहास है।"[10] कथाएं, इतिहास और ऐतिहासिक-पात्रों को लेकर लिखी जाती रही है। इतिहास में घटित घटनाओं को आधार बनाकर, उन्हें कल्पनात्मक तरीके से कथ्य में पिरोया जाता है। ऐतिहासिक कथासाहित्य की मुख्य विशेषता ऐतिहासिक भावभूमि की कथासाहित्य में उपस्थिति है। इसके लिए कुछ वास्तविक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्रों, घटनाओं व प्रसंगों की भी रचना की जाती है। ये ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि करने में मदद करते हैं। ऐतिहासिक कथासाहित्य में कथा की विशेष संरचना और भाषा महत्व होता है। मधुरेश 'ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और इतिहास-दृष्टि' की भूमिका में ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में बताते है- "ऐतिहासिक उपन्यास गुजरे हुए चरित नायकों और उनसे जुड़ीं ख्यात-अख्यात घटनाओं का ब्यौरा ही नहीं होता, इतिहास में रहते और अनजाने ही उस इतिहास का निर्माण भी कर रहे होते।"[11] ऐतिहासिक कथासाहित्य की आलोचना, युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में की जाती है, तो उसमें सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और युग-धर्म के निर्वाह को आलोचना के मानदंड रूप में देखा जाता है। ऐसी आलोचना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कथालोचना है। ऐतिहासिक कथालोचना में कथा का विश्लेषण करते समय उस समय के वातावरण के संबंध में कथ्य और वस्तु का मूल्यांकन करते है। हिन्दी कथालोचना में 'मधुरेश' ऐतिहासिक कथालोचक है।

मार्क्सवादी विचारधारा ने साहित्य को प्रभावित किया है। ये साहित्य की रचना को सोद्देश्य मानता है, यह सोद्देश्यता किसी विशेष अभिप्राय से किसी कला की रचना करना है। मार्क्सवादी की साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रगतिवाद है, इसे समाजवादी या जनवादी साहित्य भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आर्थिक आधार पर साहित्य को देखता है। बच्चन सिंह लिखते है- मार्क्सवादियों की दृष्टि में समाज का बुनियादी आधार आर्थिक है साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, दर्शन, कानून आदि ऊपरी ढाँचे (सुपर स्ट्रक्चर) हैं। आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन आने पर ऊपरी ढाँचे में भी परिवर्तन आता है।"[12] कहानी व उपन्यास में कथानायकों की संज्ञा बदल गई, शोषित वर्ग कथा नायक के रूप में सामने आया। जिससे साहित्य में जनवादी और समाजवादी कहानी और उपन्यासों की रचना हुई। हिन्दी में यशपाल, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव आदि कथाकारों ने इस विचारधारा पर आधारित कथासाहित्य की रचना की है। मार्क्सवादी साहित्य ने आलोचना के प्रतिमानों को बदला। कथा की प्रेषणीयता को महत्त्व दिया जाने

लगा। शिल्प या रूपविधान के तत्त्वों के मापदंड परिवर्तित किए गए इसे साधान की दृष्टि से देखा जाने लगा। साहित्यिक सौंदर्यशास्त्र लोक-जीवन के व्यापक यथार्थ की ओर केंद्रित हुआ, तथा उसमें सौन्दर्य दर्शन इस आलोचना पद्धति की विशेषता है। समाज के हाशिये के वर्ग, किसान, मजदूर, नारी, ग्रामीण वर्ग का यथार्थ इस कथासाहित्य में दिखाया गया है जिसकी व्याख्या आलोचनात्मक तरीके से की गई है। मार्क्सवादी कथालोचना के द्वारा कथालोचना का एक नया स्वरूप विकसित हुआ। मार्क्सवादी कथालोचना के प्रमुख आलोचक नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह एवं मैनेजर पाण्डेय आदि है।

कथालोचना के इन ढाँचों में आंचलिक उपन्यास एक चुनौती बने। कथावस्तु की आंचलिकता ने कथासंरचना को नए ढंग से बुना। इस कारण आलोचक को उसकी आलोचना बने बनाए मापदंडों पर कर पाना एक चुनौती बन गई। 'मैला आँचल' उपन्यास इस प्रकार की कथा-समीक्षा के दायरे में नहीं सिमट सकता था। इस प्रकार के कथासाहित्य की आलोचना करने के लिए जो पद्धति निर्मित हुई वो आंचलिक कथालोचना के रूप में सामने आई। आंचलिक कथासाहित्य जनपदीय कथाभूमि पर आधारित होता है, इसमें नायक के रूप में व्यक्ति न होकर अंचल रहता है। रामदरश मिश्र कहते है कि- "आंचलिक उपन्यास का एक विशिष्ट अर्थ है और वह एक प्रकार की अनिवार्यता की उपज है। आंचलिकता का अर्थ बहुत से लोग स्थानीय रंगत से लगाते है। यह भी भ्रम है। स्थानीय रंगत तो प्रायः सभी उपन्यासों में होती है। कथा जिस प्रदेश में बहती है वहाँ की प्रकृति, वेशभूषा, रीति-रिवाज की रंगत लेखक उपन्यास में देता चलता है। आंचलिक उपन्यास तो अंचल के समग्र जीवन का उपन्यास है।"[13] आंचलिक कथासाहित्य का शिल्पगठन और सर्जन-प्रक्रिया विशेष प्रकार की है। उस अंचल की भाषा, शब्द, संवेदनाएं, जीवन-संस्कृति का प्रभाव उसमें झलकता है। हिन्दी में नागार्जुन, फनीश्वरनाथ 'रेणु' और रामदरश मिश्र आदि के कथासाहित्य में आंचलिकता है। इन उपन्यास और कहानियों की औपन्यासिक शिल्प व कथावस्तु के विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए आलोचना का जो स्वरूप विकसित हुआ, उसे आंचलिक कथालोचना कहा गया।

हिन्दी कहानी में 1960 के दशक में नई संवेदना, नए शिल्प और नई दृष्टि के साथ नई कहानी का लेखन किया गया। नई कहानी 'अनुभूति प्रामाणिकता' और 'अभिव्यक्ति की ईमानदारी' पर आधारित है। नई कहानीकार, कथासाहित्य के लिए प्रतिमान और मापदंडों की रचना करने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य अपने कथा को नये दिलाना और कथालोचना के मूल्यों का नए सिरे से गठन था। नई कहानीकारों ने आलोचनात्मक लेखों और पुस्तकों के द्वारा कथालोचना को नया मार्ग प्रदान किया। नामवर सिंह की पुस्तक 'कहानी : नई कहानी' ने कथालोचना की टेक्नीक पर विशेष बात की, साथ ही 'नई कहानी' के मूल्यांकन की कसौटियों को रेखांकित किया। राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर आदि कथाकार होने के साथ-साथ कथालोचक की भूमिका का भी निर्वाह भी किया। नई

कहानी के समय से हिन्दी कथालोचना को सही मायने में एक नया स्वरूप मिला।

आधुनिकतावाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, और उत्तर-आधुनिकता की विचारधारा ने कथा को नए सिरे से बुना है। कथा का वर्ण्य-विषय और कथा की संरचना दोनों को बदल दिया है। भूमंडलीकरण के कारण विश्व अर्थव्यवस्था केंद्रित समाज बन गया है। उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति ने कथा के शिल्प और वस्तु दोनों को परिवर्तित कर दिया है। उपन्यास और कहानी में विमर्शवादी कथासाहित्य का महत्त्व बढ़ा है। इस कारण अस्मितावादी साहित्य की रचना की अधिकता हुई है। डॉ. अमरनाथ लिखते है– "साहित्य में आज इन्ही अस्मिता-विमर्शों का बोलबाला है और स्वाभाविक रूप से हिन्दी आलोचना भी ज्यादातर इन अस्मिता-विमर्शों के इर्द-गिर्द भटक रही है।"[14] कथा साहित्य की प्रवृत्ति परिवर्तन के कारण उनके आलोचना का रूप भी परिवर्तित हो गया है। विमर्शपरक आलोचना में 'दलित कथालोचना', 'स्त्री कथालोचना' और 'आदिवासी कथालोचना' की साहित्यिक उपस्थिति ने अपना स्थान बनाया है।

वस्तुतः वर्तमान में कथासाहित्य ने अपने आप को समृद्ध किया है। कथा-साहित्य में नई प्रवृत्तियों का जन्म लगातार होता रहता है और कथालोचना उसके मूल्यांकन के लिए अपने मापदंडों का विस्तार करती रहती है। नए आयामों का विकास होता गया, जैसे-जैसे प्रवृत्तियाँ बदलती गई, कथा की आलोचना को विभिन्न दृष्टियाँ प्राप्त होती रही है। आलोचना की नई-नई दृष्टियों से कथालोचना के नए स्वरूप का विकास हुआ है। हिन्दी कथासाहित्य की विकास-प्रक्रिया का अध्ययन करने पर सहज ही पाते है कि कथासाहित्य ने समय के अनुसार अपने स्वरूप को बदल और विकसित किया है, इसकी रचना प्रक्रिया आलोचना के लिए संदर्भ बनती रही है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. अमरनाथ, हिन्दी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 2022, पृष्ठ 318
2. संपादक-विनोद तिवारी, कथालोचना दृश्य-परिदृश्य, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016, कथालोचना : एक परिचय ले. विनोद तिवारी, पृष्ठ 8
3. डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल, हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, 1953, पृष्ठ 123
4. संपादक-विनोद तिवारी, कथालोचना दृश्य-परिदृश्य, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016, कथालोचना : एक परिचय ले. विनोद तिवारी, पृष्ठ 8
5. डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव, हिन्दी-कहानी की रचना-प्रक्रिया, ग्रंथम प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 1965, पृष्ठ 41
6. संपादक-विनोद तिवारी, कथालोचना दृश्य-परिदृश्य, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016, हिन्दी उपन्यास और आलोचना-सत्यकाम, पृष्ठ 125

7. रामदरश मिश्र, हिन्दी उपन्यास : एक अंतर्यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण 2022, पृष्ठ 30

8. डॉ. अमरनाथ, हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2021, पृष्ठ 267

9. डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव, हिन्दी-कहानी की रचना-प्रक्रिया, ग्रंथम प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 1965, पृष्ठ 18

10. क्रोचे, हिस्ट्री इज दी स्टोरी ऑफ लिबर्टी, पृ० 393

11. मधुरेश, ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और इतिहास-दृष्टि, आधार प्रकाशन, पंचकूला हरियाणा, संस्करण 2019, पृष्ठ 9

12. बच्चन सिंह, आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2023, पृष्ठ 85

13. रामदरश मिश्र, हिन्दी उपन्यास एक अंतर्यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2022, पृष्ठ 247-248

14. डॉ. अमरनाथ, हिन्दी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 2022, पृष्ठ 391

मूल्यात्मक सापेक्षवाद बनाम मूल्यात्मक निरपेक्षता: एक तुलनात्मक अध्ययन

संगम भारती
शोधार्थी,
विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र विभाग,
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार

सारांश

मूल्यात्मक सापेक्षवाद और मूल्यात्मक निरपेक्षता के बीच की बहस नैतिकता के क्षेत्र में सबसे स्थायी और विवादास्पद बहसों में से एक है। यह लेख इन दो नैतिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें उनके मौलिक सिद्धांतों, ऐतिहासिक विकास, मुख्य तर्कों और व्यावहारिक निहितार्थों की जांच की गई है। प्रत्येक के गुणों और दोषों का विश्लेषण करके, यह पत्र इस जारी बहस पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करता है, उन संदर्भों को उजागर करता है जिनमें प्रत्येक सिद्धांत अधिक लागू और लाभप्रद हो सकता है।

कीवर्ड्स: मूल्यात्मक निरपेक्षता, मानव अधिकार, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मौलिक स्वतंत्रताएं, नैतिक स्थिरता, सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (UDHR), सांस्कृतिक संवेदनशीलता, नैतिक लचीलापन।

1. परिचय

मूल्यात्मक सापेक्षवाद और मूल्यात्मक निरपेक्षता के बीच की बहस नैतिकता के क्षेत्र में एक केंद्रीय और स्थायी मुद्दा है, जो विविध और जटिल दुनिया में नैतिक सिद्धांतों को समझने और लागू करने की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है। ये दोनों दार्शनिक दृष्टिकोण नैतिकता की प्रकृति, नैतिक निर्णयों को केसे बनाया जाता है, और क्या सार्वभौमिक नैतिक सत्य हैं या नैतिक मूल्य सांस्कृतिक और संदर्भात्मक रूप से निर्भर हैं, पर विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मूल्यात्मक सापेक्षवाद का मानना है कि नैतिक निर्णय और मूल्य पूर्ण नहीं होते हैं बल्कि वे उस विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, या व्यक्तिगत संदर्भों पर निर्भर होते हैं जिनमें वे उत्पन्न होते हैं। यह

दृष्टिकोण तर्क करता है कि जो नैतिक रूप से सही या गलत माना जाता है, वह एक समाज से दूसरे समाज में या यहाँ तक कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। मूल्यात्मक सापेक्षवादियों का कहना है कि नैतिक विविधता मानव समाजों में अंतर के स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम हैं, और वे अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति सहनशीलता और समझ के लिए वकालत करते हैं, जो किसी के अपने से भिन्न हो सकती हैं। यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ नैतिकता की धारणा को चुनौती देता है, इसके बजाय यह सुझाव देता है कि नैतिक मानक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और स्थितिगत कारकों द्वारा आकारित होते हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से लचीला और संदर्भ-निर्भर बनाते हैं।

दूसरी ओर, मूल्यात्मक निरपेक्षता का दावा है कि ऐसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो सभी लोगों पर, सभी समयों में, सभी स्थानों पर लागू होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कुछ क्रियाएँ स्वाभाविक रूप से सही या गलत होती हैं, चाहे वे जिस संदर्भ में घटित हों। मूल्यात्मक निरपेक्षतावादी मानते हैं कि ये सिद्धांत वस्तुनिष्ठ, अपरिवर्तनीय, और सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मतभेदों से स्वतंत्र होते हैं। वे तर्क करते हैं कि बिना सार्वभौमिक नैतिक मानकों के, महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों, जैसे मानव अधिकार, न्याय, या जीवन की पवित्रता के बारे में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना असंभव होगा। यह दृष्टिकोण अक्सर धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ा होता है, जो कारण, मानव स्वभाव, या ईश्वरीय आदेश में निहित एक स्थिर नैतिक व्यवस्था की वकालत करते हैं।

मूल्यात्मक सापेक्षवाद और मूल्यात्मक निरपेक्षता के बीच का भेद नैतिक सिद्धांत और व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह नैतिकता की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है: क्या नैतिकता मानव संस्कृति का उत्पाद है, जो परिवर्तन और व्याख्या के अधीन है, या यह ऐसे सार्वभौमिक नियमों का समूह है जो सांस्कृतिक सीमाओं से परे है? यह प्रश्न केवल अकादमिक नहीं है; इसका वास्तविक दुनिया में नैतिक असहमति, सांस्कृतिक विविधता, और वैश्विक न्याय के मुद्दों को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

यह बहस सत्य की प्रकृति, नैतिक निर्णय लेने में कारण की भूमिका, और व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक मानदंडों के बीच के संबंध के बारे में व्यापक दार्शनिक चिंताओं को भी दर्शाती है। मूल्यात्मक सापेक्षवाद के समर्थकों का तर्क है कि यह नैतिकता के प्रति एक अधिक लचीला और संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो बहुसांस्कृतिक दुनिया की जटिलताओं के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित है। हालांकि, आलोचक यह तर्क देते हैं कि मूल्यात्मक सापेक्षवाद नैतिक शून्यवाद की ओर ले जा सकता है, जहाँ कोई भी कार्रवाई सार्वभौमिक रूप से निंदा योग्य नहीं हो सकती, जिससे नैतिक रूप से निंदनीय व्यवहारों को उचित ठहराया जा सकता है।

इसके विपरीत, मूल्यात्मक निरपेक्षता के समर्थक तर्क देते हैं कि यह नैतिक निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत ढाँचा प्रदान करता है, जो न्याय और मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, निरपेक्षता के विरोधी अक्सर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसकी कठोरता कट्टरवाद और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता की ओर ले जा सकती है, जो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों की जटिलताओं को समझने में विफल हो जाती है।

यह तुलनात्मक अध्ययन इन विपरीत दृष्टिकोणों का अन्वेषण करने का उद्देश्य रखता है, उनके गुणों, दोषों, और उन संदर्भों की जांच करते हुए जिनमें प्रत्येक अधिक लागू या लाभप्रद हो सकता है। इस विश्लेषण के माध्यम से, यह पत्र नैतिक परिदृश्य की गहरी समझ और समकालीन नैतिक चर्चा में इस दार्शनिक बहस की जारी बहस में योगदान करने का प्रयास करता है।

2. संकल्पनात्मक ढाँचा

2.1 मूल्यात्मक सापेक्षवाद की परिभाषा

मूल्यात्मक सापेक्षवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें नैतिक निर्णय और मूल्य पूर्ण नहीं होते, बल्कि वे उन विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, या व्यक्तिगत संदर्भों पर निर्भर होते हैं जिनमें वे पाए जाते हैं। मूल्यात्मक सापेक्षवाद के समर्थकों का तर्क है कि जो नैतिक रूप से सही या गलत माना जाता है, वह एक समाज से दूसरे समाज में या यहाँ तक कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि नैतिक विविधता मानव समाजों में अंतर का स्वाभाविक परिणाम है और कोई भी एकल नैतिक ढांचा सार्वभौमिक वैधता का दावा नहीं कर सकता।

2.2 मूल्यात्मक निरपेक्षता की परिभाषा

दूसरी ओर, मूल्यात्मक निरपेक्षता यह विश्वास है कि ऐसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो सभी लोगों, सभी समय, और सभी स्थानों पर लागू होते हैं। इन सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठ और अपरिवर्तनीय माना जाता है, जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मतभेदों से स्वतंत्र होते हैं। मूल्यात्मक निरपेक्षतावादी तर्क करते हैं कि कुछ क्रियाएँ स्वाभाविक रूप से सही या गलत होती हैं, चाहे वे जिस संदर्भ में घटित हों। यह दृष्टिकोण अक्सर धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों के साथ मेल खाता है जो एक स्थिर नैतिक व्यवस्था की वकालत करते हैं।

3. बहस का ऐतिहासिक विकास

3.1 मूल्यात्मक सापेक्षवाद की उत्पत्ति

मूल्यात्मक सापेक्षवाद की जड़ें प्राचीन ग्रीक दर्शन में पाई जा सकती हैं, विशेष रूप से सोफिस्ट्स के विचारों में, जिन्होंने तर्क दिया कि नैतिक विश्वास मानवीय निर्माण हैं और समाजिक परंपराओं के अनुसार भिन्न होते हैं। आधुनिक युग में, मूल्यात्मक सापेक्षवाद को सांस्कृतिक मानवविज्ञानियों जैसे रूथ बेनेडिक्ट और दार्शनिकों जैसे गिल्बर्ट हार्मन के कार्यों के माध्यम से प्रमुखता मिली, जिन्होंने संस्कृतियों में नैतिक प्रथाओं की विविधता पर जोर दिया और सार्वभौमिक नैतिक मानकों के अस्तित्व पर सवाल उठाया।

3.2 मूल्यात्मक निरपेक्षता की उत्पत्ति

मूल्यात्मक निरपेक्षता की गहरी जड़ें धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों और प्रबोधन (Enlightenment) के विचारों में। इमैनुएल कांट जैसे विचारकों ने सार्वभौमिक नैतिक नियमों के विचार का समर्थन किया, जो तर्क से उत्पन्न होते हैं और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होते हैं। धार्मिक परंपराएँ, जैसे कि ईसाई धर्म और इस्लाम, भी ईश्वरीय आदेश में निहित निरपेक्ष नैतिक सच्चाइयों की धारणा का समर्थन करती हैं।

4. नैतिक सापेक्षता के पक्ष में प्रमुख तर्क

4.1 सांस्कृतिक विविधता और नैतिक बहुलतावाद

सांस्कृतिक विविधता और नैतिक बहुलतावाद ऐसे विचार हैं जो विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में मौजूद नैतिक मूल्यों, विश्वासों, और प्रथाओं की विविधता को पहचानते हैं और अपनाते हैं। ये विचार नैतिक सापेक्षता और नैतिक निरपेक्षता के बीच की बहस में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये इस धारणा को चुनौती देते हैं कि एकल, सार्वभौमिक नैतिक मानक सभी लोगों पर लागू हो सकता है, चाहे उनका सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी हो।

सांस्कृतिक विविधता

सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य समाज के भीतर या समाजों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की उपस्थिति से है, जिनमें प्रत्येक का अपना अनूठा रिवाज, परंपराएँ, भाषाएँ, और नैतिक संहिताएँ होती हैं। यह विविधता ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है, जिन्होंने समय के साथ मानव समाजों के विकास को आकार दिया है। जैसे-जैसे संस्कृतियाँ विकसित होती हैं, वे अपने विशिष्ट जीवन के तरीके विकसित करती हैं, जिनमें उनके अपने नैतिक तंत्र शामिल होते हैं, जो उनके मूल्यों, मानदंडों, और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

नैतिक बहुलतावाद

नैतिक बहुलतावाद यह मान्यता है कि कई वैध नैतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, या दार्शनिक परंपराओं में निहित हो सकता है। नैतिक सापेक्षता के विपरीत, जो यह सुझाव देता है कि सभी नैतिक विचार अपने संदर्भों में समान रूप से मान्य होते हैं, नैतिक बहुलतावाद विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों की वैधता को स्वीकार करता है, साथ ही यह भी मानता है कि उनके बीच वास्तविक नैतिक संघर्ष हो सकते हैं।

नैतिक दर्शन के लिए निहितार्थ

सांस्कृतिक विविधता और नैतिक बहुलतावाद नैतिक निरपेक्षता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जो यह मानती है कि कुछ वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो सभी लोगों पर लागू होते हैं। विभिन्न नैतिक प्रणालियों का अस्तित्व इस बात का सुझाव देता है कि नैतिक मूल्य आवश्यक रूप से स्थिर या सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों द्वारा आकार दिया जा सकता है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि एकल नैतिक मानक सभी समाजों पर थोपा जा सकता है।

4.2 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की आलोचना

सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवधारणा-यह विचार कि कुछ नैतिक सत्य सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे सांस्कृतिक या व्यक्तिगत भिन्नताएँ कुछ भी हों-सदियों से नैतिक सिद्धांत का एक आधार रही है। समर्थकों का तर्क है कि सार्वभौमिक सिद्धांत नैतिक क्रियाओं और निर्णयों का

मूल्यांकन करने के लिए एक सुसंगत और वस्तुनिष्ठ ढाँचा प्रदान करते हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को नैतिक सापेक्षता और अन्य नैतिक सिद्धांतों के समर्थकों से महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की आलोचना कई प्रमुख तर्कों पर केंद्रित है, जो उनकी प्रयोज्यता, वस्तुनिष्ठता, और एक विविध और बहुसांस्कृतिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को चुनौती देते हैं।

1. सांस्कृतिक विविधता और नैतिक सापेक्षता

सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की प्रमुख आलोचनाओं में से एक सांस्कृतिक विविधता के अवलोकन से आती है। नैतिक सापेक्षतावादी तर्क देते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक विश्वासों और प्रथाओं की विशाल विविधता इस बात का संकेत देती है कि नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, अरेंज मैरिज, आहार प्रतिबंध, या सजा के रूपों जैसी प्रथाएँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। सापेक्षतावादी यह तर्क देते हैं कि ये भिन्नताएँ इस तथ्य को दर्शाती हैं कि नैतिक सिद्धांत सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से अंतर्निहित हैं, और जो एक संस्कृति में नैतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है, उसे दूसरी संस्कृति में अस्वीकार्य माना जा सकता है।

2. नैतिक बहुलतावाद और संदर्भ-संवेदनशीलता

नैतिक बहुलतावाद, जो कई वैध नैतिक दृष्टिकोणों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवधारणा को भी चुनौती देता है। बहुलतावादी तर्क देते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों के पास वैध लेकिन भिन्न नैतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और ये दृष्टिकोण विभिन्न मूल्यों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य नैतिक मूल्य हो सकते हैं, जैसे कि मानव जीवन के प्रति सम्मान, लेकिन इन मूल्यों की व्याख्या और उनका अनुप्रयोग काफी भिन्न हो सकता है।

3. व्यावहारिक चुनौतियाँ और नैतिक असहमति

वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियाँ भी उनकी आलोचना में योगदान करती हैं। कई मामलों में, सार्वभौमिक सिद्धांत नैतिक असहमति और संघर्ष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति या संस्कृतियाँ सिद्धांतों की व्याख्या या प्राथमिकता को अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गर्भपात, इच्छामृत्यु, या

मृत्युदंड जैसे मुद्दों पर बहसें अक्सर जीवन के प्रति सम्मान या स्वायत्तता जैसे मौलिक नैतिक सिद्धांतों की भिन्न व्याख्याओं को शामिल करती हैं।

4. नैतिक वस्तुनिष्ठता की समस्या

सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की एक और आलोचना उनकी वस्तुनिष्ठता के प्रश्न से जुड़ी है। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि नैतिक वस्तुनिष्ठता के दावे समस्याग्रस्त हैं क्योंकि वे नैतिक सत्यों की प्रकृति के बारे में उन धारणाओं पर निर्भर करते हैं जिन्हें उचित ठहराना मुश्किल होता है। वे यह सवाल उठाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे वस्तुनिष्ठ नैतिक मानकों को स्थापित करना संभव है जो मानव दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संदर्भों से पूरी तरह स्वतंत्र हों।

4.3 नैतिक लचीलापन और संदर्भता

नैतिक लचीलापन और संदर्भता ऐसे सिद्धांत हैं जो नैतिक निर्णयों को उन विशिष्ट परिस्थितियों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करने के महत्व पर जोर देते हैं जिनमें वे उत्पन्न होते हैं। ये विचार कठोर, सार्वभौमिक नैतिक दृष्टिकोणों को चुनौती देते हैं और नैतिक निर्णय लेने में एक अधिक सूक्ष्म और स्थिति–संवेदनशील दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। नैतिक लचीलेपन और संदर्भता के सिद्धांत अक्सर नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक बहुलतावाद से जुड़े होते हैं, जो इस बात को मान्यता देते हैं कि नैतिक मूल्य और निर्णय सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

1. नैतिक लचीलापन

नैतिक लचीलापन का तात्पर्य नैतिक निर्णयों और प्रथाओं को स्थिति के विशिष्ट विवरणों के आधार पर समायोजित करने की क्षमता से है, बजाय इसके कि पूर्वनिर्धारित नियमों या सार्वभौमिक सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाए। यह दृष्टिकोण मानता है कि नैतिक निर्णय लेना अक्सर जटिल होता है और निश्चित नैतिक मानकों का कठोर पालन हमेशा न्यायसंगत या उपयुक्त परिणामों की ओर नहीं ले जा सकता।

2. संदर्भता

संदर्भता इस बात पर जोर देती है कि नैतिक निर्णयों को उस संदर्भ से अवगत कराया जाना चाहिए जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। यह अवधारणा बताती है कि नैतिक निर्णय आसपास के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों से अलगाव में नहीं किए जा सकते। संदर्भता इस धारणा को चुनौती देती है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को विभिन्न संदर्भों में समान रूप से लागू किया जा सकता है।

3. नैतिक लचीलापन और संदर्भता के लाभ

- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** नैतिक लचीलापन और संदर्भता के प्रमुख लाभों में से एक सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। इन दृष्टिकोणों को अपनाकर, जो यह मान्यता देते हैं कि नैतिक मूल्य और प्रथाएँ संस्कृतियों में भिन्न हो सकती हैं, ये दृष्टिकोण सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देते हैं, जिससे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या जातीय केंद्रवाद का खतरा कम हो जाता है।

4. आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- **सापेक्षवाद की संभावना:** आलोचकों का तर्क है कि अत्यधिक लचीलापन और संदर्भता नैतिक सापेक्षवाद की ओर ले जा सकती है, जहाँ किसी भी कार्रवाई को उसके संदर्भ के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जो सार्वभौमिक नैतिक मानकों की संभावना को कमजोर कर सकता है। इससे नैतिक अस्पष्टता या असंगति हो सकती है, जहाँ व्यापक रूप से अनैतिक मानी जाने वाली कार्रवाइयों का संदर्भ कारकों के आधार पर बचाव किया जा सकता है।

नैतिक लचीलापन और संदर्भता नैतिक निर्णय लेने पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो विशिष्ट परिस्थितियों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार निर्णयों को अनुकूलित करने के महत्व पर जोर देते हैं। जबकि ये अवधारणाएँ सांस्कृतिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देती हैं, वे संभावित सापेक्षवाद और सुसंगत नैतिक मानदंडों की स्थापना में कठिनाई से संबंधित आलोचनाओं का भी सामना करती हैं। लचीलेपन के साथ सुसंगत नैतिक मानकों की आवश्यकता को संतुलित करना, विविध और गतिशील दुनिया में नैतिक सिद्धांत और व्यवहार की जटिलताओं को नेविगेट करने में एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

5. नैतिक निरपेक्षता के पक्ष में मुख्य तर्क

5.1 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत

सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ऐसे नैतिक मानकों या मूल्यों को संदर्भित करते हैं जिन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, या व्यक्तिगत मतभेदों की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू माना जाता है। इन सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठ, अपरिवर्तनीय और सभी मनुष्यों के लिए हर समय और हर स्थान पर लागू माना जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवधारणा कई नैतिक सिद्धांतों और दार्शनिक परंपराओं का एक मौलिक पहलू रही है, जो तर्क देती है कि कुछ नैतिक सत्य मानव स्वभाव में निहित हैं और उन्हें सार्वभौमिक रूप से पहचाना जा सकता है।

1. दार्शनिक आधार

कई दार्शनिक परंपराओं और नैतिक सिद्धांतों ने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के विचार का समर्थन किया है:

- **कांतियन नैतिकता:** इमैनुएल कांत की दायित्वपरक नैतिकता एक सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। कांत ने अनिवार्य आज्ञा का प्रस्ताव दिया, जो एक सार्वभौमिक नैतिक कानून है जो व्यक्तियों से यह मांग करता है कि वे ऐसे सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें जिन्हें सार्वभौमिक कानून के रूप में लागू किया जा सके। कांत के अनुसार, कार्य नैतिक रूप से सही हैं यदि उन्हें व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों की परवाह किए बिना सभी पर लगातार लागू किया जा सके।

5.2 नैतिक निरंतरता और अखंडता

नैतिक निरंतरता और अखंडता नैतिक दर्शन और व्यावहारिक नैतिकता में मौलिक अवधारणाएँ हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भों में निष्पक्ष और सैद्धांतिक व्यवहार के सिद्धांतों को समर्थन देती हैं। ये अवधारणाएँ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि नैतिक निर्णय और कार्य न केवल सैद्धांतिक रूप से ध्वनि हों, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में निरंतर रूप से लागू हों।

1. नैतिक निरंतरता

नैतिक निरंतरता किसी के नैतिक सिद्धांतों और कार्यों के बीच सामंजस्य को संदर्भित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नैतिक मानकों को विभिन्न संदर्भों में समान रूप से लागू किया जाए। इसमें नैतिक विश्वासों और प्रथाओं का एक सुसंगत सेट बनाए रखना शामिल है, जो नैतिक व्यवहार में विरोधीभासों या विसंगतियों से बचते हैं।

- **नैतिक निर्णय और कार्रवाई:** नैतिक निरंतरता में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि एक के नैतिक निर्णय और कार्य निरंतर और सुसंगत हैं। इसका अर्थ यह है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन न केवल अमूर्त सिद्धांतों के स्तर पर किया जाता है, बल्कि वास्तविक जीवन के कार्यों और व्यवहारों में भी किया जाता है।

2. नैतिक अखंडता

नैतिक अखंडता का अर्थ है किसी के नैतिक सिद्धांतों और मान्यताओं के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहना, यहाँ तक कि चुनौतियों या व्यक्तिगत हितों के विरोध के बावजूद। इसमें प्रामाणिकता, ईमानदारी और नैतिक साहस शामिल है।

- **नैतिक साहस:** नैतिक अखंडता में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि जब ऐसा करने में व्यक्तिगत जोखिम, आलोचना, या कठिनाई शामिल हो। नैतिक साहस का तात्पर्य उन परिस्थितियों में नैतिक स्थिति लेने से है जहाँ यह अलोकप्रिय या असुविधाजनक हो सकता है, नैतिक विश्वासों के प्रति किसी की प्रतिबद्धता को बनाए रखना।

3. नैतिक निरंतरता और अखंडता का व्यावहारिक अनुप्रयोग

- **नेतृत्व और निर्णय:** नेतृत्व की भूमिकाओं में, नैतिक निरंतरता और अखंडता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। नैतिक नेतृत्व में ऐसी नीतियों और निर्णयों को लागू करना शामिल है जो नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हों, जबकि नैतिक अखंडता यह सुनिश्चित करती है कि नेता व्यक्तिगत या पेशेवर दबावों के बावजूद नैतिक मानकों पर कायम रहें।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- **परिस्थितिगत नैतिकता:** नैतिक निरंतरता और अखंडता की अवधारणाएँ कठिन हो सकती हैं जब विभिन्न परिस्थितियों में नैतिक नियमों को लागू करने में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। आलोचक तर्क देते हैं कि नैतिक निर्णयों में कठोर निरंतरता हमेशा वांछनीय या व्यावहारिक नहीं हो सकती है।
- **नैतिक दुविधाएँ:** नैतिक दुविधाएँ अक्सर नैतिक निरंतरता और अखंडता की सीमाओं को उजागर करती हैं, क्योंकि जटिल स्थितियों में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। नैतिक अखंडता बनाए रखते हुए विभिन्न नैतिक दायित्वों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **व्यक्तिपरकता:** नैतिक अखंडता की अवधारणा में यह जोखिम होता है कि इसे अत्यधिक व्यक्तिपरक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है, जहाँ व्यक्तिगत नैतिकता को सैद्धांतिक आधार के बजाय व्यक्तिगत विश्वासों के अनुसार परिभाषित किया जाता है।

नैतिक निरंतरता और अखंडता नैतिक सिद्धांत और व्यवहार के लिए आवश्यक घटक हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में नैतिक जीवन जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन सिद्धांतों को लागू करना और बनाए रखना अक्सर जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब नैतिक दुविधाएँ या विरोधीाासी सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। नैतिक निरंतरता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता नैतिक निर्णय लेने और कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो नैतिकता और सैद्धांतिकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।

6. नैतिक निरपेक्षता के विरुद्ध तर्क

6.1 सांस्कृतिक सापेक्षवाद और नैतिक विविधता

सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह दृष्टिकोण है कि नैतिकता सांस्कृतिक संदर्भों और सामाजिक परंपराओं द्वारा आकारित होती है, और इसलिए, नैतिक मान्यताएँ और प्रथाएँ विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती हैं। यह सिद्धांत नैतिक निरपेक्षता के खिलाफ एक प्रमुख तर्क के रूप में कार्य करता है, जो सार्वभौमिक नैतिक मानकों को लागू करने के विचार को चुनौती देता है।

1. सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा

सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस धारणा पर आधारित है कि नैतिकता व्यक्तियों के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि नैतिक मान्यताएँ और प्रथाएँ सांस्कृतिक विशेषताओं, धार्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक अनुभवों, और सामाजिक मानदंडों के आधार पर विकसित होती हैं।

- **नैतिक निर्णय में लचीलापनः** सांस्कृतिक सापेक्षवाद नैतिक निर्णय लेने में लचीलापन की अनुमति देता है, यह पहचानते हुए कि नैतिक दुविधाएँ जटिल हो सकती हैं और उन्हें स्थानीय संदर्भों और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न संदर्भों में नैतिक मानकों को लागू करने में लचीलापन प्रदान करता है।

2. सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नुकसान और आलोचनाएँ

- **नैतिक भ्रमः** सांस्कृतिक सापेक्षवाद की एक आलोचना यह है कि यह नैतिक भ्रम और नैतिक निरपेक्षता की कमी का कारण बन सकता है। यदि सभी नैतिक मान्यताएँ सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष हैं, तो यह तर्क देना मुश्किल हो सकता है कि कुछ कार्य अनैतिक या अनुचित हैं, विशेष रूप से जब सांस्कृतिक परंपराएँ मानवाधिकारों या समानता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।
- **सांस्कृतिक सापेक्षवाद और नैतिक प्रगतिः** सांस्कृतिक सापेक्षवाद की एक और आलोचना यह है कि यह नैतिक प्रगति को बाधित कर सकता है। यदि नैतिकता पूरी तरह से सांस्कृतिक संदर्भों के लिए सापेक्ष है, तो यह तर्क देना कठिन हो सकता है कि कुछ नैतिक मान्यताएँ या प्रथाएँ समय के साथ विकसित या सुधार की जा सकती हैं।

3. सांस्कृतिक सापेक्षवाद का व्यावहारिक अनुप्रयोग

- **अंतर्राष्ट्रीय संबंधः** सांस्कृतिक सापेक्षवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से जब नैतिक मुद्दे सामने आते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में भिन्न होते हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समझ को बढ़ावा देता है।

6.2 धार्मिक बहुलवाद और नैतिक विविधता

धार्मिक बहुलवाद का तात्पर्य इस सिद्धांत से है कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं के पास नैतिकता और जीवन के अर्थ के बारे में सत्य का एक हिस्सा है, और इसलिए, नैतिक निर्णय लेने और नैतिक आचरण के मामले में एकमात्र सत्य या दृष्टिकोण का दावा नहीं किया जा सकता है। धार्मिक बहुलवाद नैतिक निरपेक्षता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण तर्क के रूप में कार्य करता है, जो एक सार्वभौमिक नैतिक कोड के बजाय नैतिकता की बहुलता और विविधता को पहचानता है।

6.3 परिस्थितिगत प्रयोज्यता

व्यावहारिक दृष्टिकोण से, नैतिक सापेक्षवाद या निरपेक्षता की प्रयोज्यता उस विशेष नैतिक मुद्दे पर निर्भर हो सकती है जिसका सामना किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मौलिक मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में नैतिक निरपेक्षता अधिक उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि यह अन्याय की निंदा करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। इसके विपरीत, नैतिक सापेक्षवाद उन स्थितियों में अधिक उपयुक्त हो सकता है जहाँ सांस्कृतिक प्रथाएँ भिन्न होती हैं और नैतिक निर्णय सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता के साथ लिए जाने की आवश्यकता होती है।

7. अध्ययन/उदाहरण

7.1 व्यवहार में नैतिक सापेक्षवाद

व्यवहार में नैतिक सापेक्षवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण उन सांस्कृतिक प्रथाओं पर बहस में देखा जा सकता है जैसे कि अरेंज मैरिज, जो कुछ समाजों में आम है लेकिन अन्य समाजों में इसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। नैतिक सापेक्षवादी तर्क देते हैं कि ऐसी प्रथाओं का मूल्यांकन उनके सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए, यह पहचानते हुए कि जो एक समाज में नैतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है, वह दूसरे समाज में ऐसा नहीं हो सकता।

7.2 व्यवहार में नैतिक निरपेक्षता

नैतिक निरपेक्षता का एक उदाहरण मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में पाया जा सकता है, जो यह दावा करती है कि कुछ अधिकार अविच्छिन्न हैं और सांस्कृतिक या सामाजिक मतभेदों की परवाह

किए बिना सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। नैतिक निरपेक्षवादी तर्क देते हैं कि ये अधिकार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं जिन्हें विश्व स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए।

7.3 अध्ययन/उदाहरणों का तुलनात्मक विश्लेषण

इन अध्ययन/उदाहरणों के तुलनात्मक विश्लेषण से नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक निरपेक्षता के व्यावहारिक निहितार्थ स्पष्ट होते हैं। जबकि नैतिक सापेक्षवाद सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, यह वैश्विक न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने में संघर्ष कर सकता है। दूसरी ओर, नैतिक निरपेक्षता सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, लेकिन इसे सांस्कृतिक अनुकूलन की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

8. निष्कर्ष

नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक निरपेक्षता के बीच की बहस जटिल और बहुआयामी है, जो एक वैश्वीकृत दुनिया में नैतिक विविधता को नेविगेट करने की व्यापक चुनौती को दर्शाती है। नैतिक सापेक्षवाद की सांस्कृतिक विविधता और नैतिक लचीलेपन के प्रति सम्मान का संतुलन नैतिक निरपेक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांतों और स्थिरता पर जोर देता है। दोनों दृष्टिकोणों की अपनी-अपनी ताकत और कमजोरियाँ हैं, और उनकी प्रयोज्यता उस विशिष्ट नैतिक मुद्दे के आधार पर भिन्न हो सकती है जिस पर विचार किया जा रहा है। अंततः इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच चल रहा संवाद हमारे नैतिकता की समझ और मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करने में इसकी भूमिका को आकार देना जारी रखता है।

संदर्भः

- शर्मा, रामनिवास (2015), नैतिक सापेक्षवाद और मूल्य प्रणाली, भारतीय समाजशास्त्र प्रकाशन।
- सिंह, अरविंद (2018), नैतिक निरपेक्षताः सिद्धांत और व्यवहार, संस्कृति प्रकाशन।
- तिवारी, अनिल कुमार (2020), नैतिकता का सापेक्षवाद और वैश्वीकरण. पं. मदन मोहन मालवीय विद्यापीठ।
- गुप्ता, आर.के. (2007), मूल्यात्मक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, मोतीलाल बुक डिपो।
- वर्मा, हेमंत (2012), नैतिकता और संस्कृति का संधर्ष, साहित्य प्रकाशन।
- प्रसाद, हरिशंकर (2011), नैतिक सापेक्षवाद बनाम निरपेक्षता, वाणी प्रकाशन।
- त्रिपाठी, दिनेश (2016), मूल्य प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, अंशु प्रकाशन।

- कुमार, दीपक (2019), नैतिक सापेक्षवाद और वैश्विक न्याय, सृजन प्रकाशन।
- दास, सुनील (2009), नैतिक निरपेक्षता: सिद्धांत और आलोचना, भारतीय समाजशास्त्र अकादमी।
- चौधरी, विवेक (2014), मूल्यात्मक दर्शन के सिद्धांत, रचना प्रकाशन।
- मिश्रा, नवीन (2021), मूल्य और नैतिकता: तुलनात्मक अध्ययन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- यादव, राकेश (2017), सांस्कृतिक संदर्भों में नैतिक सापेक्षवाद, नेशनल बुक ट्रस्ट।
- अग्रवाल, पंकज (2010), नैतिकता और वैश्वीकरण, प्रेरणा प्रकाशन।
- सक्सेना, अनुराग (2013), मूल्यात्मक विचारधाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण, साहित्य अकादमी।
- मलिक, दीपक (2016), वैश्विक नैतिकता और निरपेक्षता, भारतीय समाजशास्त्र प्रेस।
- गौतम, आकाश (2020), नैतिक सापेक्षवाद: आलोचना और विकल्प. कल्याणी प्रकाशन।
- कौल, सुरेश (2008), नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष मानक, यूनिवर्सिटी प्रेस।
- राय, मनीष (2011), मूल्य प्रणालियों का वैश्विक दृष्टिकोण, राजकमल प्रकाशन।
- मिश्रा, विकास (2019), नैतिक सापेक्षवाद और सामाजिक संरचना, ओरिएंटल पब्लिकेशन।
- कुमार, सुदर्शन (2022), नैतिकता और मूल्य प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय अकादमी प्रकाशन।

भीष्म साहनी का फिल्मी सफर

सोनम सिंह
शोधार्थी
विद्यासागर विश्वविद्यालय
मिदनापुर, पश्चिम बंगाल

साहित्य समाज के भावो, विचारों, इतिहास, संस्कृति एवं परम्पराओं को अभिव्यक्त करता है। अतीत से साहित्य की मुख्य तीन स्वरूपों पर चर्चा होती रही है– दृश्य, श्रव्य और चम्पू काव्य। कालान्तर में नाट्य विधा का जन्म हुआ। विधा के विकास ने अभिव्यक्ति एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दृश्य माध्यम की प्रमुख विधा को आज 'सैल्युलाइड' साहित्य के नाम से जाना जाता है। श्रव्य और दृश्य काव्य के विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के सहयोग से सिनेमा का जन्म हुआ। साहित्य सह–संबंधों के आधार पर सिनेमा की कहानी की कथावस्तु साहित्य की कहानी की कथावस्तु से पूर्णतः मेल खाती है– "साहित्य और सिनेमा का संबंध एक अच्छे अथवा बुरे पड़ोसी, मित्र या संबंधी की तरह एक–दूसरे पर निर्भर है। यह कहना जायज होगा की दोनों में प्रेम संबंध है।"[1]

साहित्य और सिनेमा दो ऐसे सशक्त माध्यम हैं, जो समाज को परिवर्तित करने की जबरदस्त ताकत रखते हैं। सिनेमा समूची मानव सभ्यता का यथार्थ प्रस्तुत करता है, साथ ही विश्व संस्कृति की अवधारणा को नया आयाम भी देता है– "सिनेमा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सभी स्थितियों को आत्मसात करते हुए रचनात्मक माध्यम बना है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, कविता, रिपोतार्ज, रेखाचित्र सभी को सिनेमा ने एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है। सिनेमा सृजनात्मक और यांत्रिक प्रतिभा का सुंदर संगम बन गया है।"[2]

आधुनिक युग में साहित्यिक प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम सिनेमा है। साहित्य में लिखित काव्य, कहानी, उपन्यास को आधार बनाकर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इतना निश्चित है कि साहित्य का फिल्मीकरण करते समय उसके अनुकूल स्क्रिप्ट (script) तैयार की जाती है, तब कहीं उसका फिल्मीकरण होता है। भीष्म साहनी का 'तमस', भगवती चरण वर्मा का 'चित्रलेखा', शरदचंद्र का 'देवदास'। इन कृतियों पर फिल्म बनने के बाद इनकी लोकप्रियता अत्यंत बढ़ने लगी। वहीं शरतचन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यासों पर आधारित फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास के अनमोल धरोहर बने। 70 के दशक में गुलजार की 'मासूम', मन्नू भंडारी व बासु चटर्जी कृत 'रजनीगंधा' एवं राजेन्द्र यादव बासु चटर्जी कृत 'सारा आकाश' आदि साहित्य आधारित फिल्मों ने

दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। फिल्म उद्योग की ओर प्रेमचंद ने भी कदम बढ़ाया जरूर था मगर उनको असंतुष्ट होकर वापस आना पड़ा। फिर भी साहित्यकार पूरी तरह से फिल्मों से मुक्त नहीं हो पाए। परिणामतः भीष्म साहनी जैसे साहित्यकार फिल्मों के आकर्षण से बच नहीं सके। हालांकि भीष्म कहानी बुनियादी तौर पर रंगमंच से जुड़े हुए थे।

भीष्म साहनी ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि कुछ धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा है। 'तमस', 'लिटिल बुद्धा' और 'मिस्टर एंड मिसेज अय्यर', 'मोहन जोशी हाजिर हो' जैसे फिल्म एवं धारावाहिक 'बहादुरशाह जफर'। 'तमस' सांप्रदायिक भयावह की त्रासद गाथा है। उपन्यास दो भागों में विभक्त है- पहले भाग में रावलपिंडी शहर की घटनाओं का चित्रण है तो दूसरे भाग में सैयदपुर, खानपुर, नूरपुर आदि गांव में हुए फसाद का चित्रण है। छोटे से गांव ढोक इलाहीबक्स में वृद्ध हरनाम सिंह का अकेला गैर मुस्लिम परिवार है। बस अड्डे पर उसकी चाय की दुकान है। स्थितियां खराब होने पर पड़ोसी करीमबक्श के आगाह पर हरनाम सिंह तथा उसकी पत्नी बन्तो घर छोड़कर भागते हैं। बेटा मीरपुर गांव में है। बेटी जसवीर कौर की ससुराल सैयदपुर में है। उन्हें इत्मीनान है कि वह जरूर वहाँ गुरूद्वारे में सुरक्षित होगी। उपन्यास के आरंभ मैं ही उपन्यासकार भावी तमस का संकेत देते हैं, जिसका अर्थ अंधकार है- "हॉल में रखे दीये ने फिर से झपकी ली।"[3]

उपन्यास का आरंभ नत्थू के सुअर मारने से होता है, जिसे मुराद अली नामक कमेटी के कारिंदे ने पांच का नोट उसकी जेब में डालते हुए यह काम उसे सौंपा था- "हमारे सलोटरी साहिब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए, डॉक्टरी काम के लिए।"[4] एक षड्यंत्र के तहत मरे हुए सुअर को मस्जिद के सामने फेंका जाता है, जिससे मुस्लिम समाज उत्तेजित हो उठता है। इस तरह पूरा माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था विचलित हो जाती है। यही तनाव की स्थिति की चपेट में गांव, शहर, कस्बे आने लगते हैं। धर्म की संकीर्णता सांप्रदायिक असहिष्णुता में बदल जाती है। संवेदनहीनता की स्थिति धीरे-धीरे सांप्रदायिक दंगे के रूप में भड़क उठती हैं। दोनों तरफ से घात-प्रतिघात, हिंसा-प्रतिहिंसा द्वारा ही दंगा एक वीभत्स और अमानवीय नरसंहार में बदल जाता है। धार्मिक कट्टरवाद मनुष्य को असहिष्णु, हिंसक और अमानवीय बनाता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक परिदृश्य एक जैसा ही है। धर्म के नाम पर दुनिया में जो युद्ध लड़े गए और मानवता की जितनी क्षति हुई, उतनी शायद किसी अन्य कारणों से नहीं हुई। वर्तमान में पड़ोसी बांग्लादेश की घटना इसका सशक्त उदाहरण है। अंधी धार्मिकता ने मानवता को शर्मसार कर दिया। लोगों के बीच धर्म की आड़ में नफरत की भावना फैलाकर 'फूट डालो और राज करो' की नीति अंग्रेजों (सत्ताधारियों) ने अपनाया।

'तमस' पर पहले सात किश्तों में धारावाहिक बनाया गया था, बाद में उसे फिल्म का रूप दिया गया। यूँ तो साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाना एक सहज कार्य नहीं है। साहित्य कथा का सृजन

जीवन की अनुभूतियों में कल्पना का छींटा मारकर किया जाता है जबकि सिनेमा में कथा को घटते हुए दिखाया जाता है। सिनेमा में संवाद कथा को गति प्रदान करते हुए चलता है, जिसे मनोभावों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। फिल्मांकन के समय किया गया फेरबदल साहित्यिक कृति की पूरी आत्मा को ही बदल देता है। 'तमस' के संदर्भ में निर्देशक गोविन्द निहलानी कहते हैं- "अक्सर साहित्यिक कृतियों को सैल्युलाइड में उतारना टेढ़ा काम होता है। डर रहता है कि कहीं कृति के मूल कथन से छेड़छाड़ न हो जाए, लेकिन 'तमस' पर काम करने के लिए इस तरह खतरों की गुंजाइश नहीं के बराबर थी और स्वयं भीष्म जी ने इस मामले में हमारी सहायता की। उन्हीं से हमने ये दृश्य लिखवाए।"[5]

फिल्म के आरंभ में विभाजन के पीछे की राजनीति चाल को ए.के. हंगल और मनोहर सिंह के आपसी बातचीत के माध्यम से दिखाया गया है। विभाजन के दुष्प्रभाव ने दोनों कौमों का जीवन छिन्न-भिन्न कर दिया। नत्थू (ओमपुरी) मुराद अली के कहने पर सुअर तो मारता है, लेकिन भय एवं आतंक से ग्रस्त रहता है। पूरी फिल्म में भय और पश्चाताप का भाव उसके चेहरे पर छाया रहता है।

दूसरे दृश्य में गुरुद्वारा के भीतर अमरीश पुरी की एंट्री होती है। वह सिख गौरव का स्मरण कराने वाला भाषण देते हैं। बलवाई बाहर के गांव से आते हैं। उन बलवाइयों द्वारा हमला न करने के एवज में दो लाख रुपये की मांग रखी जाती है। सब मिलकर सहमति लाख पर बनती है। बलवाइयां नत्था और छोटे ग्रेथी को मार डालता है। तब करमो भय से तार-तार हो जाती है। करमो नत्था के सुअर मारने के पश्चाताप से उभरती हुई उसकी हिम्मत बनती है।

फिल्म के एक दृश्य में औरतें कुएं में कूदती हैं। फिल्म की एक्ट्रेस 'उत्तरा भावकर' जातीय गौरव का आभास कराती हुई 'लरैदीन के हेत' के साथ प्रतिरोध करती है। 'बोलो सो निहाल' ही गूंज के साथ वह तेज कदमों से गुरुद्वारा की सभी महिलाओं के साथ लगभग दौड़ती-सी कुएं की तरफ जाती है। यह दृश्य मन-मस्तिष्क को उद्वेलित कर देता है।

फिल्म के सीन में पार्टिशन के दौरान हरनाम सिंह (भीष्म साहनी) और उनकी पत्नी एक मुसलमान परिवार में पनाह लेते हैं। मुसलमान के हाथों लस्सी लेने से उनकी बीबी हिचकिचाती है, लेकिन हरनाम सिंह उसे लेने के लिए कहते हैं। तब अचानक वह स्वयं भावुक हो जाते हैं। ऐसे माहौल में उस मुस्लिम औरत ने इंसानियत का परिचय देते हुए मदद की। यह खूबसूरत दृश्य हृदय को छूने वाला है।

फिल्म में एक खूबसूरत मोमेंट को जोड़ा गया जो उपन्यास में नहीं है। बूढ़ी माँ सोते समय करमो का हाथ अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन सुबह जब करमो को अपने हाथों में शक्ति महसूस होती है तो वह देखती है कि माँ अब नहीं रही।

फिल्म में आगे शरणार्थी कैंप में व्यक्ति अपनी बीवी के आत्मगौरव की रक्षार्थ कुएं में कूदने पर दुखी न होकर उसके गहनों की तलाश में लगा रहता है। दंगे में मरने वाले व्यक्तियों की सूची अमीरी और गरीबी के आधार पर बनाई जा रही है।

फिल्म के अंतिम दृश्य में अमरीश पुरी थका हरा गहरे दर्द में दिखाई देता है। वह पश्चाताप के अंधकार में डूबा हुआ दिखता है। वो अंधकार जहाँ इंसान को कोई राह नहीं सूझती। तमस का असल पार्ट इस राह का अंधकार है, अवर न सूझे दूजी राह।

1984 में भीष्म साहनी ने सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म 'मोहन जोशी हाजिर हो' में काम किया। बतौर अभिनेता यह उनकी पहली फिल्म थी। यह फिल्म कानूनी व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बयां करती है। मुकदमे की उम्र इतनी लंबी कर दी जाती है कि आम आदमी का कानूनी व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाता है। आम आदमी न्याय की आस में समय और पैसे से हाथ धो बैठता है। और कानूनी दांव-पेंच से जुड़े लोग (वकील) अपनी गठरी भरते रहते हैं। मोहन जोशी अपने परिवार के साथ मुंबई के एक चाल में रहता है। वह चाल पूरी तरह से टूटने के कगार पर है, लेकिन मकान मालिक कपाड़िया (अमजद खान) उसकी मरम्मत न करवाकर उसी जगह नई बिल्डिंग बनाना चाहता है। मोहन जोशी (भीष्म साहनी) मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। मुकदमा दो वकील मलकानी नसीरुद्दीन शाह और सतीश शाह लड़ते हैं। अमजद की वकील रोहिणी हतकंड़ी रहती है। मोहन जोशी यह कानूनी लड़ाई तो पूरे चाल के लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवस उनका साथ उनकी पत्नी के सिवाय कोई नहीं देता है। पति के सहयोग के लिए वह (दीना पाठक) अपने गहने भी कुर्बान कर देती है।

मुकदमा छह साल तक चलता रहता है। अंत में जज स्वयं आकार चाल की हालत से रुबरु होते हैं, तब तक इस बीच कुन्दन कपाड़िया चाल की मरम्मत करवाता है, ताकि चाल की वास्तविक स्थिति जज से छिपी रहे। जज उसके चंगुल में आने ही वाले होते हैं कि मोहन जोशी पूरी लकड़ी के खंभे को हिलाने लगते हैं। खंभा हिलने से चाल का एक हिस्सा धड़धड़ाकर गिर जाता है, जिसमें मोहन जोशी दबे रह जाते हैं।

भीष्म साहनी एक मजे हुए कलाकार हैं। मोहन जोशी की भूमिका वे बखूबी निभाते हैं। पूरे फिल्म में कहीं भी उन्हें नाटकीय अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे बड़े सहजता से मोहन के संघर्ष, लाचारी, हताशा को भावभंगिमा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साहनी का व्यक्तित्व वास्तविक जीवन में मोहन जोशी के व्यक्तित्व से बहुत करीब हैख़ सरल, सहज, विनम्र। वहीं दूसरी ओर फिल्म के अन्य किरदार नसीरुद्दीन शाह और सतीश शाह भी अपने अद्‌भुत अभिनय शैली का परिचय देते हैं।

भीष्म साहनी 1991 में बनी 'कस्बा' फिल्म में भी अभिनय करते हैं। इस फिल्म में वे एक छोटी-सी भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रहती है। 'लिटिल बुद्धा' फिल्म में भी भीष्म साहनी अदाकारी करते हुए नजर आते हैं। यह एक इतावली -फ्रैंच फिल्म थी। तिब्बती बौद्ध मठवासी एक ऐसे बच्चे की खोज में हैं, जिसने महान बौद्ध गुरु लामा के निधन के बाद पुनर्जन्म लिया है।

सन् 2002 में अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज अय्यर' में भीष्म साहनी इकबाल अहमद की भूमिका में अपने अभिनय का जादू बिखेरते हैं। यह फिल्म सांप्रदायिक अभिशाप की कहानी बयां करती है। एक मुस्लिम युवक जहाँगीर उर्फ राजा चौधरी (राहुल बोस) और एक तमिल ब्राह्मण युवती मीनाक्षी अय्यर (कोंकणा सेन 'शर्मा') के बस यात्रा के माध्यम से।

भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। साहनी कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटककार होने के साथ-साथ एक अच्छे और मजे हुए अभिनेता भी हैं। उनका अभिनय सफर बेशक छोटा रहा, लेकिन यादगार रहा। साहनी को कभी भी अभिनय के लिए अभिनय नहीं करना पड़ा। उन्होंने जितने भी किरदार निभाए हैं, उन सभी को किसी-न-किसी रूप में जीया है। किरदार के अनुरूप उनका व्यक्तित्व और भावभंगिमा अभिव्यक्त होता चला जाता, बहती नदी की प्रवाह की तरह। भीष्म साहनी ने ज़्यादातर सांप्रदायिकता से जुड़ें चरित्र को ही निभाया है। साहनी अपनी साहित्यिक कृतियों के साथ-साथ अपने फिल्मों के लिए भी याद किए जाएंगे।

संदर्भ

1. पांडेय रतन कुमार, (संपादक), 2014, मीडिया और साहित्य अंत: संबंध, आनंद प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या-66।
2. सिंह डॉ. देवेन्द्र नाथ, सिंह डॉ. वीरेंद्र यादव, (संपादक), भारतीय हिंदी सनेमा की विकास यात्रा एक मूल्यांकन, पैसिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ संख्या-10।
3. साहनी भीष्म, तमस, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ संख्या-7।
4. वही, पृष्ठ संख्या 69
5. परिकथा, अंक-58, सितंबर-अक्टूबर : 2015, पृष्ठ संख्या- 103।

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

हिन्दी साहित्य में व्यंग्य का स्वरूप

डॉ. सुरेन्द्र पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
कूबा पी0जी0 कालेज दरियापुर नेवादा, आजमगढ़, उ.प्र.

शोध-सार

व्यंग्य साहित्य का यथार्थकारी रूप है। सामान्यत: समसामयिक जीवन में घट रही घटनाएं ही इसका कथ्य बनती हैं। कोई भी रचनाकार जब समाज में व्याप्त विसंगति अर्थात् कथनी और करनी में भिन्नता को देखता है तो वह इसे दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह इसे दूर कर एक आदर्श स्थिति के निर्माण करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो वह प्रहारक व्यंग्य के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। व्यंग्य का कार्य मानवीय गुणों में पतनशीलता को उजागर करना है। आर्थिक विषमता, चरित्रहीनता, सबल द्वारा निर्बल पर अत्याचार, शोषण आदि सब बातें मानव-विरोधी हैं। व्यंग्य इन्हीं विद्रूपताओं पर प्रहार करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। व्यंग्य का प्रहार जिस पर किया जाता है यदि वह व्यंग्य की चोट से तिलमिला जाता है और अपने आप को लज्जित महसूस करता है तो व्यंग्य का सुधारात्मक लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। जिस बात को कहने का साहस आम आदमी नहीं कर सकता, व्यंग्य उसे स्पष्ट रूप में कह देता है। इस अर्थ में व्यंग्य समाज का स्वर बन जाता है। वह समाज विरोधी एवं जन विरोधी शक्तियों के विरोध में खड़े होकर ही अपनी पहचान बनाता है। इसके लिए अत्यधिक साहस एवं विराट जीवटता की आवश्यकता होती है। व्यंग्य खतरा मोल लेकर ही प्रभावी बन पाता है। व्यंग्य में उपस्थित निर्भीकता उसकी धार को और तेज कर देती है। टूटने की ओर अग्रसर जर्जर व्यवस्था व्यंग्य के प्रहार से ढह जाती है। विकृतियों का उन्मूलन ही व्यंग्य का परम लक्ष्य होता है, इसीलिए उसकी नजर सर्वदा विकृतियों पर ही बनी रहती है। विकृति पर केंद्रित होने के कारण इसमें नकारात्मक रचना होने का दोषारोपण भी किया जाता रहा है, परंतु व्यंग्य के मूल में रचनात्मकता, बदलाव एवं सुधार की कामना होती है।

बीज-शब्द- व्यंग्य, यथार्थ, विसंगति, विद्रूपता, विकृति, प्रहार, सामाजिकता, सृजनशीलता, शोषण, चरित्रहीनता, रचनात्मकता, संवेदनशीलता, आर्थिक विषमता आदि।

मूल आलेख- व्यंग्य साहित्य का यथार्थकारी रूप है। सामाजिक जीवन में घटित घटनाएं एवं प्रसंग ही इसका कथ्य हैं। समाज मे घटित घटनाएं ही व्यंग्य को प्रेरक भूमि प्रदान करती हैं। ये घटनाएं

बड़ी विकृत होती हैं, अर्थात जो नहीं होना चाहिए वो होता देख एक सृजनशील ईमानदार कलाकार के अंतस में एक प्रकार की हलचल का निर्माण होता है। अत: वह चुप नहीं रह पाता और जब वह अपने मन की अकुलाहट को संयमित ढंग एवं कलापूर्ण माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो उसकी यह अभिव्यक्ति व्यंग्य का रूप ले लेती है। इस तरह वह व्यंग्य में नास्ति में अस्ति का भाव देखने लगता है।

व्यंग्यकार जब समाज में व्यक्ति के व्यवहार में अर्थात कथनी और करनी में अंतर देखता है तो वह इसे दूर करने की कोशिश करता है। परंतु जब इसे दूर कर आदर्श स्थिति के निर्माण करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो उसके मन में क्षोभ और निराशा पैदा होती है और फिर इस निराशा और क्षोभ की प्रतिक्रिया प्रहारक व्यंग्य के रूप में प्रस्फुटित होती है। यहाँ सीधे प्रहार न कर पाने की विवशता अवश्य है, किंतु सीधे मार की अपेक्षा बौद्धिक मार अधिक कारगर साबित होती है।

विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के बीच रहकर एक संवेदनशील ईमानदार और जागरूक कलाकार अपना मानसिक संतुलन बनाये रखने के लिए व्यंग्य का सहारा लेता है। इस संदर्भ में डा. बालेंदु शेखर तिवारी लिखते हैं– "आज का जीवन व्यंग्य रचनाओं में ही सबसे अधिक सफलता के साथ संग्रहित है। देश जितना बिका हुआ है और इसके खण्ड–खण्ड होने की प्रक्रिया जितनी मार्मिक है, वह विभीषिका को न दुखी होकर, न रोकर चित्रित किया जा सकता है और न इन सारी विद्रूपताओं से आँखें मूंदकर ही जिया जा सकता है। वातावरण की इस अन्तर्विरोधपूर्ण स्थिति को अभिव्यक्त करने का संभवत: यही सबसे उपयुक्त रास्ता रह गया है कि इस पर व्यंग्य किया जाये।"[1] ऐसी दशा में व्यंग्य भावपूर्ण कविता का सृजन नहीं हो सकता, क्योंकि कविता में जहाँ एक प्रकार की सौम्यता, मृदुलता, आल्हादता का बोध होता है; वहीं व्यंग्य कठोरता, निर्ममता और आवेश का प्रतिरूप होता है। इसलिए यदि हम व्यंग्य को विचार की विधा मान लें तो यह अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा।

व्यंग्य में जब अमानवीय तथा मनुष्य विरोधी विसंगतियों पर प्रहार करने की भंगिमा को अपनाया जाता है, तब यह हास्य से बहुत दूर हो जाता है। व्यंग्य मानवीय गुणों में पतनशीलता को उजागर करता है। आर्थिक विषमता, चरित्रहीनता, सबल द्वारा निर्बल पर अत्याचार, शोषण आदि यह सब बातें मानव–विरोधी होती हैं। व्यंग्य इन्हें अपनी प्रहारात्मकता से समूल उखाड़ फेंकने के लिए आकुल–व्याकुल होता है। व्यंग्यकार की इस विसंगति विरोधी प्रहारात्मक शक्ति के बारे में डॉ. सुरेश माहेश्वरी कहते है– "व्यंग्यकार आँखें तरेरता हुआ, हंटर हिलाता हुआ और होठों पर कुटिल मुस्कान लिए गलत रीतियों, पथभ्रष्ट पीढ़ियों और तरक्की की बेबुनियाद सीढ़ियों को झकझोरता है, उनकी खोखली नींवों को और खोखला करता है तो दूसरी ओर पराजित ईमानदारों और खस्ताहाल उच्च मान्यताओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।"[2]

व्यंग्य की इसी विशेषता ने एक ओर जहाँ निराला, नागार्जुन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जैसे समर्थ व्यंग्यकार दिये; वहीं दूसरी ओर रामधारी सिंह 'दिनकर', मैथिलीशरण गुप्त जैसे राष्ट्रभक्त कवि भी व्यंग्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए और वे न चाहते हुए भी तीखी व्यंग्यात्मक रचनाएँ लिखने को मजबूर हुए। व्यंग्य विधा सर्वाधिक लोकप्रिय होने के साथ-साथ सर्वाधिक विवादास्पद भी रही है। यह वाद दो तरह का है- एक तो व्यंग्य को हास्य से जोड़कर देखा जाता है। इससे यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि व्यंग्य में हास्य की मात्रा कितनी हो? और दूसरा यह है, कि व्यंग्य विधा नहीं है यह तो एक शैली मात्र है। इन विवादों के परिणाम स्वरूप व्यंग्य का और व्यंग्य सृजनकर्ता का भली प्रकार मूल्यांकन नहीं हो पाया। व्यंग्य तो उपेक्षित रहा ही साथ में लेखक भी रहा। समीक्षा के मानदण्ड, व्यंग्य के शास्त्रीय पक्ष और व्यंग्य के स्वरूप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। व्यंग्य के साथ हास्य जुड़ा तो इससे अनेक भ्रांतियाँ पैदा हुईं। हास्य और व्यंग्य के मध्य मात्र हाइफन होने के कारण हल्की-फुल्की हास्य रचनाओं और गंभीर वैचारिक व्यंग्य रचनाओं को एक ही पक्ति में बिठाया गया। जिस कारण इस स्थिति से स्वयं व्यंग्यकार भी असंतुष्ट हुए। श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं- "हिंदी में व्यंग्य के साथ सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि उसे प्रायः हास्य के साथ जोड़कर उसका सहभागी या अनुपूरक मान लिया जाता है।"[3]

रवीन्द्रनाथ त्यागी ने हास्य के माध्यम से व्यंग्य लिखा है फिर भी वे भी लिखते हैं- "हास्य और व्यंग्य अलग-अलग चीजें हैं और दोनों में शुद्ध रूप से पृथकता रखते हुए भी कलाकार प्रथम श्रेणी की रचनाएँ दे सकता है।"[4] इस तरह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हास्य और व्यंग्य दोनों स्वतंत्र विधाएँ हैं।

व्यंग्य हास्य की तरह अस्थाई नहीं है, क्योंकि हास्य में क्षणिक आवेश होता है और वह ठहाके लगाकर आनन्द की प्रतीति कराता है। इसके बाद हम सामान्य हो जाते हैं, परंतु व्यंग्य में हास्य के जैसा क्षणिक आवेश नहीं होता; बल्कि उसमें ऐसी तिक्तता होती है, जो जलन के साथ आनंदानुभूति देती है। यही कारण है कि व्यंग्य को पढ़ते ही चेतना में हलचल मच जाती है और कही गई बातों पर चिंतन के लिए पाठक विवश हो जाता है। "अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है।"[5]

एक ओर व्यंग्य में आलम्बन के प्रति जहाँ आक्रोश का प्रबल भाव होता है; वहीं दूसरी ओर पीड़ितों, शोषितों तथा गरीब दुर्बल लोगों के प्रति करुणा का भाव भी होता है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना 'मुन्ने भैया की बारात में' में बारातियों के उज्जड़पन, कारनामें और वर पक्ष की फिजूल माँगों आदि के चित्रण में जहाँ व्यंग्यकार का इनके खिलाफ आक्रोश फूटा है; वहीं लड़की के पिता की मजबूरी, असहायता और अंत में लड़की के पिता के द्वारा प्राण त्याग के चित्रण ने लेखक के मन में करुणा का भाव भी जगाया है।

साहित्य परिवेश की अनुभूत्यात्मक अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति बहु–आयामी होती है। व्यंग्य की प्रेरणा भी आस–पास के परिवेश से ही जन्म लेती है। व्यंग्य में यह परिवेश असंगत, विद्रूप तथा भयावह की अनुभूत्यात्मक प्रतिक्रिया है। व्यंग्यकार के मन में आलंबन के प्रति घृणा और द्वेष विद्यमान रहता है। जो पूर्ण रूप से निकृष्ट और जघन्य है, वह व्यंग्य की प्रेरणा कदापि नहीं बन सकता। किन्तु जहाँ कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत सुधार की संभावना है, उस पर व्यंग्य जम कर प्रहार करता है। अतः व्यंग्यकार की प्रेरणा विद्रूपता पर शोधन और परिवर्तन है। व्यंग्यकार मूढ़ता और जड़ता का उपहास करता है। अनाचार की भर्त्सना करता है और उन्हें समूल उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है।

प्रायः यह कहा जाता है कि 'व्यंग्य का काम प्रहार करना है ध्वंस करना नहीं है।' क्योंकि व्यंग्यकार अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है, जब वह अपने लक्ष्य को साफ करे और चमकाए। एक व्यंग्यकार अपने व्यंग्य के माध्यम से माइक्रोस्कोप की तरह दुर्बलताओं को बृहदाकार रूप में लाकर हमारे सामने रखता है। ढोंग एवं पाखंड को अनावृत्त करता है। विसंगतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। व्यंग्य के संबंध में परसाई लिखते हैं– "व्यंग्य में जितना व्यापक परिवेश होगा, जितनी गहरी विसंगति होगी और जितनी तिलमिला देने वाली अभिव्यक्ति होगी, व्यंग्य उतना ही सार्थक होगा।"[6]

हरिशंकर परसाई ने 'तिरछी रेखाएँ की भूमिका' व्यंग्य क्यों, केसे और किसलिए में व्यंग्य की व्युत्पत्ति का मूल कारण संगतियों सामजस्यों एवं अनुपातों में उत्पन्न गड़बड़ को माना है। क्योंकि "जब संगति में गड़बड़ होती है, तब चेतना में चमक पैदा होती है। इस चमक से हँसी भी आ सकती है और चेतना में हलचल भी पैदा हो सकती है।"[7]

हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्य–कर्म की प्रेरणा के बारे में कहा है– "व्यंग्य विसंगतियों में से जन्म लेता है। सवाल यह है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितने गहरे खोजता है। उस विसंगति की व्यापकता क्या है और वह जीवन में कितनी अहमियत रखती है। मात्र व्यक्ति की ऊपरी विसंगति– शरीर रचना कभी, व्यवहार की, बात के लहजे की एक चीज है और व्यक्ति तथा समाज के जीवन की भीतरी तहों में जाकर विसंगति को खोजना, उन्हें अर्थ देना तथा उसे विरोधीभास से पृथक करके जीवन से साक्षात्कार कराना दूसरी बात है। पाखण्ड के बारे में कहानी कविता और कई तरह के लेख लिखे जाते हैं।"[8]

व्यंग्य की विशेषता है कि यह अपने कथ्य के अनुरूप सभी साहित्यरूपों को अपने भीतर समेटने की सामर्थ्य रखता है। इस कारण वह अन्य सभी विधाओं से भी अलग है। व्यंग्य की इस विशेषता को लोग व्यंग्य की खामी मान लेने की भूल कर बैठते हैं और इसी कारण वे व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा मानने में हिचकिचाते हैं। कुछ व्यंग्यकार तो यह भी मानते हैं कि यदि व्यंग्य स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हुआ तो उसकी व्यापकता को सीमित कर दिया जाएगा। किन्तु स्वयं परसाई ने स्वीकार

किया है कि व्यंग्य का दायरा इतना विस्तृत है कि वह सब विधाओं को ओढ़ लेता है। परसाई इस विषय पर इस तरह अपने विचार प्रकट करते हैं– "व्यंग्य लेखक को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय (का आलाकमान) व्यंग्य को विधा क्यों नहीं मानते। उन्हें संतोष करना चाहिए कि व्यंग्य का दायरा इतना विस्तृत है कि वह सब विधाओं को ओढ़ लेता है।"[9]

व्यंग्य सुंदर की अपेक्षा कुरूप को देखता है। कुरूपता को हटाना ही व्यंग्य की परिवर्तनकामी वृत्ति है। फलतः भाषा के शब्दों के प्रचलित अर्थ तथा परम्परागत स्वभाव को व्यंग्य बदल डालता है।

सामान्य भाषा और व्यंग्य भाषा में यह अंतर है कि सामान्य भाषा अभिधात्मक होती है। कोशगत अर्थ के 'आगे उसकी गति नहीं है। वह सूचना सम्प्रेषण का कार्य करती है। जबकि व्यंग्य भाषा लक्षणा और व्यंजना की होती है जो विसंगतियों पर प्रहार आक्षेप आलोचना, भर्त्सना आदि का कार्य करती है, इसी बिंदु पर व्यंग्यभाषा विशिष्ट हो जाती है।

वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी व्यंग्य के तेवर विशेष होते हैं– "अध्यापकों से बढ़कर न कोई कायर है, न कामचोर है, न बेईमान है, इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण करने वाले लोग ऐसे हों जो शिक्षा के अलावा जिन्दगी के किसी भी क्षेत्र में घिसे हुए लोग हों। सामान्य ज्ञान की उधार ली हुई चालू पूँजी के बल पर प्रत्येक विशेष ज्ञान की बखिया उधेड़ने में समर्थ हों और ऐसे लोग हों जो मरी हुई समस्या को भी आश्वासनों के बल पर जिलाये रखने का तंत्र-मंत्र जानते हो।"[10]

लघुवाक्य के माध्यम से व्यंग्यकार अपने वक्तव्य को सूत्र जैसा प्रभावी बना लेता है। जैसे आज के भ्रष्टाचारी लोग हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। रागदरबारी में वैद्यजी के माध्यम से यही बात कही गयी है– "वैद्यजी थे, हैं, रहेंगे।"[11]

इस बिंदु पर यह सिद्ध होता है कि व्यंग्य के लिए विशिष्ट भाषा का होना आवश्यक है। व्यंग्य भाषा के वैशिष्ट्य को लेकर डॉ. श्यामसुन्दर घोष का कथन है– "व्यंग्य की भाषा में धार और नोंक दोनों जरूरी है। इससे कभी वह नश्तर लगाती है तो कभी खंजर चुभाती है; इसमें जहाँ छल, छदम या बनाव-श्रृंगार नहीं चल सकता; वहाँ छैल-छबीली घूंघट वाली लाजवती भाषा का भी कोई काम नहीं है। वह तो ऐसी हो जो केवल लेखक की मन्शा से कदम से कदम मिला कर ही नहीं चले, वरन शिकारी कुत्ते की तरह मालिक की मन्शा को पहले ही भांप ले और आगे ही आगे छलांग मारती जाए और विसगतियों को सूंघकर झपाटे से दबोच ले। यहाँ भाषा न तो जुल्फे सँवारती है, न बालों के छल्ले बनाती है। और तो और बंगाली लड़कियों के बालों की तरह लहराने और फहराने का मौका भी नहीं है।"[12]

व्यंग्यकार का धर्म सत्य का उद्घाटन करना है, किन्तु उसके सत्य उद्घाटन के पीछे गहरी मानसिक पीड़ा होती है। यदि व्यंग्यकार किसी उद्देश्यहीन सत्य का उद्घाटन करता है तो समाज के लिए बड़ी

विकट स्थिति पैदा हो सकती है। श्री केशव चन्द्र वर्मा के अनुसार, "सामाजिक विद्रूप के प्रति यदि कोई प्रतिक्रिया व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त न की जा सकी तो शायद यही विकल्प रह जाएगा कि व्यक्ति एंग्रीमैन होकर जेल खाने और पागल खाने के बीच घूमता रह जाएगा।"[13]

श्री हरिशंकर परसाई का मानना है कि व्यंग्य जीवन के सापेक्ष होता है निरपेक्ष नहीं। क्योंकि व्यंग्यकार अन्य अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। उसे जीवन की समझ भली प्रकार होती है। वह जीवन की उधेड़बुन को अच्छी तरह से समझता है। वे कहते हैं- "व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों, और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। यह नारा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी ही निष्ठा होती है जितनी किसी गंभीर रचनाकार की। बल्कि और ज्यादा ही। यह जीवन के प्रति दायित्व का अनुभव करता है।"[14]

श्री परसाई व्यंग्य द्वारा केवल सुधार की भावना का समर्थन ही नहीं करते, बल्कि वह इसे बदलाव का अस्त्र भी मानते हैं। वे इस पर कहते हैं कि, "व्यंग्य रचना केवल ध्वंस के लिए नहीं, कभी-कभी सुधार के आशय से भी की जा सकती है।"[15]

व्यंग्य का अर्थ है विरूपता। विरूपता दोष को हम असंगति दोष भी कह सकते हैं। असगतियों का दिग्दर्शन ही व्यंग्य का कथ्य है। इसी कारण उसका स्वभाव डक मारने वाली ततैया-सा है। असंगति दिग्दर्शन के कारण उसकी दृष्टि चंद्रमुखी की तरफ न जाकर करेलामुखी पर जाती है। अतः व्यंग्य असंगति दोष के कथ्य से बनता है।

व्यंग्य का प्रहार जिस पर होता है, यदि वह व्यंग्य की चोटसे तिलमिला जाता है और अपने आपको लज्जित महसूस करता है, तभी व्यंग्य का सुधारात्मक उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिस बात को कहने का साहस आम आदमी नहीं कर सकता, व्यंग्य उसे स्पष्ट रूप में कह देता है। इस अर्थ में व्यंग्य समाज का स्वर होता है। व्यंग्य व्यक्ति को उसको भूलों के प्रति ध्यान आकृष्ट कर उसकी भर्त्सना करता है, जिस कारण व्यक्ति लज्जा का बोध करता है।

डॉ रामविलास शर्मा व्यंग्य की इस लज्जा-शक्ति के रहस्य का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं "व्यंग्य का मूल्य इसमें है कि वह हमें अपनी कमजोरियों से समावेश करता है। जहाँ-जहाँ लोग अपनी पतित मनोवृत्तियों से संतोष कर बैठ रहे हैं। वर्तमान प्रतिभाशाली लेखकों ने अपने तीव्र व्यंग्य बाणों से उन्हें जगाया है। अकर्मण्यता आलस्य, आत्मसंतोष के फैले जाल को छिन्न-भिन्न करने के लिए लेखक के हाथ में व्यंग्य से अधिक सुन्दर अस्त्र कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य को जब मर्मस्थलों में आहत अपनी निर्बलताओं का ज्ञान होता है तब उन्हें दूर कर अपने को दूसरों के सामने सबल सिद्ध करने का वह प्रयत्न करता है।"[16]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि व्यंग्य का प्रयोजन समाज सुधार या असंगतियों को नष्ट करना है। यदि उसमें यह लक्ष्य निहितनहीं हैतो व्यंग्य मात्रनिंदा–आक्रोश बन जाएगा अथवा मनोरंजन का सस्ता आयाम मात्र बनकर रह जाएगा। इस तरह व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा है जिसमें असंगति विशिष्ट भाषा और एक लक्ष्य का होना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. बालेंदुशेखर तिवारी, हिंदी का स्वातंत्र्योत्तर हास्य एवं व्यंग्य, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर, 1978, पृष्ठ 65
2. डॉ. सुरेश माहेश्वरी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यग्य का मूल्याकंन, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2021, पृष्ठ 124
3. श्रीलाल शुक्ल, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, ज्ञानभारती प्रकाशन, दिल्ली, 1989, पृष्ठ 9
4. रवीन्द्रनाथ त्यागी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, डायमंड पाकेट बुक्स, 2012, पृष्ठ 25
5. डॉ. सुरेश माहेश्वरी, व्यंग्यालोचन का इतिहास, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2021, पृष्ठ 22
6. हरिशंकर परसाई, अपनी अपनी बीमारी, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2000, पृष्ठ 49
7. हरिशंकर परसाई, निठल्ले की डायरी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृष्ठ 20
8. हरिशंकर परसाई, निठल्ले की डायरी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृष्ठ 26
9. हरिशंकर परसाई, अपनी अपनी बीमारी, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2000, पृष्ठ 14
10. विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 78
11. श्रीलाल शुक्ल, रागदरबारी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृष्ठ 37
12. श्यामसुंदर घोष, व्यंग्य विवेचन, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 1983, पृष्ठ संख्या 45
13. सप्ताहिक धर्म युग, दिनांक 6 मार्च 1969, पृष्ठ 61
14. हरिशंकर परसाई, सदाचार का ताबीज, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 2014, पृष्ठ 9
15. बेब्सटर्स थर्ड न्यू इंटर नेशनल डिक्सनरी, 2016
16. आर. ए. एन्थविस्टले, दि स्टडी ऑफ पोइट्री, पृष्ठ 70

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

चित्रा मुद्‌गल के कथा शिल्प में संचेतना एवं भाषिक संरचना: एक समग्र अध्ययन

प्रतिभा कुमारी
शोधार्थी, हिन्दी विभाग
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय
आरा (भोजपुर), बिहार

चित्रा मुद्‌गल बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न, स्वयंसिद्ध, बहुपठित साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटक, कहानी, लघुकथा, उपन्यास, अनुवाद, संपादन, बाल साहित्य आदि सभी विधाओं पर अपना लेखन किया और खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। हिन्दी महिला रचनाकारों में चित्रा मुद्‌गल की खास पहचान है। उनके रचना कर्म में अनुभव को संश्लिष्टता में रचने और संवारने का हुनर देखा जा सकता है। अनुभव-अनुभूति का उनका सृजनात्मक नुकीलापन मामूली इंसान की जिन्दगी के नरक को व्यक्त करने के साथ-साथ पाठकीय संवेदना को जगाने में भी सक्षम है। चित्रा मुद्‌गल के कथा शिल्प में विविध सन्दर्भों में संचेतना का प्रभाव दीखता है- (1) सामाजिक संचेतना, (2) राजनीतिक संचेतना, (3) आर्थिक संचेतना, (4) मनोवैज्ञानिक संचेतना, (5) फ्रायडवादी संचेतना और (6) सांस्कृतिक संचेतना।

चित्रा मुद्‌गल के कथा साहित्य में सत्ता, समाज और राजनीति के विभिन्न चेहरों का वास्तविक रूप में चित्रण हुआ है। समाज में रहने वाला निम्न वर्ग किस तरह समाज, सत्ता और राजनीति से ग्रसित है, इन तीनों की आपस में भूमिका बन जाने से यह अत्यधिक प्रभावित होता है सत्ता जहाँ अपने प्रभाव से उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं, राजनीति का हस्तक्षेत्र वहीं उसके जीने के साधन ही छीन लेता है। चित्रा मुद्‌गल के कथा साहित्य का विश्लेषण समाज, सत्ता और राजनीति की दृष्टि से किया गया है तथा उनके उपन्यासों का विश्लेषण पाठक के समक्ष उसी रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है जिस रूप में चित्रा मुद्‌गल पाठक की सोच को विकसित करना चाहती हैं। संचेतना भीतर गहरे में समाई वह अवस्था है जो विचारों को झझोड़कर रख दे जिसके जाग्रत होने पर व्यक्ति संघर्ष द्वारा विशेष परिस्थिति से जूझने पर आमादा होकर चेतना को संचारित करे।

(1) सामाजिक संचेतना - 'समाज' शब्द से आशय है- 'मानव समाज समूह समाज' शब्द का प्रयोग मनुष्यों के पारम्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। समाज संबंधों का जाल है जो समय-समय पर अपने स्वरूप को बदलते रहता है। संचेतना जब सामाजिक सन्दर्भो में ली जाती है तो इसका अर्थ है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति इस हद तक संचेतित हो जाए कि इसके सामाजिक

सन्दर्भों को एक नया मोड़ मिले या नया स्वरूप मिले। जब मानसिक अथवा शारीरिक संघर्षो के परिणामस्वरूप व्यक्ति की संचेतना जाग्रत हो और परिवर्तन के लिए सन्नद्ध हो जाए तो वह परिस्थिति विघटनकारी अथवा संगठनात्मक हो सकती है। यह प्रश्न संचेतना का है संघर्ष यदि कर्म है तो उसका परिणाम संचेतना है। चित्रा मुद्‌गल ने अपने कथा शिल्प में अपने साहित्य द्वारा सामाजिक सन्दर्भों में समस्याओं को अपनी कलम के जरिये उठाया है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से क्रांति की ऐसी मशाल जलाती हैं जिसकी रोशनी निःसन्देह अंधियारे को निगलने में सक्षम होती है।

(2) राजनीतिक संचेतना – चित्रा मुद्‌गल ने अपने कथा शिल्प में राजनीतिक दबंगई का खुलकर वर्णन किया है। राजनीति इन्सानों को बाँटने की साजिशें रचती है और दंगे फसाद करवाकर अपनी राजनैतिक रोटियाँ सेकती है। चित्रा मुद्‌गल की कहानी 'बंद' एक ऐसी कहानी है जो राजनीति के घटिया हथकंडों को उजागर करती है इसके अतिरिक्त कहानी संचेतना के स्तर पर उभरकर आती है।

मुम्बई बंद के बहाने लोगों को आतंकित करना और उनमें असुरक्षा की भावना भर देना राजनीति का अमानवीय चेहरा दिखाता है। अस्सी प्रतिशत महाराष्ट्रियों को नौकरियों में रखने की मांग को लेकर हड़ताल की जाती है और यह मांग की मद्रासियों को मुम्बई से बाहर भेजा जाए। प्रतिदिन कमाकर अपना पेट भरने वाले मजदूर, कामगार तथा अन्य धन्धों में लगे लोगों को कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है और जिस पर मालिक उनका एक-एक पैसा काट लेते हैं। समाज में उपेक्षित जनों की दशा और बदलते राजनीतिक मूल्यों को चित्रा मुद्‌गल ने अपने कथा साहित्य में बताया है।

(3) आर्थिक संचेतना – समाज में यदि जीना हो तो बिना अर्थ के जीना संभव नहीं है। अर्थ के चारों ओर जीवन घूमता है, यह आज कटु सत्य है। अर्थ कमाने की होड़ हर घर में दिखाई देती है। अपनी सन्तान को अच्छे से अच्छे भौतिक सामान उपलब्ध कराने, उन्हें सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु माता-पिता दोनों ही अर्थोपार्जन में लगे हैं। उनके पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। वे बच्चों के लिए बेशकीमती खिलौने उपलब्ध करा सकते हैं मगर संवेदनाओं की एक कली थामने में सर्वथा असमर्थ हैं। घर की औरतें धन कमाने के लिए घर से निकलती हैं तो लोग कदम-कदम पर उसके लिए शोषण का जाल लिए फिरते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए गरीब अपने अंग बेचने पर मजबूर हैं। वही गरीब युवती अपना तन बेचने पर आमादा है। धन की चाह नैतिक पतन का प्रमुख कारण है। दहेज ज्वाला में झुलसती बहू दहेज-प्रथा के कारण फांसी के फंदे पर झूलती एक परिवार की तीन बेटियाँ धन के अभाव में जिस्म का सौदा करती नवयुवतियाँ और धन कमाकर पेट भरने के लिए, घरों में झाडू-पोछा करती दाई ये सभी धन कमाने के लिए कोई भी काम करने को उद्यत हैं। श्रमिक वस्तु का उत्पादन करता है और मालिक द्वारा उसका कम दाम चुकाया जाता है यहीं से आर्थिक विषमता का जन्म होता है। अर्थाभाव के कारण ही स्त्रियाँ नैतिक पतन की ओर अग्रसर होती हैं, ऐसा

चित्रा मुद्‌गल के कथा शिल्प में आर्थिक संचेतना के रूप में देखा जा सकता है। चित्रा मुद्‌गल ने कबीर दास के कथन की माया महाठगिनी अर्थ में अवतरित हुई अपने सौन्दर्य जाल में सबको फाँसती प्रतीत हो रही है।

चित्रा मुद्‌गल की कहानी 'केंचुल' आर्थिक धरातल पर बुनी कहानी है जिसमें चेतना का मुखर स्वर सुनाई देता है।

(4) मनोवैज्ञानिक संचेतना – मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के अज्ञात रहस्यों को अनावृत्त तो किया ही, साथ ही कला व साहित्य में भी जागृति उत्पन्न की। वस्तु जगत के यथार्थ के साथ मानस के यथार्थ एवं सत्य से जगत परिचित हुआ। मनोविज्ञान ने सामाजिक संस्थाओं एवं धर्म का सूक्ष्म विश्लेषण किया। समाज व्यक्ति पर अनेक प्रतिबन्ध लगता है जिससे उसके हृदय में विद्रोह पनपता है। इसी प्रकार युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के विचारों में अंतर होता है। परिणामस्वरूप टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है मनोविज्ञान इसी का विश्लेषण करके समाधान ढूंढने का प्रयास करता है इससे मनुष्य की मानसिक अवस्था को शक्ति मिली। इसी कारण मन में संचेतना की भावना का विकास हुआ।

चित्रा मुद्‌गल ने अपने कहानी शिल्प में पात्रों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर खूब विश्लेषण किया उनका कहानी 'सफेद सेनारा' इसी स्तर की कहानी है। चित्रा मुद्‌गल के कथा शिल्प में मनोवैज्ञानिक जमीन पर फली–फूली और अपने रंग रूप से पाठकों को बहुत प्रभावित किया।

(5) फ्रायडवादी संचेतना – फ्रायड ने सर्वप्रथम काम कुंठाओं एवं विकृतियों के विषय को शब्दबद्ध किया था। समाज में इन काम–कुंठाओं एवं विकृतियों का चित्रण करने वाले बहुत कम ही लोग है लेकिन आधुनिक युग में काम हमारे रोजमर्रा के जीवन पर हावी होता जा रहा है लेखिका भी इन्हें कलमबद्ध करने में पीछे नहीं रही हैं। चित्रा मुद्‌गल जी ने भी इन वर्जनाओं पर अपनी लेखनी से छुटकारा पाने का प्रयास का मार्ग दिखाने की कोशिश की है।

आधुनिक समय समलैंगिकता, विवाहेतर संबंध, सहजीवन जैसी विकृतियाँ प्रवेश कर गयीं हैं। यौन क्षुधा की तृप्ति प्राकृतिक है लेकिन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध इसकी पूर्ति अस्वस्थ मानी गई है। इसे धर्म, संस्कृति के अतिरिक्त स्वास्थ्य के साथ भी जोड़कर देखा गया है। भारतीय लेखकों ने इस कुंठा के कारणों को जानने का प्रयास किया है। 'काम' शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ कामना, इच्छा, चाह होता है। भारतीय संस्कृति में काम की उपेक्षा नहीं की गई बल्कि भोग के महत्व पर उचित रौशनी डाली गई है। इसके बावजूद आज योग की अपेक्षा भोग को अधिक महत्व किया जा रहा है। पर पुरुष संबंध एवं पर–स्त्री संबंधों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है जो चिन्ता का विषय है।

(6) सांस्कृतिक संचेतना – सांस्कृतिक शब्द में धर्म एवं संस्कृति निहित है। भारतीय परिवेश की बात करे तो इसमें धर्म व संस्कृति का बहुत महत्त्व है। मानव जीवन के लिए कोई रहस्यमयी शक्ति है जिसके बल पर दुनियाँ बनी और कायम है इसी रहस्यमयी शक्ति के आगे मनुष्य नतमस्तक होता है। हमारे रीति-रिवाज, परम्पराएँ, सामाजिक मूल्य, खान-पान, रहन-सहन में सभी सांस्कृतिक सन्दर्भ हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखते हैं। प्राचीन मूल्यों की धारोहर की रक्षा करना देश के हर नागरिक का परम कर्त्तव्य है धार्म का अर्थ धारण करना है और संस्कृति का अर्थ संस्कार युक्त होना।

भारतीय समाज में इन दोनों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनुष्य को परिमार्जित बनने के लिए इन दोनों उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। यदि मनुष्य से धर्म छीन लिया जाए तो वह मशीन बन जाएगा और यदि उससे उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वह पशु समान समाज में विचरण करेगा। सही अर्थो में धार्म और संस्कृति मनुष्य को मनुष्य होना सिखाते है। इन दोनों की परछाई किसी देश के साहित्य में दिखलाई पड़ती है।

चित्रा मुद्गल जी ने अपनी कहानियों में धर्म, संस्कृति पर प्रकाश डाला है। इनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर रचित कहानियाँ गाँवों के रीति-रिवाज, पुरातन मान्यताओं, सड़ी-गली परम्पराओं आदि को परिलक्षित करती हैं। शहरी पृष्ठभूमि पर रची कहानियों में उन्होंने भारतीय संस्कृति पर पाश्चातत्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हुए अवमूल्यन को पन्नों पर उकेरा है।

चित्रा मुद्गल के कला शिल्प की भाषिक संरचना :-

(1) भाषा – मानव अपने भावों और विचारों के आदान-प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा के इस विकसित आधुनिक रूप से पूर्व मनुष्य आपसी आचार-व्यवहार के लिए संकेतों का सहारा लिया करता था। धीरे-धीरे अक्षरों एवं शब्दों का विकास हुआ और आज भाषा अपने परिष्कृत रूप में अत्यन्त उन्नत है। भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है।

चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में भाषा के विषय में प्रोफेसर एम.एस. जगमोहन के अनुसार "भाषा-शैली में चित्रा मुद्गल ने नये आयाम प्रस्तुत किए हैं। पात्र, परिवेश और प्रसंग के भाषा वैविध्य प्रत्यक्ष हैं। कथा-सन्दर्भ के अनुकूल मलयालम शब्दों का भी प्रयोग है। भावुक समस्या बताने वाले उपन्यास की भाषा में भाव-प्रवीण शब्दों का प्रवाह कहीं दिखता नहीं, बल्कि नपे-तुले शब्दों के अर्थ के भीतर और अनेक अर्थ भरकर पाठकों को चिन्तन के अनेक विकल्प प्रदान किए हैं। केरल की मलयालम भाषा का एक शब्द है किलिकलु अर्थात् 'चिड़िया'।"[1]

चित्रा मुद्गल ने अपने पाठकों के लिए पढ़ने वाले साहित्य के साथ-साथ देखने-सुनने वाले साहित्य की रचना की है चित्रा मुद्गल की भाषा से संघर्ष और संचेतना की सुगन्ध आती है, ऐसी सुगन्ध जो किसी मेहनतकश मनुष्य के पसीने की गंध समान है। चित्रा मुद्गल के कथा-साहित्य में हिन्दी, उर्दू, मराठी, ब्रज और अवधी भाषा के दर्शन होते है ठेठ बम्बइया लहजे का उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया है। आम जनता की भाषा की नब्ज पकड़ने में चित्र जी सिद्धहस्त है। वस्तुतः चित्रा मुद्गल की भाषा लालित्यपूर्ण, सरल, भावानुकूल एवं प्रवाहमयी है जो पाठकों के मन-मस्तिष्क पर राज करने में पूर्णतया सफल रही।

(2) शब्द-योजना, बिम्ब-योजना, पात्र-योजना - चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में शब्दों के सृजनात्मक प्रयोग ने विविध आयामों को छुआ है। इससे उनकी जीवन-दृष्टि और जीवन-मूल्य परिलक्षित होते हैं उनकी रचनात्मकता और व्यक्तित्व में अतुलनीय साम्य है। उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कई भाषाओं के आभूषणों से उसके रूप-सौन्दर्य को सजाया जैसे अवधी भाषा का प्रयोग किया। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। गुजराती भाषा का प्रयोग है।

(3) व्यंगात्मकता - व्यंग्य साहित्य की ऐसी विद्या है धार पैनी करके अपना प्रभाव दूर तक छोड़ती है। यह कहानी सृजन का आवश्यक अंग है। चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यास 'आवां' में व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। उपन्यास की मुख्य पात्र नमिता पांडे पवार से नहीं मिलती और व्यस्तता का बहाना बनाती है पवार उससे व्यंग्य शैली में बात करते हुये कहता है "ईद मुबारक हो! तुम्हें फोन पर पाना तो सम्भव है नहीं।"[2]

नमिता व्यंग्य का शिकार बनती रही है। जब नमिता आभूषण के कार्यालय में जाती है, तब स्मिता का कटाक्ष उसे चुभ जाता है "नाक पोंछने की जिसे तमीज न हो, उसके लिए तो सचमुच यह कुबेर का खजाना है।"[3] चित्रा मुद्गल की कहानी में भी कटाक्ष भरे पड़े हैं।

(4) वर्णनात्मकता - यह एक पारम्परिक और प्रचलित शैली है। इसमें कहानीकार पात्रों का वर्णन, स्थान आदि का वर्णन तथा घटना का चित्रण वर्णन करता है। इस शैली को वर्णनात्मक शैली कहते है। कई बार इसमें बोझिल, अप्रासंगिक तथा अनावश्यक वर्णन भी होते है। चित्रा मुद्गल जी ने भी इस शैली का प्रयोग किया है। यह शैली सरल, रोचक एवं सहज है।

'आवां' उपन्यास की बात करें तो जब एथी यादव जी के साथ किशोरी बाई की खोली में जाती है तो वहाँ की व्यवस्था देखकर दंग रह जाती है और उसका वर्णन करते हुए कहती है, "सामान के नाम पर नजर आई किसी साधारण कम्पनी की स्टील की अलमारी। अलमारी से सटा बैंजनी फूलों वाला स्वच्छ चादर बिछा लोहे का पुराना पलंग। पलंग के सिरहाने तहाए रखे थे बच्ची की लंगोटियां, झबले, लपेटने के कपड़े। सिरहाने से टिकी खड़ी छतरी वाली मच्छरदानी। पलंग के बीचोंबीच बिछी

प्लास्टिक की छींटदार छोटी–सी चादर। पलंग के दाहिने कोने में थी, मेज और फल्लियों पर टिकी रसाई। गैस वाली मेज से सटी धारी थी लोहे के जाली वाली छोटी–सी अलमारी बिल्लियाँ से दूध, खाने आदि की हिफाजत को।"[4]

(5) चित्रात्मकता – चित्रा मुद्‌गल जी के साहित्य में इतनी सजीवता है कि पाठकों को घटनाक्रम अपने समक्ष घटित होता प्रतीत होता है क्योंकि उक्त घटना का चित्र–सा प्रस्तुत हो जाता है।

चित्रा मुद्‌गल ने अपने उपन्यास 'आवां' में जगह–जगह चित्रत्मक भाषा प्रस्तुत की है।

"खेतों के बीच रखवालों की मड़ैया केसी सुंदर बनी हुई है? हमारे केरल जैसी।' माय गॉड! उन मैनाओं को देखिए जरा नाली में चोंच डाले केसे पानी पी रही हैं? जैसे ब्याह की पंगत में खाने नहीं बैठते लोग?"[5] "कन्धे से लटके, खाल–खिंचे बैग (कुंती मौसी की उतरन) में से माँ ने एक प्लास्टिक की गुलाबी डिबिया निकालकर, ढक्कन खोल उसकी ओर बढ़ाई। डिबिया के भीतर देखते ही उसकी आँखें तीखी हो आई।"[6]

चित्रा मुद्‌गल जी की भाषा प्रवाहमयी, सरल और चित्रात्मक है उनकी संवाद योजना में चित्र उभरकर समक्ष प्रस्तुत हो जाता है।

(6) काव्यात्मकता – चित्रा मुद्‌गल जी के कथा साहित्य में चित्रात्मकता तो द्रष्टव्य है ही, साथ ही काव्यात्मकता भी झलकती है। उन्होंने गद्य में पद्य को रोपित किया है। उपन्यास हो या कहानियाँ, संवाद हो या वर्णन, उन्होंने अपनी काव्यात्मक कला की उपस्थिति दर्ज करवाई है।

'आवां' विस्तृत फलक का उपन्यास है। उपन्यास की पात्र सुनन्दा की विडम्बना का वर्णन दृष्टव्य है। "सुनन्दा उसे हरे नारियल की सख्त तहों के भीतर अनदिखे अश्रुपोखर–सी लगी। उन दोनों के मध्य खामोशी बड़ी देर तक उबाल के पश्चात् थिराए दूध की तरह खदकती रही। सुनन्दा की बच्ची का एक चित्रः– बच्ची के ऊपर छतरी तान सुनन्दा ने निश्चित हो उसकी आँखों में देखा। आंखें जरूरत से ज्यादा चीरी हुई हैं उसकी। चित्रकूट की नावों सी। 'पेंदी से गहरी'।"[9]

चित्रा मुद्‌गल के काव्य का प्रयोग गद्य में सौन्दर्य–वर्धन हेतु किया गया है जिससे उनकी भाषा में निखार आया है और चुस्त–पुष्ट भाषा निश्चित ही पाठकों को आकृष्ट करती है।

(7) प्रतीकात्मकता – कहानियों में प्रतीक का प्रयोग प्राचीन है। प्रतीकों के प्रयोग से कहानी सुगठित, आकर्षक और विचारणीय बनती है। गाम्भीर्य पुट लिए कहानी प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ इशारों–इशारों में कह जाती है। प्रतीकों के सहारे कोई रचना आगे बढ़ती है तो निश्चित ही उसकी साज–सज्जा में निखार आता है।

चित्रा मुद्‌गल जी के साहित्य में भाषा वैविध्यपूर्ण, लालिसापूर्ण और पात्रानुसार है। उन्होंने मुंबई, कस्बाई एवं गंवई सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इसके अलावे अपने साहित्य में भाषा के रूप में मलयाली, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी और खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग किया है।

चित्रा मुद्‌गल ने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता, चित्रात्मकता, काव्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और वर्णनात्मकता का भरपूर प्रयोग किया है। यही कारण है कि चित्रा मुद्‌गल की कहानियाँ और उपन्यास आम पाठक को अपने साथ जोड़े रखते है। कई कहानियाँ आकार के हिसाब से लम्बी हो गई हैं लेकिन वे कहीं भी प्रवाह को बाधित नहीं करती। बिम्बों और प्रतीकों के सहज प्रयोग से भाषा के बुद्धि कौशल से भी परिचय हुआ है।

तात्पर्य यह है कि चित्रा मुद्‌गल के कथा साहित्य की भाषा आकर्षक और साज-सज्जा के बावजूद सहज-सरल है जो बरबस अपने मोहपाश में पाठकों को अंतिम समय तक बाँधे रखने में सक्षम है।

संदर्भ

1. संग्रथन, मार्च 2006, प्रो० एस०एस० जयमोहन, पृ. 22
2. चित्रा मुद्‌गल, 'आवां', पृ. 133
3. वही, पृ. 206
4. वही, पृ.108
5. वही, पृ.21
6. वही, पृ.31
9. वही, पृ.111-112

भीष्म साहनी की कहानियों का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य

लक्ष्मी कुमारी
शोधार्थी (हिन्दी विभाग)
दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही सांप्रदायिक दंगों में कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए इसका अनुमान लगाना कठिन है। लाखों लोगों को विस्थापन और उससे संबंधित अन्य अत्याचार का शिकार होना पड़ा। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर और रावलपिंडी आदि शहरों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे-फसाद हुए। जो अब तक पड़ोसी थे अब उनके मध्य संप्रदाय के आधार पर लकीर खिंच चुकी थी, लोगों ने अपने से विपरीत धर्म वाले लोगों के घरों में आग लगाया, उन्हें लूटा। बँटवारे ने भारत को मात्र भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी झकझोर कर रख दिया। सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ कि उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए घर-बार और अपने जन्मस्थान को छोड़ कर जाना पड़ेगा। इन सांप्रदायिक दंगों के कारण लोगों को रातों-रात अपना जन्मस्थान एवं अपना सबकुछ छोड़कर भागना पड़ा और सांप्रदायिक दंगे ने इन विस्थापित लोगों को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया जिन्हें यह तक नहीं पता था कि नई जगह पर जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, कितने दिनों तक उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब होगा कि नहीं। ऐसे में नवनिर्मित भारत के समक्ष इनको दुबारा से एक नई पहचान देना बड़ी चुनौती के रूप में उभरी।

अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थीं। बँटवारे के कारण अत्यधिक मात्रा में शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए आवास का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना आवश्यक था। इनको नए राष्ट्र में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो। 1947 में भारत की आबादी काफी अधिक थी, लगभग 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बँटी हुई थी। इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों में बँटा हुआ समाज था जिनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना एक मुश्किल कार्य था। इस नवनिर्मित विशाल राष्ट्र के लोगों में अत्यधिक विविधता थी, जिसमें लोगों की तरह-तरह की भाषा, रहन-सहन, खान-पान और काम-धंधे में बहुत विविधता थी। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी

समस्या थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही भारत का संविधान निर्माण किया गया उसमें सभी जातियों, धर्मों या किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को एक समान माना गया। किंतु 'भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया जिसका गठन ही एक खास समुदाय द् मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु का स्पष्ट मत था कि भारत 'हिंदू पाकिस्तान' नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए।'[1]

भारत में विविधता का प्रश्न था जिसे संतुलित ढंग से संभालना बहुत ही आवश्यक था यदि इस स्थिति पर समय रहते कार्य नहीं किया जाता तो देश में दुबारा से उथल-पुथल शुरू हो सकता था। एकता और विकास की प्रकिया के साथ-साथ चलना था। यदि भारत के नागरिकों में व्याप्त विभिन्न मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप धारण कर सकते थे। देश के विभिन्न हिस्से में कहीं जाति के आधार पर, कहीं संप्रदाय के आधार पर तो कहीं किसी अन्य वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरु नवनिर्मित भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए पुनर्वास का उचित व्यवस्था करना और सभी के लिए रोजगार उत्पन्न करना।

धर्म के आधार पाकिस्तान के निर्माण के कारण भारत को दो भागों में बाँट दिया गया जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा ने जोड़ पकड़ लिया और लोग अपने घर-बार छोड़कर एक नई अनजान जगह आकर बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन भारतीय इतिहास की एक बड़ी त्रासदी है। विभाजन से उपजी पीड़ा से आज भी भारतीय मुक्त नहीं हो पाए हैं। आधुनिक कथा-साहित्य में भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होने समाज के मध्यवर्ग और निम्न-मध्यवर्ग के जीवन समस्याओं को आधार बनाकर लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भीष्म साहनी स्वयं अविभाजित भारत के रावलपिंडी शहर में रहते थे, उन्होंने हिंदुओं-मुसलमानों और सिखों की मिली-जुली संस्कृति को देखा ही नहीं बल्कि उसको जीया भी है, उन्होंने विभाजन से उपजी सांप्रदायिक दंगे को भी झेला है और उन्हें भी अपना जन्मस्थान छोड़कर जाना पड़ा इसलिए भीष्म साहनी इन लोगों की मन:स्थिति को बहुत ही यथार्थपरक रूप से अपनी कहानियों में चित्रित कर पाते हैं। भीष्म साहनी और उनके परिवार को अपना बसा-बसाया संसार छोड़कर भारत आना पड़ा किंतु उनके लेखन में कहीं भी मुस्लिमों के प्रति द्वेष या बदले की भावना नहीं दिखती। उनके अनुसार ये दुर्घटनाएँ मात्र लोगों को भ्रमित करने के कारण हमारे समाज में फैली है, भीष्म साहनी अपने एक साक्षात्कार के दौरान बातचीत में कहते हैं कि- 'एक बात जो कही जाने लगी है कि मैं अपने धर्म के बारे में सोचूँ और आप अपने। अगर मैं हिंदू हूँ तो अपने को हिंदू कहूँ। इसी तरह मुसलमान अपने को मुसलमान तथा आदिवासी अपने को आदिवासी कहें। मतलब अपनी

पहचान आप अब हिंदू, मुस्लिम या सिख के रूप में करें। मैं इसे नहीं मानता। हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषीय है। धर्मनिरपेक्षता उसका चरित्र है। हम मिल-जुलकर रहने वाले हैं। हमारी एक सांझी संस्कृति है। यह कहना कि हिंदू-मुस्लिम अलग हैं या अलग पृष्ठभूमि के हैं- गलत है।'[2]

जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी साहित्यिक रचनाएँ होती हैं, उस रचना पर देशकाल वातावरण का प्रभाव होता है। भीष्म साहनी की रचनाओं पर भी देशकाल वातावरण एवं सामाजिक जीवन का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। उनकी सांप्रदायिकता पर केन्द्रित रचनाओं को पढ़ने पर हमें उस समय होने वाली घटनाओं के कारण सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन और लोगों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ा, विभाजन से पीड़ित लोगों में छोटे से छोटे बदलावों को भी भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में दर्शाया है। इनकी विभाजन से उपजी सांप्रदायिकता पर केन्द्रित उपन्यास के संदर्भ में स्वयं भीष्म साहनी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं- 'मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बम्बई के निकट, भिवंडी नगर में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। पर मुझे इतना याद है कि उन दंगों के बाद मैंने 'तमस' लिखना आरंभ किया।'[3] अर्थात् इन्होंने जो भी सांप्रदायिकता से संबंधित रचनाएँ की वो अपने समय का बखान है। इनकी सांप्रदायिकता को आधार बनाकर लिक्जी गई कहानियों को पढ़ने पर हम यह देख पाते हैं कि भीष्म साहनी ने समय के साथ सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप को अपनी कहानियों में बखूबी दर्शाया है।

भीष्म साहनी की पहली कहानी संग्रह 'भाग्यरेखा' जिसका प्रकाशन सन् 1953 में हुआ, इसी में संकलित 'नीली आँखें' कहानी भी आज़ादी के बाद विभाजन के कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल-पुथल मच गया और लोगों को रोजगार और रहने का स्थान तक नसीब नहीं हो रहा था। देश के बँटवारे के बाद लोगों के मन में अपने से विपरीत संप्रदाय के प्रति शंका, घृणा और द्वेष की भावना और अधिक प्रबल हो गई थी जो इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी आज़ादी के तुरंत बाद पुनर्वास की कोशिश में लगे एक मुसलमान दंपत्ति को कितना कुछ सहना पड़ रहा था और 'राजो' की स्थिति उन सभी स्त्रियों की स्थिति को बयाँ करती है, जिनका संप्रदाय के नाम पर और उनको बेसहारा देख कर किस प्रकार पुरुष उसका यौन शोषण करते हैं। यह कहानी बँटवारे के बाद बेघर महिलाएँ जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, मौक़ा पाते ही नरपशु उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। 'नीली आँखें' कहानी में अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय के प्रति भारतीय आम जनता की धारणा को भी दर्शाया गया है।

भीष्म साहनी की सांप्रदायिकता पर केन्द्रित कहानियों को देखें तो 'पहला पाठ', 'एष धर्मः सनातनः' और 'काँटे की चुभन' कहानियाँ सन् 1957 में 'पहला पाठ' कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, यानी ये कहानियाँ भीष्म साहनी तब लिख रहे होंगे जब देश नया-नया स्वतंत्र हुआ और लोग सांप्रदायिक दंगे-फसाद को बहुत करीब से अनुभव किया होगा। धर्म पर आधारित विभाजन जो कि बाद में सांप्रदायिकता का

विकराल रूप धारण कर लिया उसी का प्रभाव आज तक जनमानस में व्याप्त हा जिसके कारण अपने से विपरीत संप्रदाय के लोगों के प्रति शंका का भाव उत्पन्न करती है, इन कहानियों के माध्यम से साहनी जी ने भी बड़ी ही बारीकी से लोगों के मन में एक–दूसरे के प्रति उठ रहे शंका को अभिव्यक्त किया है। 'पहला पाठ' कहानी में हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे संस्थान सक्रिय हुए जो तथाकथित रूप से सनातन धर्म को बचाने और विकसित करने के लिए झंडा हाथ में उठाये घूम रहे हैं। कहानी में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी दर्शाया गया है जहाँ मात्र शिक्षा को अपना विषय बनाना चाहिए वहाँ किस प्रकार बालकों के मन में धीरे–धीरे सांप्रदायिकता की भावना को पोषित किया जा रहा है, जो हमारे सामाजिक एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। विभाजन के समय में जो दरार लोगों के मध्य आई थी वो अब भी लोगों के मन–मस्तिष्क पर छपी हुई है और वही भावना अपने भाषणों और कथ्यों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के मन में भी बैठाया जा रहा है ताकि उनमें बदले की भावना सदा पनपती रहे और अपने तथाकथित धर्म की रक्षा हेतु जान लेने और जान देने के लिए सदैव तैयार रहे और सत्ताधारी इनकी इसी कमजोर नब्ज़ को आधार बनाकर जब चाहे इन्हें कठपुतली की तरह नचा सके। 'पहला पाठ' कहानी में इसी प्रक्रिया को दर्शाया है, ताकि बच्चों के मन में अपने से विपरीत संप्रदाय के प्रति घृणा, द्वेष की भावना बरकरार रहे। डॉ. शिवकुमार मिश्र के अनुसार 'पहले सांप्रदायिक तनाव का संदर्भ वैदिक–अवैदिक जातियाँ, धर्म और उनसे संबद्ध लोग थे, ब्राह्मण, बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त आदि थे, मध्यकाल में उसका संदर्भ हिंदू और मुसलमान बनते हैं।'[4]

'पहला पाठ' कहानी संग्रह में ही सांप्रदायिकता को आधार बनाकर लिखी गई 'कहानी काँटे की चुभन' कहानी में भारतीय समाज के विविधता को दर्शाती हुई प्रतीत होती है, सांप्रदायिकता की बात जैसे ही आती है हमारे सामने हिंदू–मुसलमान की तस्वीर आ जाती हैसम, पर भारतीय समाज की परत–दर–परत बनावट है। स्वयं भीष्म साहनी का पालन पोषण आर्यसमाजी तौर–तरीके से हुआ था, इसीलिए इस कहानी के माध्यम से उन्होंने सनातनधर्मी और आर्यसमाजी के मध्य के मतभेद को भी दर्शाया है, जिसमें ये दोनों परिवार तो मित्र हैं लेकिन जब भी धर्म की बात आती है ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यह केवल एक परिवार की बात न होकर पुरे समाज में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें वो पड़ोसी होने के नाते तो एक साथ हो जाते हैं और जैसे ही धर्म की बात आती है एक दूसरे को काँटे के समान चुभने लगते हैं। यह भी समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता का ही एक स्वरूप है।

'पहला पाठ' कहानी संग्रह में ही संकलित 'एष धर्मः सनातनः' कहानी भी अपने समय की वस्तु–स्थिति को बखूबी उजागर करती है, जिसमें भारत में व्याप्त वर्ण–व्यवस्था के कारण छुआ–छूत को व्यक्त करती है जो सांप्रदायिता का ही एक प्रकार है और भारत में सांप्रदायिकता का आधार भी छुआछूत आधारित ही है, देश के आज़ाद होने और धर्म के आधार पर विभाजन के बाद भारत का नव–निर्माण हो रहा था, जिसके लिए सबसे पहले संविधान–निर्माण हुआ जिसके आधार पर भारत का

संचालन होता। उसी में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ जिसके आधार पर देश का हर नागरिक एक समान है, और किसी भी धर्म, जाति के लोगों को कहीं भी आने जाने का अधिकार है। इस कहानी के माध्यम से आज़ादी के बाद लगातार जाति के आधार पर किये जा रहे भेदभाव को खत्म किये जाने के प्रयास के क्रम में कुछ-कुछ घटनाएँ जो सामाजिक स्तर पर देखने को मिली, उच्च जाति के लोगों ने मंदिरों पर अपना कब्जा जमा रखा था किंतु जब अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया तो उच्च जातियों को यह असहनीय था। इस कहानी में स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद ही संवैधानिक आधार पर हो रहे बदलावों के कारण समाज में हो रहे उथल-पुथल और उच्च जातियों की छटपटाहट को दर्शाया है कि किस प्रकार अब तक जो अछूत थे वो भी उन सभी जगहों पर आ-जा सकते हैं, जहाँ पर उनका छाया पड़ना भी वर्जित था।

राजनीति का जीवन से अटूट संबंध है। जीवन में समसामयिक राजनीतिक घटनाओं और हलचलों की अवधारणा महत्वपूर्ण है। राजनीति मानवीय और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए है। दो देशों के मध्य भी ऐसा संबंध होना महत्वपूर्ण है। अक्सर जब दो देशों के मध्य राजनीति का संतुलन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच मानवीय और सांस्कृतिक संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीति का यही यथार्थ के विषय में भीष्म साहनी ने अपनी कहानी में दो देशों के मध्य राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने कारण उस देश के नागरिक के साथ अचानक बदलते व्यवहार को भी दर्शाया है। हाल ही में जब दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित हो गया था तो लोगों ने चीनी नागरिकों के साथ हर संभव बदसलूकी किया ऐसी ही घटनाएँ घृणा-अपराध को बढ़ावा देते हैं। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो भारत में चीन से आये बौद्ध-भिक्षुओं या अध्येता को भारतीय शंका की दृष्टि से देखने लगे एवं उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। भीष्म साहनी ने 'वाक्त्चू' कहानी में भी दर्शाया कि किस तरह से दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न होने से वहाँ के नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 'वाक्त्चू' कहानी में भी जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो 'वाक्त्चू' जिसे इन घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं था उसको इतना परेशान किया जिसकी परिण ाति उसकी मृत्यु पर ही समाप्त हुई। नंदकिशोर नवल 'वाँचू' कहानी के संदर्भ में कहते हैं- 'वाक्त्चू वस्तुतः न चीनी था, न भारतीय। वह मात्र मनुष्य था इसलिए वह चीनी भी था और भारतीय भी। इस बात को गलत राजनीति ने नहीं समझा और मानव मूल्यों की उपेक्षा की गई।'[5] भीष्म साहनी जब भी लिखते हैं अपने देशकाल वातावरण को अपनी कहानी से गायब नहीं होने देते हैं उनकी कहानी के पात्रें पर देश की तात्कालिक स्थिति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को जो सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनी उन सभी को अपने लेखन का विषय बनाया। जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो दंगाइयों द्वारा सबसे पहले लेखक और बौद्धिक लोग जो समाज में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा का

विरोध खुलेआम करते हैं, उनको सबसे पहले शिकार बनाया जाता है। ऐसी ही एक घटना को साहनी जी ने 'जहूर बख्श' कहानी का विषय बनाया है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 'जहूर बख्श' जो एक लेखक थे उनको मात्र मुस्लिम होने के कारण दंगाइयों द्वारा अपना शिकार बनाया गया। एक रूढ़ धारणा जो भारतीय समाज में चलती आ रही है कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इस कहानी में भी भाषा को आधार बनाकर 'जहूर बख्श' को प्रताड़ित किया गया।

भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं में उन छोटी से छोटी घटनाओं, आधारों को भी अपना विषय बनाया है जिसपर लोगों का जल्दी ध्यान नहीं जाता है। साहनी जी ने सांप्रदायिकता उत्पन्न करने वाले उन सभी कारकों पर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी कहानियों में किसी भी संप्रदाय विशेष के प्रति अधिक या कम झुकाव देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना विषय चुना। साहनी जी ने 'सरदारनी' कहानी के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानवता सर्वोपरि लगता है। इस कहानी की सरदारनी पात्र भी इसी का उदाहरण है कि केसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो अपने विश्वास पर डँटे रहते हैं।

भारतीय समाज में अत्यधिक विविधता होने के कारण लोगों की मान्यताएँ भी अलग-अलग होती है, लोगों के आस्था का आधार भी अलग-अलग होता है। ऐसे में भारतीय समाजी व्यवस्था की टकराव की स्थिति बार-बार उत्पन्न होती है। भारत में अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था, जिसके आधार पर भारत जैसे विविधता वाले देश को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया। उसका प्रभाव अभी भी समय-समय पर भारतीय जनमानस में देखने को हमें मिल जाता है। किंतु इस अंतर्निहित भावना का प्रयोग राजनेता अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए करते हैं ताकि यह आपस में धर्म' आस्था के नाम पर लड़ते रहे और आम जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों पर ना जाये। लोगों के खानपान की आदत उनके भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसको आधार बनाकर किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते किंतु इसका प्रयोग करके लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। लोगों की मान्यता को आधार बनाकर उसे अपने धर्म के खिलाफ मानकर लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। भारत जैसे देश में बलि प्रथा जैसी प्रथाएँ चलन में रही हैं लेकिन जो लोग बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते वो इसे अपनी अपनी आस्था पर प्रहार मानते थे और उस बलि प्रथा के क्रम को रोकने के लिए कितने ही लोगों की जान ले ली जाती थी। इसी तरह की घटना को आधार बनाकर भी भीष्म साहनी ने 'शोभायात्रा' कहानी लिखी, जिसमें दो पक्षों का बलि प्रथा को लेकर अलग-अलग मत होने के कारण दोनों गुटों के मध्य दंगा-फ़साद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों ही पक्ष अपने-अपने मत पर अडिग रहते हैं, अंततः इसकी परिणति यह हुई कि एक बकरी को बचाने और अपने मत को सर्वोपरि दिखाने के लिए कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है।

किसी भी देश में दंगे-फ़साद में प्रतिभागी अधिकतर वही रहते हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है। भारत जैसे देश में जहाँ दिन-प्रतिदिन जनसंख्याँ बढ़ता ही जा रहा है, भारत में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गया है इसीलिए यहाँ के युवाओं को अपने से विपरीत समुदाय के लोगों के प्रति भड़काना अधिक आसान हो गया है। ऐसे युवाओं को अपने स्वार्थपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। धार्मिक आधार पर बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण हो रहा है जो युवाओं को अपने तथाकथित धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, और अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के नाम पर दंगाई बनाने की प्रक्रिया में युवाओं को झोंक रहे हैं। इसी प्रक्रिया को भीष्म साहनी ने 'नौसिखुआ' कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार युवाओं को मूल मुद्दे से भटका कर उनके अंदर सांप्रदायिक भावना को धीरे-धीरे जागृत किया जाता है और प्रशिक्षण के दौरन उनके भीतर से धीरे-धीरे संवेदनशीलता खत्म करके अपने से विपरीत धर्म के लोगों को मारने का शिक्षण दिया जाता है। 'नौसिखुआ' कहानी में में भी 'अमरजीत' नाम के पात्र के माध्यम से साहनी जी ने सत्ताधारियों के माध्यम से एक सीधे-साधे युवा को उसके मार्ग से भटका कर उसके मन में इतना अधिक घृणा भर दिया गया है कि वो बिना किसी के विषय में कुछ जाने हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, और घृणा अपराध को बढ़ावा देता है। 'अमरजीत' को अगर उचित समय पर रोजगार मिल जाता तो वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकता था। यह पात्र उन समस्त युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो उचित शिक्षा और रोजगार के अभाव में अपने मार्ग से भटक गए हैं, और जिनका प्रयोग सत्तधारी अपने फायदे के अनुसार करते हैं।

भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में उन लोगों की मन:स्थिति को भी बहुत ही बारीकी से प्रकट किया है, जो विभाजन के वक्त अपने परिवार से बिछुड़ गए और एक नए तरह के संसार में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बचपन से जो उन्हें संस्कार और पालन-पोषण मिला था उसको भूल कर उन्हें एक नए सिरे से अपना जीवन प्रारम्भ करना पड़ा। किंतु उनके अंतर्मन में अपने पुराने संसार की याद एक कोने में बसी हुई होती है जो समय-समय पर उन्हें बेचौन कर देते हैं। इसी बेचौनी को भीष्म साहनी ने 'बीरो' कहानी के माध्यम से प्रकट किया है। जिसका जन्म तो एक सिख परिवार में हुआ किंतु विभाजन के समय वो अपने परिवार से बिछुड़ गई, अब 'बीरो' एक नए तरह की दुनिया में रहने के लिए मजबूर है। किंतु उसे अपने पुराने परिवार की याद समय-समय पर आती रहती है। भीष्म साहनी ने उन छोटी से छोटी बातों को भी अपनी रचना का विषय बनाया है, जो मानव समाज को प्रभावित करती है चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी।

जैसा कि हम जानते हैं भीष्म साहनी ने सांप्रदायिक दंगे-फ़साद को बहुत नजदीक से महसूस किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ भीं ऐसा लिखने का प्रयास नहीं किया जिससे किसी धर्म विशेष के पक्ष को दर्शाता हो। उन्होंने समय-समय पर होने वाले सांप्रदायिक दंगे-फ़साद पर निर्भीक रूप से लिखा किंतु उन्होंने उन पक्षों को भी अपनी रचनाओं में उभारा है जो विपरीत परिस्थितियों में

भी आशा की किरण के रूप में प्रकट हुई हो। भीष्म साहनी ने 'झुटपुटा' कहानी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे शहर में जगह-जगह सिखों को निशाना बनाया गया। पूरे शहर भर में सिखों को ढूंढकर उनको अपना शिकार बनाया गया। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ खून-खराबा और भय का माहौल हो ऐसी स्थिति में दंगे से प्रभावित क्षेत्र में एक सिख ड्राईवर द्वारा दूध का गाड़ी पहुँचाना। ऐसी घटनाएँ समाज में एक विश्वास पैदा करती है कि स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, कोई-न-कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जो हमारा विश्वास मानवता में पुनः जागृत करता है। साहनी जी से समाज का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं है।

भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ से संबद्ध व्यक्ति हैं। उनकी सामाजिक दृष्टि का विश्लेषण अनिवार्य है। सामाजिक दृष्टि के माध्यम से ही हम उनके मूल चिंतन तक पहुँच सकते हैं। भीष्म जी सदैव समाज से जुड़कर रहने वाले व्यक्ति हैं। वे समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में जुड़े रहे हैं। भारतीय समाज में व्याप्त विविधता के कारण उत्पन्न अंतर्विरोधों की पड़ताल करके लोगों को उस विषय में तार्किक दृष्टि देने का प्रयास करते हैं। इन अंतर्विरोधों के बावजूद वो मनुष्य में मनुष्यता को बचाए रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। यह उनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिल जाता है कि कितनी भी विकराल स्थिति हो कोई पात्र तो ऐसा अवश्य होता है, जिसके कारण मनुष्यता में विश्वास बरकरार रहता है। साहनी जी की सामाजिक दृष्टि गहरी होने के कारण जब भी वो कोई रचना कार्य करते हैं, उनकी रचनाओं में सत्य की खोज दिखाई देती है। अपने रचना कार्य के माध्यम से समाज में व्याप्त मिथ्या के भीतरी तत्व की खोज करते हुए वो उसके कारणों के तह तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

अंततः हम भीष्म साहनी की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को विश्लेषित करते हैं तो पाते हैं कि भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय सामजिक संरचना के सभी पक्षों को अपने रचनाकर्म में बखूबी दर्शाया है। साहनी जी ने अपनी कहानियों में किसी भी रूढ़ संकल्पना को अपने विषय में स्थान नहीं दिया है, इनकी रचनाओं में यथार्थपरक रूप सभी पक्षों को दर्शाया गया है। भीष्म साहनी ने मानव समाज की विविध अनुभूतियों और संवेदनाओं को अपनी कहानियों की विषय-वस्तु बनाया है। विष्णु प्रभाकर ने भीष्म साहनी पर लिखे संस्मरण में उनके रचनाकर्म पर टिपण्णी करते हुए लिखा है- 'उनका रचना-संसार आम आदमी का रचना-संसार है, महानायकों का नहीं। उनकी रचनाएँ सच्चाइयों का दस्तावेज हैं। वह वक्त की चेतना के सहज प्रवक्ता हैं।'[6] इनकी कहानियाँ समाज का वास्तविक चेहरा ही नहीं दिखाती बल्कि मानवीय जीवन को समझने की दृष्टि भी देती हैं।

संदर्भ सूची

1. एन.सी.ई.आर.टी., सामाजिक विज्ञान, कक्षा आठवीं, हमारे अतीत-3 (पृष्ठ सं. 130)

2. भीष्म साहनी, मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, किताबघर प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2007 (पृष्ठ सं. 44-45)

3. भीष्म साहनी, आज के अतीत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण 2003 (पृष्ठ सं. 225)

4. डॉ. शिवकुमार मिश्र, प्रेमचंद : विरासत का सवाल, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2016 (पृष्ठ सं. 225)

5. सक्सेना एवं ठाकुर (सं), भीष्म साहनीरू व्यक्ति और रचना, वाणी प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 1982 (पृष्ठ सं. 104)

6. विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी : एक विरल व्यक्तित्व, अकार, अंक 12, नवंबर 2004 (पृष्ठ सं. 51)

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

राजकमल कला मंदिर स्टूडियो का हिंदी सिनेमा में योगदानः विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. राघवेन्द्र दीक्षित
भास्कर जनसंचार एवं पत्राकारिता संस्थान,
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

सार संक्षेप

यह शोध पत्र हिंदी सिनेमा में राजकमल कला मंदिर स्टूडियो के मौलिक योगदान की पड़ताल करता है, जो इसके अग्रणी तकनीकी नवाचारों, विषयगत अन्वेषणों, प्रतिभा संवर्धन और स्थायी विरासत पर केंद्रित है। इस शोध पत्र में राजकमल कला मंदिर के योगदान के साथ इस बात की भी जांच की गयी है कि इसके नायक वी. शांताराम ने भारत में फिल्म निर्माण में किस प्रकार क्रांति ला दी।

1942 में वी. शांताराम द्वारा स्थापित स्टूडियो ने हिंदी फिल्म सिनेमा निर्माण को एक नई सोच प्रदान की. राजकमल कला मंदिर ने हिंदी सिनेमा के विकास की आधारशिला रखने में भूमिका निभाई। इस प्रकार भारतीय फिल्म निर्माण के परिदृश्य को बदलने, गुणवत्ता और रचनात्मकता के लिए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य शब्दः वी. शांताराम, हिंदी सिनेमा, राजकमल कला मंदिर, योगदान, स्टूडियो।

पृष्ठभूमि

वर्ष 1942 में स्थापित राजकमल कला मंदिर को भारत के फिल्म इतिहास की सिनेमाई यात्रा का मील का पत्थर माना जा सकता है। वी. शांताराम फ़िल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और अभिनेता होने के साथ उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक संस्थान था। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन में 92 फिल्मों का निर्माण, 55 फिल्मों का निर्देशन एवं 25 फिल्मों में अभिनय किया। शोध पत्र राजकमल के बैनर में वी. शांताराम द्वारा निर्मित हिंदी फिल्मों का अध्ययन करता है। दादा साहेब फाल्के सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरुस्कारों से सम्मानित शांताराम जी ने अपने कार्य से केवल हिंदी ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय सिनेमा को विश्कलक में पहचान दिलाने का कार्य किया।

फिल्में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकती हैं और इसे वी. शांताराम से बेहतर किसी ने नहीं समझा, जिन्होंने अपनी कुछ यादगार रचनाओं का इस्तेमाल छुआछूत और जाति, युवा महिलाओं की (अमीर) बूढ़ों से जबरन शादी, दहेज, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों पर हमला करने, पुलिसकर्मियों, वेश्याओं और दोषियों को मानवीय बनाने के लिए किया।

साहित्य समीक्षा :

सिंह (2008) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केसे 'दो आंखें बारह हाथ' फिल्म में जेल के केंदियों के जीवन में नैतिकता पर पुनरूविश्वास स्थापित करने के सुधार के चित्रण में हिंसा को दयालुता में चरित्र परिवर्तन के माध्यम से अपराधियों को मानवीय बनाने की क्षमता के लिए सराहा गया है।

गोकुलसिंग और दिसनायके (2012) ने प्रभात फिल्म की 'पड़ोसी' को सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत करने वाले सिनेमा के शुरुआती उदाहरण के रूप में हिंदू–मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में फिल्म की भूमिका पर जोर दिया।

ड्वायर (2005) का कहना है कि 'डॉ. कोटनिस की अमर कहानी' अपनी अंतरराष्ट्रीय कथा के लिए मशहूर है, जो शांताराम के निर्देशन के साथ उनके उत्कृष्ट अभिनय फिल्म को वैश्विक एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करने और अंतर–सांस्कृतिक आदान–प्रदान के सूक्ष्म चित्रण के लिए सराहा गया है, जो युद्धकालीन मानवीय प्रयासों की व्यापक समझ में योगदान देता है।

चटर्जी (2014) ने 'अमर भोपाली' को एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जीवनी फिल्म के रूप में वर्णित किया है जो संस्कृति, संगीत और जनजागरण एक सूत्र में पिरोकर फिल्म को कलात्मक चित्रण के साथ प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के ऐतिहासिक संदर्भ और इसकी कलात्मक अखंडता की खोज जो सांस्कृतिक विरासत के प्रति शांताराम के समर्पण को दर्शाते हैं।

दत्ता (2009) ने 'नवरंग' में कल्पनाशील कहानी कहने पर जोर दिया है, जिसमें बताया गया है कि केसे शांताराम ने रचनात्मकता और वैवाहिक कलह के जटिल विषयों का पता लगाने के लिए कल्पना का उपयोग किया। निर्देशक ने गूढ़ता और रहस्य को संगीत से सुलझाने की कोशिश की है।

बास्करन (2013) शांताराम की नृत्य और फंतासी को एक सामंजस्यपूर्ण कथा में पिरोने की क्षमता के उदाहरण के रूप में 'जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली' की चर्चा करते हैं। नायिका प्रधान इस फिल्म में वैभव सुखों को नकारकर नृत्य और संगीत के प्रति नायिका का समर्पण सराहनीय है।

राजाध्यक्ष और विलेमेन (1999) ने 'झनक झनक पायल बाजे' को भारतीय संगीत में एक मील

का पत्थर माना है, जो नृत्य और संगीत की कथात्मक प्रस्तुति यह फिल्म अपनी जटिल कोरियोग्राफी और रंग के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी कहानी कहने और दृश्य अपील को बढ़ाती है।

भटाचार्जी (2016) 'गीत गाया पत्थरों ने' की विषयगत गहराई की पड़ताल करता है, जो कला और प्रेम के बीच परस्पर क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। फिल्म भावनात्मक और कलात्मक यात्राओं को व्यक्त करने की क्षमता के लिए फिल्म की संगीतमय कथा की सराहना की जाती है, जो कहानी कहने के साथ संगीत को एकीकृत करने के लिए शांताराम के अभिनव दृष्टिकोण को दर्शाती है।

अध्ययन का उद्देश्य :

- राजकमल कला मंदिर द्वारा निर्मित फिल्मों के विषयवस्तु और शैली (Genre) का विश्लेषण करना।
- राजकमल कला मंदिर की विरासत में वी. शांताराम के योगदान का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि : इस शोध में वर्णात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत वर्णात्मक-विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह पद्धति किसी स्थिति, घटना का विस्तृत वर्णन और सटीक विश्लेषण के साथ विवरण प्रदान करने पर केन्द्रित है। यह शोध एक मिश्रित विधि दृष्टिकोण को नियोजित करता है जिसमें मुख्यतया द्वितीयक आंकड़ो का उपयोग किया गया है।

शोध का क्षेत्र और दायरा : इस शोध में राजकमल कला मंदिर स्टूडियो के द्वारा बनाई गयी फिल्मों के सामाजिक और कला पक्ष का अध्ययन किया गया है। तकनीकी प्रभाव का विश्लेषण बहुत ही नगण्य रूप में है। स्टूडियो द्वारा हिंदी और मराठी में फिल्मों का निर्माण किया गया लेकिन अध्ययन में विशेषकर लोकप्रिय और सुपरहिट वी. शांताराम द्वारा निर्मित हिंदी फिल्मों को लिया गया है। अध्ययन की गंभीरता के लिए आवश्यक है।

विश्लेषण :

उद्देश्य प्रथम

1. राजकमल कला मंदिर द्वारा निर्मित फिल्मों के विषयवस्तु और शैली (Genre) का विश्लेषण करना।

राजकमल कला मंदिर स्टूडियो के बैनर में निर्मित वी. शांताराम द्वारा निर्देशित सिनेमा आमजन का सिनेमा है। फिल्मों के टाइटल अपनी कहानी खुद कहानी बयां करते हैं। आपकी फिल्मों में नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष, रोचकता, संगीत-सुर साधना, सामाजिक एकता के साथ सामाजिक समस्याओं

को परदे पर उतारने का काम किया। फिल्मों में व्यंग्यात्मक रूप में समाज के पाखंड को भी दिखाने का उस समय साहस किया स्वतंत्रता के समय जब हमारा समाज बहुत रूढ़िवादी था।

वी. शांताराम अपनी विविध कहानी कहने और शैली-विस्तारित फिल्मों के लिए जाने जाते थे। प्रस्तुत शोध में यहां संक्षिप्त कहानी सारांश के साथ, शैलियों के अनुसार उनकी फिल्मों का वर्गीकरण दिया गया है।

- सामाजिक (Social Drama)
- ऐतिहासिक और बायोपिक (Historical & Biographical)
- पौराणिक और फंतासी (Mythology & Fantasy)
- संगीत- नृत्य केन्द्रित (Musical & Dance)
- प्रेम (Romantic)
- साहसिक और एक्शन (Adventure & Action Drama)

➢ सोशल ड्रामा के अंतर्गत

- दो आँखे बारह हाथ (1957) की कहानी एक युवा सुधारवादी और प्रगतिशील जेलर आदिनाथ की है। जो हत्या की सजा भुगत रहे छह दुर्दांत अपराधियों को एक फार्म हाउस पर ले जाकर सुधारने की योजना में शामिल करके उनके पुनर्वास की चुनौती लेता है। फिल्म समाज को सन्देश देती है कि कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता। हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं।
- तीन बत्ती चार रास्ता (1953) फिल्म सांस्कृतिक एकीकरण को संबोधित करती है, जो बॉम्बे में विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के चौराहे पर रहने वाले एक परिवार पर केंद्रित है। इस फिल्म में चौराहे का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से देश के विभिन्न राज्यों और धर्मों के मिलन के रूप में किया जाता है।
- सुरंग (1953) श्रमिक शोषण को मजदूर एकता और बलिदान से समाधान का रास्ता सुझाने वाली सामाजिक संघर्ष की कहानी है। सुरंग बनाने में खदान श्रमिकों की नेता पगली जो महिला है, मालिक से उनके लिए उचित मुआवजे की मांग करती है। लेकिन पगली अपनी जान देकर मजदूरों को एकता और संघर्ष से उनका हक दिलाने में सफल हो जाती है।
- अपना देश (1949) को एक ऐसी फिल्म के रूप में याद किया जाता है जो स्वतंत्रता पश्चात एकता, नैतिक अखंडता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में एक शक्तिशाली

संदेश देती है। फिल्म रघु नामक एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और प्रभावती नामक एक धनी महिला की कहानी है।

- दहेज (1950) फिल्म भारत में प्रचलित और विवादास्पद प्रथा दहेज प्रथा की कुरीति को संबोधित करती है। फिल्म परिवारों और व्यक्तियों पर इसके हानिकारक प्रभावों को प्रदर्शित करके इस प्रथा की आलोचना करती है।
- लड़की सह्याद्री की (1966) एक भावनात्मक-संगीतमय सामाजिक ड्रामा फिल्म है जिसे वी. शांताराम ने बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। कहानी रानी (संध्या) के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म समाज और परिवार के रुढ़िवादी को नजरिये को सामने रखती है।
- बूंद जो बन गई मोती (1967) वी. शांताराम द्वारा निर्देशित एक क्लासिक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। यह एक समर्पित शिक्षक की दिल छू लेने वाली कहानी है जो अपने छात्रों को प्रेरित करता है और अपने समुदाय को बदल देता है।

➢ ऐतिहासिक और जीवन गाथा संदर्भित

- डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946) यह फिल्म एक भारतीय डाक्टर डॉ. द्वारकानाथ कोटनिस की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो चीन-जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चीन गए थे। फिल्म त्याग, समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के विषयों की पड़ताल करती है।
- मतवाला शायर राम जोशी (1947) सिर्फ एक जीवनी फिल्म से कहीं अधिक है या यह एक सांस्कृतिक कलाकृति है जो राम जोशी, प्रसिद्ध लावणी कवि को उनके मराठी साहित्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन करती है।

➢ पौराणिक और फंतासी

- स्त्री (1961) वी. शांताराम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक महिला भूत की कहानी है जो एक गांव के पुरुषों से बदला लेना चाहती है। यह फिल्म भारतीय लोककथाओं के पारंपरिक तत्वों को एक कथा के साथ जोड़ती है जो न्याय, नैतिकता और अलौकिक विषयों की पड़ताल करती है।
- नवरंग (1959) वी. शांताराम द्वारा निर्देशित सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। शीर्षक 'नवरंग', जिसका अनुवाद नौ रंग है, भारतीय सौंदर्यशास्त्र की नौ भावनाओं या रस का प्रतीक है, जिसे फिल्म जीवंत रूप से जीवंत करती है। नवरंग में नायक दिवाकर की कल्पना, कल्पनाओं और भावनात्मक

संघर्षों को व्यक्त करने के लिए नृत्य एक सशक्त माध्यम है। फिल्म नवरंग का केंद्रीय विषय वास्तविकता और कल्पना के बीच का संघर्ष है।

➢ संगीत और नृत्य केंद्रित फिल्म

- झनक झनक पायल बाजे (1955) यह फिल्म भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत को गौरवान्वित और प्रशंसित करती है। इसका केंद्रीय विषय व्यक्तिगत भावनाओं और पेशेवर समर्पण के बीच संघर्ष है। फिल्म इस विचार की पड़ताल करती है कि किसी कला के प्रति सच्ची भक्ति के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है और प्रेम जैसी भावनाएं कलात्मक पूर्णता प्राप्त करने से ध्यान भटका सकती हैं।
- गीत गया पत्थरों ने (1964) यह प्रसिद्ध निर्देशक वी. शांताराम की एक और क्लासिक फिल्म है, जो अपनी अनूठी कहानी कहने और दृश्य सौंदर्यशास्त्र पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्राथमिक विषय कला और जीवन के अंर्तसंबंध के इर्द-गिर्द घूमता है। नायक विजय की मूर्तियां सिर्फ पत्थर की कलाकृतियाँ नहीं हैं, बल्कि नायिका नीला के प्रति उनकी आंतरिक भावनाओं और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली (1971) वी. शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म का शीर्षक ही रूपकात्मक रूप से इस विचार को व्यक्त करता है कि जिस तरह एक मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह नृत्य भी उस जीवन शक्ति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता जो उसे शक्ति देती है- चाहे वह बिजली हो या जुनून। यह फिल्म कला और कलाकार की पहचान के बीच गहरे संबंध की खोज करती है।

➢ रोमांटिक ड्रामा संदर्भित फिल्म

- शकुन्तला (1943) ऋषि विश्वामित्र और दिव्य अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह फिल्म कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञानशाकुंतलम की क्लासिक भारतीय प्रेम कहानी के शुरुआती और महत्वपूर्ण रूपांतरणों में से एक है।
- पिंजरा (1972) प्यार, विश्वासघात और सामाजिक अपेक्षाओं के अंर्तसंबंधों की पड़ताल करती फिल्म वी. शांताराम निर्देशित पिंजरा एक युवा महिला गौरी के दो पुरुषों के साथ जटिल रिश्ते और उसके जीवन को परिभाषित करने वाली कहानी सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत विकल्पों के कारण आने वाली चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती है।
- सुबह का तारा (1954) राजकमल कला मंदिर द्वारा निर्मित सुबह का तारा (मॉर्निंग स्टार) एक

क्लासिक वी. शांताराम द्वारा निर्देशित, यह मार्मिक नाटक प्रेम, हानि, सामाजिक अन्याय और आशा की स्थायी शक्ति के विषयों की पड़ताल करता है।

- सेहरा (1963) सेहरा एक क्लासिक भारतीय फिल्म है जो प्रेम, बलिदान और सामाजिक रीति-रिवाजों की जटिलताओं को उजागर करती है। अंगारा (संध्या) एक खूबसूरत और स्वतंत्र महिला, कबीले के दो पुरुषों के प्रति अपने प्यार के बीच फंसी हुई है।

➢ साहसिक और एक्शन

- तूफान और दिया (1956) एक 12 साल के लड़के की कहानी है जो सभी बाधाओं के बावजूद अपनी बहन को अंधी होने और उसके बीमार मंगेतर को बचाता है। शीर्षक उस लड़के के लिए रूपक है जो एक दीये का प्रतीक है जो उसके सामने आने वाली कठिनाइयों से लेकर सभी तूफानों के बावजूद जलता है। यह फिल्म अनाथ बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों का एक हृदयस्पर्शी चित्रण है।

उद्देश्य द्वितीय

राजकमल कला मंदिर की विरासत में वी. शांताराम के हिंदी सिनेमा में योगदान का विश्लेषण करना। यह शोध राजकमल कला मंदिर के हिंदी सिनेमा में योगदान के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु वी. शांताराम सिनेमा की प्रयोगधार्मिता को बारीक जांच में तकनीकी नवाचार, विषयगत अन्वेषण, प्रतिभा संवर्धन और भारतीय फिल्म इतिहास में इसकी स्थायी विरासत सहित वी. शांताराम के बहुमुखी योगदान की पड़ताल करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वी. शांताराम ने प्रभात फिल्म कंपनी में सफल कार्यकाल के बाद वर्ष 1942 मुंबई में राजकमल कला स्टूडियो स्थापना की। इसका नाम उन्होंने अपने बच्चों राजश्री और कमल के नाम पर रखा।

➢ तकनीकी नवाचार

- **उन्नत केमरा कार्य :** स्टूडियो ने नए केमरा कोणों, प्रकाश तकनीकों और विशेष प्रभावों का प्रयोग किया, जो उस समय अभूतपूर्व थे। जैसे दो आँखे बारह हांथ में हाई और लो एंगल शॉट, नवरंग में कल्पनशीलता के लिए रंगों का, अमृत मंथन (1934) तनाव पैदा करने के लिए पहली बार छाया

और प्रकाश का प्रयोग सहित भावुकता के लिए क्लोजअप शॉट लेना हो या झनक झनक पायल बाजे में नृत्य सीक्वेंस के लिए कम्पोजीशन हो, यह सभी वी. शांताराम की फिल्मी ट्रेडमार्क थे।

- **ध्वनि डिजायन :** ध्वनि की गुणवत्ता और संगीत पर जोर सर्वोपरि था। झनक झनक पायल बाजे (1955) जैसी फिल्मों ने संगीत और कथा के जटिल एकीकरण को प्रदर्शित किया।
- **रंग प्रौद्योगिकी :** झनक झनक पायल बाजे टेक्नीकलर का उपयोग करने वाली शुरुआती भारतीय फिल्मों में से एक थी, जिसने भविष्य की प्रस्तुतियों के लिए एक मिसाल कायम की।

➢ कथ्यपरक अन्वेषण

- **सामाजिक न्याय :** दो आंखें बारह हाथ (1957) जैसी फिल्मों ने प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए मानवीय गरिमा और पुनर्वास के विषयों की खोज की।
- **देशभक्ति और राष्ट्रवाद :** डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946) उन भारतीय डॉक्टरों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया था।
- **सांस्कृतिक विरासत :** कई फिल्मों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान देते हुए भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं को सहेजा।

➢ प्रतिष्ठित फिल्में और उपलब्धियाँ

राजकमल कला मंदिर ने कई प्रतिष्ठित फिल्मों का निर्माण किया जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।

- दो आंखें बारह हाथ (1957) इस फिल्म ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिल्वर बियर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता, जिसे सुधारात्मक न्याय और मानवीय मूल्यों पर अपनी कहानी के लिए मान्यता मिली।
- झनक झनक पायल बाजे (1955) संगीतमय सिनेमा में एक मील का पत्थर, इस फिल्म की सफलता का श्रेय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के जीवंत चित्रण को दिया गया।
- पड़ोसी (1941) और डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946) इन फिल्मों ने क्रमशः सांप्रदायिक सद्भाव और निस्वार्थ सेवा पर प्रकाश डाला, जो समकालीन दर्शकों को गहराई से पसंद आई।

➢ प्रतिभा संवर्धन

राजकमल कला मंदिर ने प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई।

- **अभिनेता और अभिनेत्रियाँ :** स्टूडियो ने कई कलाकारों को लॉन्च किया और तैयार किया, जिन्होंने आगे चलकर काफी प्रसिद्धि हासिल की, जैसे राजश्री, जितेन्द्र व संध्या, जिन्होंने शांताराम की कई फिल्मों में अभिनय किया।
- **तकनीशियन और निदेशक :** शांताराम की सलाह निर्देशकों और तकनीशियनों तक फैली, जिससे स्टूडियो के भीतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

➢ विरासत और प्रभाव

राजकमल कला मंदिर की विरासत इसकी फिल्मोग्राफी से भी आगे तक फैली हुई हैं

- **सांस्कृतिक प्रभाव :** स्टूडियो की फिल्में अक्सर सामाजिक मानदंडों को प्रतिबिंबित और प्रभावित करती हैं, जो उस समय के सांस्कृतिक संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **भविष्य के फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा :** स्टूडियो की फिल्मों और फिल्म निर्माण तकनीकों ने फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जिनमें मृणाल सेन और श्याम बेनेगल जैसे न्यू वेव आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल थे।

निष्कर्ष

हिंदी सिनेमा में वी. शांताराम का योगदान बहुआयामी और दूरगामी है। वह भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में अग्रणी थे, मूक फिल्मों से शुरुआत कर उन्होंने 1927 में प्रभात फिल्म कंपनी स्थापना करने वालो में एक थे, शांताराम की फ़िल्में अपनी सामाजिक चेतना, अस्पृश्यता, महिलाओं के अधिकार और गरीबी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए जानी जाती थीं. वह तकनीकी प्रगति के मामले में भी दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में समकालिक ध्वनि और रंग की शुरुआत की। वी. शांताराम और राजकमल कलामंदिर ने अपनी नवीन फिल्म निर्माण तकनीकों, सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से हिंदी सिनेमा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हिंदी सिनेमा में वी. शांताराम का योगदान गहरा और दूरगामी है। वह एक अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने सिनेमा को न केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में बल्कि सामाजिक टिप्पणी और परिवर्तन के एक 'न्यू स्कूल ऑफ थॉट' को जन्म दिया। सिनेमा को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया।

राज कमल कला मंदिर द्वारा निर्मित फिल्में वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका फिल्मी गुलदस्ता भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सांस्कृतिक वैविध्यपूर्णता को अपने अंदर समेटे हुए है।

शांताराम की विरासत उनकी फिल्मों से भी आगे तक फैली हुई है। उन्होंने राज कपूर और गुरुदत्त सहित अनगिनत फिल्म निर्माताओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। उनका काम अपनी कलात्मक योग्यता और सामाजिक प्रासंगिकता के लिए जाना जाता है। निष्कर्षतः हिंदी सिनेमा में वी. शांताराम का योगदान अतुलनीय है और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है।

अपने समय से बहुत आगे लेकिन लगातार खुद को नया रूप देने वाले शांताराम (1901–90) न केवल बॉलीवुड बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग के भी अग्रणी थे, जिन्होंने मूक सिनेमा से टॉकीज़ और काले–सफेद से रंगीन स्क्रीन तक, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों के चित्रण से लेकर समकालीन जीवन और समाज की विशाल विविधता और मानव कल्पना के अनंत स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करने तक की यात्रा को देखा।

उनका खुद का पेशेवर जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था, जिसमें परिवार से खुद का चुना हुआ अलगाव, सराहना न करने वाले गुरु, दोहरे व्यवहार वाले साथी, प्यार और उसकी खटास, ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और भी बहुत कुछ, लेकिन उनकी पूरी कहानी और योगदान का समेटना चंद शब्दों में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है।

वह भारतीय सिनेमा के सच्चे दिग्गज हैं। भविष्य की पीढ़ियों को विरासत में वह अमूल्य खजाना छोड़ गए हैं जिससे भारतीय सिनेमा हमेशा उनका आभारी रहेगा।

संदर्भ सूची

1. Bose, D. (2009). *Shantaram: The man who changed Indian cinema.* Penguin Books.
2. Gulzar, Nihalani, G., & Chatterjee, S. (2003). *Encyclopedia of Hindi cinema.* Popular Prakashan.
3. Kabir, N. M. (1999). *Talking films: Conversations on Hindi cinema with Javed Akhtar.* Oxford University Press.
4. Chatterjee, S. (2012). *Echoes and eloquences: The life and films of V. Shantaram.* Rupa Publications.
5. Deshpande, A. (2009). *Class, power and consciousness in Indian cinema and television.* Primus Books.
6. Singh, A. (2008). The depiction of moral reformation in *Do Aankhen Barah Haath. Journal of Indian Cinema Studies,* 12(3), 45-56.
7. Gokulsing, K. M., & Dissanayake, W. (2012). *Padosi* and the promotion of communal harmony in Indian cinema. In *Routledge Handbook of Indian Cinemas* (pp. 134-136). Routledge.
8. Majumdar, N. (2008). Immortal tale or nightmare? *Dr Kotnis* between art and exploitation. *South Asian Popular Culture,* 6(2), 141–159. https://doi.org/10.1080/14746680802365246

9. "Shaping the Course of Indian Cinema and Society." *The Avenue Mail,* https://avenuemail.in/shaping-the-course-of-indian-cinema-and-society/. Accessed 5 Aug. 2023.

10. "V. Shantaram: The Legend of Indian Cinema." *Google Arts & Culture,* https://artsandculture.google.com/story/uAXRT0BVWK_ULQ?hl=hi. Accessed 5 Aug. 2023.

11. "Biography of the Legend V. Shantaram: The Man Who Changed Indian Cinema." *Mridula Chitnis,* https://mridulachitnis.wordpress.com/2023/08/05/biography-of-the-legend-v-shantaram-the-man-who-changed-indian-cinema/. Accessed 5 Aug. 2023.

12. *Ladki Sahyadri Ki. Indian Film History,* https://www.indianfilmhistory.com/movie/ladki-sahyadri-ki. Accessed 5 Aug. 2023.

13. "V. Shantaram: Tribute to the Legendary Filmmaker." *Hamara Forums,* https://hamaraforums.com/index.php?showtopic=136200. Accessed 5 Aug. 2023.

उत्तराखण्ड का लोक साहित्य

डॉ० विकास कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उ0प्र0

सारांश

किसी भी संस्कृति व समाज का लोकसाहित्य उस समाज के जीवन का आईना होता है। इससे समाज के जीवन में हर्ष, उल्लास तथा जीवंतता का ज्ञान होता है। लोकसाहित्य विश्व के प्रत्येक समाज में पाया जाता है। उत्तराखंड एक पौराणिक प्रदेश होने के कारण यहाँ पर लोकसाहित्य की एक समृद्ध परम्परा पाई जाती है। यहाँ लोकसाहित्य की अनेक विधाएं प्राप्त होती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में इन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना :

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिाराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधिा वग्राह्म स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।।

"भारत की उत्तर दिशा में देव-स्वरूप पर्वतराज हिमालय स्थित है। पूरब और पश्चिम में समुद्र का अवगाहन करता हुआ यह पृथ्वी के मानदण्ड की भांति स्थित है।"

(कुमारसम्भव, 5.1)

"यदि हिमालय न होता तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंध भी नहीं होतीं। हमारे दूरदर्शी पूर्वज, जिन्हें इसका ज्ञान था, सदैव इन उपहारों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे, और उन्होंने हिमालय को एक तीर्थस्थल की मान्यता दी।" ये विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हैं। स्वामी विवेकानन्द कहते है कि "ये पर्वत हमारी जाति की सर्वोतम स्मृतियों से जुड़े हैं; यदि धर्मपरायण भारत के इतिहास से हिमालय को हटा दिया जाये तो बहुत थोड़ा ही शेष रहेगा।"

इस काव्यात्मक मानदण्ड की लम्बाई 2500 किमी0 है और इसका 300 किमी0 भाग उत्तराखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत है। इस देवोपम पर्वत की गोद में स्थित उत्तराखंड अनन्तकाल से भारतवासियों की

पुण्य–भूमि रहा है। धर्म ग्रन्थों में इसे देवताओं और मनीषियों की आवास स्थली कहा गया है। यही मनोभाव नन्दन–कानन (फूलों की घाटी) में पुष्पचयन करते हुए मौत का आलिंगन करने वाली मार्गरेट लेग के समाधि–प्रस्तर पर खुदे स्मृति–लेख से झलकते हैं- "मैं अपने चक्षु हिमालय की ओर उन्मुख करूंगी, क्योंकि वही मेरे जीवन का स्रोत है।"

किसी भी समाज के इतिहास का यदि हम गहनता से अध्ययन करें तो हमें सर्वप्रथम उस समाज की संस्कृति और सभ्यता को समझना परमावश्यक होगा, क्योंकि बिना इन दोनों को समझे हम उस समाज के इतिहास को पूर्णरूपेण नही समझ सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता ही कालान्तर में इतिहास की वस्तु बनकर रह जाती हैं। संस्कृति मानव के हृदय पक्ष का परिचायक होती है। संस्कृति का स्वरूप उसकी कलाओं, परम्पराओं, रीति–रिवाजों तथा धार्मिक मान्यताओं में सिमटा होता है, तो सभ्यता उसकी भौतिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि मानव संस्कृति बनाता है, तो सभ्यता उसकी भौतिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि मानव संस्कृति बनाता है, तो सभ्यता को भोगता भी है। किसी भी समाज की संस्कृति में उसके मानवीय संवेदनाएँ निहित होती है, तो सभ्यता में उसका सात्विक ही नही तामसिक रूप भी उभर कर आता है। इसलिए यदि हम कभी भी समाज और उसके इतिहास का अध्ययन करते है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता की उपेक्षा नहीं कर सकते।

उत्तराखण्ड की संस्कृति एक महान संस्कृति है। इसे देव संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। महाकवि कालीदास के महाकाव्यों और नाटकों से लेकर अद्यावधि की रचनाओं में जब कभी भी इस क्षेत्र का प्रसंग आता है, तो उसके अतीत को जानने की जिज्ञासा से मन और मस्तिष्क एक साथ मिलकर उस साहित्य में रागात्मक एवं तथ्यात्मक दोनों ही बिन्दुओं को ढूंढने का प्रयत्न करते है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इस क्षेत्र को देवसभ्यता के ध्वंस के रूप में चित्रित किया है। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन ने इसे देवभूमि की संज्ञा दे डाली। एक लम्बे अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड की इस देवसंस्कृति का अध्ययन विभिन्न अध्येताओं ने अपनी–अपनी तरह से किया।

उत्तराखण्ड का लोकजीवन

किसी भी समाज के लोकजीवन को समझने के लिए उस समाज से संबंधित अनेक पक्षों का गहन अध्ययन एवं निरीक्षण करना आवश्यक होता है। लोकजीवन के अन्तर्गत मात्र रीति–रिवाज और धार्मिक क्रिया–कलाप ही सम्मिलित नही किये जाते है अपितु वहॉ का आर्थिकजीवन, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों, साहित्य, कला और पुरातत्व सभी उस क्षेत्र के लोकजीवन तथा संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं।

देवभूमि उत्तराखण्ड की भी इसी प्रकार की एक विशिष्ट संस्कृति है। अपनी उत्तम प्राकृतिक स्थिति तथा भौगोलिक दशाओं के कारण यह क्षेत्र हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहा है। अनंतकाल से विभिन्न प्रांतों के लोग धार्मिक यात्रा अथवा पर्यटन के उद्देश्य से यहाँ आते रहे है। उनमें से अनेक व्यक्ति स्थाई रूप से यहीं पर रहने लगे। जो अपनी पूर्व की सामाजिक स्थिति को त्याग कर हमेशा के लिए यहीं के हो गये। यह एक बार नही हजारों बार हुआ और यह क्रम आज भी चल रहा है। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि यहाँ के कतिपय मूल निवासियों को छोड़कर अधिकांश जाति के लोग यहाँ अन्य प्रांतों से आकर बसे है। पांडेय-सौराष्ट्र, भट्ट-दक्षिण भारत, बलूनी-जालंधर तथा तोमर जाति के मूलपुरूष राजस्थान से यहाँ आकर बस गये थे। यहाँ पर ऐसी ही सैकड़ों अन्य जातियाँ भी है।

स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रांतों से आये हुए इन लोगों के साथ उनके रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान के तरीके, त्यौहार-उत्सव, धार्मिक मान्यताएँ और बोली-भाषा भी यहाँ आयी। इन्हीं समस्त अवयवों ने मिलकर उत्तराखण्ड में एक ऐसी विराट, उदार और सर्वमान्य संस्कृति को जन्म दिया, जिसमें सम्पूर्ण भारत की सांस्कृतिक झलक विद्यमान है। यही वर्तमान उत्तराखण्ड की संस्कृति है, लोकजीवन है।

अनेक बार उत्तरांखण्ड की संस्कृति को कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल दो पृथक नामों से देखा गया है। किन्तु पार्थक्य की यह अवधारणा नौ नवम्बर सन् 2000 ई0 को सदा के लिए इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो चुकी है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् अब इस क्षेत्र की संस्कृति को समग्र रूप में विस्तृत दृष्टिकोण से देखना समीचीन होगा।

उत्तराखण्ड का लोक साहित्य

उत्तराखण्ड की मूल जाति कौन थी और किस प्रदेश से आकर यहाँ स्थाई रूप से रस-बस गयी, यह तथ्य विवादास्पद हो सकता है किन्तु यह अकाट्य सत्य है कि वर्तमान उत्तराखण्ड में निवास करने वाली कतिपय जातियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहाँ बसी है। इस प्रकार आज के उत्तराखण्ड में यहाँ के मूल निवासियों के वंशज तो हैं ही, भारत के इतर प्रदेशों से आये जनों व जातियों के वंशज भी हैं। इसलिए यहाँ की बोलीभाषा में भारत के विविध राज्यों व क्षेत्रों की भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं।

फलतः उत्तराखण्ड की दोनों भाषाओं-गढ़वाली और कुमाऊँनी में आर्येत्तर तत्वों का पर्याप्त समावेश देखने को मिलता है, और क्योकि 'साहित्य समाज का दर्पण है। अतः यह लोकसाहित्य जिस पीठिका पर आधारित है, उसमें अनेक जातियों के रीतिरिवाज, धार्मिक विश्वास, मंत्रतंत्र एवं जादूटोना सम्मिलित हैं। इस प्रकार यहाँ का भाषा साहित्य जिस लोकसंस्कृति पर आधारित है, उसका निर्माण विभिन्न परम्पराओ से हुआ है। अतः इसके वास्तविक स्वरूप की जानकारी के लिए स्थानीय क्षेत्रों तथा परम्पराओं का ज्ञान आवश्यक है।

यह क्षेत्र प्राचीनकाल से ही आध्यात्म एवं धर्म का केन्द्र रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, जागेश्वर जैसे स्थानों की यात्रा के लिए समय-समय पर अनेक क्षेत्रों के लोग यहाँ आते रहे है। जिसमें से कालान्तर में कुछ यहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। मध्यकाल मे बहुत से राजपूत यहाँ आकर बसे। राजस्थान के साथ इस क्षेत्र का घनिष्ठ सम्बन्ध भाषा के आधार पर सिद्ध होता है।

कुमाऊँ के गंगादत्त उप्रेती ने कई वर्ष पूर्व कुमाऊँनी भाषा की एक लम्बी सूची प्रकाशित की, जो यहाँ के जातीय विभाजन पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। सूची के अनुसार यहाँ के ब्राह्मण भारत के कम से कम सैंतीस स्थानों से आए है और इन लोगों ने यहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्णयोग दिया है।

सत्रहवीं शताब्दी से यहाँ मुसलमान व ईसाई भी आकर बसने लगे, जिसके फलस्वरूप उर्दू, फारसी के कुछ शब्द कुमाउँनी-गढ़वाली में समाहित हो गए, साथ ही सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी के कई शब्द प्रयोग किए जाने लगे- टैम, अस्पताल, डाक्टर, मास्टर, किचन स्कूल, जैसे कतिपय शब्द अंग्रेजी प्रभाव से स्थानीय लोकभाषा में स्थान प्राप्त कर गए।

यह सत्य ही कहा जाता है कि उत्तराखण्ड के लोकसाहित्य का अधिकांश भाग यहाँ की स्त्रियों द्वारा ही निर्मित है। आज भी इस क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता पुरूषों से अधिक है। यहाँ की महिलाएँ अकेले ही जंगल में जाकर घास-लकड़ी काटती है, नदीनाली से पानी भारती है, कृषि कार्यों में हाथ बंटाती है, और सामूहिक उत्सवों में सक्रिय योग देती है। स्थानीय नृत्यगीतों में वह पुरूषों के साथ मिलकर अपने भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्त करती है। नारी की इसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के कारण ही उत्तराखण्ड के लोकसाहित्य में यह विशेषता परिलक्षित होती है।

दूसरी ओर स्त्री जाति के कोमल हृदय पर किसी की जुदाई या मृत्यु के कारण पड़ने वाले प्रभाव में भी उसके कंठ से गीत फूट पड़ते हैं। प्राचीन रीति के अनुसार अल्पायु में विवाहित कन्याएं घर से कहीं दूर अपनी ससुराल में जाकर अपने मातृ-प्रेम की वेदना को आँसुओं के रूप में इधर-उधर बिखेरती, मातृगृह की दिशा में खड़े पर्वतों एवं जंगलों की ओर निहारती हुई अमुलाती है और अनायास ही उनके मुख से गीतों की स्वर लहरियाँ घाटियों और वनों में गूँजती रही है, जो आज हमारे लोकसाहित्य की 'गीत' विधा के रूप में स्थापित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में शिल्पकार वर्ग का लोकसाहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही इस क्षेत्र के आशु कवि है। इन्हें बददी, औंजी, ढ़ोली, दास आदि नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है।

बद्दी अधिकांशतया सपरिवार घूमकर गायनवादन करते थे। इनकी कोई स्थायी भूमि नही थी। विशेषरूप से शादी, ब्याह, चूड़ाकर्म के अवसर पर इनकी स्त्रियाँ भी नाचती थी। ढ़ोली या दास ढ़ोल बजाकर गीत गाते हैं तथा भूतप्रेतों और देवीदेवताओं का अवतरण कराते है। लोकसंगीत, लोकनृत्य, लोकधर्म, गीत और गाथाओं में इनका जीवन जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से लोकसाहित्य के प्राचीन रूप इन्हीं की परम्परा में जीवित है। किन्तु आधुनिक परिस्थितियों ने इन जातियों की परम्परागत भूमिकाओं में परिवर्तन कर दिया है तथा अनेक का अस्तित्व ही समाप्ति के कगार पर खड़ा हैं।

गढ़वाली और कुमाउँनी दोनों भाषाओं की कई उपबोलियाँ हैं। ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में गढ़वाली और कुमाउँनी भाषा की इक्कीस बोलियों का उल्लेख किया है। जिनमें तेरह कुमाउँनी तथा आठ गढ़वाली बोलियाँ हैं। सर्वप्रथम 1814 ई0 में पर्वतीय भाषा प्रकाशन नामक पुस्तक में क्षेत्रीय तथा जातीय आधार पर कुमाउँनी की सोलह बोलियों का उल्लेख किया गया है।

कुमाऊँनी भाषा का विकासक्रम :

कुमाउँनी भाषा के विकासक्रम का आरम्भ तेरहवीं सदी से माना जाता है। तत्कालीन चंदवंश के अनेक ताप्रमत्र और शिलालेख उपलब्ध हैं, जो कुमाउँनी में लिखे गये हैं किन्तु यह भी सत्य है कि गढ़वाली की ही भांति इस क्षेत्र का लोकसाहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परा में अनिश्चित काल से मौखिक रूप में प्रचलित रहा है।

डॉ. देवसिंह पोखरिया के अनुसार– 'अब तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कुमाऊँ में लिखितसाहित्य की परम्परा अठाहरवीं सदी से आरम्भ होती है। इससे पूर्व ताम्रपत्रों, गूँठों, शिलालेखों आदि में भाषा के रूप में तो कुमाउँनी का प्रयोग मिलता है, किन्तु साहित्य की दृष्टि से कुमाउँनी रचना नहीं मिलती।

डॉ. प्रयाग जोशी को कुमाउँ की जो बही प्राप्त हुई है। उनमें से एक बही राजा लक्ष्मी चन्द के समय (सन् 1591) की तथा दूसरी सन् 1605 ई0 में लिखी गयी है। राजा बाजबहादुर चंद (सन् 1638) के समय किन्हीं विद्यापति जी को सोने की कलम ओर चाँदी की दवात दी गयी थी।

किन्तु डॉ. त्रिलोक पांडेय का मत है कि कुमाउँनी भाषा का प्राचीनता का उदाहरण चौदहवीं सदी का एक ताम्रपत्र है। जिसकी लिपि देवनागरी है। उसकी भाषा वर्तमान बोलचाल से पर्याप्त भिन्न है। जबकि कल्याण चंद (सन् 1560-1565) के ताम्रपत्र की कुमाउँनी, भाषा एवं लिपि दोनों दृष्टियों से अधिक परिष्कृत है।

ग्रियर्सन के भाषासर्वेक्षण में सहायक पंडित लीलाधर जोशी, गंगाधर उप्रेती, चिंतामणि जोशी, ज्वालादत्त जोशी जैसे कुमाउँनी पंडितों ने इस सम्बन्ध में स्वयं स्थानीय भाषा के लिखित उदाहरण प्रस्तुत

किये थे। साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार हेतु भी पादरियों ने कुमाउँनी भाषा को एक साधन बनाया था।

इस प्रकार दीर्घकाल से कुमाउँनी भाषा का विकासक्रम चलता रहा तथा समय–समय पर अनेक साहित्यकारों ने इसको समृद्ध बनाया। वर्तमान में कुमाउँनी भाषा में विभिन्न विधाओं का सृजन कार्य चल रहा है।

कुमाऊँ में प्रचलित बोलियाँ

1. **अस्कोटी :** पिथौरागढ़ जनपद में सीरा क्षेत्र के उत्तर पूर्व में अस्कोट के आस–पास बोली जाने वाली अस्कोटी कही जाती है। इस बोली पर सौराली, नेपाली और जोहारी बोलियों का अधिक प्रभाव है। अस्कोटी में भूतकाल के एकवचन और बहुवचन के लिए क्रमशः ध्यो/छयो (था), थ्या/छया (थे) क्रिया रूप मिलते है।

2. **सीराली :** सीरा क्षेत्र की बोली सौराली कहलाती है। पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट के पश्चिम और गंगोली के पूर्व का क्षेत्र सीरा कहलाता है। सीराली में भूतकालिक क्रिया रूपों में ध्यों, छयो दोनों रूप मिलते हैं।

3. **सोर्याली :** पिथौरागढ़ जनपद के सोर परगने की बोली सौर्याली है। पूर्व में काली नदी, दक्षिण में सरयू, पश्चिम में पूर्वी रामगंगा और उत्तर में सीरा से घिरे क्षेत्र की बोली सोर्याली है। सोर्याली पूर्वी कुमाऊँ की प्रतिनिधि बोली है। सोर्याली पर नेपाली कुमय्याँ बोलियों का प्रभाव है। सोर्याली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी ओकारान्तता की प्रवृत्ति है जो प्राचीन कुमाउँनी के लिखित रूप में परिलक्षित होती है। यथा– घोड़ो (घोड़ा) चेलो (लड़का) नानो (छोटा) मेरो (मेरा) आदि।

4. **कुमय्याँ :** काली कुमाऊँ क्षेत्र की बोली कुमय्याँ या कुमाई कहलाती है। यह बोली उत्तर में पनार और सरयू, पूर्व में काली, पश्चिम में देवीधूरा तथा दक्षिण में टनकपुर तक बोली जाती है। लोहाघाट और चम्पावत कुमय्याँ बोली के प्रधानकेन्द्र है। मध्ययुगीन अभिलेखों में इस बोली का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। कुमय्याँ का सोर्याली से काफी निकट का सम्बन्ध है।

5. **गंगोली :** गंगोलीहाट के आसपास की बोली गंगोली या गंडोई कही जाती है। यह क्षेत्र पश्चिम में दानपुर, दक्षिण में सरयू, उत्तर में रामगंगा व पूर्व में सोर तक फैला है। गंगोली में स्वरों का आधिक्य और अनुनासिकता की प्रकृति पायी जाती है।

6. **दनपुरिया :** अल्मोड़ा जनपद के दानपुर परगने की बोली दनपुरिया कहलाती है। इसके उत्तर में जोहारी, पश्चिम में गढ़वाली पूर्व में सौर्याली और सीराली तथा दक्षिण में खसपर्जिया बोली के क्षेत्र पड़ते है। दनपुरिया में महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण का अभाव है। यथा भितेर (भीतर) ग्यान (गये)

।

7. **चौगर्खिया :** यह क्षेत्र काली कुमाऊँ के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम में बारामंडल परगने तक फैला हैं इसके उत्तर में गंगोली बोली का क्षेत्र है। चौगर्खिया में खसपर्जिया की सभी मुख्य्‍ा विशेषतायें मिलती है। इसमें ध्वनि में य, या रुति का आगम होता है।

8. **खसपर्जिया :** अल्मोड़ा के बारामंडल परगने में बोली जाने वाली खसपर्जिया कहलाती है। कुमाऊँ में अतीत में खस जाति का प्रभुत्व रहा है। उसकी बोली खसिया कही जाती रही। वर्तमान कुमाउँनी पर भी अस बोली का अधिक प्रभाव है। इसमें स के स्थान पर श और ल के स्थान पर व, उ का उच्चारण मिलता है।

9. **पछाई :** अल्मोड़ा जनपद के पालीपछाँऊ क्षेत्र की बोली पछाई कहलाती है। फल्दकोट, रानीखेत, द्व राहाट, मासी तथा चौखुटिया इस बोली के मुख्यकेन्द्र है। पालीपछाँऊ की पश्चिम सीमा पर गढ़वाली बोलियों का प्रभाव है। पछाई में खसपर्जिया की भाँति न के स्थान पर व उच्चारित होता है। जैसे शामव (सामान) हवुव (हलवा)।

10. **रौ-चौभेंसी :** उत्तर पूर्वी नैनीताल जनपद के रौ और चौभेंसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली रौ-चौमेंसी है। इस बोली के पश्चिम में पछाई, उत्तर में खसपर्जिया, पूर्व में कुमय्या और दक्षिण में भाबरी बोलियों के क्षेत्र पड़ते हैं। क्रिया रूपों में गोछ (गया) ल्हिन (लेना) छौं (हूँ) आदि रूप में मिलते है।

गढ़वाली भाषा का विकासक्रमः

गढ़वाली भाषा के उत्थानक्रम-काल का सही निर्धारण करना असम्भव है। गढ़वाली लिखित रूप में कब से प्रयोग हो रही है, इसके अन्वेषण के लिए तीन साधन है- शिलालेख, राजाओं के समय के लिखित और पुराने पत्र, चिट्ठियाँ, इकरारनामे, बहियाँ आदि। वैसे तो यहाँ पर आदिकाल से ही लोकगीत, गाथाएं और लोकगाथा आदि मौखिकरूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त होते रहे, किन्तु गढ़वाली में गद्य रचनाएं पहले तथा पद्य रचनाओं का निर्माण बाद में हुआ। गढ़वाली गद्य का प्राचीनतम परिचय लगभग सन् 1460 ई0 में महाराज अजयपाल के समय के देवलगढ़ के शिलालेख से मिलता है। 'अजयपाल को धर्म पाथो भंडारी करौं कू।'

इस प्रकार ज्ञात होता है कि कनकपाल आदि के शासनकाल में श्रीनगर के आस-पास अलकनंदा की घाटी में गंगाड़ी लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वही आधुनिक गढ़वाली गद्य की प्रारंम्भिक अवस्था थी।

दूसरा शिलालेख सन् 1608 का है जो क्षेत्रपाल मन्दिर देवप्रयाग में है– 'श्री शाके 1470 संवत 1605 मासे वैसाख श्रीमान नृपति सहजपाल।'

देवप्रयाग मन्दिर में महाराजा जगपाल का सन् 1355 ई0 के दानपत्र की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है : 'सर्वभूमि रविवासरे जगतिपाल रजवार से शंकर भारती कृष्णभट्ट को रामचन्द्र का भट्ट जामिनी कीति जा यांटो भट सिलका भट् लछमन भट दिनों सर्व कर अकर सब दान गोदान नोट की नटाली भवै कि औताली।'

सन् 1792 ई0 की एक कृति 'उलेख' नामक पुस्तक प्राप्त हुई जिसका उदाहरण निम्न प्रकार है: 'यस पिंड का बाण कौन–कौन मारे? मेरा मैमन्दा वीर औरासिणी बाण मार। वौरासिणी बाण मार। राग्छसी बाण मार। बोक्षणी बाण मार। चेटक बाण मार। छल बाण मार। छिद्र बाण मार। भूत बाण मार। प्रेत बाण मार।'

'कुमौ कटक त गढ़वाल सटक और गढ़वाल कटक त कुमौ सटक' इस प्रचलित कहावत के सम्बन्ध में अनुमान है कि यह 12 वीं सदी के समय की है क्योंकि गढ़वाल में यह दशा कत्यूरी शासनकाल में सन् 850 से 1190 ई0 के मध्यकाल तक रही है।

असोधबन्धु बहुगुणा का विचार है कि 12 वीं सदी के आरम्भ में गढ़वाली बोली ने अपनी अलग पहचान बना ली थी तथा पंद्रहवी और सोलहवीं सदी में गढ़वाली भाषा का उत्थान आरम्भ हो गया था।

गढ़वाली भाषा में छपी प्रथम पुस्तिका 'बाइबिल' अमेरिका की धर्म प्रचारक संस्थान ने प्रकाशित की थी। गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरम्भ लगभग सन् 1750 के आस–पास माना जाता है। किन्तु विश्वम्भरदत्त चन्दोला ने इसका आरम्भ सन 1860–80 के मध्य माना है। गढ़वाली के आरम्भिक कवियों ने हरिकृष्ण, दौर्गादत्त रूडोला और लीलानन्द कोटनाला, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी कृतियों के प्रकाशन पर गोविन्दप्रसाद घिल्डियाल ने 'गढ़वाली' पत्र में सन् 1906 में प्रकाश डाला था तथा इनकी कुछ कवितायें भी छापी थी।

डा. भट्ट ने गढ़वाली लिखितसाहित्य को पाँच भागों में विभक्त किया है– आरम्भिक काल गढ़वाली युग, समाज सुधारक युग या सिंहयुग, पांथरीयुग, आधुनिककाल या गढ़वाली जन साहित्य परिषद युग।

गढ़वाली में प्रचलित बोलियाँ

ग्रियर्सन और सुनीतिकुमार चटर्जी आदि विद्वान गढ़वाली को हिन्दी की ही बोली मानते है क्योंकि यह हिन्दी के निकट है। लेकिन चन्द्रमोहन रतूड़ी ओर डा0 हरिदत्तभट्ट 'शैलेश: आदि का मत है कि

गढ़वाली का विकास हिन्दी की ही तरह अलग से हुआ है।'

उन्होंने गढ़वाली के सम्बन्ध में लिखा है कि यह स्थान-स्थान पर बदलती गयी है। यहाँ तक कि प्रत्येक परगने की बोली का अपना भिन्न रूप है तथा प्रत्येक का अपना स्थानीय नाम भी है।

गढ़वाली के उपभेदों के सम्बन्ध में ग्रियर्सन का कहना है कि इसके आठ भेद है जबकि कई अन्य विद्वान नौ उपभेद मानते हैं :

1. **श्रीनगरी :** इस प्रकार की बोली गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर के अतिरिक्त देवल तथा पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। सुनने में यह गढ़वाल की सबसे मधुर उपबोली है। इस बोली का एक उदाहरण इस प्रकार है – 'के आदमी का द्वी नौन्याल छया। भौत दिन नी बीती छया कि छोटा नौन्यालन सब कटठ्ा करीक दूर देश चली गये और वख लूंगारपना मा दिन काटीक अपनी विर्सत उड़ाई दिए।

2. **नागपुरिया :** चमोली जनपद में नागपुर पट्टी तथा उसके संलग्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली नागपुरिया कहलाती है। उदा0– 'के वैख का द्वी लौड़ छया तौं मधो लुड़ा लौड़िन बुबा से बोले मेरो बांटो माल को छ सो मैं दे। मस्त दिन नी होय लुड़ो लौड़ अपणो बांटो-लेक परदेश चला गे और बदमासी मा अपणा दिन खोया और अपणो माल खोये।'

3. **दसौल्य :** यह क्षेत्र नागपुर पट्टी से संलग्न है। दसोली पट्टी में बोली जाने वाली बोली दसौल्य कहलाती है। उदा0 – 'कई आदमी का दुई लड़ीक छया। तन मा काणिसान बोलो– हे बूबा मांग की जो मेरो बांटो होव सो मैं दे देवा। वे का बाबुन बांटी दिनो।

4. **राठी :** कुमाऊँ से संलग्न दूधातोली, विनसर और थलीसैंण आदि क्षेत्रों को राठ कहते है और उनकी बोली राठी कहलाती है। जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है 'के मनख का द्वी लौड़ छया। ऊमा एक नान लौड़न बाबू गणी बोल की यार बाबू जो कुछ चीज मायँन मेरी बांटो छ मी गणे दे। तब वैल ऊँ गणी जो कुछ चीज छई बाँट देय।

5. **लोहब्या :** राठ से संलग्न लोहाब पट्टी खनसर तथा गैरसैंण आदि के आसपास लोहब्या बोली जाती है। उदा0 'एक कजै का द्वी लौड़ छया। उन मा छोटा लौड़ल अपणा बुवा मा बोल कि ए बुबा अपड़ा धरता दाद जो मेरो बांटो होन सो मी दे दे।'

6. **बधाणी :** पिंडर और नन्दाकिनी के मध्य का क्षेत्र बधांण पट्टी कहलाती है। इस क्षेत्र के आस-पास बधाणी बोली जाती है। उदा0– 'के आदमी का द्वी छिचड़ी छया। उनू मधो नाना छिचिड़िन अपणा बुवाजी मा बोलो कि हे बुबा जी माल – असबाव में मेरी बांट मैं सणी न्यारी दे दिया।'

7. **मांझ कुमैयाँ :** कुमाऊँ के संलग्न क्षेत्र में बोली जाने वाली इस बोली में अनेक शब्द कुमाऊँ के मिश्रित हो गये है इसलिए इसे 'मांझ कुमैया' नाम से पुकारा जाता है।

   उदा0– 'के मैस का दुई चेला छिया। उनो मा कांइसा ले बाबू छीं बोली श्री बाबू सम्पति मा जो मेरो हकीत छा तै गणी मैं सणी देवो। तब वै ले उनो गणी अपनी सम्पत्ति बांटी दे छा।'

8. **सलाणी :** सलाण क्षेत्र के अन्तर्गत बोली जाने वाली बोली सलाणी कही जाती है। सलाणी का एक उदाहरण इस प्रकार है– 'के झणा का दुई नौना छया। ऊँमा काणसा न अपणा बुबा मा बोल्यो हे बुबा जी मालताल मा जो मेरो बांठे होवे सीं' मै दी देवा। वैन ऊँका बीच अपणो मालताल बांटी दिन्यो।'

9. **गंगपरिया :** टिहरी गढ़वाल में बोली जाने वाली बोली, गंगपरिया कही जाती है। उदा0– एक झणा का दुई नौन्याल थया। ऊँमान काणसान अपणा बुबा मां बोले कि हे बुबा बिरसत को बांठो जो मेरो छ मैं दे। तब वैन बिरसत ऊँ सणी बांटी दिने।'

उत्तराखण्ड के लोकसाहित्य की विधाएँ

उत्तराखण्ड के लोकसाहित्य का कुमाउँनी तथा गढ़वाली दो भाषाओं में सृजन हुआ है। इन दोनों में आंशिक अन्तर होने पर भी इनकी विभिन्न विधाएँ तथा विषय वस्तु मौलिक रूप से प्रायः एक ही है।

लोकसाहित्य के वर्गीकरण में सामान्यतया जो पद्धति अपनाई जाती है, उसके आधार पर लोकसाहित्य के तीन वर्ग– पद्य, गद्यपद्यात्मक (चम्पू) तथा गद्य है। किन्तु कतिपय विद्वान लोकनाटिकाओं, पहेलियों, जादूटोना तथा ढोलसागर आदि विषयों को पृथक वर्ग में रखते है। गढ़वाली और कुमाउँनी साहित्यविज्ञों ने भी इस वर्गीकरण को भिन्न-भिन्न तरह से प्रस्तुत किया है। लोकसाहित्य की दृष्टि से उत्तराखण्ड में के लोकसाहित्य के अंतर्गत आने वाली प्रमुख विधाएं हैं– गीत, गाथा, कथा, बालगीत, लोकोक्तियां तथा मुहावरे, ढ़ोल सागर तथा जादू टोने से संबंधित साहित्य। विभिन्न विधाओं के आधार पर उत्तराखण्ड में निम्न लोकसाहित्य प्राप्त होता है–

उत्तराखण्ड का लोकसाहित्य गीतों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। हिमालय की गोद में खेतों, नदियों, वन, पर्वतों, घाटियों तथा घुघुती, काफू, मुनाल आदि पक्षियों के साथ यहाँ का मानव, युगों-युगों से गाता रहा है। वे हिमालय की प्राकृतिक सुन्दरता के बीच यहाँ के कठिन जीवन को अनेक गीतों के माध्यम से सरस बनाकर व्यतीत करते है। उत्तराखण्ड कई स्वरों में गाता है यहाँ के जागर, खुदेड़गीत, पंवाडे, न्यौली, श्रृंगार आदि गीत करूणरस से परिपूर्ण होते हैं।

संस्कार गीत : इस क्षेत्र के संस्कार गीतों को ही प्राचीनतम् गीत माना जाता है। इस प्रकार के गीत वैदिक पद्धति पर आधारित है। इन संस्कार गीतों में कुछ प्रत्येक शुभकार्य अथवा संस्कार के आरम्भ

में गाए जाते है, जबकि अन्य गीत संस्कार विषेश के साथ जुड़े है। संस्कारगीत कुमाऊँ-गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में एक तरह के ही हैं।

किसी भी संस्कार के आरम्भ में गाए जाने वाले गीत गढ़वाल में 'मांगल' तथा कुमाऊँ में - शकुनाखर और 'न्यतेणों' कहे जाते हैं। वैदिक ऋचाओं की तरह इनमें भी देवी-देवताओं का आह्वान, स्तुति, मंगल कामना, प्रार्थना आदि के भाव निहित होते है।

स्नानगीत : मंगल स्नान के समय लड़के अथवा लड़की को देवतुल्य मानकर उसकी स्तुति की जाती है।

चूड़ाकर्म के समय के गीत : ऐसे गीत मंगल गीतों के समान होते है।

कन्यादान मण्डप के गीत : इस अवसर पर भी अनेक तरह मंगल गीत गाये जाते है। तथा कुछ मधुर गालियाँ भी गाई जाती है।

विदाई के गीत : बारात प्रस्थान के समय मायके वाली की उदासी स्वाभाविक है। उदास वातावरण से संबंधित अनेक लोकगीत गाये जाते है। उत्तराखण्ड में विवाह के अवसर पर अनेक तरह के मंगल गीत, हंसी मजाक तथा विदाई गीत गाए जाते है। इन गीतों की लिखित अलिखित रूप में एक समश्द्ध धरोहर है।

खुदेड़ गीत या ऋतुगीत : उत्तराखण्ड की प्राकृतिक छटा और छः ऋतुओं की मादकता में स्वतः ही मानव के मन में गीत फूट पड़ते है। यहाँ की प्राकृतिक विषमता में अल्पायु में ही माँ-बाप, भाई-बहिन, गाँव व जानी पहचानी भूमि से दूर लड़की का विवाह कर दिया जाता है। जहाँ ऋतुओं पर वह मायके, माता-पिता और भाई-बहिनों की याद में व्याकुल हो उठती है। वह अकेली ही घास, लकड़ी के लिए जंगलों और घाटियों में विकल अपने मायके की याद में गीत गाती है।

न्योली : कुमाऊँ में गाए जाने वाले न्योली गीतों का प्रमुख विषय श्रृंगार है। इन गीतों में संयोग-वियोग, सुख-दुख, पीड़ा आनंद, हास, रूदन आदि की अनुभूति व्यापक रूप से पायी जाती है।

छोपती : छोपती गीत रवांई और जौनसार क्षेत्र में प्रचलित है। इनमें प्रेम, रूप और संवाद का संगम होता है।

झोड़ा : झोड़ा कुमाऊँ का प्रसिद्ध नृत्यगीत है। यह गढ़वाल कुमाऊँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में गाया जाता है। जिसमें कई स्त्री-पुरूष सम्मिलित होकर गाते है। वे वृत्ताकार पैरा बनाकर एक-दूसरे के कंधो पर हाथ रख कर धीमे-धीमे चलते है। इन गीतों की सामग्री विविध विषयों से सम्बन्धित होती है।

चाँचरी : इसे गढ़वाल के थड्यागीत बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर विशुवत संक्राति तक गाए जाते है।

चाँफुला : गढ़वाल के इस नृत्यगीत में प्रमुख रूप से समसामयिक गीत सम्मिलित रहते है।

छपेली : इसे युगल प्रेमियों का नृत्यगीत माना जाता है। इसमें नर्तको के हाथ में रूमाल होता है।

बैर : कुमाउँनी लोकगायन की प्रतिद्वंद्वितापूर्ण शैली को बैर नाम दिया गया है।

बाजूबंद : बाजूबंद गढ़वाल के संवादात्मक प्रणयगीत हैं।

कृषि सम्बन्धी गीत : कई बार खेती सामूहिक रूप में की जाती है। गाँव के एकत्र होकर खेतों में एक तरफ से गुड़ाई आदि कार्य करते चलते हैं। गायक और बादक इन गीतों को गाकर श्रम करने वालों का मन बहलाते रहते हैं।

होलीगीत : इन गीतों में अधिकांश वृजमंडल के ही गीत है जिन्हें यहाँ की लोकभाषा में बदल दिया गया है।

लोकगाथा साहित्य :

लोकसाहित्य की विधाओं में लोकगाथाओं का स्थान सर्वोपरि है। लोकगाथाएं लोकविश्वासों पर आधारित होती है। इनमें क्षेत्र विषेश की ईश्वरीय, अतिमानवीय शक्तियों, भूतप्रेतों, राक्षस, परियों और प्रणय–वात्सल्य आदि से सम्बन्धित घटनाओं का सरल सुबोध भाषा में संगीतमय वर्णन होता है।

गाथाओं में लोक जीवन की संस्कृति का निर्मल प्रतिबिम्ब झलकता है। लोकजीवन की जैसी अभिव्यक्ति गाथाओं में होती है, वैसी अन्यत्र नहीं। लोकगाथाओं को निम्न पाँच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे– देव गाथाएँ, पौराणिक गाथाएँ, वीर गाथाएँ, प्रणय गाथाएँ, स्फुट गाथाएँ आदि।

अत: स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड में प्राचीन काल से ही लोक साहित्य की एक समृद्ध परम्परा रही है। लोक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होने वाली लगभग सभी विधाओं में यहाँ पर विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा रचना की गई है। उत्तराखण्ड के आध्यात्मिक, लोकजीवन व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की छाप यहाँ के लोक साहित्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। लोक साहित्य व लोक संस्कृति प्राचीन काल से आज तक यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग रही है जिस कारण आज भी यहाँ पर विभिन्न आयोजनों, त्यौहारों, मेलों आदि में इनकी छटा देखने योग्य होती है। आज भी यहां के लोग अपने लोकजीवन से प्रेम व सम्मान करते हैं और इसके संरक्षण व उत्थान हेतु प्रयासरत रहते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर्यो का आदि देश मध्य हिमालय : भजन सिंह 'सिंह' भागीरथी प्रकाशन गृह टिहरी, 1986
2. उत्तरांचल : ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आयाम, उमा प्रसाद थपलियाल, बी.आर. पब्लिसिंग कारर्पोरेशन, दिल्ली।
3. उत्तरांचल : संस्कृति, लोकजीवन, इतिहास एवं पुरातत्व, दिनेश चन्द्र बलूनी, प्रकाश बुक डिपो, बरेली।
4. उत्तराखण्ड का इतिहास (सभी खंड) : डॉ. शिव प्रसाद डबराल, वीरगाथा प्रकाशन, दुगड्डा, गढ़वाल।
5. कुमाऊँ का इतिहासः बद्रीदत्त पांडेय, देशभक्त प्रकाशन, अल्मोड़ा, 1937 कुमाऊँनी लोककथाएं : मटियानी शैलेश, आत्माराम एण्ड संस नई दिल्ली, 1959
6. कुमाऊँ : राहुल सांकृत्यायन, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी
7. कुमाऊँनी भाषा और उसका साहित्य : डॉ. त्रिलोचन पांडेय, उत्तर प्रदेश हिन्दी भवन, लखनऊ, 1977
8. कुमाउँनी लोकगाथाएं : डॉ. प्रयाग जोशी, जुगल किशोर एंड कम्पनी, देहरादून, 1971
9. कुमाऊँ गढ़वाल की लोकगाथाओं का विवेचनात्मक अध्ययन : डा. प्रयोग जोशी, प्रकाश बुक डिपो, बरेली
10. कुमाउँनी लोकगाथाएं : डॉ. प्रयोग जोशी, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1994
11. कुमाऊँनी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति : डॉ. देवसिंह पोखरिया, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, 1994
12. गढ़वाल का इतिहासः हरिकृष्ण रतूड़ी, गढ़वाली प्रेस देहरादून, 1920
13. गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ : भक्तदर्शन सिंह, चुक्खू वाला देहरादून, 1980
14. गढ़वाली लोककथाएं : डॉ. गोंविद चातक, मोहनी प्रकाशन, देहरादून, 1958
15. गढ़वाली लोकसाहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन : डॉ. मोहन लाल बाबुलकर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग, 1964
16. गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य : डॉ. हरिदत्त भट्ट 'शैलेश' हिन्दी भवन लखनऊ, 1976
17. हिमालय की लोककथाएं : अकेले एवं तारादत्त, आत्मा राम एंड संस, दिल्ली
18. हिमालय परिचय (गढ़वाल) : राहुल सांकृत्यायन, ला जनरल प्रेस इलाहाबाद, 1957

मुगलकालीन साम्राज्य और उसका पतन

डॉ0 विवेक सेंगर
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उ0प्र0

औरंगजेब की मृत्यु (3 मार्च, 1707 ई.) मुगल साम्राज्य के पतन की सूचना थी। ज्यों ही उसने अंतिम साँस ली. त्यों ही उसके तीनों पुत्रों ने दिल्ली के राजसिंहासन को प्राप्त करने के लिये भयंकर आत्मघाती झगड़े आरम्भ कर दिये। तीनों भाइयों में मुअज्जम उस समय काबुल का शासक था, आज़म गुजरात का तथा सबसे छोटा कामबख्श बीजापुर का शासक था। उसे दीनपनाह की उपाधि दी गई थी। कामबख्श सर्वोच्च प्रभुसत्ता के सभी विशेषणों के धारण करने पर भी दक्कन नहीं छोड़ सका। परन्तु सबसे बड़ा मुअज्जम काबुल से आगरे की ओर शीघ्रता से बढ़ा तथा आज़म भी उसी नगर (आगरे) की ओर सेना लेकर बढ़ा।

मुअज्जम ने आज़म से अपने मृतक पिता के विचारानुसार साम्राज्य को विभाजित कर लेने का प्रस्ताव किया, परन्तु उसने इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया तथा उसने राजसिंहासन पर अपने अधिकार के लिए युद्ध करने की ठानी। अब तलवार को छोड़ कर दूसरी कोई चीज इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकती थी। दोनों भाइयों ने शीघ्र इसी का सहारा लिया। आगरे से कुछ मील दूर जाजौ में जून, 1707 ई. में उनकी मुठभेड़ हुई।

आज़म हार कर मारा गया। राजस्थान पर थोड़े समय तक हमला करने के बाद मुअज्ज़म सेना लेकर दक्कन जा धमका। कामबख्श हैदराबाद के निकट हार गया और घावों के कारण 1708 ई. के प्रारम्भ में मर गया। मुअज्ज्ज़म बहादुर शाह की उपाधि लेकर राजसिंहासन पर बैठा। वह शाहआलम प्रथम भी कहा जाता था। इसके अलावा इसे शाह–ए–बेखबर भी कहा जाता है। उसने हिन्दू राजाओं एवं सरदारों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों के संबंध में इसकी नीति द्वैतपरक थी। एक तरफ इसने अजीत सिंह एवं जय सिंह को राज्य सुपुर्द किए किंतु गुजरात एवं मालवा की सूबेदार नहीं दी। मराठों के संबंध में भी उसकी नीति स्पष्ट नहीं रही। दक्कन में उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार दिया गया परन्तु चौथ का अधिकार नहीं दिया गया। उसने शाहू को विधिवत छत्रपति भी नहीं माना। सिक्खों के संबंध में इसने पुरस्कार एवं दण्ड की नीति अपनाई। एक तरु इसने गुरु गोविन्द सिंह को 5000 की मनसबदारी प्रदान की। दूसरी तरफ इसने गुरु की मृत्यु के वाद बंदाबहादुर को 1711 ई. में लौहगढ़ के किले पर पराजित किया किन्तु पूर्णतः इसका दमन नहीं किया जा सका। बंदाबहादुर ने 1712 ई. में

लौहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। इसने बुंदेल नेता छत्रसाल से साँठगाँठ की एवं जाट नेता चुड़ामन से दोस्ती की। बहादुर शाह ने प्रारंभ में शिया संप्रदाय के साथ कुछ सहानुभूति दिखाई परन्तु प्रतिक्रिया होने पर अपनी नीति वापस ले ली। बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीर देने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई।

27 फरवरी, 1712 ई. को उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके चारों पुत्रों–जहाँदार शाह, आज़ीमुश्शान, जहाँशाह तथा रफीउश्शान के बीच उत्तराधिकार के लिए एक नया युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध में पिछले तीनों मार डाले गये तथा जहाँदार शाह ने जुल्फिकार खाँ की सहायता से राजसिंहासन प्राप्त किया। जहाँदार शाह ने जजिया कर का अंत कर दिया। जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई एवं उन्हें मालवा का गवर्नर बनाया गया। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई एवं उन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया गया। जुल्फिकार खाँ द्वारा 1711 ई. के दाउद खाँ पन्नी द्वारा किया गया समझौता मान लिया गया। इस समझौते में मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी का तो अधिकार दे दिया गया किन्तु उनकी वसूली मुगल अधिकारियों द्वारा की जानी थी। चुड़ामन एवं छत्रसाल से मेल–मिलाप की नीति अपनाई गई। जुल्फिकार खाँ ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर साम्राज्य को वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की। किन्तु जुल्फिकार खाँ ने इस समय एक गलत पद्धति की शुरुआत की और वह थी इजारा व्यवस्था की शुरूआत। इजारा व्यवस्था में भूराजस्व की नीलामी की जाती थी। जुल्फिकार खाँ राज्य का प्रधान मंत्री बन गया। जहाँदार पूर्णतया लाल कुँवर नामक एक सुन्दर स्त्री के प्रभाव में था। उसे लंबे समय तक अपनी शक्ति का उपभोग करना नहीं बदा था। अजीमुश्शान के पुत्र फर्रुखसियर की आज्ञा से उसे गद्दी से उतार कर दिल्ली के किले में गला घोंट कर मार डाला गया। फर्रुखसियर ने 1713 ई. में अपने को बादशाह घोषित किया। बादशाह बनाने वाले जुल्फिकार खाँ को भी फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

फर्रुखसियर दो सैय्यद बंधुओं–पटना के उपशासक हुसैन अली तथा इलाहाबाद के शासक अब्दुल्ला की सहायता से सिंहासन पर बैठा था। ये अब से राज्य में वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने तथा एक के बाद दूसरे शाहजादे को राजसिंहासन पर बैठाने लगे। सैय्यद बंधु इतिहास में 'किंग मंकर' King Maker के रूप में जाने जाते हैं। अब्दुल्ला वजीर बन गया तथा हुसैन अली प्रधान सेनापति। परन्तु अब्दुल्ला सिपाही था तथा उसे दीवानी शासन का पहले से कोई अनुभव नहीं था। इसलिए शासन का पूरा भार हुसैन अली पर आ पड़ा। फर्रुखसियर दुर्बल, कायर और निन्द्य था। अपनी शक्ति के स्थापित करने के उसके प्रयत्न से उसका राज्यकाल बरावर आंदोलित एवं उलझनपूर्ण रहा तथा उसका अन्त एक और राजकीय दुर्घटना के साथ हुआ। अपने कुछ सैय्ययद–विरोधी मित्रों के विशेषरूप से मीर जुमला के प्रभाव में आकर वह अपने शासनकाल के प्रारम्भ से अपने सैय्यद मंत्रियों के प्रति कृतनतापूर्ण व्यवहार करने लगा। वे इतने अधिक कुद्ध हो उठे कि उन्होंने बादशाह को फाँसी पर चढ़ा दिया। फर्रुखसियर के

प्रति जो व्यवहार सैय्यदों ने किया, वह किसी भी प्रकार से उससे अधिक कठोर नहीं था जैसा उसने स्वयं अपने सम्भव प्रतिद्वन्द्वियों के साथ किया था। उसकी अयोग्यता, षडङंत्र एवं कृतनता के कारण उसका हटाया जाना उसके मंत्रियों के लिए लगभग आवश्यक हो गया। किन्तु उनकी जैसी स्थिति वाले लोगों के लिए इस करीब–करीब आवश्यक कार्य के करने का ढंग अनुचित रूप से कठोर था तथा इसमें सिंहासनच्युत वादशाह को चक्षुहीन बना देना प्रचलित व्यवहार था; उसके लिए सैय्यद विशेष रूप से दोषी नहीं हैं। परन्तु बाद में केद की कठोरता बहुत अधिक थी तथा बंदी की जान लेकर जो अति की गयी वह नितान्त अनावश्यक थी।

बादशाह बनाने वाले अब्दुल्ला तथा हुसैन अली ने अब रफ़ीउश्शान के दो पुत्रों–रफ़ीउद्दरजात एवं रफीउद्दौला को राजसिंहासन पर बैठाया। ये नाममात्र के बादशाह थे। सैय्यद 'शाही कठपुतलों के द्वारा शासन करने को' कृतसंकल्प थे। उन्होंने कुछ ही महीनों के अन्दर सोचा कि उन्हें जहाँशाह (बहादुर शाह का चौथा पुत्र) के अठारह वर्षीय युवा पुत्र रौशन अख्तर के रूप में एक दूसरा शाही कठपुतला मिल गया है। रौशन अख्तर मुहम्मद शाह के नाम से राजसिंहासन पर बैठा।

नया बादशाह सैय्यदों का विनयशील प्रतिनिधि नहीं सिद्ध हुआ, जैसी उनको आशा थी। इन मंत्रियों के सात वर्षों के शासन में जो उनके शत्रु हो गये थे, उनमें बहुतेरे मुहम्मद शाह के समर्थक बन गये। बादशाह के इन नये मित्रों में सबसे योग्य था दक्कन का विख्यात निज़ामुलमुल्क। निजाम को दण्ड देने के लिए मालवा की ओर जाते समय हुसैन अली की छिपकर हत्या कर डाली गयी और इस प्रकार वह रास्ते से हट गया। अब्दुल्ला ने रफीउश्शान के एक दूसरे पुत्र मुहम्मद इब्राहिम के रूप में एक अधिक सुविधाजनक कठपुतली को गद्दी पर बैठाकर अपनी शक्ति कायम रखने का प्रयत्न किया। परन्तु वह हराया जाकर 1720 ई. में बंदी बना लिया गया तथा 1722 ई. में विष देकर मार डाला गया। नये वजीर मुहम्मद अमीन खाँ की 1721 ई. में मृत्यु हो गयी तथा फरवरी, 1722 ई. में निजामुलमुल्क को यह पद स्वीकार करने को कहा गया। वह मुख्यत: कर्मठ व्यक्ति था। अतएव शाही दरबार का वातावरण उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ा। वह शीघ्र इसे छोड़कर दक्कन चला गया। वहाँ उसने एक वस्तुत: स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, यद्यपि बादशाह की काल्पनिक प्रभुता अन्त तक निभायी गयी। परन्तु सैय्यदों के पतन एवं निजामुलमुल्क के दक्कन चले जाने से मुहम्मद शाह, की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं। यद्यपि नियति ने उसे लम्बा राज्यकाल दिया, तो भी अत्यन्त लापरवाही से उसने राजकाज को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया. और इसका फल अत्यन्त घातक हुआ। एक के बाद दूसरा सूबा दक्कन, अवध एवं बंगाल–शाही नियंत्रण से निकलता गया। मराठों ने दूर–दूर तक अपनी शक्ति स्थापित कर ली। जाट आगरे के निकट स्वतंत्र हो गये। रुहेला अफ़गानों ने गंगा के उत्तरी मैदान में रोहिलखंड (रुहेलखंड) राज्य की स्थापना कर ली। सिक्ख पंजाब में सक्रिय हो चले। नादिरशाह के आक्रमण ने दिल्ली साम्राज्य पर भयंकर आघात किया। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु की करीब तीन

दशाब्दियों के अन्दर मुगलों का विशाल साम्राज्य एक अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं रहा तथा अनेक स्वतंत्र अथवा अर्ध–स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया।

अगला बादशाह अहमदशाह मुहम्मद शाह का पुत्र था। उस समय अनेकीकरण की शक्तियाँ चारों ओर भयप्रद बन गयी थीं। नया बादशाह इन शक्तियों से स्फपलतापूर्वक लड़ने में असमर्थ था। साम्राज्य शीघ्रतापूर्वक विस्तार में सिकुड़ने लगा तथा दिल्ली के आस–पास एक छोटा जिला मात्र बनकर रहा गया। वजीर नाजीउद्दीन इमादुलमुल्क ने, जो दक्कन के मृतक निजामुलमुल्क का पौत्र था तथा अब किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए सैय्यद बंधुओं का अनुकरण कर रहा था। 1754 ई. में बादशाह को गद्दी से उतार कर नेत्रहीन बना डाला।

इमादुलमुल्क ने अजीजुद्दीन (जहाँदार शाह का पुत्र) को सिंहासन पर बैठाया, जो अब तक केद में था। अजीजुद्दीन ने अब महान् औरंगजेब की उपाधि धारण की और अपने को आलमगीर द्वितीय के नाम से घोषित किया। परन्तु नये बादशाह ने अपने को राजसिंहासन पर उसी प्रकार केदी पाया, जैसा वह पहले अपने कारावास में था। अपने सर्वशक्तिमान वजीर के नियंत्रण से मुक्त होने के उसके प्रयत्न का ाल उसके निए विनाशकारी हुआ, क्योंकि वजीर की आज्ञा से उसे मार डाला गया।

इस महत्त्वकांक्षी एवं सिद्धांतहीन वजीर की दुष्ट शत्रुता के कारण आलमगीर द्वितीय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाह आलग द्वितीय को विवश होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकना पड़ा। भाग्य के अनेक परिवर्तनों से गुजरकर इस बदनसीब बादशाह को अन्त में अपने को अंग्रेजों की शरण में दे देना पड़ा। जीवन भर उसे उनका पेंशनर बनकर रहना पड़ा। 1806 ई. में उसकी मृत्यु हुई।

शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय 1837 ई. तक दिल्ली में बादशाह की उपाधि से युक्त होकर जीवित रहा। बहादुरशाह द्वितीय के साथ शाही खानदान का अन्त हो गया। उसे अंग्रेजों ने सिपाही बलवाइयों की सहायता देने के संदेह पर निर्वासित कर रंगून भेज दिया। वहाँ 1862 ई. में उसकी मृत्यु हो गयी।

नादिरशाह का आक्रमण

औरंगजेब के समय से ही उत्तर–पश्चिम सीमा (साम्राज्य में सबसे अधिक भेद्य स्थान) की प्रतिरक्षा दुर्बल हो चली थी। उधर फारसी 1736 ई. तक अपनी आन्तरिक विपत्तियों से मुक्त हो चुके थे। इन कारणों से उन्हें साहसी वीर नादिरशाह के अधीन हिन्दुस्थान के मध्य में साहसपूर्वक धक्का देने का एक अनुपम अवसर मिल गया। काबुल के शासक नासिर खाँ तथा पंजाब के शासक जकरिया खाँ के अपने प्रान्तों की रक्षा करने के क्षीण प्रयत्न निष्फल हुये, क्योंकि दिल्ली दरवार में सहायता के

लिए भेजी गयी उनकी अपीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ ध्यान न दिये जाने का कारण था प्रतिद्वन्द्वी दलों के नेताओं के षडयंत्र, जो दरबार में शक्ति के लिए लड़ा करते थे।

नादिर 1738 ई. में सेना लेकर भारत की ओर चला। मुहम्मद शाह द्वारा तथाकथित प्रतिज्ञाभंग तथा दिल्ली दरबार द्वारा अपने राजदूतों के साथ दुर्व्यवहार के कारण नादिरशाह को अपने आक्रमण का बहाना मिल गया। मुगलों के उत्तर-पश्चिम सीमा की प्रतिरक्षा की ओर से अत्यन्त असावधान रहने के कारण नादिर ने सुगमता से 1739 ई. में गजनी, काबुल तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। सम्पूर्ण पंजाब प्रान्त में बड़ी गड़बड़ी तथा अव्यवस्था फैल गयी। परन्तु विलासप्रिय बादशाह तथा उनके दरबार के घरेलू शेरों ने नादिर शाह का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं किया। नादिर के आक्रमण के समय का इनका आचरण अपमानजनक अयोग्यता की कहानी है, जो मूढ़ता तक पहुँच गयी थी। वे तभी अपना आलस्य त्यागने की सोच सके, जब पारसी सेना दिल्ली के कुछ मीलों के भीतर पहुँच चुकी थी। तब शाही फौज पारसियों को बढ़ने से रोकने के लिये चल पड़ी तथा पानीपत के बीस मील उत्तर कर्नाल नामक स्थान पर पड़ाव डाला। परन्तु वे फरवरी, 1739 ई. में पूर्ण रूप से पराजित हुए। दिल्ली का पराजित बादशाह जो नादिर के केदी के रूप में करीब-करीब उसकी कृपा पर निर्भर था, संधि के लिए प्रार्थना करने को शीघ्रता से आगे बढ़ा।

विजयी नादिर तथा दिल्ली का अपमानित बादशाह दोनों ने साथ-साथ दिल्ली में प्रवेश किया, जहाँ नादिर ने दीवाने खास के समीप के राजमहल पर अधिकार कर लिया। पहले तो राजधानी में कोई अव्यवस्था नहीं थी, परन्तु कुछ शरारती लोगों ने नादिर की मृत्यु की अफवाह उड़ा दी। इससे एक दंगा खड़ा हो गया, जिसमें कुछ पारसी सिपाही मारे गये। पहले तो नादिर ने केवल उपद्रव को दबाने का प्रयत्न किया; परन्तु अपने मरे हुए सिपाहियों को देखकर वह कुद्ध हो गया तथा प्रतिशोध की भावनाओं से उत्तप्त होकर अपने भाग्यहीन दिल्ली नगरी के निवासियों के कत्ले-आम की आज्ञा दे दी। मुहम्मद शाह की व्यग्र अपील पर नादिर ने अन्त में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। परन्तु शान्ति तब तक पुनः स्थापित नहीं हुई जब तक आक्रमणकारी नगर छोड़कर स्वदेश के लिए रवाना न हो गया।

मुहम्मद शाह गद्दी पर बना रहा, परन्तु उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। निर्दयी विजेता उसके ताज के सभी रत्न ले गया, जिनमें प्रसिद्ध कोहीनूर हीरा भी था। वह शाहजहाँ का बहुमूल्य मयूरसिंहासन (तख्ते-ताऊस) तथा बादशाह मुहम्मद शाह की आज्ञा से हिन्दू संगीत पर लिखी गयी विख्यात चित्रित पारसी पांडुलिपि भी ले गया। नादिर के अपने सचिव के अनुमान के अनुसार उसने दिल्ली में नकद पंद्रह करोड़ रुपये ऐंठे तथा शाही भंडार से अत्यधिक मात्र में जवाहरात, वस्त्र, साज-सामान और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ ले लों। वह अपने साथ तीन सौ हाथी, दस हजार घोड़े तथा उतने ही ऊँट भी ले गया। इस प्रकार पारसी आक्रमण से पतोन्मुख दिल्ली-साम्राज्य के साधनों को महान् आर्थिक क्षति पहुँची।

सिंधु के पार के सूबे (सिंध, काबुल तथा पंजाब के पश्चिमी भाग) पारसियों को समर्पण कर देने पड़े। मुगल साम्राज्य की अब तक बची–खुची प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गयी तथा इब इसका पतन संसार के समक्ष स्पष्ट हो गया। संक्षेप में, नादिर के आक्रमण ने 'इसे केखून से लथपथ तथा धाराशायी' बनाकर छोड़ दिया। आन्तरिक दृष्टि से अशक्त होने के कारण धन–जन की अपार हानि से मुक्त होने एवं पुनर्जीवन प्राप्त करने का समय नहीं मिला, क्योंकि 1739 ई. के आक्रमण ने अन्य बाहरी आक्रमणों के लिए दृष्टान्त छोड़ दिया तथा नादिर के साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया।

अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण

1747 ई. में नादिर की हत्या के बाद अहमद शाह नामक उसके एक अफसर ने, जो अब्दाली जाति का एक अफगान सरदार था, राजशक्ति प्राप्त की तथा अपने को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक बनाने में सफल हुआ। उसने दुर्रे–दुर्रान (युग का मोती) की उपाधि धारण की और तब से उसकी जाति दुर्रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई।

जब अहमद शाह अब्दाली नादिर के साथ भारत आया था। तभी उसने अपनी आँखों से साम्राज्य की दुर्बलता, बादशाह की मूढ़ता, मंत्रियों की असावधानी तथा अमीरों के बीच घुसी हुई स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को देख लिया था। इसलिए स्वदेश में अपनी शक्ति स्थापित कर लेने के बाद उसने 1748 ई. से लेकर 1767 इ. तक भारत पर अनेक आक्रमण किये। ये केवल लूट के लिए किए गये आक्रमण नहीं थे। बल्कि उनसे कुछ अधिक थे, उनसे भारत के बाहर और अन्दर अफ़गानों का पुनर्जागरण लक्षित हुआ, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर प्रभुता स्थापित करने का नवीन प्रयत्न किया। अठारहवीं सदी के यथेष्ट भाग में अफगानों द्वारा प्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तत्व था। अवश्य ही अहमदशाह अब्दाली की भारत के कम–से–कम एक भाग पर अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने की इच्छा रही होगी।

कंधार, काबुल तथा पेशावर जीत लेने के बाद जनवरी, 1748 ई. में बारह हजार अनुभवी सैनिकों के साथ अहमदशाही अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। परन्तु मानपुर के युद्ध में वह मुगल सिंहासन के भावी अधिकारी अहमदशाह तथा मृतक वजीर कमरुद्दीन के पुत्र मीर मन्नू द्वारा पराजित हो गया। फलतः उसे भागना पड़ा। मीर मन्नू पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ। परन्तु उसके व्यवस्थित हो सकने के पहले ही अहमदशाह अब्दाली ने दूसरी बार 1750 ई. में पंजाब पर आक्रमण कर दिया तथा उसे पराजित कर जीत लिया। दिल्ली दरबार से समर्थन न पाने के कारण पंजाब के सूबेदार ने सभी प्रतिरोध को निरर्थक पाया तथा आक्रमणकारी की अधीनता स्वीकार कर ली।

अब्दाली ने तीसरी बार दिसम्बर, 1751 ई. में भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने मीर मन्नू को पुनः परास्त किया, काश्मीर जीता और मुगल बादशाह अहमदशाह को पूर्व में सरहिन्द तक के प्रदेश को उसे समर्पित कर देने को विवश कर दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का विस्तार और भी घट गया। मीर मन्नू अव लाहौर में आब्दाली के सूबेदार के रूप में रह गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह विजेता को पंजाब के राजस्व का बचा हुआ भाग भेजेगा तथा बिना उसकी अन्तिम आज्ञा के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेगा।

परन्तु अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय (1754–1759 ई.) के समय में फिर आक्रमण किया। बात ऐसी हुई कि मीर मन्नू नवम्बर, 1753 ई. में चल बसा और उसका अल्पवयस्क पुत्र एवं उत्तराधिकारी मई, 1754 ई. में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् अधिकांशतः संरक्षिकता माता मुगलानी बेगम के हठ तथा सनकीपन के कारण पंजाब प्रान्त में अव्यवस्था तथा अराजकता फैल गयी। मुगलानी बेगम ने दिल्ली के सर्वशक्तिमान् वजीर इमादुलमुल्क से सहायता की अपील की। इसके उत्तर में इमादुलमुल्क सेना लेकर 1756 ई. में पंजाब जा धमका जिस पर वह स्वयं दाँत गड़ाये हुए था।

उसने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और लाहौर के प्रमुख सरदार मीर मुनीम को प्रांत का शासक नियुक्त किया। इस पर क्रुद्ध होकर अहमदशाह अब्दाली ने अधिक संकल्प के साथ चौथी बार नवम्बर, 1756 ई. में भारत पर आक्रमण किया तथा 23 जनवरी, 1757 ई. को दिल्ली के समक्ष पहुँच गया। राजधानी लूटी गयी तथा इसके अभागे निवासी फिर लूटपाट के शिकार हुए। इमादुलमुल्क ने आत्मसमर्पण किया। आक्रमणकारी ने उसे क्षमा कर दिया। उसने मुगल बादशाह से पंजाब, काश्मीर, सिंध तथा सरहिन्द जिले का विधिपूर्वक समर्पण प्राप्त कर लिया। अब्दाली ने दिल्ली के दक्षिण जाट प्रदेश को लूटा। उसने अपने पुत्र तैमूरशाह को लाहौर में अपना सूबेदार बनाकर छोड़ दिया और योग्य अ़फगान सेनापति जहाँ खाँ को उसका वजीर नियुक्त कर दिया। इसके बाद लूट के बहुत से माल और अनेक केदियों के साथ अब्दाली अप्रैल, 1757 ई. में भारत से लौट गया।

मई, 1757 ई. से लेकर अप्रैल, 1758 ई. तक तैमूर शाह के शासन का एक वर्ष घोर कानूनविहीनता तथा अव्यवस्था का युग था। सिक्ख जाति ने अपने एक नेता के प्रति दुर्व्यवहार किये जाने से क्रुद्ध होकर सब ओर विद्रोह कर दिया। जलंधर दोआव के शासक अदीना बेग खाँ ने अफगानों के विरुद्ध विद्रोह कर मराठों को अपनी सहायता के लिए बुलाया। रघुनाथ राव के अधीन मराठों की एक विशाल सेना ने अप्रैल, 1758 ई. में पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर को जीत लिया तथा अफगानों को निकाल दिया। वे अदीना वेग खाँ का पंजाब में अपना शासक बनाकर वहाँ से लौट गये। परन्तु लाहौर पर मराठों का अधिकार छः महीनों से अधिक नहीं रहा। तैमूरशाह के उनके द्वारा हटाये जाने का प्रतिशोध लेने के लिए अहमदशाह अब्दाली ने अक्टूबर, 1759 ई. में पाँचवीं बार भारत पर आक्रमण किया तथा

अन्त में पंजाब को जीत लिया।

मराठों के साथ अफगानों की एक अधिक भयंकर टक्कर अनिवार्य थी क्योंकि दोनों न्यूनाधिक, हिन्दुस्तान में राजनीतिक प्रभुता के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह टक्कर 14 जनवरी, 1761 ई. को पानीपत के मैदान में हुई। अहमदशाह अब्दाली 1762 ई. के अन्त में भारत से रवाना हुआ। उसने भारतीय सरदारों को शाह आलम द्वितीय के बादशाह मानने की आज्ञा दी। नजीबुद्दौला तथा मुनीरुद्दौला ने भारतीय सरकार की ओर से अब्दाली को चालीस लाख का वार्षिक कर देना स्वीकार किया। सिक्खों ने, जो अब तक पुनर्जीवित हो चुके थे, लाहौर के दुर्रानी शासक ख्वाजा आबिद को मारकर नगर पर अधिकार कर लिया। इससे मार्च, 1764 ई. में अब्दाली पुनः लाहौर आ धमका। परन्तु उसे लाहौर में पंद्रह दिन ठहरने के बाद लौट जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ गृहयुद्ध हो गया था तथा उसके फौज में विद्रोह फैल गया था। अहमदशाह अब्दाली ने फिर 1767 ई. में भारत पर आक्रमण किया। उसे सिक्खों को पूर्णरूप से किल करने में सफलता नहीं मिल सकी। कुछ आन्तरिक उपद्रव भी खड़े हो गये। इनमें मुख्य था उसके सैनिकों में विद्रोह। उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिला था और वे इसके लिए हल्ला मचा रहे थे। इन उपद्रवों के कारण उसे अपनी अन्तिम असफलता की चेतना के साथ शीघ्र लौट जाना पड़ा। ज्यों ही उसने पीठ फेरी, त्यों ही सिक्खों ने लाहौर तथा सम्पूर्ण खुले प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया। अहमशाह अब्दाली ने ष्पेशावर तथा अटक के पश्चिम के प्रदेश पर अधिकार जमाये रखा और माँझा जिलों तथा लाहौर सहित मध्य पंजाब को सिखों के लिए छोड़ दिया।

नये राज्य

दक्कन

दक्कन सूबा मीर कमरुद्दीन चिन किलिच खाँ के अधीन, जो निजामुलमुल्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, स्वतंत्र हो गया। उसका दादा बुखारा का ख्वाजा आबिद शेखुल इस्लाम सत्रहवीं सदी के मध्य के लगभग स्वदेश छोड़कर भारत आया था और उसने औरंगजेब के यहाँ नौकरी कर ली थी। निजाम का पिता गाजीउद्दीन फीरोज जंग भी औरंगजेब के शासन काल में भारत आया था तथा उसने मुगल राजकीय सेवा में वहुत-से पदों पर रह कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

स्वयं मीर मकरुद्दीन को अपने तेरहवें वर्ष में एक छोटा कमान मिला, परन्तु शीघ्र उसकी उन्नति हुई और उसे चिन किलिच खाँ को उपाधि मिली। औरंगजेव की मृत्यु के समय 'चिन किलिच खाँ' बीजापुर में था तथा बादशाह के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में उसने पूरी तटस्थता बरती।

बहादुरशाह ने उसे दक्कन से हटा कर अवध का शासक बना दिया। वह कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी से अलग हो गया, परन्तु फिर बहादुर शाह के राज्यकाल के अन्त में अपने पिता की उपाधि गाजीउद्दीन फीरोज जंग के साथ वापस आ गया।

फर्रुखसियर ने उसे दक्कन का शासक नियुक्त किया (1713 ई.) तथा अपने पक्ष–समर्थन के पुरस्कार के रूप में खान–खानान तथा निजामुलमुल्क बहादुर फतह जंगी की उपाधियों से विभूषित किया। अपने राज–प्रतिनिधित्व के पद पर प्रारम्भ से ही निजामुलमुल्क ने दक्कन में मराठों की शक्ति को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु दिल्ली दरबार की दलबन्दियों के कारण उसे 1713 ई. के अन्त तक अपने राजप्रतिनिधित्व से हाथ धोना पड़ा। निजामुलमुल्क को मुरादाबाद बदल दिया गया और बाद में उसे बिहार लाने के विषय में भी सोचा जाने लगा। परन्तु उसके इस नए प्रान्त का कार्यभार ग्रहण करने केपहले ही फर्रुखसियर का राज्यकाल समाप्त हो गया। इस बीच उसे मालवा भेज दिया गया।

मालवा में ही निजामुलमुल्क अपनी भावी महत्ता की नींव डालने में समर्थ हुआ। उसके वहाँ के कार्यों से सैय्यदों को उस पर सन्देह हो गया। उन्होंने पहले किये गये एक वादे की परवाह न कर उसे स्थानान्तरित करने की पुनः आज्ञा दे दी। परन्तु इस आज्ञा के सामने झुकने के बदले वह हथियारों के द्व ारा अपनी स्थिति की प्रतिरक्षा करने को तैयार हो गया। उसने दिलावर अली खाँ तथा आलिम अली खाँ को हराकर मार डाला; तथा हुसैन अली उसके विरुद्ध सेना लेकर बढ़ने की तैयारी करते समय छुरे से मारा गया। सैय्यदों के पतन के बाद 1720 ई. के अंत में उसने पुनः अपने को दक्कन का स्वामी बना लिया। 1721 ई. में उसके चचेरे भाई वजीन अमीन खाँ की मृत्यु होने पर निजामुलमुल्क को दिल्ली बुलाया गया तथा फरवरी, 1722 ई. में वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु दिल्ली दरवार के दूषित वातावरण में उसने अपने को प्रसन्न नहीं पाया, जहाँ मुहम्मद शाह के छिछोरे दरबारी उसके परामर्श को अस्वीकार करते थे तथा उसके विरुद्ध बादशाह के कान भरते रहते थे। अतः वह 1723 ई. के दिसम्बर महीने के तीसरे सप्ताह में बादशाह की अनुमति लिए बिना ही दक्कन के लिए चल पड़ा। उसके शत्रुओं ने अपने सहज में विश्वास करने वाले शासक को विश्वास दिला दिया कि उसने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने बादशाह से हैदराबाद के शासक मुबारिज खाँ को गुप्त आदेश भेजवाया, जिसमें उसे निमाजुलमुल्क से लड़ने को कहा गया तथा यह प्रतिज्ञा की गयी कि विजयी होने पर वह दक्कन का राजप्रतिनिधि बना दिया जाएगा।

परन्तु निजामुलमुल्क ने मुबारिज खाँ को 11 अक्टूबर, 1724 ई. को बरार के साखरखेड़ा नामक स्थान पर हराकर मार डाला। यही नहीं, बल्कि उसने दिल्ली के अभागे बादशाह को उसे दक्षिण का राजप्रतिनिधि मानने तथा आस़फजाह की उपाधि, जिसे उसके उत्तराधिकारी अब तक धारण करते रहें हैं. देने को अप्रत्यक्ष रूप से विवश कर दिया। 'इस समय से निजामुलमुल्क की व्यावहारिक रूप में

स्वतंत्रता तथा वर्तमान हैदराबाद राज्य की स्थापना मानी जा सकती है।'

निजामुलमुल्क के दक्कन के कार्यक्षम शासन की खाफी खाँ द्वारा अत्यन्त प्रशसां की गयी है। कर्फ़ी बूढ़ा होकर वह इक्यानवे वर्ष की आयु में 21 मई, 1748 ई. को मरा। इसके बाद दक्कन की सरकार के उत्तराधिकार सम्बन्धी झगड़ों ने यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों को इस सूबे की राजनीति में उत्साहपूर्वक हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया।

कर्नाटक

यह हैदराबाद का एक सूबा था। जिस तरह निजाम–उल–मुल्क व्यवहार में मुगल बादशाह से स्वतंत्र हो गया उसी तरह कर्नाटक के डेपुटी सूबेदार सदातुल्ला खाँ भी व्यवहार में स्वतंत्र हो गया। उसने निजाम की अनुमति के बिना ही अपने उत्तराधिकारी दोस्त अली का चयन कर लिया।

मैसूर

मैसूर का शासक चिक्का कृष्णराज था। किंतु वह नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता उसके दो अधिकारी देवराज (दुलबई) तथा नन्जराज (सर्वाधिकारी) के हाथों में आ गई। हैदर अली मैसूर की सेना का अधिकारी था। उसने मैसूर की सेना का आधुनिकीकरण किया। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडुंगल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। 1761 ई. में उसने सत्ता हथिया ली। हेदर ने विदनुर, सुंदी, सेद्दा, कन्नरा और मालाबार पर कब्जा कर लिया।

केरल

धीरे–धीरे केरल के चार राज्य उदित हुए यथा कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और त्रावणकोर। इनमें कालीकट एवं त्रावणकोर महत्त्वपूर्ण थे। कालीकट पर जमोरीन का शासन था। त्रावणकोर में 1729 ई. के पश्चात एक महत्त्वपूर्ण शासक मार्तण्ड वर्मा का उदय हुआ। उसने सेना का आधुनिकीकरण किया। डचों को पराजित किया और क्वीलोन एवं मलाया पर कब्जा किया।

18वीं सदी में उसका उत्तराधिकारी राम वर्मा हुए। राम वर्मा एक विद्वान व्यक्ति थे। वे अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त और भी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके समय मलयालम भाषा का विकास हुआ। फलतः मलयालम साहित्य में पुनर्जागरण का काल आया। 1766 ई. में हैदरअली ने उत्तरी केरल का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया।

अवध

उस समय अवध सूबे में केवल आधुनिक अवध ही नहीं था, बल्कि इसके पूर्व में बनारस था और इसके पश्चिम के राज्य का एक भाग तथा इलाहाबाद एवं कानपुर के निकट के कुछ जिले भी थे। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खाँ जो खुरासान से आया था। 1722 ई. में वह अवध का शासक नियुक्त हुआ। शीघ्र वह शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध हो गया। 1723 में उसने नया राजस्व बंदोवस्त किया। नादिर के आक्रमण के समय उसे दिल्ली बुलाया गया। परन्तु उसी वर्ष उसने आत्महत्या कर ली। अवध का अगला शासक स्फदर जंग था, जो सआदत खाँ का भतीजा एवं दामाद था। सफदरजंग 1748 ई. में दिल्ली–साम्राज्य का वजीर नियुक्त हुआ।

उस समय तक अवध के नवाब वजीर नजाब के नाम से जाने जाने लगे थे। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक उसका भारत के समकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि आसफजाह निजामुलमुल्क के पुत्र तथा पौत्र उसका विरोध करते रहे। उसकी सरकार में सबसे बड़े आंह दे पर एक हिन्दू महाराजा नवाब राय आसीन था। 1754 ई. में उसकी मृत्यु हुई। अवध की सरकार में उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजाउद्दौला हुआ। वह भी साम्राज्य का वजीर बना और अपनी मृत्यु (1775 ई.) तक वह उत्तरी भारत के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति रहा। फर्रुखाबाद क्षेत्र में मुहम्मद शाह बंगश एवं उत्तरी कुमायू एवं दक्षिण में गंगा के बीच अली मुहम्मद खाँ ने रूहेला राज्य की स्थापना की।

बंगाल

मुर्शिद कुली जाफर खाँ, जो औरंगजेब के द्वारा 1700 ई. से पहले बंगाल का दीवान और मुर्शिदाबाद का फौजदार नियुक्त किया गया था। 1713 ई. में बंगाल का स्थायी उपशासक तथा 1717 ई. में इसका पूर्ण शासक बन गया। वह सशक्त और योग्य शासक सिद्ध हुआ, यद्यपि वह कभी–कभी स्थानीय जमींदारों से राजस्व वसूलने में कड़ाई बरतता था। उसने बंगाल की राजधानी ढ़ाका से बदल कर मुर्शिदाबाद कर दी। वह अपने प्रान्त के आर्थिक हितों के प्रति पूर्णतः सचेत था। उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी के नौकरों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग के रोकने के प्रयत्न किये। वह उनसे भी उतनी ही व्यापारिक चुंगी वसूलना चाहता था, जितनी भारतीय व्यापारियों को देनी पड़ती थी। उसके समय तीन विद्रोह हुए–सीता राम राय का विद्रोह, उदय नारायण का विद्रोह तथा सुजात एवं नजात खाँ का विद्रोह। विद्रोह का दमन करने के उपरांत मुर्शीद कुली खाँ ने उनकी जमींदारी अपने कृपापात्र रामजीवन को दे दी। 1727 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।

बंगाल की सरकार में उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन खाँ बना। शुजाउद्दीन के ही शासनकाल में बिहार सूबा, जिसकी पूर्वी सीमा तेलियागढ़ी (ईस्टर्न रेवले लूप लाइन पर साहेबगंज के निकट) तक चली गयी थी, 1733 ई. के लगभग बंगाल में मिला लिया गया तथा अलीवर्दी को इसका नायब नाजिम बनाकर भेजा गया। 1739 ई. में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गयी।

उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खाँ बंगाल का नवाब बना। परन्तु इस नये नवाब के शासन काल को लंबा होना नहीं बदा था। अलीवर्दी, उसके भाई हाजी अहमद, रायरायान आलम चंद तथा जगत सेठ ग़तहचंद ने उसके विरुद्ध एक पडयंत्र का संगठन किया।

अलीवर्दी सेना लेकर बिहार से चला, 10 अप्रैल, 1740 ई. को राजमहल के निकट गिरिया नामक स्थान पर सरफराज को हरा कर मार डाला तथा बंगाल की मसनद पर अधिकार कर लिया। उसने संदेहजनक साधन से अपने नये अधिकार के लिए शाही स्वीकृति प्राप्त कर ली तथा वह स्वतंत्र रूप से उस प्रान्त पर शासन करने लगा।

विपत्ति में होने के कारण अलीवर्दी ने कुछ अच्छे गुणों का विकास कर लिया था, जिनमें उसे एक योग्य प्रशासक बनने में सहायता मिली। गुलाम हुसैन कहता है: ष्वह एक बुद्धिमान, तेज और वीर सिपाही था। कोई ऐसा गुण नहीं है, जो उसमें नहीं था। यूरोपीय व्यापारियों के प्रति उसका रुख कठोर परन्तु पक्षपातरहित था। वह कभी–कभी उनसे कर लिया करता था, किन्तु असाधारण परिस्थितियों के दबाव में आकर ही वह ऐसा किया करता था। परन्तु नियति ने उसे मसनद का, जिसे उसने बलपूर्वक छीना था। शान्तिपूर्वक उपभोग करने का अवसर न दिया। अपने शासन काल के अधिकांश तक प्रति वर्ष बंगाल पर मराठा आक्रमणों से वह बहुत चिन्तित रहता था तथा उसके अफगान सेनापतियों के, जो बिहार में दरभंगा के अपने हमवतनों से मिले हुए थे, विद्रोह उसकी प्रभुता पर भयंकर संकट सिद्ध हुए।

उसने मराठों के एक सेनापति भास्कर पंडित को कासिम बाजार के निकट मनकारा नामक स्थान पर हत्या कर डाली। किन्तु इससे भी वह मराठों को पीछे हटाने में असमर्थ रहा। तब अलीवर्दी ने उनके साथ मई अथवा जून, 1751 ई. में संधि कर ली। तदनुसार उसने उन्हें प्रतिवर्ष चौथ के रूप में बारह लाख रुपया देना स्वीकार किया तथा उन्हें उड़ीसा के एक भाग का राजस्व भी दे दिया। इससे अन्त में उड़ीसा पर मराठा प्रभुता का रास्ता खुल गया जिसको अंग्रेज भी लगभग 1803 ई. के पहले समाप्त नहीं कर सकें अलीवर्दी अप्रैल, 1756 ई. में मर गया।

अब बंगाल की मसनद उसके मनोनीत उत्तराधिकारी तथा प्रिय नाती मिर्जा मुहम्मद को मिली, जो नवाब सिरोजुद्दौला के नाम से अधिक विख्यात है। उसका लगभग एक वर्ष और दो महीनों का छोटा राज्यकाल बंगाल के तथा भारत के भी इतिहास में युगांतरकारी है।

राजपूत राज्य

मेवाड; (उदयपुर), मारवाड, (जोधपुर) तथा अम्बर (जयपुर) सरीखे प्रमुख राजपूत राज्यों ने, साम्राज्य के प्रति जिनकी सहानुभूति को औरंगजेब ने खो दिया था, उस बादशाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य की अधीनता से मुक्त होने का प्रयत्न किया। पहले तो बहादुर शाह ने उन्हें अधीन कर लिया। परन्तु बहुत शीघ्र जोधपुर का अजीत सिंह, अम्बर का जयसिह, द्वितीय तथा दुर्गादास राठोर 30 अप्रैल, 1708 ई. को बादशाह के दल से अलग हो गये तथा उन्होंने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया।

सरहिन्द के उत्तर में हुए सिखों के विद्रोह को ध्यान में रखकर बहादुर शाह ने राजपूतों को मैत्रीपूर्ण कार्यों के द्वारा शान्त किया। परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात जो अव्यवस्था फैली, उसमें अजीत सिंह ने शाही सूबों पर आक्रमण कर दिया। सैय्यद हुसैन अली को मारवाड़ के नायक के अधीन करने के लिए भेजा गया। परन्तु उस समय की दरबारी राजनीति इतनी दूषित हो गयी थी कि बादशाह तथा सैय्यद विरोधी गुट ने गुप्त रूप से उस राजपूत शासक को कहला भेजा कि जैसे भी हो, वह हुसैन अली को मार डाले। जिसके बाद उस की सारी जायदाद एवं धन उसका हो जायेगा और इसके अतिरिक्त उसे अन्य पुरस्कार भी मिलेंगे। किन्तु अजीत सिंह इन आदेशों का पालन नहीं कर सका। बिना किसी युद्ध के उसने हुसैन अली के साथ संधि कर ली। 1714 ई. में उसने वादशाह के साथ सुलह कर ली तथा उससे अपने एक पुत्री का विवाह करना स्वीकार कर लिया। यह विवाह अगले वर्ष सम्पन्न हुआ।

अब से जोधपुर तथा जयपुर के नायकों का दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हो गया। समयानुकूल पृथकता या लगाव से उन्होंने साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सैय्यदों ने उन्हें अपने दल में मिलाने का प्रयत्न किया तथा उन्हें अपने राज्यों में पूर्ण राजसत्ता के अतिरिक्त कुछ और पद भी दिये। अजीत सिंह 1721 ई. तक अजमेर तथा गुजरात का सुबेदार बना रहा। मुहम्मदशाह के राज्य काल में जयपुर का जयसिंह द्वितीय सूरत का सूबेदार नियुक्त हुआ तथा सैय्यदों के पतन के बाद उसे आगरे को सरकार भी मिली। इस प्रकार दिल्ली के साठ मील दक्षिण से लेकर सूरत में समुद्र के तट तक का प्रदेश इन दो राजाओं के हाथों में था, जो इस खुली हुई सीमा पर मुगलों के अत्यन्त अविश्वसनीय प्रहरी थे। अजीत सिंह ने गुप्त रूप से मराठों को पश्चिम भारत में उनकी कार्रवाइयों में सहायता दी तथा उसे गुजरात की सरकार से हटा दिया गया। अपने पुत्र भक्तसिंह के हाथों उसकी दु:खद एवं रहस्यपूर्ण मृत्यु हुई। राजपूतों का पुनरुत्थान केवल क्षणिक था। उनके देश के भाग्य में आन्तरिक अव्यवस्था एवं विदेशी शोषण के दु:खपूर्ण दिन लिखे थे।

आमेर

आमेर का राज्य महत्त्वपूर्ण था। सवाई जयसिंह ने 1699 से 1743 ई. तक शासन किया। उसने जाटों का क्षेत्र लेकर जयपुर की स्थापना की। वह एक महत्त्वपूर्ण ज्योतिषशास्त्री, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ एवं समाज सुधारक था। जयपुर वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बना हुआ प्रथम शहर है। सवाई जय सिंह ने पाँच स्थलों पर वेधशालाएँ निर्मित कराई, यथा जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन एवं बनारस। खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए उसने एक सारणी बनाई जो जीजमोहम्मदशाहो के नाम से जाना जाता है। उसने युक्लीड के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। एक महत्त्वपूर्ण समाज सुधारक होने के नाते उसने राजपूतों में दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की।

सिक्ख

1708 ई. में एक अफगान ने गुरु गोविन्द को छुरा भौंक कर मार डाला। उनकी हत्या के बाद बन्दा सिक्खों के नेता हुए।

बन्दा ने उत्तर की ओर जाकर विशाल संख्या में सिक्खों को संगठित किया तथा गुरु गोविन्द के बच्चों के हत्यारे सरहिन्द के फौजदार वजीर खाँ को मारकर सरहिंद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सतलज तथा जमुना के बीच का प्रदेश उनके अधिकार में आया।

नहान एवं सधौरा के बीचो-बीच मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक एक दुर्ग स्थापित किया। वहाँ उन्होंने 'एक प्रकार का राजकीय अधिकार धारण करने का प्रयत्न किया' और अपने नाम से सिक्के ढ़ालने शुरु कर दिए। बादशाह उनके विरुद्ध सेना लेकर गया तथा लोहगढ़ के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। इस पर वे अपने बहुत-से अनुगामियों के साथ लाहौर के उत्तर स्थित पहाड़ियों में भाग गये। परन्तु बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बन्दा छिपने के स्थान से निकलकर बाहर आया, सधोरा नगर पर अधिकार कर लिया, लोहगढ़ के दुर्ग को पुनः जीत लिया और सरहिन्द प्रान्त को लूट लिया।

परन्तु 1715 ई. में वह गुरुदासपुर के दुर्ग में घेर लिया गया। सिक्ख हृदय खोलकर लड़े। वे आपस में शहादत के लिए प्रतियोगिता करने लगे। भयंकर प्रतिरोध के बाद उनमें से बहुत पकड़े गये। बन्दा और उनके अनुगामियों को दिल्ली भेज दिया गया। उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया। प्रत्येक सिक्ख सिर के लिए पुरस्कार दिया गया। एक सरदार के ताना मारने पर बन्दा ने उत्तर दिया कि वह दुष्टों को दण्ड देने के लिए ईश्वर के हाथों में महज एक कोड़ा था तथा अब वह उस सर्वशक्तिमान के प्रति किये गये अपने अपराधों का पुरस्कार पा रहा था। उसका पुत्र उसकी आँखों के सामने मार डाला गया। वह स्वयं हाथियों के पैरों के नीचे रौंदवाकर घोर यंत्रणा के साथ मार डाला गया। इस

प्रकार 1716 ई. में सिक्ख राष्ट्र का भाग्य निम्नतम स्तर पर था।

परन्तु सिक्खों की सैनिक शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकी। नानक तथा गोविन्द की शिक्षाओं ने जनता के हृदयों में गहरी जड़ पकड़ ली थी; कृषक एवं शिल्पकार गुप्त रूप में अपने धर्म का पालन कर रहे थे तथा अधिक उत्साही लोग पर्याप्त प्रतिशोध एवं शीघ्र विजय की आशा में चिपटे रहे। सिक्ख धीरे-धीरे अपना संगठन बनाने लगे। फैजुल्लापुर के निवासी कपूर सिंह ने एक संगठन आरम्भ किया, जो आगे चलकर प्रसिद्ध 'दल खालसा' के रूप में विकसित हुआ। सिक्खों ने नादिरशाह के आक्रमण के बाद पंजाब में फैली हुई अव्यवस्था एवं गड़बड़ी का लाभ अपने आर्थिक साधनों के बढ़ाने तथा अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि करने में किया। सिक्खों का दमन करना, जो हर परिस्थिति में कठिन था, अब और कठिन हो गया। उन्होंने रावी के किनारे दलेवाल में एक किला बनाया। आसपास के प्रदेश को लूटते हुए उन्होंने अपनी लूटपाट लाहौर के समीप तक पहुँचा दी। अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने भी बहुत अंश तक सिक्ख शक्ति के उत्थान में सहायता दी। यद्यपि 1752 ई. के बाद उन्हें कई बार पराजित होना पड़ा, परन्तु अन्त में उन्हें पूर्ण विजय प्राप्त हुई। विशेष रूप में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देश की अशांत राजनीतिक अवस्था से लाभ उठाकर उन्होंने अपने को पर्याप्त रूप में संगठित एवं पुष्ट किया तथा अब्दाली को उसके लौटते समय बहुत क्लेश पहुँचाया। उन्होंने अब्दाली का विरोध उसके बाद के आक्रमणों में भी किया। 1767 ई. के उसके आक्रमण के बाद उन्होंने सम्पूर्ण खुले हुए प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया।

जाट

जाट लोग मुख्यतया दिल्ली, आगरा तथा मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते थे। वे अपनी वीरता, जुझारू प्रवृत्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कटरता के विरुद्ध 1699 ई. में तिल्पत के जमींदार गोकला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया।

औरंगजेब के राज्यकाल के अन्त में जाटों के लुटेरे दस्ते राजाराम, भज्जा तथा चूड़ामन जैसे गाँवों के अलग-अलग मुखियों के अधीन दिल्ली और आगरे के आसपास लूटपाट मचाकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। परन्तु 1721 ई. में सवाई जयसिंह द्वितीय ने चुड़ामन के थीन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चुरामन ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जो कुछ भी जाट प्राप्त कर सके थे, सब जाता रहा। डाक्टर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अठारहवीं सदी के मध्य तक कोई जाट राज्य नहीं था; राजनीतिक रूप में संयुक्त कोई जाट राष्ट्र नहीं था; कोई ऐसा जाट नहीं था, जो स्पष्ट रूप में गाँवों के अन्य मुखियों से ऊँचा हो अथवा कम-से-कम बराबरी वालों में प्रथम माना जाता हो, बल्कि वह डकेतों का एक सरदार मात्र था। जिसकी सफलता के कारण उसके झंडे के नीचे समान सामाजिक

स्तर वाले रईस आ गये थे, जो उसके साहसपूर्ण कार्यों तथा लूट में उसके साझीदार थे।

परन्तु जाटों के छिन्न-भिन्न दस्तों को चूड़ामन के भाई भाव सिंह के पुत्र बदन सिंह ने अपनी "अच्चतर नियंत्रण करने वाली शक्ति के अधीन" कर लिया। बड़ी कठिनाइयों के बावजूद बदन सिंह ने अनुपम चतुराई, अथक धैर्य और साधनों के चुनाव में विवेकपूर्ण विचार शक्ति तथा कुछ प्रबल जाट परिवारों के साथ वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा लगभग सम्पूर्ण आगरा एवं मथुरा जिलों पर अपने वंश का अधिकार स्थापित कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने उसे राजा एवं महिन्द्रा की उपाधि दी। 7 जून, 1756 ई. को बदन की मृत्यु हो गयी।

उसका दत्तक पुत्र सूरजमल उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसकी राजनीतिक चतुराई, दृढ़ बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण उसका वर्णन एक समकालीन इतिहासकार ने जाट जाति के प्लेटो के रूप में तथा एक आधुनिक लेखक ने जाट युलिसीज के रूप में किया है। उसने भरतपुर राज्य की प्रभुता को आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी, गुरगाँव तथा मधुरा जिलों पर फैला दिया। वह जाटों में सबसे महान् योद्धा एवं योग्यतम राजनीतिज्ञ था। 25 दिसम्बर, 1763 ई. को उसकी मृत्यु हुई उसके अधीन जाट जाति की ख्याति चरम सीमा पर पहुँच गई तथा उसके बाद इसका पतन अवश्यम्भावी था।

मुगल साम्राज्य के पतन के कारण

यदि आप इतिहास पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण हैं। जहाँगीर के बाद के शासक कमजोर और फिजूलखर्ची करने वाले माने जाते थे।

कमजोर इरादों वाले शासक मुगल शासक अपने बाद के जीवन में कमजोर इरादों वाले और आलसी शासक बन जाते हैं। औरंगजेब के बाद शासक अयोग्य हो गये। उनका अधिकतर समय शराब और औरतों में बर्बाद होता था। वे अपना दरबार चलाने में बहुत आलसी हो गये। उनकी फैंसी आदतों और विलासिता के प्रति प्रेम ने उन्हें बहुत बुरा शासक बना दिया। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण उनकी कमजोर मानसिकता थी।

विदेशी सेना द्वारा बार-बार आक्रमण मुगल साम्राज्य पर कई अफगान शासकों द्वारा आक्रमण किया गया। इनमें से नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को खतरनाक ढंग से लूटा। साथ ही, तुर्कों और अन्य ऊगान शासकों के बार-बार के हमलों ने मुगलों की साल भर को शक्ति को तोड़ दिया।

मराठा साम्राज्य द्वारा बार-बार आक्रमण आंतरिक रूप से मुगलों पर मराठा नेताओं द्वारा उदारतापूर्वक आक्रमण किये गये। मराठी नेता उग्र योद्धा माने जाते हैं। मराठा शासक शिवाजी ने साम्राज्य की संरचना

को भारी क्षति पहुंचाई। दक्षिण भारतीय शासकों और राजपूत शासकों ने भी साम्राज्य पर बुरी तरह हमला किया।

गैर-मुस्लिम लोगों के विरुद्ध औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियाँ – औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों ने उनके साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब ने हिंदू, वौद्ध और जैन धर्मों के हजारों प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। उसने कुख्यात सोमनाथ मंदिर, श्विनाथ मंदिर, मथुरा, हम्पी मंदिर, एलोरा मंदिर आदि को नष्ट कर दिया। उनके इस परोपकारी रवैये से हिंदू क्रोधित हो गए और उनके खिलाफ पढ़ने लगे।

राजकोप पर दबाव मुगलों को भारत के कई विरासत स्थलों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था। लेकिन इन साइटों को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। शाहजहाँ के फैंसी शौक ने साम्राज्य के वित्त को खत्म कर दिया। विलासिता की वस्तुएँ, आभूषण, हरम आदि भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण थे। उनके अनावश्यक निवेश ने उनकी सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया। व्यवसाय, कृषि और निर्यात-आयात चौपट हो गए।

अंग्रेज हरकत में आए अंग्रेज 1600 ई. के बाद हरकत में आए। उन्होंने भारत की भूमि पर व्यापारियों के रूप में प्रवेश किया लेकिन जल्द ही, उन्होंने अपनी मजबूत सैन्य रणनीति से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मुगल अंग्रेजों के साथ अपनी स्थिति की बराबरी करने में किल रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारूक शियार के साथ बिना कोई व्याज दिए व्यापार करने का अनुबंध किया। ये नीले खून वाले ब्रिटिश लोग मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति को समझते थे। 1800 के दशक के बाद मुगल साम्राज्य का पतन अपरिहार्य था।

संदर्भ सूची

- अबुल फजल : अकबरनामा, एच, बेबरिज, दिल्ली, 1965
- सैयद अतहर अब्बास रिजवी, आदि तुर्क कालीन भारत, हिन्दी अनु. अलीगढ़, 1956
- अग्रवाल, जे.सी. : भारतीय समाज में अध्यापक, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2009
- उपाध्याय, रमेश (अनुवादक) : कला की जरूरत-अर्स्ट फिशर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 19901
- खरे, पी.सी., भारतीय समाज और संस्कृति, पुस्तक भवन रोवा 1976
- फारूकी, सलमा अहमद : मध्यकालीन भारत का एक व्यापक इतिहास: बारहवीं से मध्य अठारहवीं शताब्दी तक, पियर्सन एजुकेशन इंडिया, 2011
- हालें, जे.सी. : भारतीय उपमहाद्वीप की कला और वास्तुकला, येल यूनिवर्सिटी प्रेस पेलिकन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, 1994

- गोपीनाथ शर्मा : मेवाड़ और मुगल सम्राट (1526-1707 ई.) एसएल अग्रवाल, 1954
- जदुनाथ सरकार : भारत का सैन्य इतिहास. ओरिएंट लॉन्गमैन्स, 1960
- सतीश चंद्र : मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, धर्म और राज्य, हर-आनंद प्रकाशन, 2010
- लाल, के एस : भारत में मुस्लिम राज्य का सिद्धांत और व्यवहार, नई दिल्ली: आदित्य प्रकाशन, 1999
- मिश्रा, आरजी : 1206 ई. तक प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रति भारतीय प्रतिरोध, मेरठ शहर: अनु बुक्स, 1993
- सरकार, जदुनाथ : मुगल साम्राज्य का पतन, हैदराबाद: ओरिएंट लॉन्गमैन, 1997
- सरकार, जदुनाथ : मुगल भारत में आर्थिक जीवन में अध्ययन, दिल्ली: ओरिएंटल प्रकाशक एवं वितरक; 1987
- चन्द्र सतीश : उत्तर मुगल कालीन भारत, दिल्ली, 1997
- महाजन, विद्याधर : ब्रिटिश कालीन भारत, नई दिल्ली, 1982
- पाटनिक : ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नई दिल्ली, 1984
- रामकुमार : भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, इन्दौर, 1991
- खुराना, के.एल. : भारत का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 2006-071
- खाफ खां, मुन्तखबुल्लुवाब, कलकत्ता 1860-741
- मिनहाजुद्दीन, सिराज, तबकाते नासिरी, ़ारसी, कलकत्ता संस्करण, 1864
- चन्द्रा सतीश : मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली, 1952
- दलाल पूनम दहिया : प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत, लखनऊ, 1960
- लुनिया, वी.एन. : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 19981
- पाण्डेय डॉ. राजेन्द्र : भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उ.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी लखनऊ 19761
- गोस्वामी, प्रेमचंद : भारतीय कला के विविध स्वरूप, पंचशील प्रकाशन जयपुर, 19971
- चौबे, डॉ. सरयू प्रसाद : हमारी शिक्षा समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 19831
- दुबे, श्यामाचरण : शिक्षा, समाज और भविष्य, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., 19941
- वालिया, डॉ. जे.एस. : भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहम् पाल पब्लिकेशन: पंजाब, 20121
- मुखर्जी, राधाकुमुद : अशोक (हिंदी) नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 1975
- नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी : मथुरा को मूर्तिकला, पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा, 1980
- बी.एन. लुणिया : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, जैनसंस पिंटर्स, आगरा, 1960
- रोमिला थापर : मध्यकालीन भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985
- देव, शंकरराव : सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ प्रकाशन, काशी, 1955
- रामशराण शर्मा : मध्यकालीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं, 1965

शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना के स्वर

अंजली आनंद
शोधार्थी, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, बी.एन.एम.यू. मधेपुरा

शोध सार

शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में मानव जीवन से सम्बंधित लगभग सभी समस्याओं को उजागर किया गया है। खासकर के गाँव से संबंधित लोगों के जीवन की समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है। गाँव में निवास करने वाले निम्न जातियों की समस्या को बड़ी ही गंभीरता से वर्णित किया गया है। सामाजिक बदलाव की राजनीतिक बयार में किस तरह सदियों से शोषित, दमित, उत्पीड़ित निम्न जातियों के जीवन पर पड़े रहस्मयी पर्दे अचानक उड़ने लगते हैं और उसके अंदर एक नई चेतना का संचार होता है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी इनकी कहानियों में दिखाई देता है। ग्रामीण जीवन की दारुण कथा पाठकों के हृदय को झकझोर कर रख देती है। इनकी कहानी में लोक-जीवन अपनी सम्पूर्णता के साथ चित्रित हुआ है। ग्रामीण जीवन के चित्रण में इन्होंने सामाजिक समस्याओं का विस्तार पूर्वक चित्रण किया है। वे अपनी कहानियों के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि आज गाँवों की स्थिति एकदम चिंताजनक है। वहां के लोग न तो नए मूल्यों को पूरी तरह स्वीकार कर पा रहे हैं और न ही परंपरागत मूल्यों को छोड़ रहे हैं। हालाँकि इस स्थिति से उबरने की छटपटाहट उसके अन्दर महसूस की जा सकती है।

बीज शब्द: लोक-जीवन, ग्रामीण, जीवन, सामाजिक, बदलाव, रहस्यमयी, अंधविश्वास, छावनी, अकाल, माला, कर्मनाशा।

मूल आलेख

शिवप्रसाद सिंह अपनी कहानियों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किये हैं कि गांवों में निवास करने वाले किसान, मजदूर की समस्या अपने पुराने रूप में ही मौजूद है। किसानों के प्रति जमींदारों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनकी शोषणकारी नीति और प्रवृति आज भी वही है। वे आज भी इन किसान, मजदूर को तिरस्कृत भाव से देखते हैं। जमींदारों की इस अमानवीय और क्रूर

नीतियों के बीच वे आज भी गांवों में जीवन जीने को बाध्य है।

'धतूरे का फूल' कहानी की नायिका शीला, जिनकी उम्र तेरह वर्ष के करीब है अपने चुलबुले स्वभाव के कारण सभी को परेशान करती है। वह पढ़ते वक्त भी इधर-उधर झांकती रहती है। परन्तु, गाय-बैल के मिलन वाली घटना का हकीकत समझने के बाद वह लज्जित हो जाती है और अगले दिन से वह पूरा कपड़ा पहनकर आती है। इस कहानी के जरिये लेखक आज के युवाओं में फैलते अजीबो-गरीब कौतूहल को व्यक्त किया है।

पत्नी के दु:ख को महसूस करना हर पति का धर्म होता है। परन्तु आज के आधुनिक वातावरण में मनुष्य एकदम असंवेदनशील हो गया है। समकालीन शहरी और ग्रामीण जीवन में ऐसे कई प्रसंग आसानी से देखे जा सकते हैं। 'केवड़े का फूल' कहानी में अनीता अपने पति का विरोध करती है और बात न मानने पर मायके चली जाती है। परन्तु गाँव में बिना बुलाये लड़की का नैहर आना ठीक नहीं माना जाता है इसलिए वह पिता के कहने पर पुन: पति के पास चली जाती है और सजा के रूप में पति के शर्तो को मानने के लिए बाध्य होती है। पति द्वारा तय शर्त के बारे में जानकारी देते हुए लेखक लिखता है, "तुम्हें वह सब कुछ करना होगा, जो मैं कहूँगा। तुम्हें अपने को मेरे समाज के लिए बदलना होगा... तुम मेरी ही नहीं मेरे मित्रों तक के लिए मनोरंजन की साधन हो... मेरा सारा मतलब तुम समझती होगी...सती धर्म की दुहाई देकर तुम मेरी इच्छाओं को नहीं रोक सकती।"[1]

'भग्न प्राचीर' डॉक्टर दम्पति और उसकी प्रेमिका को लेकर लिखा गया है। इसमें डॉक्टर के द्वारा अपनी प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने पर उसकी पत्नी के मनोभावों को दर्शाया गया है। डॉक्टर की पत्नी यह जानकर आशचर्य चकित होती है कि आर्थिक तंगी के बावजूद उसका पति अपनी प्रेमिका को इतना महंगा तोहफा देता है। इस घटना के बाद डॉक्टर की पत्नी सुशीला खुद नौकरी करने का निर्णय लेती है। एक दिन अपने डॉक्टर पति से वह कहती है, "मैं अब तुम्हारे पैसे पर नहीं जीती। मैंने भी नौकरी कर ली है। तुम समझते थे कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं, मेरा कोई वश नहीं। इसलिए कि तुम कमाते थे, मैं खाती थी। तुम मेरी छाती पर मूंग दल सकते थे, पराई औरतों से आशनाई कर सकते थे, क्योंकि तुम कमाते थे। पर अब कान खोलकर सुन लो, जल्दी अपना रास्ता बदलो, वरना मुझे भी सोचना पड़ेगा और यह सब सौदा काफी महँगा पड़ेगा।"[2]

शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में गरीबी से बेहाल लोगों की दारुण पुकार सुनाई पड़ती है। 'कर्ज' कहानी में जगपति अपना खेत बेचकर अपने भाई की शादी करता है। इस कार्य को करके वह प्रसन्न है। परन्तु जमीन बिकने का गम उसकी अम्मा के चेहरे पर परिलक्षित होता है। वह कहता है, "जन रहेंगे तो जमीन भी होगी। पुरुखों का नाम लेवा और पानी देवा ही न रहेगा तो धन-दौलत लेकर क्या चाटेंगे। बंस-बरखा के लिए तो जाने क्या-क्या करते हैं लोग। सच कहो अम्मा, दूसरों के घर शादी

के बाजे बजने पर तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं आ जाते थे? क्या तुमने हर व्रत-त्यौहार पर बहू के लिए देवी-देवता के चरणों में माथा नहीं पटका है। बहूवाली माँओं को देखकर क्या तुम आँखें नहीं चुराती रही हो, मंगल उछाह के समय क्या बिन ब्याहे बेटों की माँ होकर दूसरों के घर जाने में तुम अपने को हेठ नहीं मानती थी ... फिर-फिर आज जब मैंने यह सब कुछ जुटा दिया तो ... तो तुम खुश क्यों नहीं हो अम्मा।"[3]

सूखे की समस्या से पीड़ित लोगों की स्थिति को बयां करने वाली कहानी 'उपधाईन मैया' में लेखक ने सूखे की वजह से फैली महामारी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। वर्णन का यह अंश देखिये, "बड़ी डरावनी रात थी। साँझ होते ही घरों के फाटक बंद हो जाते। द्वार-द्वार पर मिट्टी की काली घरियों में लवंग-गुड़ की धार का पानी लटका दिया जाता। एक कोने में चमकती आग रख दी जाती, जिसमें गुग्गल और धूप डाल दी जाती। गलियों में काला घुप्प अंधकार छा जाता जैसे चारों ओर यमराज भैसें से घूर रहे हों। रहता-रहता कहीं सन्नाटा चीख उठता। एक हड़बड़ाहट, एक दौड़ धूप और फिर अनबोली खामोशी। महामारी की पकड़ में सारा गाँव बेहाल था। आकाश में बदली उठती, घुमड़कर रह जाती। पानी का नाम नहीं। उमस से दम फूलने लगता।"[4]

शिवप्रसाद सिंह का ध्यान सिर्फ सूखे तक ही सीमित नहीं रहता है। वे रेणु की तरह बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों से प्रभावित जनता के दुखों का चित्रण करते हैं। 'तकावी' कहानी में बाँध टूटने और उससे होने वाले नुकशान का विस्तार पूर्वक वर्णन किये हैं। वे लिखते हैं, "अचानक एक रात को नौगढ़ का जलखाता ऐसा भरा कि पानी के दबाव से भीटे टूट गये। अथाह प्रलय का जल अधखोदी नहरों के रास्ते हजारो गाँवों को डुबाता हुआ बह चला। नरवन का परगना तो छोटी-मोटी झील ही लगता था। फसलें डूब गयीं। खेत वीरान हो गये। इस पानी की निकासी में महीनों लग गये। धान के पौधों की सड़ी हुई लाशों से हजारों तरह के कीड़े-मकोड़े पैदा हुए और इस असमय में बने जलखाते में दूर-देशाउर से हजारों-हजार पंछी उतर पड़े: जांघिले, लेदियाँ, चाहे, कराकुल।... झुण्ड-के-झुण्ड पक्षियों के उड़ते हुए समूह को देखते हुए शंकरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा, 'सुना तकावी बंट रही है ... ।"[5]

गाँव में अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है कि निम्न जाति की स्त्रियों के साथ वहाँ के उच्च जाति के रईस और जमींदार लोग जबरन यौनाचार करते हैं। परन्तु उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। 'आर-पार की माला' कहानी में नीरू की इच्छा है कि उसकी भी शादी हो, उसका दूल्हा गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर आये और उसके साथ ही वह गाँव से विदा होकर चली जाये। परन्तु वह अपने लोभी पिता की वजह से इस इच्छा से वंचित रह जाती है। इस संदर्भ में लेखक लिखता है, "वह एक किनारे पर बैठी है। दूसरा किनारा चाहिए। पर लाख ढूंढने पर भी उसे कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ता। केवल प्रवाह, जल, गहरा पानी। उसके मन में किसी की बगल में बैठकर पार जाने

की इच्छा है, पर कोई किनारा नहीं, केवल पार की माला! आर-पार की माला!"[6] ऐसा नहीं है कि अपनी बेटी को ठाकुर की छावनी में भेजते वक्त मटरू की आँखों में शर्म-हया न थी। वह जवान बेटी को वहाँ नहीं भेजना चाहता था। परन्तु पेट की आग के आगे वह भी मजबूर था। इस संदर्भ में यह पंक्ति देखिये, "लड़की ने बाप की आँखों की ओर देखा, जो शरम के मारे धरती में गड़ी हुई थीं। उसने कुछ कहा नहीं। चुपचाप छावनी की ओर चली गई। बड़ी देर के बाद नीरू लौटी, बुड्ढ़े के सामने पांच का नोट फेंककर बोली, 'ठाकुर के पास फुटकल न थे।' और बिना उसकी ओर देखे झोंपड़ी में चली गई।"[7]

'इन्हें भी इंतजार है' कहानी में अकाल उत्पन्न होने की स्थिति में गाँव के लोग अन्न की कमी के चलते कई जरूरी कार्य नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक की शादी-विवाह जैसे कार्य को अगले वर्ष के लिए टाल देते हैं। उदाहरण के लिए यह अंश देखिये, "अकाल के इन दिनों कौन किसे दो रोटी देगा। शादी-ब्याह अगले सालों के लिए टाल दिये गए थे। घरवाले भगवान् से मनाते रहते कि कोई बूढी-बुढा इस साल न मरे। श्राद्ध के लिए अनाज कहाँ से आएगा? ऐसी हालत में कबरी जैसे दया पर जीनेवाले लोगों को कौन पूछता भला?"[8] इसी कहानी में लेखक ने डोम जाति के जीवन में व्याप्त मजबूरी को उजागर किया है। यह ऐसी मजबूरी है जिसपर ध्यान जाना बड़ा गंभीर विषय है। कहा जाता है कि डोम को जूठा खाने की आदत है। परन्तु इस आदत के बनने के पीछे की जो कड़वी सच्चाई है उसे कोई नहीं देखता। लेखक लिखता है, "किसी ने कभी तिरस्कार से कहा था कि डोमों को जूठा खाने की आदत है। मजूरी में भी वे पकाया हुआ अन्न ही लेते हैं। कच्चा अनाज कभी नहीं लेते, क्योंकि चूल्हा-चक्की छूना उनके लिए अपमान की बात है। मैंने एक दिन हँसी-हँसी में मंगरा से यही बात पूछी थी तो वह अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला था, 'पीसने-कूटने को कुछ हो भी सरकार कि खाली चक्की ही चलाते रहें? दो रोटी मिल जाती हैं इन बाँस की डाली-मोन्हियों से, यही बहुत है। खाली पेट एक गाँव से दूसरे गाँव घूमते हैं। ताल-पोखर का पानी सूखकर कीच बन जाता है, पर हमारे लिए तो वही है। कुएँ पर कोई जाने नहीं देता, माँग के पीवें तो लोग यह भी कहेंगे कि डोम तो खींचकर पानी पीते नहीं' वह विचित्र तिरस्कार और ग्लानि में डूबी हँसी हँसकर कहता रहा, टेशन पर गुदामों में झारी करने के लिए भी हमें कोई नहीं पूछता। मुसहर-चमार गरीब हैं सही, पर उन्हें करने को नीचा-ऊँचा काम तो मिल जाता है, हम कहाँ जाएँ सरकार, हमारी देह में तो ऐसी छूत भरी है कि कोई खाद-गोबर फेंकने का काम भी नहीं करने देगा।"[9]

मंगरा की मौत हैजा से हो जाती है। इस संदर्भ में पूछने पर कबरी जो कहती है वह देखिये, "हैजा फैला था न बरहने में, दीघा में, कई गाँवों में। लोग लास किनारे पर फेंककर चले जाते। वह रोज मुर्दघट्टी जाता था। कफन उतारकर लास बहवा देता! .... टेसन पर कोई बनिया है मुरगा, वही खरीदता था, धुला-धुलूकर फिर बेचता होगा पूरे दाम पर। घर आता था रोज दारू पीकर। ....मैंने

बहुत समझाया; सरकार। अपनी सौगंध दिलाई' पर न माना। एक दिन साँझ को लौटा तो के-दस्त हुई और आधी रात बीतते-बीतते वीरान, परती पर लहरों का उबाल उफन पाया।"[10] यहाँ लेखक ने समाज के सबसे निचले पायदान वाली जाति डोम के जीवन की विपन्नता को उजागर किया है। वह काम कर सकता है पर समाज के बंदिशों के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। वह जानता था कि जो काम वह करने जा रहा है उसमें मौत तय है। फिर भी वह उस काम को करने गया।

'कर्मनाशा की हार' कहानी में अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। निम्न जाति की एक विधवा और उच्च जाति का एक ब्राह्मण युवक के बीच प्रेमालाप के बहाने इस पूरी कथा का सृजन किया गया है। फूलमत और कुलदीप के प्रेम की परिणति एक बालक के जन्म का रूप ले लेती है। परन्तु इस घटना को गाँव वाले कर्मनाशा में आई भयंकर बाढ़ से जोड़ देते हैं और फूलमत को बच्चे सहित उसमें बहा देने की योजना बनाते है ताकि कर्मनाशा के प्रकोप से बचा जा सकें इस संदर्भ में यह कथन देखिये, "कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी, फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए, जिसने पाप किया। पर साल जाने के बदले जान गई, पर कर्मनाशा दो बलि लेकर ही मानी।"[11] अंततः इस अंधविश्वास का विरोध लेखक भैरों पांडे से करवाते हुए लिखते हैं, "पांडेय ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। 'मेरी राय पूछते हो मुखियाजी? तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुंहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी, उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बाँधों को ठीक करना होगा।"[12]

निष्कर्ष

शिवप्रसाद सिंह अपनी कहानियों में ज्यादातर समाज के निचले पायदान पर अवस्थित जातियों के अन्दर होने वाले सामाजिक परिवर्तन को चिन्हित करते हैं। निम्न जातियों में सामाजिक चेतना के स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है, उस बदलाव को परंपरागत समाज स्वीकार करने से हिचकिचा रही। परन्तु लेखक उसे समाज के सामने लाकर यह बतलाना चाहता है कि समाज के इस अभिन्न अंग में हो रहे हलचल से समाज की अनभिज्ञता समाज के लिए किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। बौद्धिक और समझदार वही समाज है जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर समाज के विकास की दिशा में अग्रसर हो। उपरोक्त कहानियों के अध्ययन और विवेचन से यह स्पष्ट है की समाज के निम्न वर्गों की समस्या की अनदेखी करना एक स्वस्थ और विकसित समाज के लिए उचित नहीं है।

संदर्भ सूचीः

1. अंधकूप (शिवप्रसाद सिंह की सम्पूर्ण कहानियाँ- 1), शिवप्रसाद सिंह, केवड़े का फूल (कहानी), वाणी प्रकाशन,

नयी दिल्ली- 02, संस्करण: 1993, पृ–179

2. अंधकूप (शिवप्रसाद सिंह की सम्पूर्ण कहानियाँ- 1), शिवप्रसाद सिंह, भग्न प्राचीर (कहानी), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली- 02, द्वितीय संस्करण: 1993, पृ–192
3. एक यात्रा सतह के नीचे (शिवप्रसाद सिंह की सम्पूर्ण कहानियाँ- 2), शिवप्रसाद सिंह, कर्ज (कहानी), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली- 02, संस्करण: 1993, पृ–150
4. अंधकूप (शिवप्रसाद सिंह की सम्पूर्ण कहानियाँ- 1), शिवप्रसाद सिंह, उपधाइन मैया (कहानी), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली- 02, द्वितीय संस्करण: 1993, पृ–106
5. एक यात्रा सतह के नीचे (शिवप्रसाद सिंह की सम्पूर्ण कहानियाँ- 2), शिवप्रसाद सिंह, तकावी (कहानी), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली- 02, संस्करण: 1993, पृ- 275
6. शिवप्रसाद सिंह की लोकप्रिय कहानियाँ, डॉ. नरेंद्र सिंह (संपादन), आर–पार की माला (कहानी), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली- 02, संस्करण- 2022, पृ–101
7. वही, पृ–99
8. शिवप्रसाद सिंह की लोकप्रिय कहानियाँ, डॉ. नरेंद्र सिंह (संपादन), इन्हें भी इंतजार है (कहानी), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली- 02, संस्करण- 2022, पृ–110
9. वही, पृ–108
10. वही, पृ–108
11. शिवप्रसाद सिंह की लोकप्रिय कहानियाँ, डॉ. नरेंद्र सिंह (संपादन), कर्मनाशा की हार (कहानी), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली- 02, संस्करण- 2022, पृ–34
12. वही, पृ–34

PART – II

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

The Grapes of Wrath: Steinbeck's Reflection of 1930s Struggle

Amit Kumar
Assistant Professor, Department of English,
Shri Varshney College, Aligarh

Abstract

The Grapes of Wrath, written by John Steinbeck, is a literary and historical epic that offers a stinging critique of the United States of America during the 1930s, when the country was in the throes of the Great Depression. Within the context of this research of the novel's depiction of social, economic, and political upheaval, the themes of industrialisation, ecological disaster, and the downfall of the American Dream are investigated. Utilising a New Historicist framework, it digs into Steinbeck's blend of historical facts and creative imagination, shedding light on the ways in which the book both reflects and analyses the cultural and historical milieu in which it is situated. The Okies, also known as displaced farmers, are the subject of this investigation, which tells the tale of their struggle for survival and tenacity in the face of institutionalised oppression. In addition, it investigates the ways in which Steinbeck made use of gender dynamics, symbolism, and realism in order to emphasise the resiliency of the human spirit, the injustices that society perpetrates, and the shifting roles that individuals play during times of crisis. This may be accomplished by using a holistic approach.

Keywords: The Grapes of Wrath, New Historicism etc.

Introduction

One work that shows how history and John Steinbeck's writing interact is The Grapes of Wrath. By depicting the political, social, and economic upheaval of Great Depression-era America in The Grapes of Wrath, author John Steinbeck demonstrates the complex link between literature and history. The novel reflects Steinbeck's profound awareness of history and social responsibility; it is both a record and an interpretation of the time. It shows how the downtrodden farmers, especially those from Oklahoma, dealt with issues of unemployment,

poverty, and social strife. In it, Steinbeck criticises the forces that moulded American culture during that period by showing how industrialisation affected people, how the American Dream fell through, and how western myths collapsed. Drawing on the ideas put out by Louis Montrose on the "textuality of history" and the "historicity of texts," this research utilises New Historicism as its theoretical foundation. According to these theories, literary works emerge from their own social and historical periods, but historical accounts are biased and ideologically influenced narratives. In contrast to Old Historicism, which views history as an immutable, objective background to literature, New Historicism seeks to understand the ever-changing, mutually influential relationships between historical settings and writings. According to this view, history is complex and multi-faceted since it is a product of the subjective interpretations of many people. Also, literary works aren't just ideas floating around; they're products of the specific historical and cultural contexts from which they emerged. In the 1980s, Stephen Greenblatt proposed the idea of New Historicism, which places an emphasis on the interdependence of literary works with the social, political, religious, and economic aspects of their respective eras. Greenblatt's theory, which he calls "cultural poetics," holds that writing both captures and transmits the social forces of the time in which it was written. By arguing that literary works are fundamental to comprehending historical occurrences, this viewpoint breaks down the conventional barriers between literature and fields like politics, anthropology, and history. The idea is put out by Louis Montrose who says that history is a text in and of itself, and that literature is a tool for reflecting and criticising historical truths. New Historicism places literary works in their larger socio-historical context, as opposed to New Criticism's emphasis on textual qualities like style, tone, and form. The book's embeddedness in the historical narratives and cultural discourses of its period must be acknowledged for a thorough comprehension of the text, according to the argument. This perspective elevates The Grapes of Wrath beyond the status of a simple narrative to that of a multi-layered historical relic that addresses the fears and hardships of its day. The work vividly depicts the power of literature to mirror and shape society through its integration of historical accounts with Steinbeck's own interpretation of events. The idea that literature and history are mutually influential is central to New Historicism, and its dual function serves to illustrate this point. This research uses this perspective to analyse Steinbeck's The Grapes of Wrath and finds that his critique of social injustice and the ability of literature to navigate the complexity of history are still relevant today.

American Experience via Steinbeck's Voice:

The Grapes of Wrath, a work of literature and history by John Steinbeck, details the devastation that the Great Depression brought to the United States in the 1930s. For a genuine

record of migrant labourers' plights, Steinbeck visited uprooted farms in California on a regular basis. The novel's central character, Tom Joad, and many other aspects were influenced by his relationships with intellectuals, social reformers, and socialist thinkers such as Edward Ricketts and union leader Cicil McKiddy. This book is a reflection of Steinbeck's growing awareness of social issues and his involvement with the economic and political climate of the day. The disjointed nature of John Dos Passos's U.S.A. inspired Steinbeck to pen his "Labour Trilogy," which he titled The Grapes of Wrath. Environmental catastrophes such as the Dust Bowl, which forced thousands of people to flee their homes, and the fall of the American Dream are all criticised in the book. Also seen are the shantytowns known as Hoovervilles, which were named after President Herbert Hoover, whose laissez-faire policies did little to alleviate the economic and social disparity that led to their creation. New Historicism, and Stephen Greenblatt's theory that literature arises from and analyses cultural disputes, are both supported by Steinbeck's story. While arguing for social fairness and change, The Grapes of Wrath weaves together historical facts and literary imagination to present a vivid picture of a period characterised by ecological destruction, unemployment, and poverty.

The Okies: Fighting Through Difficult Times:

The Grapes of Wrath, written by John Steinbeck, sheds light on the cultural and historical hardships endured by the Okies, who were Oklahoman migrant workers uprooted by the Dust Bowl and the Great Depression. In their quest for a better life in California, the Okies encountered harsh realities, including frequent ridicule and dehumanisation. Through the Joad family, who face dangers along Route 66, Steinbeck narrates their narrative, which is based on his journalistic series The Harvest Gipsies. The family's hardships in the face of poverty, grief, and disappointment are emblematic of the larger migratory experience. In a masterful synthesis of historical detail and literary skill, Steinbeck intersperses the story of the Joads with chapters that remark on societal and economic issues. The novel's humanism themes—enhanced by dramatisation, juxtaposition, and diverse language styles—are brought together by this creative framework. The Okies' narrative is a powerful allegory for the injustices of the Great Depression because Steinbeck portrays their resiliency and hardship so well.

Moving Past Basic Human Instincts:

The Grapes of Wrath, by John Steinbeck, is a classic example of Naturalism because it shows how factors like genetics, upbringing, and social and political climate impact people's actions. The Joad family's perilous trek to California highlights the ways in which social and

environmental factors impact their lives, placing a premium on group resilience over individual fortitude. The Christ-like figure Jim Casy represents the universal human spirit that promotes solidarity and collaborative action beyond the confines of individuality. In his critique of society's apathy, Steinbeck contrasts the resiliency of the downtrodden with his use of realism and naturalism in story and conversation. Optimism for human unity and rage at societal neglect are expressed in the evocative tone of the story. Steinbeck captures the oppressed people's misery and fury with a combination of striking images and a protestant voice, highlighting the fine line between hunger and rage.

- **Symbolism's Role-** To emphasise the migrant labourers' plight, John Steinbeck's The Grapes of Wrath makes extensive use of symbolism. Taking a cue from Julia Ward Howe's The Battle Hymn of the Republic, the title alludes to the ripening grapes that represent the rising wrath of the downtrodden. Tom, Ma, and Jim Casy are examples of characters whose anger motivates them to stand together and fight injustice. Like the biblical Exodus, the Joads' trip reflects enslavement, migration, and a Promised Land that isn't perfect. Their anguish is linked to biblical stories through religious symbolism, including Jim Casy's initials (J.C.) and the stillborn child of Rose of Sharon in an apple box. While the dog's demise portends unavoidable catastrophes, animal imagery—such as the turtle and the rattlesnake—highlights perseverance, survival, and moral development. Big business's degrading avarice, represented by the Bank Monster, exploits workers for ever-increasing profits. Steinbeck uses these symbols to highlight the strength of the human spirit and to condemn tyranny on a structural level.

- **Gender Equity-** Gender roles in Steinbeck's The Grapes of Wrath are examined through the prism of the Great Depression. Ma Joad takes front stage as the family's rock, in contrast to the male-dominated norms of her family's past. Ma goes above and beyond patriarchal conventions to take charge and keep the family together while Pa Joad falls apart. She exemplifies steady determination and unfaltering judgement, and Steinbeck depicts her as a symbol of maternal strength and care. Rose of Sharon goes through a radical change, shifting from an egocentric to a socially conscious person. Her ultimate sacrifice represents the rejection of rigid gender norms and the acceptance of shared accountability. In this divisive moment, we see the Joads' optimism for social reform as they realise that in order to survive, we must put our own interests aside and work for the common good.

Review of Literature

Aida Thamer Salloom et al., (2024) In contrast to post-structuralism's concept of identity as conflicting, fractured, and subject to change through time, modernism holds that identity

is fundamental and unchanging, stemming from a single mental essence. The purpose of this research is to use a postmodern perspective to dissect the characters' disjointed identities in The Grapes of Wrath and highlight how they are constantly evolving throughout the novel. The study's overarching goal is to show that identity is fluid and impossible to pin down by analysing underappreciated parts of the text. According to the findings, open-ended interpretations offered by texts and characters promote natural progress in literature and life by challenging established metaphysics and dismantling prejudices.

Qichao Cui et al., (2023) Examining John Steinbeck's ecological viewpoints and their practical relevance, this article use eco-criticism to examine the human and environmental problems shown in The Grapes of Wrath. This research focusses on Steinbeck's ideal of harmony by analysing human-nature crises and interpersonal conflicts. The study emphasises the author's goal of a harmonious and long-term relationship between humans and the natural world by providing an in-depth examination of key ecological issues.

Xinyu Zhang et al., (2018) Pulitzer Prize– and National Book Award–winning The Grapes of Wrath is a factually accurate depiction of the Joad family, farmers from Oklahoma who were forcibly uprooted and forced to settle in California. Prominent for its social realism, the book showcases Steinbeck's plea for empathy, community service, and fair and equitable legislation. The purpose of this article is to analyse the work through the lenses of symbolism, realism, and naturalism as it portrays the United States' relationship with nature.

F Arjmand et al., (2013) Within the modernist paradigm, one's identity is seen as an immutable, fundamental quality that originates in the mind and influences one's actions and traits. Identity, according to post-structuralists, is dynamic, multi-faceted, and subject to change. The purpose of this research is to use a postmodern perspective to dissect the characters' disjointed identities in The Grapes of Wrath and show how these identities are fluid and complex. Like a text open to several readings, it contends that characters cannot be defined by a single identity since their essence changes throughout time. The research takes a postmodern stance in its examination of competing interpretations, with an eye towards underappreciated and neglected features, such as aporias. The results show that texts provide room for infinite interpretation rather than achieving final resolution. Removing prejudices may promote the natural development of personalities and, by implication, life itself, the research demonstrates by questioning metaphysical traditions and opposing enforced ideological limitations.

Stephanie Morna Roach et al., (2011) There are three main parts to the Look Book. Part one, "At Home with the Joads," explores rural life during the Dust Bowl era. The second part, titled "On the Road with the Joads," details the family's migration from Eastern Oklahoma to

California and the ups and downs of moving about. In this part, we observe the hardships they endured as they sought temporary employment and refuge by moving from camp to camp. Last but not least, California with the Joads depicts the harrowing facts of migrant labourers' existence in California, highlighting both their adversity and their strength.

Objective of the Study

1. To explore the reflection of 1930s economic, social, and political struggles in The Grapes of Wrath.
2. To analyze shifting gender roles through Ma Joad and Rose of Sharon's transformations.

Hypothesis

First, that the political, social, and economic climate of the 1930s is vividly shown in The Grapes of Wrath. Second, that the novel depicts changing gender roles via the development of Rose of Sharon and Ma Joad's characters.

Research Methodology

In this study, secondary data on The Grapes of Wrath and the socio-political setting of the 1930s are gathered from scholarly literature, historical records, and archive sources. Documents such as journal articles, books, and digital archives such as JSTOR and Project MUSE are examples of sources. The data will be analysed in order to bring the storyline of the novel into alignment with historical realities.

Theoretical Analysis

In order to properly answer the hypotheses, the theoretical analysis that will be conducted for this research will conduct a detailed examination of The Grapes of Wrath via two critical lenses: Marxist theory and feminist literary criticism. This research will investigate how Steinbeck depicts the economic inequities, social upheavals, and political battles that occurred throughout the 1930s. Marxist theory will be utilised in this investigation. The class struggle, the exploitation of labour, and the structural inequities that are the foundation of the story will be the primary emphasis of this examination. Particular focus will be made to the problems of the Joad family and the greater community of displaced workers during the Great Depression.

These struggles will serve as a representation of the larger misery of marginalised communities during that time period. Critical analysis will be performed on the novel's representation of power relations, the commercialisation of human labour, and the capitalist institutions that perpetuate inequality. The goal of this analysis is to expose how Steinbeck employs literary fiction as a vehicle to critique socio-economic systems. A feminist literary criticism approach will be utilised simultaneously in order to conduct an analysis of the shifting gender dynamics that are present within the text. In order to gain a better understanding of Steinbeck's investigation into the changing gender roles that occur during times of crisis, the character arcs of Ma Joad and Rose of Sharon will serve as focus points. The rise of Ma Joad as a figure of resiliency and leadership will be investigated in order to demonstrate how old patriarchal institutions are reimagined in response to hardship. In a similar manner, the journey that Rose of Sharon takes from being vulnerable to experiencing symbolic regeneration will be the subject of analysis in order to discover themes of empowerment and change. The purpose of this study is to investigate the ways in which these characters represent differing conceptions of femininity and strength within the framework of a particular historical and cultural setting. The analysis will give a comprehensive understanding of how The Grapes of Wrath operates both as a mirror of historical reality and as a criticism of socio-economic and gender constructions, in addition to contributing to its ongoing literary and cultural relevance. This will be accomplished by combining various theoretical methods.

Conclusion

The Grapes of Wrath, written by John Steinbeck, will continue to serve as a prime example of the dynamic interaction that exists between history and literature. This novel chronicles the socioeconomic changes that occurred in the United States throughout the 1930s, while also providing a critique of industrialisation, structural oppression, and the disillusionment with the American Dream. When seen through the perspective of New Historicism, the study will place an emphasis on the connectivity of the novel with its historical environment, demonstrating how the novel will reflect and impact the realities of society. The use of symbolism, realism, and inventive narrative structures by Steinbeck will bring to light themes of communal suffering, resiliency, and social development. Additionally, Steinbeck's portrayal of altering gender roles will bring to light the growing dynamics of unity and hope. This research will, in the end, demonstrate that The Grapes of Wrath is a timeless tale that goes beyond its historical foundations. It will also provide enduring insights about the ability of literature to engage with human suffering and promote societal change.

References

1. Bartáková, Irena. (2010). Naturalism in Selected Works of John Steinbeck: Diploma Thesis. Charles University in Prague: Prague.
2. Bloom, Harold. (2005). John Steinbeck's The Grapes of Wrath: A Study Guide.
3. Brannigan, John. (1998). New Historicism and Cultural Materialism. New York: St. Martin's Press.
4. Cherubini, Lorenzo. (1993). Naturalism and the Individual in The Grapes of Wrath, As I Lay Dying, and Old Man: A Thesis. McMaster University: Hamilton Antorio.
5. Chilton, Martin. "The Grapes of Wrath: 10 surprising facts about John Steinbeck's novel." Available at https://www.telegraph.co.uk/books/authors/john-steinbeck-grapes-of- wrath-what-you-should-know/
6. Cui, Qichao. (2023). A Study of The Grapes of Wrath from the Perspective of Ecocriticism. English Language and Literature Studies. 13. 85. 10.5539/ells.v13n1p85.
7. Heinz, Elizabeth M. (2011) "Mothers of the Great Depression: Aesthetic Intent of Ma Joad in The Grapes of Wrath": A Thesis. University of North Carolina: Wilmington.
8. Jasim, Shayma' Abdul Ali. (2008). "Biblical Allusions in Steinbeck's The Grapes of Wrath" in Buhuth Mustaqbaliya vol. 23 PP. 7-26.
9. Khoudi, Mohamed Amine. (2011). "The Idea of Post-War America in Selected Novels by John Steinbeck and John Dos Passos" M. A. Thesis: Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou
10. Klages, Mary. (2012). Key Terms in Literary Theory. India: Newgen Imaging Systems Pvt Ltd.
11. Lahdenranta, Fredrika. (2020). "Place in John Steinbeck's The Grapes of Wrath and The Red Pony:" MA Thesis. School of Languages and Translation Studies, Faculty of Humanities: University of Turku.
12. Noorbakhsh, Hooti & Arjmand, F. (2013). The Nature of Identity in " The Grapes of Wrath ": A postmodern Study. International Journal of Modern Anthropology. 1. 38. 10.4314/ijma.v1i6.2.
13. Parker, Robert Dale. (2019). How to interpret literature: critical theory for literary and cultural studies. Fourth edition, New York: Oxford University Press.
14. Pinilla, Miguel Laporta. (2019). John Steinbeck's The Grapes of Wrath: Sociopolitical Perspectives: A Thesis. Universidad Zaragoza.
15. Roach, Stephanie. (2011). Look Book: John Steinbeck's The Grapes of Wrath.
16. Salloom, Aida. (2024). John Steinbeck's The Grapes of Wrath: a literary portrayal of historical truth. Research journal of humanities and cultural studies. 10. 18. 10.56201/rjhcs.v10.no3.2024.pg18.30.
17. Santosa, Budi Tri. (2015) An Analysis of the Main Female Character's Efforts in John Steinbeck's The Grapes of Wrath: A Thesis. Faculty of Languages and Arts: Yogyakarta State University.
18. Schultz, Jeffrey and Li, Lichen. (2005) Critical Companion to John Steinbeck: A Literary Reference to His Life and Work. New York: Library of Congress Cataloging.
19. Steinbeck, John. (1972). The Grapes of Wrath. New York: Penguin Book Ltd. Veeser, Aram ed. (1989) The New Historicism, New York: Routledge.
20. USA. Philadelphia: Chelsea House Publishers.
21. Venturino Steven J. (2013). Literary Theory and Criticism. Special Markets, Alpha Books, 375 Hudson Street, New York, NY 10014. Mike Sanders.
22. Xinyu Zhang College of Foreign Languages Bohai University Jinzhou, China, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 196.

Legal Provisions of Transgender in India: An Analytical Study

Khursheed Alam Khan
Assistant Professor, Deptt. Of Law,
Shri Varshney College, Aligarh
Prof. Reeta Nigam
Professor, Faculty of Law,
Agra College, Agra

Abstract

This research looks at how transgender people in India are faring socially and economically since the passing of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. Furthermore, it delves into the extent to which transgender rights align with global human rights standards. A number of major concerns have been brought to light as being of paramount relevance through an extensive literature study and critical examination. Some examples of this are healthcare access, nondiscrimination, and the official acceptance of gender identity. The research shows that the 2019 Act has raised several important concerns, such as the fact that transgender people have been disproportionately affected by the criminalization of begging, the lack of employment reservations, and the medicalization of gender identity. Also included are landmark Supreme Court decisions that have highlighted transgender rights and systemic problems, such as National Legal Services Authority v. Union of India and Navtej Singh Johar v. Union of India. In an effort to build a more equitable and inclusive society, this study will compare India's legal system to international norms. This highlights the need for legislative changes that would enhance the socioeconomic status, rights, and dignity of the transgender community.

Keywords: Transgender, legal, Provisions etc.

Introduction

Over the past few decades, transgender individuals in India have witnessed a remarkable shift in their legal status. More and more individuals are expressing their uniqueness and

standing up for what they believe in, and this movement is a reflection of that. There has a long history of acceptance and appreciation for individuals with strong ties to Indian culture who do not conform to biological gender standards. Included in this group are those who use the term "third gender" to describe themselves. People who identify as transgender and belong to the Hijra, Aravani, Kothis, or Jogappa communities are all part of this category. Most modern Indians don't feel sorry for them, in contrast to the great adulation they received throughout mediaeval and ancient India. Since the 2014 Supreme Court of India decision in the case National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA), which acknowledged transgender persons as a separate gender category and upheld their constitutional rights, there has been significant progress in developing legal protections for transgender persons in India. This is accurate regardless of the prejudice transgender person's experience. Gathering information on the legal protections given to transgender persons in India is the primary objective of this research. From historical marginalization to legal acknowledgement and beyond, it examines the past and present in full detail. Various legal frameworks, such as the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, impact the daily lives of transgender people, and this article will examine how these laws impact transgender individuals. Beyond this, it explores the inconsistencies between the statute and its intent, with an emphasis on the societal, administrative, and cultural barriers that transgender individuals in India continue to encounter when attempting to claim their inheritance. In an attempt to present a comprehensive analysis of the current legal status quo for transgender people, I intend to consider the benefits and drawbacks of these legislation. In order to ensure that transgender persons may fully enjoy their legal rights, this research tries to identify the most crucial areas that require change.

Role of the Judiciary in Upholding Constitutional Provisions:

Indians have life and freedom under Constitutional Articles 14, 15, 16, 19, and 21. These laws criminalise discrimination for equality. Transgender persons were long neglected since they didn't match the binary. Transgender people are legally unaccepted and endure discrimination and rights violations. These include vocational training, healthcare, education, and social security. The 2014 National Legal Services Authority v. Union of India judgement declared transgender people "third gender". The judgement required Indian government legal protections. Indeed, this was the turning point. NALSA altered transgender rights in India. Articles 14, 15, and 21 of the convention ban gender discrimination. Yet another paper supports gender identity.

NALGAP thinks transgender people require financial, social, and medical support. Government regulations ensured transsexual persons had equal housing, healthcare, education,

and employment. This manifesto seeks federal and state transgender legalization.

Review of Literature

Mohmad Waggy (2024) India has new transgender legislation, yet discrimination and violence continue. NALSA v. Union of India found that Indian law, specifically the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, violates international human rights norms. The court may have dismissed these arguments, but this is true nevertheless. This project aims to ensure transgender individuals in India are accepted and protected by updating India's transgender rights framework to international standards.

Priyanka Hemal Shah (2024) India has made a step towards LGBT equality by decriminalising homosexuality and enacting the Transgender Individuals (Protection of Rights) Act, 2019. Community concerns may take long to settle. Rights under Articles 14, 15, 19, and 21 are regularly ignored. Despite guaranteeing transsexual rights, the Act has been criticised for weak enforcement and recognition. Culture and legislation favour same-sex couples, making equality harder to achieve. The LGBT community wants stronger protections, greater enforcement, improved education, and full economic and social inclusion, building on legal victories.

N. Pautunthang (2024) Despite being historically and now important to India, academics have paid little attention to transgender people, notably in economics and culture. Not until the 2011 Census did they obtain official recognition. Discrimination, a lack of educational and professional possibilities, and family rejection plague this minority population. People cannot get an education, become poor, and are shunned due to these issues. These issues require action from individuals and politicians. Comprehensive human rights and dignity laws and educational initiatives that challenge society's preconceptions are needed now. To identify and encourage transgender people, diversity and justice are essential.

Shamayeta Bhattacharya (2022) The Transgender Persons (Protection of Rights) Act in India was updated in 2019 to acknowledge non-binary rights. Lack of practical help prevents them from receiving services. This research examines fifteen transgender people in Kolkata and the difference between their gender identity and legal recognition. These problems affect transgender persons. Better healthcare representation, training, and education are needed to ensure legal rights become social and economic participation.

Objective of the Study

The main objectives of this research are:

1. To assess the alignment of India's transgender rights with international standards.
2. To evaluate the impact of the Transgender Persons Act, 2019, on transgender socioeconomic conditions.

Hypothesis

The research suggests that transgender people in India may have difficulties in obtaining adequate legal protections due to the fact that these laws are not in complete accordance with international norms. Better educational, occupational, and healthcare opportunities for transgender people are some of the ways in which the Transgender Persons Act of 2019 is supposed to improve their socioeconomic status.

Methodology

Literature evaluation, data collecting, and critical analysis are needed to assess India's transgender rights compliance with international norms. This descriptive and comparative study will examine healthcare accessibility, social inclusion, anti-discrimination, and gender identity legal recognition. The Indian Constitution, Supreme Court verdicts, UDHR, ICCPR, scholarly articles, and NGO reports will be used. For contemporary legal environment, a thorough search will find 15-year-old research. Qualitative study on legal safeguards and prejudice will contrast case studies of past verdicts. We'll review present laws based on public opinion and shame. An structured study will describe the legal environment, compare it to international norms, and suggest policy changes to help transgender Indians.

Theoretical Analysis

Transgender Rights in India Meet International Standards:

This research evaluates India's transgender rights laws and practices against international human rights standards. Legal recognition of gender identity, protections against discrimination, healthcare access, and social integration are priorities. The report also examines how well current laws safeguard transgender rights and the challenges they face, such as social stigma

and prejudice. This study compares India's approach to global standards to find areas for improvement and legislative amendments to enhance transgender rights and well-being in India.

Indian Transgender Rights Act:

The National Legal Services Authority v. Union of India (2014) and Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) cases affect transgender rights in India.

Section 377 repeal:

Legal action challenged Section 377 of the Indian Penal Code (1860), which outlaws sodomy. LGBTI rights in India were litigated. Same-sex marriages were penalised harshly.

The Lawyers Collective challenged Section 377's constitutionality in 2001. Naz Foundation filed the petition. The Delhi High Court refused the case in 2004, and the Supreme Court rejected an appeal in 2006. In the landmark 2009 case Naz Foundation v. Govt. of NCT of New Delhi, the Delhi High Court repealed Section 377. It transformed India's LGBT community.

The victory was brief. The Supreme Court of India reversed the Delhi High Court's ruling in Souresh Koushal v. Union of India in 2013. The Supreme Court ruled that only Parliament may legalise homosexuality. The LGBT community in India faces difficulties, as shown by this court case.

Following the 2016 petition by Navtej Johar and others, Dr. Akkai Padmashali, Umi, and Sana, three transgender activists from Karnataka, filed a second claim under Article 32 of the Indian Constitution. Both petitions were submitted that year. These and other petitions sought the Supreme Court to re-examine Section 377's legality after the NALSA Committee's conclusions. The 2017 Indian Supreme Court decision Puttuswamy v. Union of India upheld the right to privacy, including gender identity and sexual orientation.

In Navtej Johar v. Union of India, a five-judge court led by the Chief Justice held Section 377 unlawful since it dealt with voluntary relationships. The topic was discussed on September 6, 2018. According to the American Supreme Court, Article 15's definition of "sex" includes sexual orientation and gender identity discrimination. This Court acknowledges that such discrimination violates Article 14's right to equality.

National Legal Services Authority v. Union of India:

By recognising transgender persons as a distinct gender, a NALSA PIL advocates for transgender education in the legal system. Articles14,15,16, and 21 of the Constitution grant transgender people certain protections, according to a Supreme Court decision from October 1, 2012. Head of State: There should be no medical interventions imposed on patients in order to embrace their gender identity, which is fundamental to autonomy and respect.

In 2013, government officials proposed anti-discrimination policies and the formal acknowledgement of "transgender" as a "third gender." The Rights of Transgender Persons Bill, 2014 was later received by Parliament, however it was never examined by Lok Sabha.

Protection of Rights for Transgender People Act 2019. Some felt it went against NALSA's guidelines on gender choice since it demanded medical verification of gender identification. Questions about transgender people's rights in India arise from the Act's gender identification process.

In light of the NALSA decision by the Supreme Court, the government must take transgender persons' social and educational disadvantages into account. There was a need for certain groups to voice their public and academic concerns. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act of 2019 declares transgender begging a crime rather than regulating employment. These regulations allow the detention and rehabilitation of transgender people against their will by the police.

Compared to cisgender individuals, punishments for transgender persons committing sexual assault are reduced under the act. In contrast to transgender people, cisgender women can obtain life sentences for multiple crimes. It is incorrect because this discrepancy violates Article 14 of the Constitution, which guarantees legal equality.

Living apart without a court order is illegal for transgender children under the Act. Tragic cases of transgender children being abused by their families go unnoticed. They are unable to seek asylum in recognised states, which limits their ability to self-determine.

Worse still, the Act does not provide transgender people the ability to marry, form a civil union, adopt, or own property. None of this matters.

The transgender rights legislation in India violates the UDHR and the ICCPR. Conflicting international standards and Indian law. The Act does not provide any protection for transgender Indians, even though they are nondiscriminatory and self-identifying. More emotion went into the Supreme Court's decision on NALSA than into the Act itself.

The 2019 Transgender Persons' Rights Act:

Parliament in India approved the Transgender Persons (Protection of Rights) Act in 2019 to ensure the safety of transgender persons. The National Alternate Court System mandated this change. The Act outlaws transgender discrimination in places of public accommodation, including schools and hospitals. The term "transgender" is used to describe a person whose gender expression does not match their biological gender. As a result of the Act, transgender people can now apply for and get a gender identity certificate. This statement is quite pertinent. The Act specifies that governments must establish social initiatives to aid transgender people in assimilating into society and the workforce. Education, cheap healthcare, and the opportunity to study should be available to all people.

Challenges of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019:

Already, there is a lot of pushbacks against the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, which the Indian government enacted. This raises serious concerns since it contradicts a 2014 Supreme Court ruling in National Legal Services Authority v. Union of India, which upheld the right to self-determination on gender identity and gender reassignment surgery (SRS) in the absence of a medical recommendation. According to this, transgender persons can be suffering from mental health concerns that require medicine. Despite the Supreme Court's order to recognise transgender people as a socially and educationally disadvantaged minority, the Act criminalises begging, a popular source of sustenance. Forced rehabilitation and other illegal police activities might result from this. According to Article 14 of the Constitution, the Act also divides sexual assaults into different categories based on their severity, with different sanctions enforced for each. For instance, a cisgender woman may face a life sentence for sexual assault, but a transgender person faces a maximum of two years. Domestic abuse is not being adequately addressed, nor are other crucial civil rights like marriage, adoption, and property rights. Transgender youngsters also do not have the right to live freely unless a judge provides the green light. The Act does not fully implement the commitments made in human rights treaties and the NALSA ruling, even though it covers basic human rights extensively.

Case Studies

Case in point: NALSA v. Union of India that took place in 2014: The constitution of India now explicitly recognises transgender individuals as a distinct "third gender" according to this landmark decision. The Supreme Court's decision upholds the right to self-determination of

gender, which is enshrined in several Constitutional articles. By shifting the focus from external factors like medical procedures to internal ones like gender identity development, the court's ruling preserved the autonomy and dignity of transgender communities.

"Navtej Singh Johar v. Union of India" (2018: 2021). By overturning the 2013 Souresh Koushal case, this historic decision decriminalised gay activity when the subject gives their consent. By prohibiting adults' freedom of sexual relations with one another, Section 377 violated their privacy, dignity, and equality, leading the Supreme Court to declare it unconstitutional. The Supreme Court has declared that discrimination based on a person's sexual orientation or gender identity is unlawful since each person's sexual orientation or gender identity is distinct and highly esteemed.

Five persons approached the Supreme Court on April 27, 2016, to initiate a fresh writ action against Section 377 of the Indian Penal Code. In the 2013 case of Koushal v. Naz, the petitioners argued that their concerns were unconnected to the continuing curative appeal, but the Supreme Court nevertheless affirmed the validity of Section 377. To get a curative petition from the court, a panel of five judges must be created, according to the Naz precedent. In addition to the client and chef Sunil Mehra, the legal team also comprised Ayesha Kapur, Navtej Singh Johar, Sunil Mehra, Aman Nath, and Keshav Suri. The well-known petitioners in this case argued that Section 377 infringed against the basic rights of all individuals.

The initial request to examine the plea was sent to Justices S. A. Bobde and A. K. Bhushan on June 29, 2016. The constitution panel chose to refer the matter to Chief Justice Dipak Misra for more instructions while a curative petition was pending. Since the constitutional law bench was already deliberating on the matter, this was accomplished.On January 8, 2018, the bench of the Chief Justice was supposed to hear the case of Navtej Singh Johar et al. v. Union of India. The chief justice's office has asked a panel of constitutional judges to review the matter. On January 17, 2018, a five-judge panel of the Supreme Court's Constitutional Court was apprised of the issue and given notice of it. Their attention was drawn to petitions contesting the validity of Section 377 by the United States Supreme Court on July 10, 2018. Now that the hearing has been rescheduled to July 17, the court has requested that the parties provide written submissions by July 20 to back up their claims. We should not pass judgement at this time.

A court declaration was made on September 6, 2018, stating that consensual sexual behaviours between adults are not always permitted. A 2013 decision, Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation, confirmed the Act. Many people are opposed to this proposal. No matter what happens, the laws of Section 377 regarding cruelty, sexual acts done without consent,

and sexual contacts with minors will remain in effect. The court finally decided after a long hearing that criminalising sexual relations between consenting adults violates the promise of equality in the Indian constitution. Chief Justice Misra read from the verdict and said that the court had found criminalising sexual encounters to be "irrational, arbitrary, and manifestly unconstitutional." Thanks to the court's ruling, LGBT individuals in India may now experience the full range of constitutionally protected rights. The results of the investigation indicate "the choice of whom to associate, the ability to find fulfilment in sexual affections, and the benefit of not being presented to biassed direct are normal for the consecrated security of sexual presentation." Individuals who identify as LGBT have the same right to health insurance and freedom from discrimination as any other group, according to this ruling.

Conclusion

This study's findings show that transgender rights in India run counter to universally recognized human rights standards. Notable societal acceptance and transgender rights disparities are also highlighted. Despite transgender people's rights being acknowledged under the Transgender Persons Act, 2019, it has been challenging to put into practice. Some examples of these problems include inadequate safeguards, stigma, and limitations on fundamental rights like self-identification and help access. Although reform was laid out in the landmark cases of National Legal Services Authority v. Union of India and Navtej Singh Johar v. Union of India, transgender people continue to face several obstacles that the system isn't designed to cure. Last but not least, our research shows that transgender persons in India require new legislation that adhere to international standards while also protecting their dignity, equality, and social inclusion. By head-on addressing these issues, India may progress towards a fairer society that safeguards the rights and welfare of all its citizens.

References

1. Abraham, R. (2017, November 30). All you need to know about the Transgender Persons Bill, 2016.
2. Agha, E. (2019, December 4). No transgender students in India's central varsities, indicates govt data. But here's the 'other' side. News18.
3. Bal, A. (2020). The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019: A critical analysis. International Journal of Law Manage- ment & Humanities, 3(6), 1069–1078.
4. Benton, L. A. (2002). Law and colonial cultures: Legal regimes in world history, 1400–1900. Cambridge University Press.
5. Bhattacharya, Shamayeta & Ghosh, Debarchana & Purkayastha, Bandana. (2022). 'Transgender Persons (Protection of Rights) Act' of India: An Analysis of Substantive Access to Rights of a Transgender Community.

6. Case analysis: NALSA vs. Union of India and Ors. Indian Law Por- tal. (2020, June 24). https://indianlawportal.co.in/case-analysis- nalsa-v-union-of-india-and-ors/
7. Colin, E. (2015). Clinical care for transgender women. Praxis, 14, 13–21.
8. Devaprasad, A. (2020, October 5). Creating lgbt inclusive workplaces in India: The push for an anti-discrimination law. Georgetown Public Policy Review.
9. Justice k. S. Puttaswamy vs. Union of India—South Asian translaw database—Privacy. (2020, August 4).
10. Kabir, J. A. (2011, October). Transgenders and the law seminar [Seminar].
11. Kothari, J. (2019). Section 377 and beyond: A new era for transgender equality? Centre for Law & Policy Research.
12. Kushal, S. (2014, July 21). Suresh kumar kaushal vs. Naz foundation: A critical analysis.
13. Lalwani, V. (2018, December 24). How Parliament came to have two Bills on transgender persons' rights (And why neither may pass).
14. Ministry of Social Justice & Empowerment. (2014). Report of the Expert Committee on the Issues relating to Transgender Persons.
15. Mishra, A. (2016). Third gender rights: The battle for equality. Christ University Law Journal, 5(2), 9–21. https://doi.org/10.12728/culj.9.2National Legal Services Authority v. Union of India. (2014).

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Women Empowerment: Religious and Legal Status of Women in Present Times

Dr. Lal Singh
Assistant Professor, Deptt. Of Law
Shri Varshney College, Aligarh

Abstract

This study explores the interrelationship between legal frameworks, religious contexts, and women's empowerment in India, focusing on the impact of legal provisions against gender-based violence. It examines how the effectiveness of these laws is shaped by cultural and religious interpretations that influence women's experiences and agency. Utilizing a secondary data approach, the research analyses government reports, constitutional provisions, and landmark legal cases, highlighting both progress and challenges in advancing women's rights. Key findings indicate that while legal protections enhance women's autonomy and decision-making, persistent societal norms and traditional gender roles continue to impede full empowerment. The study emphasizes the necessity of a multifaceted approach that combines robust legal measures with cultural advocacy to create an environment conducive to women's empowerment. By fostering collaboration among policymakers, religious leaders, and civil society, this research aims to contribute to the ongoing dialogue around gender equality and the realization of women's rights in India.

Keywords: Women empowerment, equality, laws etc.

Introduction

The concept of women's empowerment encompasses the various aspects of women's lives, including their struggles, triumphs, and persistent problems throughout different cultures. All of these elements are encompassed by this phenomena. In the short decades since it began, the fight for women's rights and gender equality has gained significant traction. Considering that societies throughout the globe are making concerted efforts to eradicate bigotry and foster acceptance, it is vital to have this in mind. Religion and law both have a role in shaping women's roles in modern society, and both have a substantial impact on this path to empowerment.

Both of these things affect the trip significantly. To provide the groundwork for a more comprehensive examination of how religious interpretations and legal rights affect women's lives and empowerment in modern society, this introduction is presented. Within the framework of this introduction, these characteristics will be examined further.

Religious Contexts and Women's Status

Many religious groups and ideologies have a significant impact on public perceptions about gender roles and the rights of women. When the sacred texts and teachings of many faiths are interpreted differently, disagreements on women's rights emerge. The role of religion in promoting women's empowerment is recognised in all major global faiths, including Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, and indigenous spiritual traditions.

Christianity: Various readings of the Bible have shaped Christian views on women's responsibilities throughout history. There are religious groups that hold to more conventional views of gender roles, which emphasise male dominance and female subordination, and there are other groups that fight for gender parity and women in leadership positions. Within Christianity, there is a feminist theology movement that is working to understand the Bible and challenge patriarchal conventions in order to promote women's equal involvement in church leadership and life.

Islam: In Islam, there are a lot of competing and sometimes controversial teachings about women. While the Quran does affirm men and women to be socially and spiritually equal, local customs and historical interpretations have led to varying degrees of gender discrimination in Muslim-majority nations. Many Muslim women are reinterpreting Islamic teachings to defend their rights and fight for social justice, proving that religious affiliation and the desire for empowerment are not mutually contradictory.

Judaism: As a result of the significant change in the status of women within Judaism, contemporary Jewish organisations are striving for parity between the sexes in religious ceremonies. There are Orthodox Jewish sects that support traditional gender roles for women and those that promote more egalitarian practices, such as women leading religious services and participating in religious events. The ongoing discussions on women's empowerment within Jewish communities reflect societal changes on a broader scale.

Hinduism: The status of women has been influenced by factors such as caste, class, and geography throughout Hindu history. Despite some positive language in Hindu scriptures about women's roles and responsibilities, traditional practices like as dowry and child marriage

have severely limited women's agency. Several modern Hindu groups have arisen with the intention of reinterpreting holy texts in order to challenge patriarchy, empower women, and abolish gender inequality via activism and education.

Buddhism: Although non-discrimination and equality are central tenets of Buddhism, women's actual experiences might range greatly from one culture to the next. In certain Buddhist groups, women are not allowed to participate in monastic life or hold positions of leadership, whereas in others, they are strongly encouraged to do so. As more and more people want gender parity in Buddhism, the traditional position of women is changing.

Indigenous Spiritualties: Gender roles and expectations in indigenous communities are heavily influenced by religious and philosophical practices. As primary carers, elders, and leaders, women have an essential role in various indigenous societies. The traditional roles of indigenous women have been disrupted by colonialism and globalisation, leading to a rise in organisations that advocate for indigenous women's rights and viewpoints.

There are many complex ways in which religion and women's empowerment interact with one another. The teachings of religion may both support the status quo of gender inequality and give women the strength to fight for a change. Knowing this dichotomy is necessary for understanding how religious frameworks may either aid or hinder women's freedom.

Legal Frameworks and Women's Rights

When determining women's rights and position, legal systems are as essential to religious ones. Laws and regulations at the federal, state, and local levels can either help or hurt efforts to empower women. While there have been many legislative initiatives to promote gender equality, when put into effect and enforced, they often fall short of addressing the underlying issues that contribute to discrimination and inequality.

International Legal Frameworks: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and other international treaties and conventions have been greatly helpful in advancing women's rights across the world. In order to evaluate and enhance their policies and practices, governments might use these legislative instruments that pertain to women's rights. But there are still problems with turning promises into deeds, even when these frameworks are available.

National Laws: Laws at the federal level address gender roles in a way that takes into account cultural, religious, and historical aspects. In an effort to eradicate gender inequality, certain progressive nations have enacted laws that ensure women have access to healthcare and

education. However, there are countries whose legislative systems actively promote sexism, restrict women's rights, and make it impossible for them to become economically independent. The society's perspective on gender equality and the political will to reform are mirrored in the unequal legal protections.

Local Practices and Enforcement: The effectiveness of legal frameworks is often dictated by local habits and the resolve of authorities to enforce the law. In many parts of the world, cultural norms and customary practices undercut legal protections for women. Women may be afraid to seek justice for domestic violence cases because of societal stigma and the possibility of retaliation, even if this is their right. It is critical to address these discrepancies between statutory demands and local reality if women's empowerment is to make forward.

Intersectionality: It is critical to acknowledge that women experience empowerment in different ways. There are unique challenges and opportunities that arise when racial, socioeconomic, sexual orientation, and disability overlap. The idea of inter sectionality stresses the need for an all-encompassing approach that addresses the specific challenges faced by women in religious and legal contexts while also taking into consideration their diverse experiences. It is essential to consider this perspective in order to establish inclusive policies and practices that empower every woman.

Opportunities for Advancing Women's Empowerment

There are still many challenges that women face, but there are also numerous opportunities for them to be even more empowered, all because of societal trends and grassroots movements that promote gender equality. Across the globe, women's movements have been a driving force behind the rise of social media as a tool for grassroots organising, public education, and solidarity in the struggle for gender equality. More resources, including financial assistance and vocational training, should be made available to female students so that they may attend college and help close the gender gap in education. Legislative efforts to educate women about their legal rights and defend gender equality are necessary for fostering accountability and justice. Economic empowerment programs that support women-owned businesses can help women attain financial independence and improve living standards, while also dispelling misconceptions about women's lack of interest in or ability to succeed in historically male-dominated industries. Together, religious leaders, legislators, and civil society groups can end gender inequality and create a more equitable world for women by empowering boys and men to take part in the struggle for social justice.

Review of Literature

Aritra Ghosh (2024) This study explores the status of women in India across history, examining their past, present, and future. With 27 articles, it covers issues like education, political participation, and climate change, highlighting both progress and challenges such as discrimination and violence. As India celebrates 75+ years of independence, it emphasizes the importance of empowering marginalized women and achieving gender equality in society.

Sweety Jain (2023) Women empowerment has gained attention in the last two decades, focusing on enhancing women's social, economic, political, and legal strength for equal rights. While women significantly contribute to the economy and sustainable development, many face threats to their health and well-being. Literacy plays a crucial role in improving women's status. Despite existing laws and policies, substantial gaps remain, emphasizing the need for stronger measures and increased awareness to empower women effectively.

Maitreyee Bardhan Roy (2022) The Indian government's policy on women's empowerment has gained momentum recently, recognizing the need for equal opportunities for women even after seventy-five years of independence. In the early 2020s, significant steps were taken, including launching various schemes aimed at economically empowering poor women and fostering their participation in community development and political decision-making at local levels. The research evaluates the success of these efforts in integrating women equally with men.

Purusottam Nayak (2021) This study analyzes women's empowerment in India through indicators such as decision-making power, financial autonomy, education access, and domestic violence. It finds that women remain relatively disempowered, facing significant gender gaps in education and employment. Many accept unequal gender norms, with over half justifying domestic violence. Control over earnings increases with age and education, while rural women are more prone to violence. The study concludes that education and employment are crucial, but true empowerment relies on changing societal attitudes toward gender equality.

Objective Of The Study

The main objectives of this research are:

1. To evaluate the impact of legal provisions against gender-based violence on women's empowerment.
2. To examine women's empowerment by analysing their current religious and legal status.

Hypothesis

The study hypothesizes that legal provisions against gender-based violence positively impact women's empowerment by enhancing their autonomy and decision-making abilities. Additionally, it posits that women's current religious and legal status significantly influences their levels of empowerment, with those who understand and can navigate these contexts demonstrating greater agency. Together, these hypotheses aim to elucidate the relationship between legal frameworks, religious contexts, and women's empowerment.

Methodology

This research utilizes a secondary data approach, drawing on government studies, scholarly articles, and court documents to examine Indian women's emancipation. Key sources include reports from the National Crime Records Bureau (NCRB), the National Sample Survey Office (NSSO), and the Ministry of Women and Child Development. The study analyzes constitutional provisions, laws, and government programs such as Beti Bachao Beti Padhao and the Nirbhaya Fund. A content analysis is conducted to assess the progress and challenges in achieving gender equality based on these secondary data sources.

Theoretical Analysis

Indian Governmental Schemes for Women Empowerment

The Indian government empowers women and promotes gender equality. The Ministry of Women and Child Development's Mahila E-Haat platform helps women entrepreneurs sell handicrafts and garments directly to consumers, boosting Digital India. Beti Bachao, Beti Padhao fights female infanticide and foeticide by promoting girl child welfare and birth celebration. Women facing violence receive urgent rescue, medical treatment, legal aid, and therapy from the One Stop Centre Scheme. Working Women Hostel Scheme improves career prospects by providing safe, affordable housing for working women. The Nari Shakti Puraskar rewards women in different fields to encourage excellence and gender equality. After the 2012 Nirbhaya gang rape, the Nirbhaya Fund sponsors rescue and rehabilitation initiatives for women.

Constitutional Provisions for Women

Article 14: Ensures legal equality.

Article 15(1): Bans sex discrimination.

Article 15(3): Allows women and children preferential provisions.

Article 16: Creates equitable employment possibilities.

Article 21: Guards life and liberty.

Article 39: Directs the state to provide equitable wages and livelihood.

Article 243D & 243T: Reserve one-third of panchayati raj and municipal seats for women.

Relevant Provisions under the Indian Penal Code (IPC)

Sections 326A & 326B: Deal with acid attacks, including sanctions and victim compensation.

Sections 375 and 376 define and penalise rape, including gang rape.

Husband and relative mistreatment, including dowry demands, is illegal under Section 498A.

Women's modesty offences are punishable by Section 354.

Sexual offences including voyeurism and stalking were severely punished under the Criminal Law Amendment Act, 2013.

Case Studies

Laxmi vs. Union of India and Others

After refusing to marry a guy, minor Laxmi was acid attacked, causing bodily and mental damage. Her public interest litigation (PIL) sought stronger acid sales rules and better care and rehabilitation for acid attack survivors. The court ordered acid dealers to preserve records of purchasers and their motives for buying acids. It also created a victim compensation mechanism to guarantee acid attack victims free care in all hospitals. This case advanced women's rights and offender responsibility.

Priya Patel vs State of M.P. & Anr

Here, the accused lied to the prosecutor under the pretence of offering her aid before raping her. Even though she was there, the accused's wife did nothing to aid the victim throughout the occurrence. While a woman cannot directly perpetrate rape, the court determined that she might face charges for aiding and abetting the offence. By establishing that all persons participating in a crime might have legal ramifications, this historic decision improved the legal framework for combating sexual violence against women by drawing attention to the nuances of gender roles and culpability in such crimes.

State of Punjab vs Major Singh

The sexual abuse of a child as young as seven and a half months old has brought serious questions regarding the safeguards afforded to children in our justice system into sharp focus. For the Supreme Court, the question of whether an act constitutes "outraging modesty" ultimately comes down to the offender's motivation. This decision made it clear that victims' subjective impressions might impact court decisions and also defined the legal requirements for sexual offences. The case highlighted the significance of safeguarding marginalised groups, especially children, against sexual harassment and assault.

Shobha Rani V. Madhukar Reddi

The emotional and psychological toll that Shobha Rani's in-laws had on her, together with her husband's relentless requests for a dowry, drove her to seek a dissolution of her marriage. The Indian Supreme Court found such unreasonable requests to be severe under Indian Penal Code Section 498A. The court's decision confirms that emotional manipulation and financial abuse in marriage are legitimate issues that necessitate judicial intervention. In addition to providing a precedent for women to seek legal protection against domestic violence, this case reinforces the importance of the Indian judiciary in addressing dowry and marital cruelty concerns.

Conclusion

This study highlights the intricate relationship between legal frameworks, religious contexts, and women's empowerment in India, revealing both progress and persistent challenges. The findings indicate that while legal provisions against gender-based violence significantly enhance women's autonomy and decision-making abilities, their effectiveness often hinges on

the cultural and religious interpretations that shape women's lived experiences. The analysis of government schemes, constitutional provisions, and landmark case studies demonstrates that legal recognition and support are crucial for advancing women's rights. However, the ongoing influence of traditional gender roles and societal norms continues to hinder full empowerment. As such, a multifaceted approach is essential, combining robust legal protections with cultural awareness and advocacy to foster an environment where women can navigate and challenge the complexities of their realities. Ultimately, this research underscores the need for continued efforts in policy formulation and community engagement to ensure that women in India can fully realize their potential and rights, contributing to a more equitable society.

References

1. Anand, S., & Sen, A. (2020). "Gender Inequality in Human Development: Theories and Measurement," in Fukuda-Parr, S. & A.K. Shiv Kumar (Eds.), Readings in Human Development (pp. 1-30). Oxford University Press, New Delhi.
2. Bardhan Roy, Maitreyee. (2022). Empowerment of Women: The Indian Context. New Delhi: [Publisher].
3. Bardhan, K., & Klasen, S. (2021). "UNDP's Gender-Related Indices: A Critical Review," World Development, 136, 104-119.
4. Bardhan, K., & Klasen, S. (2022). "On UNDP's Revisions to the Gender-Related Development Index," Journal of Human Development, 23(1), 57-64.
5. Beteta, K.C. (2020). "What is Missing in Measures of Women's Empowerment?" Journal of Human Development and Capabilities, 21(3), 249-269.
6. Blumberg, R.L. (2021). "Women's Economic Empowerment: A Catalyst for Development," Study presented at the 100th annual meeting of the American Sociological Association, Philadelphia.
7. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2022). "Women's Leadership and Policy Decisions: Evidence from a Nationwide Randomized Experiment in India," Indian Institute of Management, Calcutta and Department of Economics, MIT.
8. Desai, N., & Thakkar, U. (2020). "Women and Political Participation in India," in Women in Indian Society (pp. 15-40). National Study Trust, New Delhi.
9. Dijkstra, G. (2021). "Revisiting UNDP's GDI and GEM: Towards an Alternative," Social Indicator Research, 156(2), 455-470.
10. Dijkstra, G. (2022). "Towards a Fresh Start in Measuring Gender Equality: A Contribution to the Debate," Journal of Human Development, 23(3), 397-412.
11. Figueras, I.C. (2023). "Women in Politics: Evidence from the Indian States," Department of Economics, Universidad Carlos III de Madrid.
12. Ghosh, Aritra, & Bhattacharya, Ce Dr. Sumanta. (2024). Status of Women in India: Past, Present, and Future. [Publisher].
13. Jain, Sweety. (2023). Women Empowerment in India: Current Scenario. [Publisher].
14. Nayak, Purusottam, & Mahanta, Bidisha. (2021). "Women Empowerment in India." SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1320071.
15. G.O.I. (2021). Census Report, Office of the Registrar General and Census Commissioner, New Delhi.

16. http://www.legalserviceindia.com
17. H. M. Seervai: Constitutional Law of India
18. Bitasta Das: Social Problems, Women Empowerment, Population Issues and Diversity of India.
19. Vivek Kumar : Women Empowerment and Law
20. Lalita Dhar Parihar: Women and Law: Impoverishment to Empowerment.

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Realisation of Sustainable Demographic Transition Created by Agrarian to Manufacturing Economies

Dr. Pitamber Singh Chauhan
Associate Professor, Departement of Economics
Lajpat Rai College, Sahibabad, Ghaziabad (U.P.)

Abstract

The issue of sustainable development is quite contextual as it relates to the very existence of life on earth. It will not be unfair to say that in the past and even in the present, entire humanity has shifted towards sustainable destruction away from sustainable development. To foster sustainable development in true sense, multidisciplinary approach is most sought after. The logic is simple the destructive activities and stance of man has been so multi-facial and multidimensional that the remedy to it or in other words antidote to it lies in multidisciplinary actions and approach. The present paper by an author focuses on the issue of social relevance which is supposed to be the core bases of any course curriculum developed in academia. It is fundamental orientation around which academic curricula are developed. Education without social relevance is meaningless. However, author believes that with the issue of sustainable development ruling high on global scene, it is high time to not only materialise but also capitalise this social relevance in its true sense and converting it into social realisation. However, to achieve this sincere multidisciplinary approach will have to be attempted.

Sustainable development is a much debated and talked issue all across the globe. The nature of development in past few decades in particular and around last one century in general all over the world and across all the nations has been a cruel story of unprecedented destruction of earth's environment. The rampant exploitation of natural resources has been a serious cause of concern all over the world. This development which is marred by such serious repercussions can never be treated as development in its true sense. There has been a peculiar demographic transition of almost all nations on earth and this transition is so pronounced that it can be said in a narrow sense that entire globe has undergone a peculiar demographic transition. This demographic transition is characterised by the drift away from agrarian to industrial & manufacturing character of economies. The contribution of Agriculture sector to world's total income has systematically gone down over the years and that of manufacturing and service sector has gone up. This shifted emphasis towards

manufacturing has resulted into rampant exploitation of natural resources.

Keywords: Sustainable development, Social relevance, Social realisation, Demographic Transition

Introduction

The overall tendency of the man's development over past century or so has been that of ruthless treatment to environment in order to fulfil his greed. There has been a prevalence of all round destructive approach towards environment. Industrial revolution paved way for mass production and growing consumerism all across the globe. The so called economy of scale further ignited the appetite of big companies to go for mass level production. The movement which was triggered by the developed nations of modern times has now engulfed the entire world in its grip.

There as a time when agriculture was the most dominant sector of economies of all nations across the globe. It will not be unfair to say that fundamentally, all nations on earth were agrarian in character. However, with the advent of industrial revolution and rise of manufacturing sector, the dominance of industries in nation's economy started to rise. The share of agriculture in the national income of various nations started to slip downwards. On the other hand the share of manufacturing sector and industrial sector started to rise. This tilt in favour of industrial activities and manufacturing sector has resulted in havoc to the environment. The voices are being raised all across the world to check this growing nuance as this kind of progress can never be termed as a true and sustainable friend of humanity.

The point raised by author in this paper is based on the simple logic that if this destruction to the environment is governed by multiple of forces, then the countering forces must also have multiple dimensions. Simply put it can be said that multi- disciplinary approach seems to be the most sought after approach to tackle this great problem faced by humanity in modern era. In a simple sense the essence of sustainable development is that the future generations may also reap and enjoy the benefits of development in present times. It remains to be seen that whether we are offering safe environment to our future generations or we are offering more of carbon dioxide and pollution to them in the name of so called industrial development in modern times. The paper makes an attempt to high light the importance of multi- disciplinary approach to counter the destructible stances of man towards his environment.

It is quite interesting to point out here that though social relevance is something which is supposed to be the part and parcel of any course curriculum taught in universities and colleges.

It seems that either this aspect of social relevance is missing in the course curricula in its true spirits or we have failed to implement it properly thus costing us the problem of failing to realise sustainable development goal. It is high time to revive this spirit in its true sense so that social relevance becomes dominant in its true sense in our course curriculum. If we achieve it, we will surely counter the forces acting against the goal of sustainable development and there are all strong possibilities that an effective multi- disciplinary strategy will emerge out of all this exercise which will help in addressing the issue of sustainable development in an amicable manner.

Objectives of the study

The main objectives of the study are as follows:

1. To highlight the need to address the issue of sustainable development.
2. To visualise how the aspect of social relevance in course curriculum can lead to design a multidisciplinary approach to ensure sustainable development.

Hypotheses of the study

The hypotheses of the study corresponding to above objectives are as follows. The nature of these hypotheses is declarative.

1. The rampant exploitation of natural resources has brought the issue of sustainable development as the most crucial issue facing humanity.
2. Multidisciplinary approach towards learning coupled with due weightage to social relevance in course curricula can help in developing effective strategy to counter the forces acting against sustainable development.

Methodology of the study

The study is predominantly base on the secondary data. A thoughtful insight to the issue in question will be attempted. The plan will be as follows.

(i) The relevance and gravity of the issue of sustainable development will be highlighted through secondary data related to various nations.

(ii) Reference to some leading studies conducted in this regard will also be included along

with interpretation.

(iii) There after the aspect of social relevance in course curriculum will be elaborated based on various sources.

(iv) An attempt will be made to highlight the issue covered in point (iii) above in the context of its relevance with goal of achieving sustainable development.

(v) A deliberation on acceptance and rejection of the hypotheses will be presented.

(vi) It will be followed by conclusion, suggestions and recommendations.

Peculiar demographic transition of world's economies and its impact on sustainable development:

Around 100 to 150 years back, entire earth was characterised by nations with agriculture being their main occupation. World population was not as alarming as today andwas within manageable limits. However, certain compelling forces cited above in the paperhave resulted in sweeping structural transformations in world economy shifting it from agriculture to non-agricultural activities. "The share of agricultural sector in total product declined in all developed countries except Australia. In the case of Great Britain, it declined from 22 percent in 1841 to 5 percent in 1955; from 42 percent between 1872-82 to 9 percent in 1962 for France; from 49 percent in 1879 to 9 percent between 1939-48 for United States; and from 63 percent between 1887-82 to 14 percent in 1962 for Japan. Thus by the end of the long periods the share of this sector in total product was less than 10 percent in the case of U.K., France, Germany, Netherlands and the USA, while it ranged between 10 to 26 percent in Denmark, Norway, Sweden, Italy, Canada, Australia, Japan and USSR. On the other hand, the share of industrial sector rose to more than 50 percent by the end of the long periods for Great Britain (56%), France (52%), Germany (52%), Netherlands (51%), Norway (53%), Sweden (55%), and the USSR (58%), while it ranged between 22 to 49 percent for Italy (22%), Australia (30%), United States (42%), Denmark (48%), Canada (48%) and Japan (49%)."

Above statistics tells the story of spectacular rise in the share of manufacturing sector in the GDP of various nations. It has replaced agriculture which used to be traditional leading contributor to GDP of almost all nations in the world. It has been an across the globe phenomenon. In an attempt to produce goods in tune with the increasing demands of an increasing population, business firms have resorted to rampant manufacturing activities. This in turn has resulted in severe burden on environment. Traditional character of agriculture sector

is that of eco-friendliness, if we discard the ill-effects like the ones brought about by 'Green revolution' in India due to excessive use of pesticides and chemical fertilizers. It can be safely argued that growing pollution in all parts of the world is due to the unplanned and anti eco techniques of production being used. Thus we see that structural changes in world economy are contributing to both factors – rise in GDPs and rise in global pollution. Here is an alarming statistics – "For Mexico in 1986-90, it was found that the environmentally adjusted domestic product was 13 percent less than the conventionally measured net domestic product. The new accounting measures also showed that net investment – which conventional measures showed as positive, at 46 billion pesos was a negative 700 million pesos. Net savings, also assumed to be positive, was actually close to zero". It thus amply reflects from the ongoing discussion that manufacturing sector has played a lead role in systematically sidelining agriculture sector from world economy scene. The rampant exploitation of natural resources to suffice the needs of raw material for manufacturing sector has brought the world on the brink of disaster.

The spirit of social relevance needs to be transformed into social realisation to ensure sustainable development

Education and society are considered to be two intricately associated aspects of human beings. It is due to this intricate relation that social relevance occupies central focus while framing and developing any course curriculum. However, author is of the view point that social relevance seems missing in its true spirit considering the path towards which our societies are moving. After all, it is after getting educated and acquiring various skills one moves on to perform various activities in the society and if these activities are leading to sustainable destruction, there is something wrong with the social relevance aspect of the course curricula taught to them in universities and colleges. It is perhaps due to this fact that social realisation further goes wanting. By social realisation, here author is hinting towards the responsibility of the educated man towards his society and nation so that the goal of sustainable development can be achieved.

Here it is interesting to refer to the different meanings of "Curriculum" as given by UNESCO. According to itcurriculum can be envisaged from different perspectives. What societies envisage as important teaching and learning constitutes the "intended" curriculum. Since it is usually presented in official documents, it may be also called the "written" and/or "official" curriculum. However, at classroom level this intended curriculum may be altered through a range of complex classroom interactions, and what is actually delivered can be considered the "implemented" curriculum. What learners really learn (i.e. what can be assessed

and can be demonstrated as learning outcomes/learner competencies) constitutes the "achieved" or "learned" curriculum. In addition, curriculum theory points to a "hidden" curriculum (i.e. the unintended development of personal values and beliefs of learners, teachers and communities; unexpected impact of a curriculum; unforeseen aspects of a learning process). Those who develop the intended curriculum should have all these different dimensions of the curriculum in view. While the "written" curriculum does not exhaust the meaning of curriculum, it is important because it represents the vision of the society. The "written" curriculum should therefore be expressed in comprehensive and user-friendly documents, such as curriculum frameworks; subject curricula/syllabuses, and in relevant and helpful learning materials, such as textbooks; teacher guides; assessment guides.

In some cases, people see the curriculum entirely in terms of the subjects that are taught, and as set out within the set of textbooks, and forget the wider goals of competencies and personal development. This is why a curriculum framework is important. It sets the subjects within this wider context, and shows how learning experiences within the subjects need to contribute to the attainment of the wider goals.

All these documents and the issues they refer to form a "curriculum system". Given their guiding function for education agents and stakeholders, clear, inspired and motivational curriculum documents and materials play an important role in ensuring education quality. The involvement of stakeholders (including and especially teachers), in the development of the written curriculum is of paramount importance for ensuring ownership and sustainability of curriculum processes.

It amply reflects from the above versions of curriculum as mentioned by UNESCO that it has lot to do with the society. The author presents his simple logic that as the forces of destruction leading to a challenge for ensuring sustainable development are multifarious and multidimensional. Therefore, it becomes self explanatory that the forces trying to establish and ensure sustainable development also need to be multifarious and multidimensional. It is only possible through multidisciplinary approach with the grass root restructuring of all course curricula truly embodying in it the spirit of social relevance which is the only way to guarantee social realisation of whatever is embodied in course curricula in the name of social relevance.

Economics of Stress in Economy and Sustainable Development:

“Economics of Stress in Economy and Sustainable Development”,It is often said that some amount of stress is needed to accomplish various tasks but the stress must be kept within

manageable limits. This section of the paper provides some insights to develop effective strategies for sustainable development drawing inputs from some other work of the author. Economics teaches us how to select best option out of many alternatives available. Selection of one best option or group of options as the case may be is the fundamental instinct on which Economics functions. The growth of Economics as a discipline is a story of deliberations on ways and means to establish equilibrium between fulfilment of wants and desires and means to achieve it. Most of the effort of Economics goes in establishing trade- off these two conflicting issues. Most optimum utilisation of resources is what Economics strives for. It has already been explained above that any attempt to utilize resource will require some amount of stress and if it can be effectively balanced by resistance developed or strain taken, the most optimum utilisation of resources can be achieved.

It logically appears from ongoing discussion that if we superimpose above graph of stress and strain of material, on stress and strain of Economics, the elastic region where the material returns to its original shape once the deforming force is removed is of vital concern. In other words, we can say that stress within elastic region is bearable. Once it crosses elastic region and enters plastic region it becomes capable of causing permanent distortion. The same can be said about chronic stress which may result in a person when he is persistently subjected to stress for a long period of time. A person may become 'use to' to some level of continual stress but this definitely damages that person. There is a natural tendency among human beings to ignore chronic stress until obvious chronic symptoms come to fore. The concept of stresses when applied to Economics is not just limited to human beings but extends to all resources at the disposal of an economy. We often read statements like "economy is in stress" in literature related to business. If economy can resist this stress or the strain taken by economy is sufficient enough to counter stress and things remain within elastic region, there is nothing to worry. Once it crosses elastic limit and enters plastic region an alarm is set because stress has assumed distorting capabilities. Somewhere down the line the approach seems to be matching with the concept of deductive reasoning where we move from a sum total to something particular. The sum total (or the premises) here happens to be entire earth (or even universe) as sustainable development is holistic in character but its dividends are distributed among all individuals on earth including man, animal and natural resources etc. Author once argued in one of his papers that going to extreme is an invitation to getting in stress so plan your extremes carefully. The same applies to economy be it national or global economy. The resources must be stressed keeping sustainability in mind. "I was told in class eight that silver is a better conductor of electricity than copper. The reason of not using silver wire for carrying electricity from one place to another puzzled me as a child then. Perhaps my view was restricted to scientific and technological angle and was lacking an economist's insight. It is not unfair to call today's

business education a brain child of modern Economics which has strong flavour of western thinking and has been contributed immensely by the works of western thinkers and writers. In today's Business Education there is an overemphasis on maximisation of profit. Business teacher guides his/her pupil every now and then to develop a tendency of maximising profit of their concerns. Profit comes after a process which incurs cost and effort. So, another way to express the same feeling as hidden in "maximise your profit 'is to say "minimise your cost and efforts for same or more output" or in other words "optimise your efforts". The frequent use of words like 'optimum' & 'trade off' etc are clear indication of western business education's repeated plea for optimisation of efforts. Even though western business education has made the importance of optimisation of efforts amply clear by repeatedly pointing towards it but no clear ways are mentioned to achieve it." Adopting Madhyammarga (middle path) seems an excellent remedy to address stress including stresses in economy.

Conclusion

The deliberations put forward by the author in this study are more than enough to suggest that both the hypotheses of the study stand accepted. The first hypothesis of the study is- "The rampant exploitation of natural resources has brought the issue of sustainable development as the most crucial issue facing humanity". It can be seen that the statistics regarding GDP composition of various nations of the world coupled with the peculiar demographic transition of national economies showing their drift away from agriculture to industrial and manufacturing sector clearly hints towards rampant and unplanned exploitation of natural resources. As far as the second hypothesis is concerned, it states that- "Multidisciplinary approach towards learning coupled with due weightage to social relevance in course curricula can help in developing effective strategy to counter the forces acting against sustainable development". Here again we find that education and society are intricately related with each other and education rests on the course curricula we offer in our universities and colleges. Social relevance as an integral part of a course curriculum is the key to transform any course curricula into a useful asset for the society. The intricacy of society, course curricula and social relevance amply reflects from the various versions of the curriculum put forward by the UNESCO. Moreover, author has reasoned quite effectively that if destruction is coming from multitude of angles and reasons, the counter action must also have multifaceted orientation and the key to it is restoring to multidisciplinary approach. The second hypothesis of the study is also accepted.

Suggestions and Recommendations

The suggestions from the study undertaken in this study emerge out of the deliberations based on the analogy between stress & strain relationship in material and that in the economy as discussed in the section 8.0 and 9.0 of the study. In the fig 2 we find that the point where cost of stress on natural resources and cost of idle natural resources balances each other is the most suitable to operate at.The strategy of MadhyamMarga (Mid path approach) seems appropriate as some stress or exploitation of natural resources is justified for the well being of human beings on earth, however, there is a limit to it. Man has unfortunately crossed that limit and we are moving away from sustainable development.

The recommendation from the study is that environmental concerns and sustainable development must be made core and fundamental building principles of any course curriculum. The efforts must be afoot so that social relevance is just not restricted as a written document or hidden agenda of course curricula but it transforms into social realisation also. At the same time all policy initiatives and measures of all governments in the world must consider environment related issues and sustainable development as their central focus. Multidisciplinary approach towards teaching, learning and research must be promoter with a true fervour of social relevance leading to sustainable development.

Reference

1. ShandilyaS";"Developmental Economics needs an environmental review"; published in Edited Book, Resource Development and Environmental Change, Volume I Regional Economics,Editor, Prof Abdul Muneer, Geography department, AMU, Aligarh, Publishers, Concept Publishers, Delhi, 2008
2. 'Meadows D A, Meadows D L, Randers J and Beherns W W'; The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, 1972.
3. 'Meadows D A, Meadows D L, Randers J, 'Beyond the Limits : Global Collapse or a sustainable Future'; 1992.
4. "Our Common Future", Brundtland Report, United Nations World Commission on Environment and Development (WCED), 1987
5. Shandilya S, "Poverty and Sustainable Development: Triangle between population, Development and environment", Edited Book: Poverty in India: Issues and challenges, Editors - *Dr InduVarshney and Dr NeetuSaini, Publishers - Kunal Publishers, Delhi, 2003
6. 'Jhingan M.L.'; 'The Economics of Development and Planning': Vrinda Publications, Delhi, 2006, p. 59.
7. 'Misra &Puri'; 'Indian Economy'; Himalaya Publishing House, Delhi, 2007, p. 38.
8. Shandilya S, " Economics of stress in economy and sustainable development", Edited Book- " Energy conservation and energy security in India", Dr MeenuAgarwal, Kunal Books, New Delhi.
9. http://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Physics_%28Advancing_Physics%29/Stress,_Strain_%26_the_Young_Modulus
10. "Shandilya S"; " Eastern middle path approach: An answer to western business education's optimisation plea"; in " Management in new millennium"; Editor,"S C Dhamija"; Publisher, GurukulKangri University, Hardwar,1999,page251
11. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-

Strengthening Cashless Economy Trends through Digital Payments

Dr. Umesh Singh Jadon
Associate Professor, Department of Economics,
Narain College , Shikohabad , U.P.

Abstract

The emergence of UPI has become a simplest mode of transferring cash directly from the bank account. Mobile Wallet It is a process in which makes little use of plastic cards.Likewise, debit cards and credit cardscarry information in digitalized form. Mobile devices such as smartphones, tablets, smartwatches are used.In the process of money transferthrough e-wallet, cash is collected, and reserved by the entity, and paid to the merchants through particular application which is required to be installed on smartphones, and also a type of storage container which stores the debit, or credit card information. Mobile wallets are versatile and secure which serves multiple purposes. They can act as a consolidated platform for different types of financial services at your fingertips without having the need to go to a physical bank A digital wallet is a system that stores user's information and passwords for payment made by using internet as a means. Technological development plays a significant role in our daily life. Technological advancement in smartphones helps as a source of communication device, socialized tool, and even as a payment tool. Mobile wallet ensures you with safe storage of bank account numbers and multiple credit card details which is stored in a secure environmentand if lost, iseffortlessly recovered using a backup option. So, each timethe mobile wallet money is registered, it avoids entering account information saving us time. Several areas like companies, banks, and customersmake effective use of a mobile wallet.Indian economy is gradually moving towards a cashless economy. On 8 thNovember 2016,India tooka key step in the name of demonetization.The roots of the cashless economy emerged even before the declaration ofdemonetization. It is our responsibility tolead our economy towards an increasingly "digital economy."

Keywords: Cashless Economy, UPI, Financial Inclusion,e-Payments, Digital Wallets.

Introduction

Wallets are risingquickly as they encourage the speed of transactions, especially for e-commerce companies, ande-commerce marketplaces. A digital wallet refers to a platform based on electronic device or online service that allows an individual to make electronic transactions. It is a transformed way to pay for things. It is basically paperless payment method which reduces all the hassle of carrying cash with you everywhere.Digital WalletsMove to Mobile Wallets Successful mobile app payment services consist of Alipay, Wechat pay, Apple pay, Amazon pay, and Android pay.Other factors that have made them successful include enabling financial transactions, making it familiar with the consumers, and making the mobile payment system secure and retail purchases. However,there are some challenges that face mobile wallet integration, like consumers perception.Still in the Covid 19 pandemic in India, these e-wallet transactions have been surpassing the traditional payment techniques.In simple terms, a digital wallet, or mobile wallet, a virtual mobile-based wallet where one can store cash for making mobile, offline or online payments. Many digital wallet services have their own mobile apps. Post demonetization in India, the popularity of digital wallet gains exponentially By using a digital wallet, users can complete purchases easily and quickly through communications technology. They can also create stronger passwords without worrying about whether they will be able to remember them later. They can be used with mobile payment systems, which allow customers to pay for purchases with their smart phones. It eliminates the need to carry a physical wallet, by storing all of a consumer's payment information securely and compactly. They are a potential boon to companies that collect consumer data. The more companies know about their customers' purchasing habits, the more effectively they can market to them. Digital wallets supports developing countries to participate in the global financial system. It also allows participants to accept payments for services rendered, as well as receive funds or remittances from friends and family in other nations. This research elucidates on empirical study. Thus Digital wallets', gained a lot of popularity in recent times in India and around the globe. There are many digital wallets which are currently active in India like Paytm, Freecharge, Jio Money, Airtel Money etc. The aim of this paper is to explore, in detail, about different digital wallets which are very much in use in India and what are their policies and what all measures they take regarding the security of the user data.

Cashless Economy in the World Scenario

In the world, virtually every country follows a cashless economy. According to the research on cashless economy, in Sweden only there exist only 3 percent of people do cash transactions,

Belgium 93 percent of the population does a cashless transaction, whereas in Denmark,one-third do mobile banking, and in Norway, many banks don't give cash to users. Along with the progress of digital India,many banks have moved their step towards online banking and the cashless economy. In 2020, there has been incredible growth in the e-banking sector the usage of e-wallet has increased. Due to restrictions in the movement of consumers, resultant limited cash transactions, which led to an increase in the usage of e-wallet.

Cashless Economy in Indian Scenario

Indian economy is gradually moving towards a cashless economy. On 8 thNovember 2016, Prime Minister NarendraModi has taken a key step called demonetization.The roots of the cashless economy emerged in India even before the declaration of demonetization.They have created the base by making known to financial inclusion scheme called JandhanYojana. In rural areas, to encourage poor and illiterate people to make digital payments, the government is promoting Aadhaar Pay which ensures financial transactions by just using fingerprint.

Trend Transformation

Digital wallet adoption has risen significantly in the last couple of years due to better, faster smartphones and fast mobile data connections. Consumers find digital wallets convenient because they are freed from the burden of currency, coins, and last-minute trips to the ATM. They also make it easy for shoppers to redeem coupons, loyalty points from stores and banks, and airline miles. We know that the future holds some form of integration for these online wallets into our household devices and wearables, but whether it's the TV or the fridge that ultimately becomes most successful is still a question. The bigger dynamic at play currently is the various paths to digital wallet adoption, driven by two distinct factors: Local markets and consumer need. Local markets tend to be quite distinct from one another due to differences in regulatory frameworks, technological infrastructure, and the domination of a phone network or merchant provider. In every case where digital wallets have taken off, consumers have had a pressing reason to transact digitally, and their options are relatively frictionless and easy to access. India is traditionally a cash-based economy, with the value of physical currency in circulation. The Government of India and the central bank have laid significant emphasis on financial inclusion and making banking and payment services accessible to all. Non-bank players such as telcos (through mobile money services) and business correspondents (BCs) — entities that assist banks in providing basic banking services in rural areas — have also contributed toward financial inclusion. The payments industry is growing rapidly, majorly

driven by urbanization and electronification. Banks have traditionally played a central role in providing payments services; however, the landscape is evolving with active participation from non banks in the electronic payments and remittance space. The key driving factors for electronification of payments in India are increasing smartphone penetration, growth in digital commerce, improvement in computer literacy, access to internet and broadband, and supporting regulations.

Digital Wallets in India

Gone are those days when people use to carry cash with them. At present, instead of physical wallet people pay through mobile wallets. Mobile Wallets are known as virtual wallets which act as a container that stores the credit card or debit card information on the mobile device. Instead of using cash or debit card for any payment, one can just pay through ones Smartphone, smart watch or tablet. Using m-wallets, one can do the online and offline transaction to merchant registered with the mobile wallet service provider. Millions of users in India are doing their daily transaction from small to big amount through virtual wallets, as they get discounts on purchase provided by the mobile wallet service provider. According to RBI, there are three kinds of mobile wallets: closed wallets, semi-closed & open wallets. Closed wallet It doesn't provide services like redemption or cash withdrawal. It can only be used for goods and services for specific company. Online merchants like MakeMyTrip, Jabong, etc. are some examples of closed wallets. In case of any cancellation or to return product your registered MakeMyTrip or Jabong accounts credited with the refund amount. This can only be used with the registered merchant itself. Semi-closed wallet They are also similar like closed wallets. It also doesn't permit to redeem or withdraw cash but it allows users to purchase goods and services with listed merchants who have a contract with Wallet Company to receive payment. Paytm, PayUMoney, MobiKwik, Oxigen, etc. are examples of semiclosed e-wallets. Moreover, they are the most downloaded and trending mobile wallets in India. Open Wallets The wallets that allow users to redeem plus withdraw cash are named as Open Wallets. A Vodafone Powered M-Pesa wallet is a perfect example.

Innovative Digital Payment Methods

What are the most innovative types of Digital Payment Methods NFC or MST transmission waves stage organizations have concocted making exchange through NFC(Near Field Communication) and MST(Magnetic Secure Transmission) innovation. Without swiping your card through POS(Point of Sales) machines, you can undoubtedly make

instalment to shippers through its remote communicating attractive waves. You can benefit this office by downloading MST empowered application and furthermore, your telephone should uphold NFC office. Whenever it is done, subsequent to enlisting your card subtleties, you can make contactless exchanges through your telephone on any of dealers' POS terminal. Digital wallet payment system Through this stage money is loaded in wallets. Also, with the dispatch of e-wallets you can add money utilizing computerized wallet applications. However, the imperative is you can transfer asset to the same wallet as it were. It means that on the off chance that you have PayTM or SBI's Buddy application on your phone, then you can just transfer money to another person's PayTM wallet orSBI's Buddy application who is having these applications installed respectively. Just in another manner round, you can't transfer money from PayTM wallet to SBI Buddy wallet application. There are some other e-wallets available in the computerized marketplace, for example, Mobiwik, Freecharge, Oxigen, Reliance Money, Paypal, Buddy, Lime, Payzapp, Pocket, Yes Pay etc.

Benefits of using a Digital Wallet

1. **Lower Costs:** Employing the use of digital wallets removes the need for intermediaries, in a variety of form. Purchases in-store may no longer require a cashier because the purchasing process becomes as simple as a tap or scan of a mobile device.
2. **Competitive Advantage:** Digital wallet applications provides a more convenient transaction processing method for customers. It redefines the user experience of paying and incorporates a novelty aspect to each purchase.
3. **Modern:** Traditional cash-only businesses, can now accept debit and credit cards. This opens up an entirely new aspect to payment methods in large markets, introducing many business opportunities and greater potential revenue.
4. **Convenience:** Users are able to get through a purchase in mere seconds with a simple tap or scan of their mobile device. The experience of purchasing items becomes quicker and easier - leading to a greater sense of satisfaction.
5. **Synchronization of Data:** There would be synchronization of data. Bank accounts, debit cards and credit cards, mobile bills and accounts all will be connected together and help in better management. It is like everything under one roof.

Challenges

Despite all the growth drivers of the payments industry in India, there are challenges to be addressed by the stakeholders. A large proportion of India's population is not financially literate and does not have access to formal banking services. Some of the major challenges are:

1. **Reliability:** Digitals wallets cannot be reliable. If the smart phone runs out of battery, then transactions may not take place. Customers using digital modes need to check on the charge of the gadget used.

2. **Network connectivity:** Lack of network (internet) may create a problem in using digital wallet. This in turn may be a loss for the merchant.

3. **Safety:** Both users and merchants have a concern about how hackers would trace out their information as the entire data is connected through internet facility.

4. **Resistance to change:** Customers still prefer for traditional modes of transaction. They always feel that it is safe when compared to digital transactions.

Thus a serious competition can be expected from banks or telecom operators which are throlling out their own 'tap to pay' functionality in their banking apps, meaning big players could lose out on attracting users who aren't early adopters and trust their bank's app for payments. While payment interfaces that are part of mobile wallets are largely used in personal experiences in day to day life, wallet companies utilize customers as data. They make transactions inconvenient for users by asking them to share extensive personal information. For any user who is not comfortable saving their bank or card details on a third-party app, it is likely to stick to the reliable mode of payment through an app from a bank. Mobile wallet startups have to rely on partners to gain access to advanced and secured platforms which could give them an edge by offering online banking as apayment method to pay online. Another option, or the gap where mobile wallets could make their foray, are other m-commerce services such as hyper local transactions, cash pick up and microcredit facilities. The Government wants to make plastic cards irrelevant by 2020, depending instead on mobile phones and biometric security for authenticating transactions. The problem is that there are few measures to protect users from loss of money in digital transactions. Moreover, biometric security is not foolproof, and while the Government claims that the Aadhaar data is watertight and completely secure, policy advocates prefer smart cards as they can be replaced when compromised. Biometric data, once compromised, remains compromised for life. Rushing towards a cashless economy without adequate preparation is a major opportunity for fraudsters. There are no prescribed security standards for e-wallets in India Initiatives by the Government: The government has introduced

a number of platforms, technologies and applications to encourage cashless transactions and digital wallets. 1. The Bhim app (Bharat Interface For Money) allows for direct bank to bank transfer over many payment modes, including a UPI pin, banking codes, phone numbers and QR Codes. 2. Bharat QR allows for a single QR code generation for storefronts, instead of multiple ones for different applications. 3. NUUP allows for electronic fund transfer over feature phones or without the need to install applications on smartphones 4. Aadhaar Enabled Payment System allows for payments to Aadhaar linked bank accounts through Aadhaar numbers. Aadhaar Pay for merchants is meant for remote and rural areas where shoppers can execute electronic transactions without the need for plastic cards or smartphones, and without transaction charges for either the shopper or the merchant. Aadhaar Payment Bridge (APB), which is popularly known as DBT allows for the direct disbursal of benefits, and was recently used to provide subsidies to one million farmers in Karnataka.

Conclusion

India, a nation of considerable magnitude, ranks as the second-largest country globally, boasting a population of over 1.3 billion individuals, which accounts for approximately 18% of the total worldwide population. India is the country with the second highest population. The implementation of a digital payment system is important in order to address the financial requirements of an expanding population. This only factor guarantees success.Digital wallet aims to ease the transfer of funds across India, especially in rural communities, and more importantly, seek to facilitate a behavioral change towards the greater adoption of cashless services. As such, the digital payments industry is fast becoming a highly attractive destination for foreign investors keen to establish a foothold in India. Despite of the barriers in the adoption of digital mode of payments, multiple factors and parallel institutional and behavioural trends seem to be powering India's transition towards a less-cash economy. Besides private actors like Paytm, Mobikwik, and FreeCharge, the Indian government has been aggressively pushing several digital payment applications, including the Aadhaar Payment app, the UPI app, and the Bharat Interface for Money (BHIM) app developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) to move into a digitalized economy. Thus digital wallets and mobile payments are rapidly evolving in order to enhance the experience for both customers and business owners.

References

- Anand, N., (2015), Cashing in on Virtual Wallets. [Online] Available at: http://www.businessstandard.com/article/finance/cashing-in-on-virtual-wallets115091701045_1.html [Accessed 23 November 2015].
- Anckar, B., Walden, P. &Carlsson, C., (2003), Factors Affecting Consumer Adoption Decisions and Intents in Mobile

Commerce: Empirical Insights. Slovenia, BLED 2003 Proceedings.

- Apanasevic, T., (2013), Obstacles to investments in mobile payments:The perspective of merchants. CMI International Conference.
- AmbarishSalodkar, Karan Morey and Prof. Mrs.MonaliShirbhate, "Electronic Wallet", International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 2, Issue 9, December 2015
- Pinal Chauhan, "E-Wallet: The Trusted Partner in our Pocket", International Journal for Research in Management and Pharmacy , Vol. 2, Issue 4, April 2013
- RoopaliBatra, NehaKalra, "Are Digital Wallets The New Currency?",Apeejay Journal of Management and Technology, Vol 11, No 1, January 2016
- Vidya Shree DV, Yamuna N. and Nitua Shree G "A Study on new Dynamics in Digital Payment System - with special reference to Paytm and Pay U Money", International Journal of Applied Research 2015; 1(10): 1002-1005.
- Sujith T S, Julie C D "Opportunities and Challenges of E-Payment System in India", International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), 2017.
- Dr. Ravi CS "Digital payments system and rural India: A review of transaction to cashless economy", International Journal of Commerce and Management Research, May, 2017.
- S. MD. Shakir Ali, MD WasimAkhtar and S. K. Safiuddin "Digital Payments for Rural India - Challenges and Opportunities", International Journal of Management and Applied Science, June, 2017.
- Mamta, Prof. HariomTyagi and Dr.AbhishekShukla "The Study of Electronic Payment Systems". International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2016.
- PreetiGarg and ManviPanchal the article entitled "Study on Introduction of Cashless Economy in India 2016: Benefits & Challenge's". IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 2016.
- The Indian Banker Journal.
- https://paytm.com and https://www.payumoney.com

Bankim, Vande Mataram and Bharat Mata: The Making of the Nationalist Discourse

Preet Choudhary
Department of History,
University of Delhi, Delhi
Dr. Ajay Kumar
Associate Professor
Deaprtment of Psychology, Shir Varshney College, Aligarh, U.P.

Bankim Chandra Chattopadhyay had started writing satire, poetics and humour from the 1860s onwards and is till date regarded as one of the most prolific writers of Bengali prose and someone who gave shape to modern Bengali language and literature. The journey of *Anandmath* started as a weekly serialised story in the paper Bangadaarshan edited by Bankim and was compiled together as a novel in 1882. Set against the background of repetitive Bengal famines of the late eighteenth century, this novel was based on the story of the Sanyasi Rebellion of North Bengal. While *Anandmath* was read widely in the last decades of the 19th century, it reached new pomp and glory during the Swadeshi agitation of 1905-07.The text and the poem became the driving forces of Indian struggle for Independence and chants of *Vande Mataram* were deemed 'seditious' by the colonial state. It has to be also borne in mind that *Anandmath's* lasting legacy is the poem, *Vande Mataram*. The novel was reprinted and widely read not so much for the story but more to gather the context in which the poem, the undeclared national anthem of Indian National Movement, had come up.[1]

The fate of *Anandmath* and Indian national movement were so closely related that from late 1920s and 1930s when communal overtones came to occupy the centre stage of politics, the text was listed as one of the reasons contributing to the alienation of the Muslim community from the national movement spearheaded by the Congress. *Vande Mataram*, the poem which had given form to the abstract idea of independence, came to be seen as idolatrous and opposed to the belief of the Muslim community.[2] In order to address and accommodate the apprehensions of the Muslim community, the Congress leaders such as Subhash Chandra Bose, in 1937, sought advice of Rabindranath Tagore who suggested retaining only the first two stanzas which would be largely acceptable.[3] This (first) act of matricide (to borrow the term from Sugata Bose) was executed by Rabindranath Tagore who a decade earlier in 1928,in

a conversation with Mulk Raj Anand, had expressed his desire to have Vande Mataram as the national anthem of India.[4]

What kind of nationalism and anti-colonial feeling did *Anandmath* and through it Bankim Chandra promoted? This has been a vexed question for scholars of Indian nationalism and literature. The debate has been largely ambiguous and no one has been certain about the real intention and message of this text and whether the text was or not anti-colonial in the first place. Larger historiography around the text has been more engaged with the questions of communal and anti-muslim overtones of the text.

Sumit Sarkar notes that even being written a century after the Sanyasi rebellion, the text is not historically accurate as it continues to see the Muslim nawab and not the EIC as the real cause for the famine and suffering of the Hindus. Bankim portrays the Muslim nawab as the real nemesis and the aim of the Sanyasi Rebellion to overthrow the Muslim rule of Bengal and make way for the English rule in India. He completely obfuscates the fakirs who had also rebelled in those times. In *Anandmath*, as different from other historical novels of Bankim based in the medieval political conflict, the enemy is not a personified individual ,like Aurangzeb in *Rajsingha*, but an entire community has been vilified as an abstract villainous horde[5]. Bankim's later writings such as *Anandmath* and *DebiChoudharni* present an explicit collapse of patriotism with a novel kind of Hinduism.[6]

It has been suggested that seeing 'the nation as mother' and its glorification as a goddess (as in *Vande Mataram*) alienated the Muslims and Christians from the movement as their beliefs do not allow for personifying the country.[7] Sugata Bose on the contradictory notes that Bengali muslims were much familiar with the concept of seeing the nation as mother. The great revolutionary poet Kavi Nazrul Islam made strong invocations to the nation as mother. Even later, the muslim leaders who led the movement for Bangladesh liberation also drew heavily upon the corpus of seeing the nation as mother.[8] The attitude of Muslim community at large towards *Vande Mataram* and *Anandmath* was that of ambivalence.[9] While Muslim journals and *fatwas* prohibited singing it, Bengali Muslims such as Rezaul Karim in a critique observed that "the song (*vande mataram*) gave language to the dumb, courage to the faint-hearted and remains Bankim's lasting gift to his country".[10] Congress leader Rafi Kidwai noted that the song *Vande Mataram* had been sung at the beginning of congress sessions by all members and it is only in the 1930s that people like Jinnah started raising objections to it.[11]

Tanika Sarkar refers to the concept of *Bharatmata* as a 'cultural artefact' marking the patriarchal anxieties of the male dominated colonial society.[12] This notion has been contended by other scholars for whom the visualising of the nation as mother is not a cunning of modernity

but a natural occurrence of the cultural atmosphere Bankim had lived in.[13] Sugata Bose has argued that the coming up of the notion of nation as mother was a rather very emotional issue for Bankim and other leaders of Bengal who saw in her a woman/mother who had cared and nurtured them. It was not any personality but the land itself.[14] He posits that the concept of *Bharatmata* and the associated imagery could very well provide a link between the elite and subaltern nationalists.[15] Since Bankim was himself much against idolatry, the lyrics of the song are seen as more symbolical than being representational.[16]

Partha Chatterjee notes that usage of terms such as conservative or revivalist for Bankim is misplaced. The so-called conservatives or revivalists such as Bankim or Dayanand also argued for reforming religion and were firm believers in the material superiority of the west. They didn't close their religion to reform from outside influences.[17] In the context of labelling Bankim and other early nationalists as Hindu nationalist, he observes that in a country such as India with so many languages and ethnicities, the available western models of nationalism would have been inadequate. Thus, Hinduism with all its diversities and varieties could serve the cause of unifying people and make an appeal to their inner sphere.[18] Since the cult of mother goddess was the most prevalent one, the notion of seeing the nation as mother would have helped to ignite passion among people and give them a common locus to identify with.

In order to arrive at an understanding of the nationalism imagined in *Anandmath*, the poem, *Vande Mataram* might serve as an useful entry point. While it did not catch the imagination of Bengal during the Ilbert Bill agitation or the student protests, it became a 'national' war cry during the Swadeshi Movement opposing the partition of Bengal in 1905.[19] *Anandmath* and *Vande Mataram* became the central anti-colonial nationalist text and nationalists were expelled from schools or were imprisoned for singing it.[20] In the 1900s, the poem and the novel were widely translated into all other languages across India so as to reach a greater audience. The greatest proponents of *Vande Mataram* were the *biplabis* or the militant nationalists. Secret reports by H.C. Salked, I.C.S, reveals that revolutionaries were primarily the worshipper of '*Kali- Adya Shakti*' who was a manifestation of Durga to slay demons. The demons here were the British themselves.[21]

Sabyasachi Bhattacharya notes that the idea of Vande Mataram as a mantra, a vow, a battle cry and a call to mobilise masses into rallies - abbreviated the song into a simple but effective message of fealty to a cause and defiance of foreign rulers.[22] He further adds that Bankim in the 1870s was writing a poem and not the resolution of a political party. It was the later political appropriation of it which made the poem a slogan, a contested national anthem and also a communal war cry.[23] Sugata Bose makes a powerful remark that the concept of nation as mother (*Bharat Mata or Vande Mataram*) could be sanctified by those prepared to die in the cause of

mother-nation and defiled by those ready to kill in the name of religion.[24]

The anti-colonial sentiment in the novel is limited to the humour around the British officials and their peculiar accent and the war of the *santanas* against the British forces which were not seen as enemies in themselves but more as accomplices of the Nawab. In the epilogue, the physician tells the leader of the *sanyasi* rebellion that their role was to drive out the Muslim nawab and make way for the coming of English rule over India. The leader *sanyasi* however feels that his ultimate mission of freeing the mother from all *mlecchas* will be rendered unsuccessful and a true Hindu Raj will never be established.[25] The physician then illustrates that for Hindus to gain strength and organise themselves, British rule would be beneficial as it had advanced in the material sphere as without material advancement the true nature of hindu or sanatan dharma can't be realised and Hinduism would continue as a segregated faith engulfed in rather false and superstitious customs.[26] It is through the character of Physician we know of the intentions of Bankim and his larger idea which sees revolutionary activities as suicidal and without any ultimate ideal.

An analysis of the political happenings of the late 19th century can open up new ways of thinking about the impact of *Anandmath*. The Ilbert Bill controversy had exposed the deep seated racism of British rule and the hollowness of the promise of equality before law. It was at this time that people such as Dadabhai Naoroji and R.C. Dutt came up with their earliest critiques of the economic policies of the colonial state. Their critique was however limited in scope and instead of driving out the British they reposed faith in the colonial state and urged them to correct their policies so as to fulfil their mission in India. Partha Chatterjee has referred to this time period as the 'moment of departure' which saw the beginning of gradual disillusionment with British rule.[27] In such a politico-economic context, the novel gained popularity as it could now be read to show that British rule had failed in the mission for which they were instated and thus it was time to agitate and drive them out. In the1880s and 1890s, India at large faced frequent famines and thus the background of famine in *Anandamath* made the text even more relatable. In a rather indirect manner, as the Muslim nawab, the political authority of that time, was held accountable for the famine and distress among people, the blame could now be identified with the British rule. This kind of narrative would have then given out a message to the nascent extremists that the only way to challenge the rule would be the same means by which it was established, i,e, Violence. Those willing to join the struggle would have to then follow the path of the sanyasis as described in the novel.[28] Thus, *Anandmath* became a handbook for the revolutionary movement.

To read *Anandmath* as a text in which Bankim had imagined a kind of Indian Nationalism is rather anachronistic. The text primarily deals with the incidents of Bengal and the poem *Vande*

Mataram talks of seven crore people which was then the population of Bengal presidency. It was only in 1905, Calcutta Session of Congress, when Saraladevi Chaudharani recited the poem and replaced the lyric of seven crore population with thirty crore, to reflect the population of united India.[29] It has now been realised by scholars that origins of what we call Indian nationalism were rather more localised. Even the famous *Bharatmata* painting of Abanindranath Tagore was actually *Bangamata* or Mother Bengal which on the suggestion of Sister Nivedita came to represent the larger ideal of Mother India.

By placing the poem *Vande Mataram* at the centre of his enquiry, Sabyasachi Bhattarchya noted that the novel and the poem had a primordial appeal. He sees in Bankim an attempt at discovering from the past a set of memories which had been erstwhile lost in amnesia of daily life and fused them in it a new meaning and personality of the motherland. AK Ramanujan in a different context had observed the power of a work of art which could trigger powerful, unconscious memories buried in the amnesia of daily life.[30] It was *Anandamath* and *Vande Mataram* in this context. It was not a cunning plan of Bankim as others would suggest but rather a natural, intuitive leap towards an imagined future through remembrances of the past. It was an archetype recollected from memory and was enough to capture the imagination of a nation in making.[31]

Thus, Bankim and *Anandamath* harbour a sense of what Sekhar Bandyopadhyay calls a cultural or civilisational nationalism.[32] This category of nationalism could not be only imagined as Benedict Anderson would have liked but rather experienced in the spiritual domain or the inner sphere.[33] Dipesh Chakrabarty notes that the spiritual aesthetic of visualising the nation as mother bridged the gap between the literate and illiterate masses in a way that no print capitalism could have ever done.[34]

Hence, the line of enquiry shall not look for what kind nationalism is imagined in *Anandamath* but rather how the text made nationalism (even in its nascent form) experienced or felt by the people. This inquiry helps us take note of the literary style of Bankim which was not modernist or realistic ,as the western critiques are generally looking for, but more rooted in the Indian way of storytelling or recitals. According to Tagore, *Anandmath* was just like the Indian epics and it was this kind of experience of recital which made the text so much different (or relatable in the inner sphere).[35] It was then this inner sphere to which the nationalist leaders (and the novel *Anandamath* and poem *Vande Mataram*) made a call to and urged people to realise the need to free their minds, inner self and also the material world from the clutches of colonialism.[36]

References

Primary text :

1. Chattopadhyay, Bankimchandra. 1882. Anandmath (Hindi Translation, 2016). Lokbharti Paperbacks. Prayagraj.
2. Anandmath translated and adapted by Basant Koomar Roy - Introduction & The Conversation between Mulk Raj Anand and Rabindranath Tagore. pp 8-20.
3. Anandmath translated by Aurobindo Ghosh and Barin Ghosh - Foreword - pp. 2-8.

Secondary text:

1. Bandyopadhyay, Sekhar. 2009. Introduction- Nationalist Movement in India: Historiography and History in "Nationalist Movement in India: A Reader" edited by Sekhar Bandyopadhyay. Oxford University Press. New Delhi. pp xv-xliii.
2. Bose, Sugata. 2017. The Nation as Mother. Penguin Random House India. Gurgaon. pp 1-32.
3. Bhattacharya, Sabyasachi. 2003. Vande Mataram: The Biography of a Song. Penguin Books India. New Delhi.
4. Chakrabarty, Dipesh.2000. Provincialising Europe. Princeton University Press. Princeton and Oxford. pp 149-179.
5. Chatterjee, Partha. 1986. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Zed Books Ltd. Tokyo. pp 1-84.
6. Chatterjee, Partha. 1993. The Nation and Its Fragments. Princeton University Press, Princeton.
7. Mukherjee, Meenakshi. 1982. Anandamath: A Political Myth. Economic and Political Weekly. Vol. 17, No. 22, pp 903-905.
8. Sarkar, Sumit. 2015. Modern Times. Permanent Black. Ranikhet. pp 364-368.
9. Sarkar, Tanika. 2001. Hindu Wife, Hindu Nation. Permanent Black. Ranikhet. pp 1-52, 135-190, 250-267.
10. Sarkar, Tanika. 2006. Birth of a Goddess: 'Vande Mataram', 'Anandmath', and Hindu Nationhood. Economic and Political Weekly. Vol. 41, No. 37, pp 3959-3969.
11. Tripathi, Amales. 1967. The Extremist Challenge: India between 1890-1910. Orient Longmans. Calcutta. pp 1-45.

Footnotes:

1. Bhattacharya, 2003
2. Ibid . xi
3. Ibid. xii
4. Rabindranath Tagore in conversation with Mulk Raj Anand, reprinted along with the translation by Basant Coomar Ray. 7-14.
5. Sarkar, 2006. 3963
6. Ibid.367
7. Sarkar, 2017. 364
8. Bose, 2017. 15

9. Bhattacharya, 2003. 18
10. Ibid, 14-15
11. Ibid, 16
12. Sarkar, 2001. 251
13. Bhattacharya, 2003 .91
14. Bose, 2017. 6
15. Ibid. 13
16. Bhattacharya, 2003 . 82
17. Chatterjee, 1986. 80
18. Chatterjee, 1986. 75
19. Ibid. 49-50
20. Sarkar, 2017. 367
21. Bhattacharya,2003.66
22. Bhattacharya, 2003. 55
23. Ibid. 91
24. Bose, 2017. 20
25. Chatterjee, 1882. 146-148
26. Ibid.
27. Chatterjee, 1986. 50
28. The understanding has been corroborated by Partha Chatterjee (1986, 79).
29. Bhattacharya, 2003. 23
30. Bhattacharya, 2003. 94
31. Ibid.
32. Bandyopadhyay, 2009. xxi
33. The concept was enunciated by Dipesh Chakrabarty (2000) and Partha Chatterjee (1986, 1993).
34. Bandyopadhyay, 2009. xx
35. Tagore in conversation with Mulk Raj Anand, 1928. 7-14
36. Bandyopadhyay, 2009. xix

Perspective of Agricultural Inputs in India

Dr. Sandeep Kumar Poswal
Associate Professor, Department of Economics,
B.S.M (P.G) College Roorkee

Abstract

The condition of agricultural inputs in Indian agricultural system has had been a prime concern. Indian cultivators face challenges in accessing quality inputs such as: limited access to high yielding and disease resistant varieties of seeds, inadequate supply of good quality and subsidized fertilizers, leading to black marketing, inefficient water management system and inadequate water supply.

Moreover limited access to institutional credit that forces the farmers to rely on in local and informal sources and limited adoption of modern technologies such as precision farming and drones have made the things worsen. Improving the availability and quality of agricultural inputs is crucial to enhancing productivity and competitiveness in Indian farming system.

Agricultural Productivity

This set of doubts has consequences, leading to a history of underperformance and increasing input prices. Our agricultural yields per hectare are in the midst of the lowest in the world—for chickpeas, the uppermost yield in India is recorded in Andhra Pradesh at 1,439 kg; this is lower than that set up in Ethiopia at 1,663 kg. Tamil Nadu produces 5,372 kg of maize per hectare, whereas the United States (US) produces 8,858 kg; Punjab produces 3,952 kg of rice per hectare, China is almost double at 6,661 kg. Yields in India are ~3 tonnes/hectare, compared to a global average of 4 tonnes/hectare. While yield gains were considerable from the 70's to the 80's, yield per hectare, crosswise major crops, has essentially stagnated over the last couple of decade period of agricultural planning in India.

Even between states there remnants a significant disparity in crop yields, e.g. differ excruciatingly between rainfall-rich states like Punjab and West Bengal.

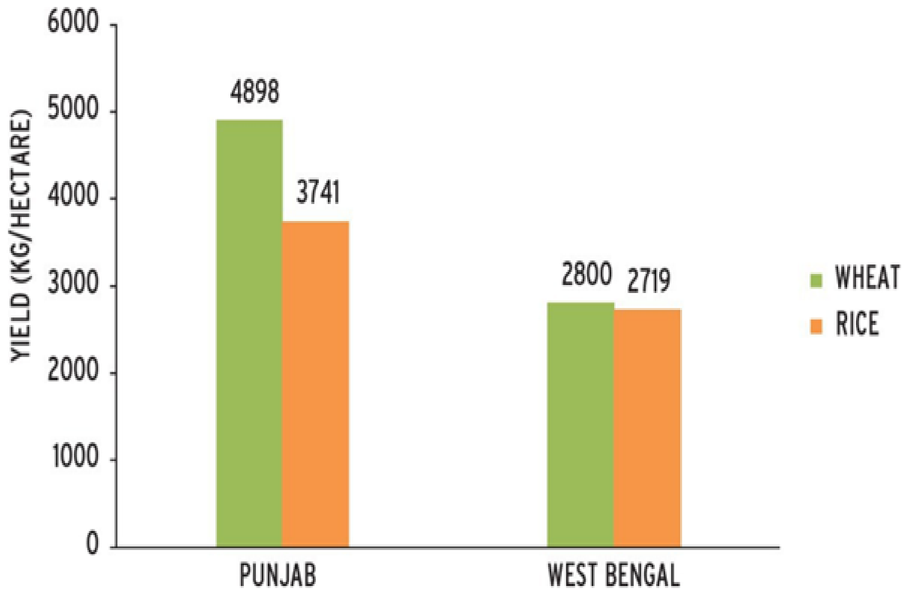

Agricultural Equipments

Incomplete mechanization is also a significant factor in keeping Indian agricultural yields low, but the reasons for this deficit vary. Ramesh Meena, hailing from a rural adivasi tribe in Jhabua district of Madhya Pradesh, knits his brow when asked about mechanization. His only familiarity of it has been one of leasing a tractor for a cropping season this year, for the generous sum of Rupees 300. It certainly did reduce tilling and weeding time, helping him adjust rapidly to variable showers this monsoon. Beyond that, he does not care for the variety of equipment at the local custom hiring centre (CHC). The Gods favour us when they will, he says, and our monster force and draught animals should be adequate for ploughing.

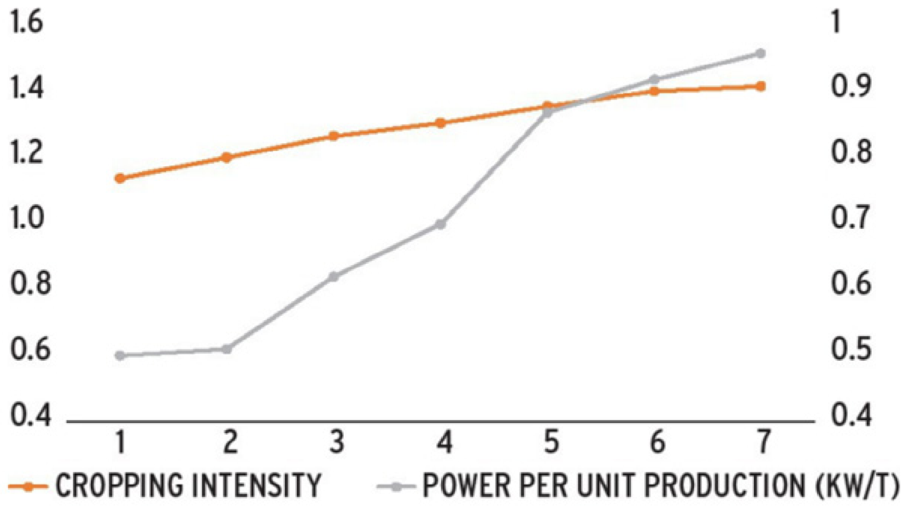

India bought 747,826 units of farm equipment, worth $6.37 billion, in 2014, buying tractors, rotavators, seeds drills, threshers, power tillers, combine harvesters and rice transplanters. India's home supply is provided by around 250 medium- to large-scale units, 2,500 smallscale units, 15,000 tiny industries and over 100,000 village-level small artisans. This is supported by a network of R&D and academic institutions (e.g. All India Coordinated Research Project on Spices, AICRPS).

ITEM	NO. OF UNITS SOLD IN INDIA IN FY14
TRACTORS	600,000–700,0001
MB PLOW	45,000–50,000
CULTIVATORS	150,000–200,000
SEED-FERTILIZER DRILLS	60,000–75,000
RICE TRANSPLANTERS	2,000–3,000
REAPERS	10,000–15,000
COMBINE HARVESTERS	3,500–4,000
SPRAYERS (TD)	10,000–15,000
POTATO DIGGERS	25,000–30,000
POWER TILLERS	50,000–60,000
ROTAVATORS	100,000–120,000
HARROWS	120,000–150,000
PLANTERS	15,000–25,000
POWER WEEDERS	35,000–40,000
THRESHERS	60,000–75,000
TRAILERS	150,000–175,000
LASER LAND LEVELLERS	2,500–3,500
ROTARY HOES/POWER WEEDERS	20,000–25,000

Nevertheless, mechanization has a long way to go—China bought 4,213,212 units of farm tools, worth $58.87 billion, in 2014, while exporting $9.38 billion worth of farming equipment. China has attained significant mechanization—ploughing is now 76 per cent mechanized while harvesting is 47 per cent mechanized. Canada has mechanized 95 per cent of all agricultural activities, while Canadian farmers buy agricultural equipment worth $2 billion, with an average of 19,000 tractors, 3,500 swathers and 4,000 grain combines, in spite of having just 2 per cent of its to population being deployed in agriculture out of 35 million of total population.

Government Support

India's farming policy provides limited support to such practices. The Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), launched in 2007–08, wanted to provide assistance for establishing CHCs. The task for Integrated Development of Horticulture (MIDH), a scheme focusing on the on the whole growth of the horticulture sector, seeks horticulture mechanization by providing help for procurement of poweroperated machines and imports beside with a 40 per cent subsidy to grower associations and farmer groups busy in horticulture. The Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM), piece of the National Mission on farming Extension and Technology, has sought to increase the attain of farm mechanization to small and marginal

farmers, while 'promoting custom hiring centres and monetary incentives to offset the adverse economies of scale associated by the high cost of individual ownership and tiny landholding sizes'. It has sought to do this by creating hubs for hitech farm tools ownership, designating testing centres for performance testing and certification, and ensuring awareness amongst farmers through demonstration through attractive projects and capacity-building activities.

India's Seed Policies

The significance of seeds was historically reflected in India's agricultural policy. The Famine Commission report (1871) resulted in the organization of the Indian Agricultural Research Institute in Pusa, Bihar, along with six other colleges between 1905 and 1907. Sutton & Sons, the first private seed company in India, was set up in 1912 in Calcutta, while the Royal Commission on Agriculture (1925) sought to introduce and spread enhanced crop practices through extensive commercialization.

The draft Seed Bill (2004) wanted to register all seeds for sale on their value of cultivation, while setting up a Central Seed Committee (in line with the National Seed Board and as advocated by the National Seed Policy, 2002) to set up minimum standards for seeds, along with harm detection. In the light of genetically modified (GM crops) concerns, it also advocated compulsory testing of all transgenic crop varieties under the AICCIP to settle on their agronomic value and environmental impact, along with post-release presentation monitoring for three to five years by the Ministry of Agriculture. It also sought to appoint seed inspectors, while establishing plant quarantine procedures linked with imported seeds. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act was also established to defend the rights of breeders and cultivators, thereby promoting innovation.

Seed Quality And Hybrids -

Seed quality leftovers a consistent worry. Public institutions have focused on open pollinated seed varieties, while the private sector has paying attention on meeting hybrid and transgenic seed demand. Current quality necessities are typically met only to 20 per cent of the demand, with cultivators meeting the balance through their own saved seeds with incomplete quality standards. The usage of such generic varieties can result in important loss of crop productivity. India's seed/cultivar replacement rate (SRR, per cent of area sown out of the total crop area that uses specialized quality seeds instead of saved seeds) remains around 25 per cent for self-pollinated crops (jumping from 10 per cent in the '90s). The average SRR rate for staple

crops like wheat (18.37 per cent), paddy (21.70 per cent), maize (33.77 per cent) and soya bean (24.16 per cent) remains quite low. Pulses, having seen the development few pioneering hybrid seeds have, are at the bottom of the scale (peanut – 9.6 per cent, chickpea – 8.76 per cent, etc.).

ALL-INDIA SEED REPLACEMENT RATE (%) OF MAJOR CROPS									
CROPS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	AVERAGE
WHEAT	13.04	13	13	16.48	17.64	21.76	25.23	26.84	18.37
PADDY	19.22	19.31	19.16	16.27	21.33	22.41	25.87	30.05	21.70
MAIZE	20.98	21.35	24.41	31.5	35.39	43.78	44.24	48.48	33.77
JOWAR	18.36	18.78	26.71	19.28	19.03	19.37	19.87	26.16	20.95
BAJRA	45.92	48.47	51.02	44.9	55.36	55.1	48.47	62.92	51.52
CHICKPEA	4.17	4.23	7.09	9.87	9.41	9.04	11.9	14.38	8.76
URDBEAN	16.55	17.06	20.48	17.24	15.7	13.65	23.89	26.31	18.86
ARHAR	8.71	8.84	13.6	9.8	10.48	11.56	16.05	16.02	11.88
PEANUT	5.2	5.5	11	7.11	6.89	9.79	14.29	17.04	9.60
RSM	38.39	44.64	66.96	58.48	55.36	60.71	58.62	52.67	54.48
SOYABEAN	12.44	12.45	15.58	27	28.88	28.4	33.39	35.12	24.16
SUNFLOWER	13.73	15.69	19.61	60.15	67.67	66.92	62.88	43.64	43.79
COTTON	21.21	21.86	19.84	20.73	21.78	19.84	15.3	12.07	19.08

Nitrogen fixation has been a project or policy mandate for Independent India. A recommended NPK ratio of 4:2:1, now considered standard across the land, was first established in the early '50s, from field trials . This ratio remains fixed now—ignoring soil content changes over the periods of time. It also ignores two significant factors—that farmers continued to apply farm yard manure on native soils rich in potassium and phosphorus content and that this ratio was pertinent primarily for red and lateritic soils, which required phosphorus and potassium fertilizers. The ratio of NPK should ideally differ for different types of soils (NAAS 2009). Fertilizer norms should perfectly be dependent on cropping patterns, soil characteristics, and crop yield and water availability. Field trials that were conducted in the '80s tinted that phosphorus-rich fertilizers also provided a similar boost to yield for rice crops, while wheat crops showcased a far greater yield increase with phosphorus than with nitrogen-rich fertilizers.

YEAR	NITROGEN %	PHOSPHORUS %	POTASSIUM %
1973-74	64	23	13
1983-84	68	22	10
1993-94	71	22	7
2003-04	67	25	9
2013-14	69	23	8

Crop Protection

Crop protection is a significant challenge in Indian farming arena. pests, diease, and weeds cause substantial crop losses, affecting farmers livelihoods. To address this, the Indian government has implemented and inducted various initiatives including: Integrated Pest Management Programs (IPMP), distribution of disease- resistant crop varieties, promotion of organic farming practices and establishment of plant protection services. Despite all these efforts, crop protection remains a major concern for Indian policy makers and ongoing research and development are needed to stay ahead of emerging threats in the field of plant protection. In 2016, the fear of the whitefly pest led farmers to cut down cotton cultivation in Punjab, with the region under cotton crop shrinking to 2.56 lakh hectares, compared to 4.5 lakh hectares in 2015 (a drop of 43.11 per cent; the lowest cultivated area since 1955–56) and cotton output falling to 9 lakh bales, from 12 lakh bales in 2015. With whitefly instances observed in Mansa and Bathinda districts, farmers substituted paddy instead.

CROP	1940		AT PRESENT	
	TOTAL NO. OF PESTS	NO. OF SERIOUS PESTS	TOTAL NO. OF PESTS	NO. OF SERIOUS PESTS
RICE	35	10	240	17
WHEAT	20	2	100	19
SUGAR CANE	28	2	240	43
GROUNDNUT	10	4	100	12
MUSTARD	10	4	38	12
PULSES	35	6	250	34

Policymaking for Crop Protection

India's agricultural policy has been mindful of pesticide usage. The manufacture, sale, allotment of pesticides is governed by the Insecticides Bill, 1968 and Insecticide Rules, 1971, largely known as the Insecticides (Amendment) Act, 2000. Pesticide testing is a thorough process, with forty-nine State Pesticide Testing Laboratories (SPTLs) located in twenty states

and two local Pesticide Testing Laboratories (RPTLs) to bolster resources for SPTL and catering to states without any SPTL. The Pesticide Management Bill, 2008 propagating the improved and safe use of pesticides including manufacturing, examination, testing and sharing, and replace the Insecticide Act, 1968 still awaits endorsement. The Bill aims to ensure availability of quality pesticides, and minimizing the pollution of agricultural commodities with pesticide residue. It also heralds a change in terms of types of substances covered, extending it to cover any matter of biological or chemical origin used to control pest proliferation. Inspection and testing would enable classification of pesticides—be it being misbranded, substandard or spurious (including imitations, expired and unregistered pesticides). The tolerance limit prescribed would have to be in line with the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSSA, 2006). Even for vermin, the Government of India passed a comprehensive act in as early as 1914, the negative Insects and Pests (DIP) Act to regulate the import of any article into India likely to carry any pest that may be destructive to any crop. The DIP act complements with the Livestock Importation Act (LI Act), 1898 and the Prevention and manage of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (PCDA Act), but with many players crabby about the ineffectiveness of these Acts, a modification to the DIP has been proposed, which involves establishing the Agricultural Bio-security Authority of India (ABAI) to protect plants, animals and related products from pests and diseases to ensure agricultural bio-security, in line with the recommendation of the National Commission on Farmers, 2007. The ABAI, proposed to function as an integrated national authority covering plant, animal and marine health with respect to bio-security matters will be helpful to regulate bio-security intra and interstate. This also calls for greater state participation and a member from each state in the ABAI can be looked at (as recommended by the Standing Committee), besides cost revival for action taken in controlled areas from the state exchequer.

References

1. Kumar, A., Singh, J.K., Mohan, D., Varghese, M. (2008). Farm hand tools injuries: A case study from northern India. Safety Science 46 (2008) 54–65
2. Clarke, L. J. and Bishop C. (2002). Farm Power — Present and Future Availability in Developing Countries. ASAE Annual International Meeting/CIGR World Congress, 30 July 2002, Chicago.
3. Singh, G. 2005. Agricultural Machinery Industry in India (Manufacturing, marketing and mechanization promotion), Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE), Bhopal, India, 2005.
4. ILO. (2000). Safety and Health in Agriculture. Geneva, Switzerland: International Labour Office. [On-line] Available at: www.ilo.org/public/english/protection/safework/agriculture/brochure/english/agr icult_e.pdf. Accessed 27 March 2009.
5. Yiha, O. and Kumie, A. 2010. Assessment of occupational injuries in Tendaho Agricultural Development S.C, Afar Regional State, Ethiop. J. Health Dev., Addis Ababa, Ethiopia, 2010.

6. Shrestha, S. 2008, Current Status of Agricultural Mechanization and its' Needs and Prospects in Nepal. Proceedings of National Workshop on Policy Issues and Need for Agricultural Mechanization in Nepal" 2008 Kathmandu

7. GoI (Government of India) (2013) Agricultural Statistics at a Glance, Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, New Delhi

8. Qaim, M., Subramanian, A., Naik, G. and Zilberman, D. (2006) Adoption of Bt cotton and impact variability: Insights from India. Review of Agricultural Economics, 28 (1): 48–58

9. Swaminathan, M. (1991) Segmentation, collateral undervaluation, and the rate of interest in agrarian credit markets: Some evidence from two villages in south India. Cambridge Journal of Economics, 15 (2): 161–178

10. Venkatesh, P. and Pal, S. (2014) Impact of plant variety protection on Indian seed industry. Agricultural Economics Research Review, 27(1): 91–102

11. Venugopal, P. (2004) State of the Indian farmer — A millennium study. Input Management Series, Vol. 8. Academic Foundation, New Delhi.

12. Zaidi, A. (2005) Seeds of despair Frontline Vol.22. Issue 16

13. Ramamoorthy, K., Sivasubramaniam, K. and Kannan, A. (2006) Seed legislation in India Eds. Published by Agrobios

14. Bennett, R., Kambhampati, U., Morse, S., & Ismael, Y. (2006). Farm-level economic performance of genetically modified cotton in Maharashtra, India. Review of Agricultural Economics, 28(1), 59–71.

15. Gunvant M. Desai, "Impact of the New Rice Technolopy on Fertilizer Consumption", in Economic Consequences of the Development and Diffusion of Modern Rice Varietie, International Rice Research Institute, Los Banos, Phihppines, 1979 b.

Mahatma Gandhi views on Sociology of Education on India

Vipul Dwivedi
Senior Research Fellow,
Department of Sociology,
Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Kanpur, Uttar Pradesh

Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. The person who changed the fate of humanity. To portray Gandhi's greatness in words is a difficult affair. But I remember Albert Einstein did this as-"Generations to come, it may well be, will scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this Earth." (Einstein, 1944)

His identity felt between "Messiah" and "Naked Fakir.". Everyone in India is familiar with the chronological history of the emergence of Gandhi and his life. But there exist certain series of actions and events that turn a person to the level of God for the masses. Let's start from the saddest chapter of 'Stabbed Colonization to Indian Masses.'

The context which led to the emergence of Gandhi is hidden in sheer loot, extreme exploitation, and mass suffering of a great civilization whose pain, spilled blood after murder, was beautifully portrayed by Her Greatness' historian, James Mill.

In his book "British History of India" James Mill set out to attack the history, character, religion, literature, arts, and laws of India. Mill goes on to encompass singularly harsh attacks on Hindu customs and a "backward" culture, which he claims to be notable only for superstition, ignorance, and the mistreatment of women. He took Indian culture as "savage and particularly brutish." Mill (1817)

{Despite the fact that Mill had never been to India, his work had a profound effect on the British imperial system of governing the country, as did his later official connection with India. Mill's work is the single most important source of British Indophobia and hostility to Orientalism. Mill wrote "under the glossing exterior of the Hindu, lies a general disposition to deceit and perfidy." Mill (1817)

The same insincerity, mendacity, and perfidy; the same indifference to the feelings of others; the same prostitution and venality" were the conspicuous characteristics of both the Hindoos

and the Muslims. Hindoos almost always penurious and ascetic; and "in truth, the Hindoo like the eunuch, excels in the qualities of a slave". The Hindoos were "dissembling, treacherous, mendacious, to an excess which surpasses even the usual measure of uncultivated society". Both the Chinese and the Hindoos were "disposed to excessive exaggeration with regard to everything relating to themselves". Both were "cowardly and unfeeling". Both were "in the highest degree conceited of themselves, and full of affected contempt for others". And, above all, both were "in physical sense, disgustingly unclean in their persons and houses."}

While another famous Her Highness' politician turned historian, Thomas Babington Macaulay, who is a shameful blot, father of English education in India, developed and designed an unfortunate plan to destroy Indian civilization to its very root.

In his view, he supported English as the official language, the use of English as the medium of instruction in all schools, and the training of English-speaking Indians as teachers. On the flip side, this led to Macaulayism in India and the systematic wiping out of traditional and ancient Indian education and vocational systems and sciences.

He divided the world into civilized nations and barbarism, with Britain representing the high point of civilization. He believed that "all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgement used at preparatory schools in England". Macaulay (1835)

He wanted to reform secondary education on utilitarian lines to deliver "useful learning." He argued that existing Sanskrit and Persian texts were of little use for 'useful learning'. He even mentioned that he personally had no knowledge of either Sanskrit or Arabic. He only has information from these language-speaking persons in Britain. He mentioned that he had never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.

Hence, he decided that from the sixth year of schooling onwards, instruction should be in European learning, with English as the medium of instruction. This would create a class of anglicized Indians who were a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect, and work as interpreters for colonizers.

In response to this, many intellectuals heavily criticized this mindset, like Edward Said, who wrote about Orientalism as it is the exaggeration of difference and the pivotal source of the inaccurate cultural representations that form the foundations of Western thought and perception of the Eastern world. The principal characteristic of Orientalism is a "subtle and persistent Eurocentric prejudice against Eastern-Arab peoples and their culture". Said (1978)

While Ashis Nandy in Intimate Enemy says colonialism does not end when the colonists are finally forced out. The "hidden message of colonialism" is that "what others can do to you, you also can do to your own kind." Nandy (1983). In the deep emotional compact that is colonialism, native elites learn to play by the rules of the hegemon's game—the game known today as "development."

Gandhi was well aware of this idea that wounded our consciousness and legitimized itself as a civilizing mission. He was ahead of time to think this. In order to save India with this idea after the postcolonial world. He revolutionized and developed the spirit of decolonization.

He had originally gone to South Africa. There he took up various grievances on behalf of the Indian community and gradually found himself first as their advocate on civil rights issues and finally as their leader in a political movement against racial discrimination and for South African Indian rights. His methods were unusual. He launched a struggle against the authorities that, in keeping with his strict Hindu beliefs, was based on a strict adherence to non-violence. This meant that it consisted of passive resistance—the peaceful violation of certain laws, the courting of collective arrests (he urged his followers to fill the jails), non-cooperation with the authorities, boycotts, and spectacular marches. These methods were later to be perfected back in India in the fight for independence from the British Empire.

His rejection of 'modern' or Western civilization was all-encompassing. He described it as the 'Kingdom of Satan' polluting everyone it touched. Modernization in the form of industrialization, machinery, parliamentary government, the growth of the British Empire, and all the things that most people regarded as progress, Gandhi rejected. In opposition to modern civilization, he counterposed ancient Indian civilization with its perceived emphasis on village communities that were self-sufficient and self-governing. He was concerned with the stranglehold that Western civilization had over India. The materialistic values that the British Raj imposed on India had to be countered by the spirituality of Ancient India. Time and time again throughout his life he would return to this theme of the need to revert to what he called their 'own glorious civilization,' which was far superior to anything modern society could offer.

It is interesting to see that throughout his writings on the autonomous, self-sufficient village communities, we see echoes of the anarchist lifestyles proposed by such writers as Tolstoy or Thoreau in the nineteenth century.

He became so opposed to English education that he could write about 'the rottenness of this education' and that 'to give millions a knowledge of English is to enslave them… that, by receiving English education, we have enslaved the nation.'. Later in his life he declared that 'real freedom will come only when we free ourselves of the domination of Western education,

Western culture, and the Western way of living, which have been ingrained in us... Emancipation from this culture would mean real freedom for us.'.

Gandhiji has himself explained - "By education I mean all-round drawing out of the best in child's and man's body, mind and spirit. Literacy is neither the beginning nor the end of education. This is only a means through which man or woman can be educated." Gandhi (n.d.)

His basic principles of education include:

1. From seven to fourteen years of age, education of each child should be free, compulsory, and universal.
2. The medium of instruction should be the mother tongue.
3. Mere literacy cannot be equated with education. Education should employ some craft as a medium of education so that the child gains economic self-reliance for his life.
4. Should develop human values in the child.
5. Education should create useful, responsible, and dynamic citizens. By education, all the hidden powers of a child should develop according to the community of which he is an integral part.
6. Education should achieve the harmonious development of a child's body, mind, heart, and soul.
7. All education should be imparted through some productive craft or industry, and a useful correlation should be established with that industry. The industry should be such that the child is able to achieve gainful work experience through practical work.
8. Education should be made self-supporting through some productive work. Education should lead to economic independence and self-reliance for livelihood.

Similarly, he emphasized the importance of the following in his method of teaching to achieve mental development: the role of writing over reading, the training of senses, Learning by doing, by experience, and correlation between methods should be focused.

The real difficulty is that people have no idea of what education truly is. We assess the value of education in the same manner as we assess the value of land or of shares in the stock exchange market. We want to provide only such education as would enable the student to earn more. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated.

The girls, we say, do not have to earn, so why should they be educated? As long as such ideas persist, there is no hope of our ever knowing the true value of education. (M. K. Gandhi True Education on the NCTE site)

Education implied a radical restructuring of the sociology of school knowledge in India, where handicraft production was linked with specific castes, basically untouchables and the lowest in the social hierarchy. Gandhi tried to break the rigidity of the caste system too. With this way, education can be reached by all substrata of society, which was previously under the monopoly of upper castes only. He was also of the opinion that manual work should not be seen as inferior to mental work. He emphasized idealizing the work of craftsmen and laborers as an ideal model for the 'good life.'.

As Krishna Kumar said 'no one rejected colonial education as sharply and as completely as Gandhi did, nor did anyone else put forward an alternative as radical as the one he proposed'. Kumar (1991)

He wants schools to be self-supporting. There were two reasons for this. Firstly, a poor society such as India simply could not afford to provide education for all children unless the schools could generate resources from within. Secondly, the more financially independent the schools were, the more politically independent they could be. school's daily curriculum is consistent with the libertarian principles that he shared with Tolstoy. Gandhi wanted to free the Indian teacher from interference from outside, particularly government or state bureaucracy. 'the living word of the teacher has very little value. A teacher who teaches from textbooks does not impart originality to his pupils'. Kumar (1991)

He wants freedom for teachers in matters of curriculum. It denied the state the power to decide what teachers taught and what they did in the classroom. It gave autonomy to the teacher, but it was, above all, a libertarian approach to schooling that transferred power from the state to the village. A teacher who establishes rapport with the taught becomes one with them, learns more from them than he teaches them. He who learns nothing from his disciples is, in my opinion, worthless. Whenever I talk with someone, I learn from him. I take from him more than I give him. In this way, a true teacher regards himself as a student of his students. If you will teach your pupils with this attitude, you will benefit much from them.

References

Einstein, A. (1944). Message on Mahatma Gandhi's 75th birthday.

Mill, J. (1817). The History of British India (3 Vols.). London: Baldwin, Cradock, and Joy.

Macaulay, T. B. (1835). Minute on Indian Education.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

Nandy, A. (1983). The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism. Delhi: Oxford University Press.

Gandhi, M. (n.d.). The Story of My Experiments with Truth.

Gandhi, M. (n.d.). The Story of My Experiments with Truth. Retrieved from https://www.mkgandhi.org/

Kumar, K. (1991). Political Agenda of Education: A Study of Colonialist and Nationalist Ideas. New Delhi: Sage Publications

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

The Need of Spirituality in the Current Education System

Dr. Neeraj Kumar
Assistant Professor
Department of Education, Anugrah Memorial College, Gaya

Abstract

Education is the process of development. It develops good conduct among the students and ultimately brings perfection. It instills in the child a sense of maturity and responsibility by bringing in him the desired changes according to his needs and demands of ever changing society of which he is an integral part. Unfortunately our present education system is not able to develop the latent potentialities of man. It has ignored the development of spirit. The need of the hour is to reconstruct the educational super structure giving it a strong foundation of spiritual education. It has been found that a high spiritual quotient leads to improved functioning of emotional and cognitive domains which is helpful for the will being of the individual as well as of the society. There are basic five components of spiritual Education-Moral Character, Belief in Karma Theory, Surrender to God, Meditation and Inner Peace. Among these Meditation is the most important factor. It involves the concentration of mind away from stress producing factors. Both the parents and the teachers, play an important role in inculcating spiritual values.

Introduction :-

Education is the process of development. It develops good conduct among the students and ultimately bring perfection. It instills in the child a sense of maturity and responsibility by bringing in him the desired changes according to his needs and demands of ever changing society of which he is an integral part. It bestows immense benefits upon a person. A well educated person is known all over the region. He is able to meet the conflicting challenges. He tides over all the difficulties which confront him in day to day living. It is only through education that moral ideals and spiritual values, as aspiration of the nation and its cultural heritage is transferred from one generation to another for preservation, purification and sublimation into higher and achievements.

Unfortunately our present education system is not able to develop the latent potentialities

of man. It has ignored the development of spirit. The need of the hour is to reconstruct the educational super structure giving it a strong foundation of spiritual education. It has been found that a high spiritual quotient leads to improved functioning of emotional and cognitive domains which is helping for the well being of the individual as well as of the society . Education and spirituality are the action of the practice to contemplate the reality of life. Aldous Huxley has rightly stated- "The aim and purpose of human life is the unitive knowledge of God. Among the indispensable means to that end is right conduct and by the degree and kind of virtue achieved to degree of knowledge may be assessed and its quality evaluated."

Our Indian philosophers also laid emphasis on the development of the divine powers. In the words of Vivekanand-

"Education is the manifestation of divine perfection already existed in man."

In ancient time our ancestors propounded the philosophy of Pursharthas. It is a combination of two word- Purushartha=Purusha+Artha.

'Purusha' means Human being and 'Artha' means the objectives. Purusharthas served as pointers in the life of a human being. If life is considered as one whole then there is one whole then there is one master science of life which recognizes its four supreme goals i.e. Pursharthas; which are following:-

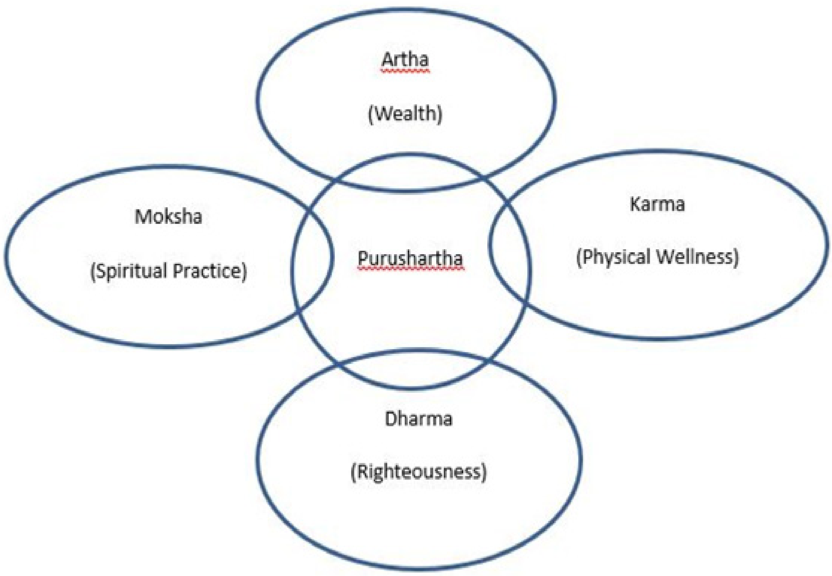

In Hindu Mythology each individual was expected to achieve these four objectives in life with detachment , without any expectation and as a sacrificial offering to God in the ritual of human life. They were pursued selflessly for a higher and greater cause. The aim of ancient Indian education was make the student fit to become a useful member of the society. Inculcating the civic and social duties among the students was also a part of education system.

HUMAN STRUCTURE: It is important to know the human structure, before we lay stress on spiritual education Bhartiya Darshan has contributed a profound analysis of human personality which is of great interest to Education and modern Psychology . Its diagrammatic presentation is as following:-

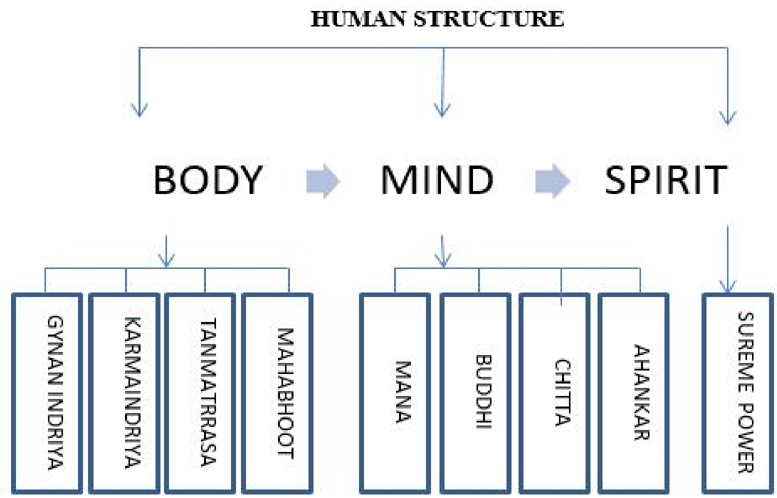

Human being is three tier system of Body, mind and spirit. They are inter-related and inter dependent. For human existence we cannot ignore any one of them. For a complete personality we have to develop all the three faculties. The Indian vision provides not only for a harmony of the three models of adjustment of life but also orders them into a hierarchy so that one become inclusive of the other .Thus the path of action, emotion and contemplation are not parallel and mutually substitutive. They form instead a pyramid, the lowest sustaining the higher and including the lower as a necessary preparatory stage. This pyramid hierarchy of modes of adjustment is represented in the following figure-

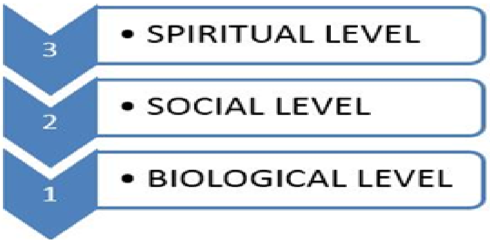

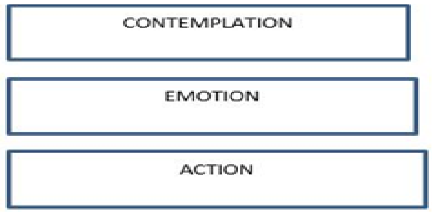

This means that for proper growth the human personality must begin with right action. This takes care of the body which is the instrument of all achievement and striving. Inculcating of right action does not automatically guarantee right emotional relations and the highest form of contemplation. But it is a base on which alone the higher two stages can be built. At the emotional level correct relations with the various orders of beings in the external world are to be established. This cannot be done without the first stage having been satisfactory perfected. Finally the contemplative stage brings the unitive knowledge of life and its source and implies the perfection of the two stage. This hierarchical order of paths of attainment has educational implications regardless of time and place except that all striving towards perfection must be determined by the stage of one's evolution.

In present education system full attention has been given to our body and mind. For our bodily comforts the scientist has controlled the temperature distances and diseases. We care so much for our body that before the birth of a baby, we start caring for him in a mother's womb. We provide our children each every comfort for body development. We use health and medical therapies for beautiful, healthy and long life. In the same way of mental development we send our children to schools and universities. But have we ever thought of our spirit which is residing in the very core of our hearts? Whenever we do nay wrong doing but don't take it seriously. We work harder and harder but never get satisfaction. The sole reason behind this is the ignorance of our spirit. Now the time has come when our educationist and philosophers have stated giving attention towards it. Keeping this in view many educational institutions and universities have started adding spiritual education in the curriculum.

Meaning of spiritual Education:-

Spiritual Education means to live the infinite and eternal, to throw one self outside all creations beyond time and space. To become fully aware of your psychic being and to live a psychic life. We can define it in the following words-

"Spirituality is the light of all lights, foundation of all cognitions and the only ultimate reality. It is the supreme power. It regulates our body and mind"

Components of spiritual Education:-

There are basic five components of spiritual education through which we can awake our spiritual power-

1. Moral Character
2. Belief in Karma Theory
2. Surrender to God
4. Meditation
3. Inner peace

1. Moral Character:-

It involves living a life in such a way that our consciousness remains centered in our soul while we are attending to our worldly duties and responsibilities. We must develop ethical living. For this we must develop the values of truthfulness, purity, humility, selflessness and nonviolence.

2. Belief in Karma Theory:-

It implies the belief in rebirth. It holds that a man is responsible for his deeds. It introduces the principle of causation in the moral world. According to it our actions are responsible for our good or bad fortune. It states the principle- "As we sow, so shall we reap."

3. Surrender to God:-

It means that whatever we have, we must be satisfied. We should have no more desires. We should accept the things as the will of the supreme power. Nothing should shake one's faith in God. We must accept the God as the doer in our life.

4. Meditation:-

It is most important component. It involves the concentration of mind away from stress producing factors. Words and actions are manifestation of our thoughts generated by our mind.

In this never ending cycle, thoughts leads to action, action leads to habit and habit determines further thoughts. We can explain it by an example- If it water coming from the tap is conscious mind then water in the pipe line is sub conscious mind and water in the thank is unconscious mind. So to get clean water we must clean tank instead of tucking a filter at the mouth of a tap. In the same way if we want clean thought, we have to control our desires. The source of desires is our mind. Thought meditation we can control our mind.

Role of Teacher and Parents in Spiritual Education-

The parent, the teachers, the elders and the authorities should then start learning these spiritual values, practicing them first, only then can impart these values to their wards. We have to practice what we preach. It is said-Say what you mean and mean what you say. It is easier to bend a small plant than a large tree. The child can be moulded adopting simple means with love. But the elders have deep rooted ideals, prejudices, hatred and greed etc, that is needed a very difficult task to change them. Nevertheless, we should start from the higher level and work on any downwards.

Teachers are also very important because the children spends most of their waking hours with the teachers than their parents . It is also very revealing factor that children once attracted by the teacher believe very firmly that what his teacher says is the gospels truth. He simply says- "My teacher said so, hence it must be correct." This proves that the teacher should be vigilant and alert to what they do in the school premises. Their behavior should match with outside school. Children being very intuitive are able to detect even slight differences in the behavior of the teacher.

The circumstances, the problems at home and work place, illness, financial problem, do not permit us to behave as we ought to behave. After saying rude words or fighting with other we regret our behavior but at that moment the opportunity was not utilized. How can we correct ourselves? The simple formula of this is to regulate our mind. All problems, corruptions or ill health originate in mind. By continued thinking, impressions are formed in the mind. Meditation purifies the mind and remove those impression. By continuous practice of meditation and cleaning our behavior, we can purify the mind and avoid forming of bad impressions.

All agree the fact that though modern scientific temperament one can play a powerful game with external environment and may have materialistic advancement. But still he cannot enjoy the real happiness. The reason behind this is that our sensory experiences can only give us

partial joy but for complete joy and satisfaction we need Spiritual Education. We know today's children are tomorrow's citizens, if we give complete education to the present day children, the future of the next generation will be bright.

References

1. Radha Krishan, S. (1997), Indian Philosophy , Vol. 1 , Delhi , Oxford University Press.
2. Rao , V.K. (2010), Education system, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
3. Prachi Journal of Psycho-Cultural Dimensions Vol. 26 , Oct 2010 , Published by Prachi Psycho-cultural Research Association, Meerut.

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

A Comparative Study of Vividh Bharti Programmes and Radio Mirchi Programmes Among Youth: Special Context to Haldwani City

Harshvardhan Pande
Research Scholar
Kumaun University, Nainital, Uttarakhand

Abstract

This research paper examines the impact and popularity of two prominent radio stations Vividh Bharti and Radio Mirchi among the youth of Haldwani city. Vividh Bharti a government-run radio station has a long-standing legacy and plays a diverse mix of content. In contrast Radio Mirchi, a commercial radio station, is known for its vibrant and youthful energy, engaging listeners with contemporary music and entertainment.

This study investigates how these radio stations influence youth culture, preferences and listening habits in Haldwani, analyzing factors like content preferences, engagement and the social role of radio in the digital age. The comparative study of Vividh Bharti and Radio Mirchi programmes among youth, specifically in the context of Haldwani city would involve analyzing several factors. This includes understanding their popularity, content, audience engagement and cultural impact on the youth of the city.

Key Words : Vividh Bharti, Radio Mirchi, Youth, Programmes.

1. Introduction

Radio has long been a source of entertainment, education and information especially in India. With the evolution of broadcasting technology, the Indian radio landscape has diversified, bringing in a range of channels catering to different audiences. Vividh Bharti which was launched by All India Radio (AIR) remains one of the oldest and most popular programs, while Radio Mirchi a leading private radio network focuses on modern-day youth preferences. This study compares the influence of both Vividh Bharti and Radio Mirchi on the youth of Haldwani a city in Uttarakhand which has a growing young population.

Vividh Bharti A government-run, national radio station that primarily plays Hindi film music as well as news, entertainment and cultural programs. It has a long history, dating back to the 1950s and its programming is known for its traditional and classical content offering a mix of music, drama, and storytelling.

Radio Mirchi A private FM radio station that is part of the ENIL (Entertainment Network India Ltd.). It is known for its modern, energetic, and youthful content, including music, talk shows, celebrity gossip and interactive programs. It targets a younger audience with a contemporary approach to music and entertainment.

Literature Review

Radio in India has evolved significantly since its inception in 1927, providing a blend of cultural, educational, and entertainment content. Vividh Bharti, being one of the oldest stations, has focused on a wide variety of programs, including music, drama, and news. It has a loyal listener base, especially among older generations, though its content has evolved over time to cater to younger audiences.The rise of private radio stations such as Radio Mirchi has marked a significant shift in Indian radio. These stations focus on youth-centric content, including modern music, celebrity interviews and interactive programs. Research indicates that younger audiences tend to gravitate towards commercial radio for its lively and fast-paced content.

(Ghosh, 2014) Vividh Bharti launched in 1957 by All India Radio (AIR) has been a cornerstone of Indian radio programming. Initially aimed at providing entertainment, news and cultural content it became a prominent source of radio entertainment during the pre-television era.

(Chakravarty, 2001)With a format that includes music, comedy, drama and discussions Vividh Bharti became deeply embedded in the cultural fabric of India.

(Kumar, 2012) In contrast Radio Mirchi represented the rise of private FM radio stations in India. Known for its energetic format, celebrity-driven content and contemporary music Radio Mirchi quickly appealed to a younger audience particularly with its youth-centric shows and interactive style.

Gupta (2016) suggests that Vividh Bharti's influence among youth has been declining due to the station's conservative content and lack of modern engagement techniques.

A comparative study by Rajput (2018) explored the differences in youth preferences for traditional and modern radio. The study found that while Vividh Bharti was still popular

among older audiences for its classic content, youth audiences overwhelmingly preferred the more dynamic and contemporary offerings of Radio Mirchi.

Bhatia (2017) highlighted that Radio Mirchi, with its diverse programming, has the power to influence youth behavior, fashion and trends.

According to Soni (2017) Radio Mirchi station's focus on sponsorship-driven content has led to a shift towards youth-friendly, ad-oriented programming that targets young listeners with a disposable income.

Programming Content

- **Vividh Bharti:**

  - Music: Mostly focuses on Bollywood classics, old film music, and regional folk songs which appeals to a more traditional taste.
  - Talk Shows and Programs: Involves cultural discussions, storytelling, and heritage content which may be seen as educational or nostalgic by older generations but could be less relatable for younger audiences.
  - News and Information: Offers national and regional news which is informative but may not be as interactive or fast-paced for the youth.

- **Radio Mirchi:**

  - Music: Focuses on contemporary Bollywood hits, pop music, and Western genres, which is in tune with the current preferences of young people.
  - Talk Shows: Often features light-hearted, humorous discussions on pop culture, Bollywood gossip, and youth-centric topics like fashion, lifestyle, and social issues.
  - Interactive Content: Includes contests, phone-ins, and listener engagement, which create a more dynamic and participatory experience for listeners

Research Objectives

- To compare the content and appeal of Vividh Bharti and Radio Mirchi among the youth

of Haldwani.

- To identify the preferences and listening habits of young listeners in the region.
- To analyze the social, cultural and psychological impact of these programs on youth.
- To assess the popularity of Vividh Bharti and Radio Mirchi among the youth in Haldwani.
- To analyze the type of programs offered by both radio stations and how they cater to the needs of the youth.
- To examine the influence of both radio stations on the social and cultural life of the youth in Haldwani.
- To explore youth preferences for traditional radio programming versus commercial and interactive formats.

Hypothesis:

1. Youth in Haldwani city prefer Radio Mirchi over Vividh Bharti due to its modern and interactive format.
2. The content of Vividh Bharti including classical music, drama, and old Bollywood songs is more appealing to a segment of youth in Haldwani who have a nostalgic or cultural preference.
3. The youth in Haldwani city are more engaged with Radio Mirchi's interactive programs and commercial content compared to the traditional and informative style of Vividh Bharti.

Methodology

Conducting surveys with a sample of youth from Haldwani to understand their listening preferences, frequency, and content they find most engaging.

Conducting in-depth interviews with young listeners to capture qualitative insights into how they perceive both Vividh Bharti and Radio Mirchi.

Content Analysis: Comparing the programming of both stations, analyzing their music, talk shows and engagement strategies to identify differences and similarities.

The study uses a mixed-method approach, incorporating both qualitative and quantitative research techniques.The research focuses on youth aged 18-30 from Haldwani city. A random sample of 100 participants in M.B.PG.College Haldwani was chosen with a balanced representation of students.

Data Collection & Analysis

Surveys and Questionnaires: A structured questionnaire was used to collect quantitative data regarding the participants listening habits, program preferences and the impact of radio on their social and cultural lives.

Interviews: In-depth interviews were conducted with a smaller group of participants to gather qualitative insights into their perceptions of Vividh Bharti and Radio Mirchi as well as the role of radio in their daily lives.

Data was analyzed using statistical methods to identify trends and patterns in youth preferences and thematic analysis was applied to the qualitative responses to gain a deeper understanding of cultural perceptions.

Findings and Discussion

Popularity and Reach

Vividh Bharti is less popular among the youth in Haldwani compared to older generations. The station's traditional programming, including old Hindi film songs and cultural programs has a limited appeal among younger listeners who prefer contemporary content. However it is still considered reliable for news and cultural programs.

Radio Mirchi on the other hand has a significantly higher listenership among youth primarily due to its modern and interactive format. The station's focus on current Bollywood hits, celebrity interviews and youth-centric content has made it the preferred choice for young listeners in Haldwani.

The study might reveal that Radio Mirchi is more popular among younger listeners due to its energetic and modern programming while Vividh Bharti may still retain a loyal listener base due to its traditional appeal. Haldwani's youth might engage with Vividh Bharti for nostalgia or cultural heritage while preferring Radio Mirchi for entertainment, pop culture references

and interactive content.

Impact on Youth in Haldwani

- **Social and Cultural Influence:**

  o Vividh Bharti's content can play a role in preserving cultural heritage and may offer valuable educational insights, although its appeal might be limited to a specific group of youth who value traditional content.

  o Radio Mirchi with its modern approach may contribute to shaping youth identity by connecting them to urban pop culture and global trend thus influencing their attitudes and social behavior.

- **Psychological Impact:**

  o Vividh Bharti can have a calming and nostalgic effect, providing comfort for those who seek stability and familiarity in the content.

  o Radio Mirchi with its upbeat energy and trendy content, might have a more energizing and exciting effect, especially on young listeners looking for the latest in music and entertainment.

Content Preferences:

Music Genre: A significant number of respondents (70%) preferred the contemporary Bollywood music played on Radio Mirchi while only 30% enjoyed the older, classic Hindi songs aired on Vividh Bharti.

Program Type: Interactive programs including contests and talk shows, were preferred by 60% of the youth who listened to Radio Mirchi. In contrast, programs like 'Bhule Bisare Geet', 'Hawa Mahal', 'Jaimala' and 'Chhaya Geet' and 'Sangeet Sarita'on Vividh Bharti were popular among 40% of participants especially those who appreciated cultural and traditional content.

Engagement and Interaction: Radio Mirchi has a much higher level of listener engagement with interactive programs that encourage audience participation through social media platforms and on-air calls. Vividh Bharti, with its formal and structured format lacks such interactive

elements which may contribute to its lower appeal among the younger demographic.

Cultural and Social Impact:

Vividh Bharti: Listeners who preferred Vividh Bharti cited its cultural significance and the role it plays in preserving traditional music and cultural programs. Many young listeners mentioned they listen to Vividh Bharti for cultural education and news updates.

Radio Mirchi: Youth who favored Radio Mirchi were attracted to its entertainment value, celebrity gossip and sense of belonging to a modern, globalized culture. The radio station serves as a source of entertainment and social bonding, creating a shared experience among peers.

Digital Integration

Both radio stations have adapted to the digital age with Vividh Bharti making some of its content available online and Radio Mirchi fully embracing digital platforms,offering apps, podcasts and social media engagement. However Radio Mirchi's digital presence is far more robust, which appeals to the tech-savvy youth of Haldwani.

Conclusion

This study reveals that Radio Mirchi enjoys greater popularity among the youth of Haldwani primarily due to its contemporary,interactive and entertaining content. Vividh Bharti while still important appeals more to older generations and those interested in traditional and cultural programming. Both stations play significant roles in shaping the media consumption habits of youth with Vividh Bharti maintaining a cultural touchstone and Radio Mirchi catering to modern entertainment needs.

- Both radio stations serve distinct needs within the youth demographic in Haldwani. While Vividh Bharti caters to the older segment of youth who appreciate traditional, educational and culturalcontent, Radio Mirchi connects more with those seeking modern,lively and interactive entertainment.
- The balance between cultural preservation and modernity is evident in the youth's preference for both highlighting the diverse tastes that coexist within this demographic.

Recommendations

This study would provide a deeper understanding of how traditional and contemporary radio programs influence the youth in Haldwani bridging the gap between the old and the new.

- For Vividh Bharti: To appeal more to the youth demographic, Vividh Bharti could consider integrating more contemporary programs, improving listener interaction, and expanding its digital presence. Vividh Bharti could consider introducing more interactive, youth-centric programs to increase its appeal.
- For Radio Mirchi: While Radio Mirchi is highly popular, it could enhance its cultural programming to offer a balanced mix of entertainment and education thus broadening its audience base. Radio Mirchi could integrate more regional content and cultural discussions to cater to the local flavor of Haldwani ensuring it resonates deeply with the cultural fabric of the city.

Future studies could explore the evolving dynamics of radio in the digital era and how stations like Vividh Bharti and Radio Mirchi continue to adapt to changing preferences.This study would provide a deeper understanding of how traditional and contemporary radio programs influence the youth in Haldwani bridging the gap between the old and the new.

References

Sharma, R., & Choudhary, R. (2020). The Evolution of Indian Radio: From Public Broadcasting to Commercialization. Journal of Media Studies, 23(2), 47-59.

Gupta, S. (2019). Impact of Radio on Youth Culture in India. South Asian Journal of Communication, 31(1), 22-35.

Mehta, P. (2018). Youth and Media Consumption: A Study of Radio Preferences in Urban India. Communication Research, 26(4), 112-126.

Bhargava, A. (2017). The Role of Radio in Shaping Cultural Identity in Contemporary India. International Journal of Radio and Television Studies, 5(3), 56-68.

Bhattacharya, S. (2012). The Cultural Influence of Vividh Bharti on Indian Radio. Media Studies Journal, 18(3), 35-48.

Chakravarty, P. (2001). The Evolution of Indian Radio: From Vividh Bharti to FM. Broadcasting Review, 14(2), 29-41.

Ghosh, A. (2014). Radio in India: A Historical Perspective. Indian Journal of Communication

Studies, 8(4), 22-35.

Gupta, R. (2016). Youth Engagement with Traditional Radio Stations: A Case Study of Vividh Bharti. Journal of Radio and Media Studies, 24(1), 50-63.

Kapoor, R. (2018). Youth and FM Radio: A Study of Radio Mirchi's Impact on Indian Youth Culture. Youth Culture Review, 5(2), 12-25.

Kumar, R. (2012). FM Radio in India: Radio Mirchi and the Youth. Journal of Broadcast Media, 11(2), 78-92.

Mehta, S. (2019). The Changing Dynamics of Youth Engagement in Indian Radio. Media and Youth Studies, 3(1), 101-114.

Rao, D. (2014). Listener Participation in Traditional vs. Modern Radio. Radio Communication Review, 13(4), 45-57.

Rajput, S. (2018). A Comparative Study of Vividh Bharti and Radio Mirchi: Youth Preferences. Journal of Radio Programming, 7(3), 34-48.

Sangwan, S. (2015). Traditional Radio Programming and Youth Audiences in India. Media Studies Quarterly, 9(1), 17-30.

Sharma, A. (2015). Radio Mirchi and its Appeal Among Indian Youth. Journal of Contemporary Media, 7(3), 89-101.

Sethi, R., & Bhatia, V. (2017). Youth-Centric Radio Programming and its Influence on Behavior. Journal of Social Media and Culture, 8(2), 77-91.

Soni, P. (2017). The Commercialization of Indian FM Radio and its Effects on Content. Broadcast Business Review, 10(4), 50-64

A Study on Consumer Behaviour towards Big Bazaar in Haldwani

Harshvardhan Pande
Research Scholar, Kumaun University,
Nainital, Uttarakhand

Abstract

The study on consumer behaviour towards Big Bazaar in Haldwani was carried out in with an objective of knowing satisfaction level of customer at Big Bazaar and do customers are aware about the different types of products and Services and different offers provide at Big Bazaar. The total sample size taken was (100) from various customers of at Big Bazaar.The research shows that the customer satisfaction at Big Bazaar is very good. Many customers are satisfied with the working style of retail store Big Bazaar in Haldwani .The researcher used questionnaire method to carry out the study.

Keywords- Consumer, Behaviour, Big Bazaar, Products, Offers, Satisfaction.

Introduction

"Consumer behaviour is the process whereby individuals decide whether, what, when, where, how, and from whom to purchase goods and/or services. A consumer behaviour is all the psychological,social,physical behavior of potential customers as they become aware of evaluate, purchase, consumer and tell others about the goods and/or services."

Consumer behavior plays a crucial role in the success of retail businesses. With the rise of modern retail chains in India, Big Bazaar has established itself as a household name, offering a diverse range of products, including groceries, apparel, electronics, and more. Haldwani, a growing city in Uttarakhand, has witnessed an increasing presence of such retail chains, and Big Bazaar has emerged as one of the prominent players. Understanding consumer behavior is essential for the company to better cater to the needs of its customers and sustain long-term growth.

The study of consumer behaviour has developed into a very significant branch of marketing discipline. The bigwigs of marketing found that consumer did not always behave as advocated by the economists. The persons engaged in studying behaviour of consumers learnt clearly that there are many similarities among the consumers but all consumers were not alike. The consumer's preferences likes and dislikes reflected the personalities and life styles of the consumers.

The concept of hypermarkets was pioneered by the FredMeyer chain, when it opened the foremost hypermarket in 1931 in Portland, Oregon, which is now part of Kroger,the largest grocery store chain in the US.However, the history of the hypermarket is usually tracedto the early 1960's when two similar prototypes for the later hypermarket design came forward. The world's largest chain of hypermarkets today is Wal-Mart, followed by Carrefour of France whereas Big Bazaar of FutureGroup is the largest hypermarket chain in India. Indian consumers are becoming increasing sensitive in their expectations of products and services in which a higher standard of quality of delivery is being demanded. Consumer behaviour studies are the need of the hour because of the increasing expectations of the consumers. Indian retail industry is not an exception.

Big Bazaar is a company that operates a chain of departmental and grocery stores offering vegetables, fruits, dairy, personal products, garments, etc. Big Bazaar is also the parent company of Fashion at Big Bazaar, eZone, and Food Bazaar. It is one of the largest and oldest chains of departmental stores in India which is owned by Future Group.Kishore Biyani, the owner of Big Bazaar had big dreams for his business as he was from a business family. Big Bazaar resulted from his brainstorming, dedication and hard work. Biyani had already made Pantaloons a big hit as a fashion and retail store since he founded it in 1997. Now after Big Bazaar was founded in 2001, he took the retail industry by storm. He opened his first departmental store was Kolkata, after renting and converting the place into a 10,000 square feet store which was twice the size of any store in Kolkata back then. Within the next 22 days he opened more than 2 more stores in the city and within a year Biyani successfully opened over 50 stores all across the country. Big Bazaar started spreading across the country and with the warm reception that the brand has seen Biyani's Big Bazaar stores surpassed the 100-mark by 2009.

The idea for Big Bazaar came from 'Saravana Stores', which is the largest family-owned retail store in India. Biyani mentioned Saravana stores' shopping as an "experience". Thus, this store inspired Kishore Biyani highly as mentioned by Biyani in his autobiography. Biyani has also been quoted saying that Saravana Stores is "India's No.1 retail store in one locality."

Big Bazaar is currently operating with the tagline "Naye India Ka Bazaar", which was decided on November 17, 2011, replacing the earlier one that said "isse sasta aur accha kahin

nahi!".

Big Bazaar operates on a B2C business model. It offers numerous products on a single platform to its consumers. It is considered to be one of the largest departmental stores in India. The company provides awesome discounts and offers to the customers. This is the only factor that attracts all sorts of people to Big Bazaar. Products like home and furniture, electronics, jewelry, toys, sporting and fitness, grocery, clothing, movie and music, footwear, craft and party supplies, stationery, kitchen appliances, etc., can all be found under one roof. This is the specialty. Founded in 2001 with a single store, it had more than 295 stores in over 120 towns and cities across India, when last seen in 2019. Out of this 12 million, only 5 million stores sell food products and eatables. The rest of them sell utility products like household items, clothes, etc. The revenue model of Big Bazaar is very clear. Big Bazaar purchases all the items in bulk from the manufacturer at a low price then sells them to the consumer after adding its margin price.Big Bazaar bundles the slow-moving products with high-moving products to clear its stock and provide them to customers at a discounted rate. This helps them in stock clearance. Also, the product bundling can be witnessed from the manufacturer's side as well. Sometimes, the manufacturers anticipate the wrong demand and produce the product in large quantities.

The future of Indian retailing may even witness the concept of 24 hour retailing. Even though this concept has been in existence in few retail segments like pharmaceuticals and fuel, it still remains to be a challenge for other segments like food and groceries, apparel etc to adopt this trend. By 2017, the company was grappling with significant financial challenges, exacerbated by the 2020 pandemic which further reduced sales and cash flow, leading to store closures.In August 2020, Future Group proposed selling its retail, wholesale, and logistics arms, including Big Bazaar, to Reliance Industries for Rs24,713 crore.In February 2022, Reliance took control of over 200 Future Group stores, including Big Bazaar, marking a significant shift in India's retail space. The retail format of the Big Bazaar group includes Aadhar, Rural & Home-Town retail chain, Ezone home-improvement chain, sportswear retailer, depot and music chain is few among others. Big Bazaar has become a massive hit with lower middle-class and middle class people as a major client base.

Hypothesis

1. Customers visit Big Bazaar for shopping.
2. Demand for grocery products in Big Bazaar is very high.
3. Customers comes to Big Bazaar in weekends.

4. Number of customers are using UPI in Big Bazaar.

Objective of the study

1. To determine the customer satisfaction level towards Big Bazaar store.
2. To analyze how the merchandising mix influence the customer satisfaction level.
3. To analyze how the Big Bazaar store environment can be improved.
4. To find out the buying behaviour of the customers coming in to Big Bazaar in Haldwani.
5. To study the satisfaction level of customers in different attributes of Big Bazaar in Haldwani.

Scope of the Study

The scope of this research is to identify the buying behaviour of customers of Big Bazaar in gateway of Kumaun Mandal Haldwani area of Uttarakhand. This research is based on primary data and secondary data. Due to time constraint only limited number of persons contacted. This study only focuses on urban buying behaviour of customers. The study does not say anything about rural buying behaviour of customer because rural norms/status/attitude&acceptance of the rural customers differs with urban customers. The scope of research is limited for urben area of Haldwani. It aim to understand the skill of the company in the area like technological advancement, competition in management.

Literature Review

Extensive research studies have been carried out on these aspects in foreign country. As far as India is concerned, a very few studies have been found studying various aspects of retailing. Research on Big Bazaar indicates that the company's success is largely attributed to its pricing strategy, wide range of products, and strong promotional campaigns.

Supernatant and Solomon (1987) define the service encounter as "the dyadic interaction between a customer and service provider." This definition draws on their earlier work suggesting that "service encounters are role performances" (Solomon 1985) in which both customers and service providers have roles to enact. This use of the term "service encounter" focuses on the interpersonal element of service firm performance.

Shoptalk (1985) defines the service encounter somewhat more broadly as "a period of time during which a consumer directly interacts with a service. Her definition encompasses all aspects of the service firm with which the consumer may interact, including its personnel, its physical facilities, and other visible elements.

A study by Solomon (2018) emphasizes the importance of understanding consumer motivations, as it allows businesses to tailor marketing strategies effectively. Similarly, Kotler & Keller (2016) state that consumer behavior is shaped by both internal (psychological) and external (social and environmental) factors.

According to a study by Mehta & Sharma (2017), consumers are drawn to Big Bazaar due to its frequent sales and discounts, which offer value for money.

Mridula and Umakant, 2008, revealed that consumer buy essentially convenience goods with low level of risk in the organized retail outlets while they buy products of more involvement which requires a more complex buying behavior from the trasitional retail outlets.

Research Methodology

Research Methodology is a way to systematically solve the research problem involving a study of various steps that are adopted by the researcher in studying his/her research problem.As a part of project it was also required to study the behaviour of the consumers towards organized retail stores in Haldwani. Throughout research entire focus was to check the behaviour of the consumers towards the different attributes that determines their attitude towards organized retail store. This paper was concluded by taking the feedback from the consumers by filling up of questionnaires.

Research Design

The study is descriptive research on consumer behaviour toward organized retail stores. The target population is the consumers visiting Big bazaar in Bhotia Parao, Haldwani Uttarakhand. Primary data are those data which are collected afresh and happen to be original in character. For the purpose of this project work the methods used to collect the primary data were Through Questionnaire.Secondary data are those data, which are already collected before by someone else.

Sample Size

The sample size taken into consideration includes sample of 100 Respondents.Quantitative Research was used.The target population under the survey is the students, businessman, service class and Housewives who are engaged in shopping.

Data Collection

Data is collected by using various methods. For the purpose of fulfilling the objective of study and for completing the Research Paper primary and secondary data collected.

Keeping in view the objective of study a questionnaire was selected. The language is simple to understand.Information was also obtained by conversation with Customers .Theywere interviewed personally. The second information is taken from company document available on websites.The other related journals information and industry association's sites have also been viewed.

Sampling Design

In the backdrop of objective set, a sample study conducted in Haldwani 100 respondents contacted. The nature of sampling is Non Probability-Convinance Sampling.Sufficient time was given to the respondents to answer the questionnaire.After all the questionnaires were collected back, the responses were tabulated. Each answer of the respondent was tabulated to its respective category.

Analysis

Customer s monthly income

Among the 100 repondents 50% of customers are of middle income level that is between Rs10000 – 40000 per month. Least number of customers visiting Big Bazaar are the higher income level people (> Rs.60000 pm) that constitute only 5%. The lower income level of people coming to Big Bazaar constitutes of 20%. 25% of people belong to no income group which mostly consists of students.

Apart from Big Bazaar visit retail outlet

64% customers of Big Bazaar visit other retail stores for their requirements and 36% customers of Big Bazaar generally do not visit other retail stores. It shows that customers satisfaction level is more in Big Bazaar.

Purpose behind visiting Big Bazaar

60% of respondents visit big bazaar for shopping, 10% for outing and 30% visit Big Bazaar for both purposes.

Demand for other retail outlets in a mall

65% of people visit garment outlet in a mall other than that of Big Bazaar. 30% of people also prefer to visit food court in a mall other than Big Bazaar. 20% of the people go to footwear outlet in a mall other than Big Bazaar. 20% of people also go to mall for entertainment purpose. Some people that are 10% each also visit gift corner store and jewellery & watches store in a mall other than Big Bazaar.

Products mostly purchased by customers in Big Bazaar

The demand for grocery that is 70% is highest by the customers followed by clothes rated 60%. The next highest demand is for food items that is 50%. 25% demand is for leather items in Big Bazaar. Electronic items holds 15% of demand and gift items and other items has a demand of only 10% by the customers of Big Bazaar.

Expenditure pattern of customers coming in to Big Bazaar

Majority of the customers spend a lot in Big Bazaar that is 29% of people spend more than Rs2000 in a single visit to Big Bazaar. Equal number of people that is 22% of people each spend Rs 1000-1500 and Rs 1500-2000 respectively in a visit to Big Bazaar . 16% of people spend Rs 500-1000 and only 11% of customers are there who spends less than Rs500 in their visit to Big Bazaar .

Time spent by customers in shopping in Big Bazaar

Majority of the respondents (35%) said that they spend at least 1 hour to 1 ½ hours in

Big Bazaar. 22% respondents also said that they spend 1 ½ hours to 2 hours in their visit to Big Bazaar. Only 10% of people said that they spend very little time that is less than half an hour in Big Bazaar .

Comparison of footfalls in weekdays and weekend

More number of people comes to Big Bazaar in weekends than that of week days .40% of people visits Big Bazaar in weekdays where as 60% of people visit Big Bazaar in weekend.

Customers preference of timing to visit Big Bazaar

People prefer to visit Big Bazaar in evening time than that of the day time. Only 25% of people tend to visit Big Bazaar during day time while 75% of people tend to visit Big Bazaar during after noon time.

Comparison of customers purchasing with planned list of products and purchasing products on unplanned basis

50% of customers come to Big Bazaar with a planned list of products. 40% of people come in to Big Bazaar without any planned list of products to be purchased from Big Bazaar.

Brand preference of customers in Big Bazaar

10% of people come in to Big Bazaar with a list of brands in advance. 50% of people completely deny that they don't prepare in list of brand in advance. 40% of people told that they prepare a list of brand depending on the product category.

Comparison of brand preference on different product category

Cloths and grocery are the only two items on which customers mostly prefer the brands that is 40% each. 33% brand preference is on gift items and 25% is on electronic items. Brand preference on leather items is 2% and 12% on any other item.

Mode of payment of customers in Big Bazaar

35% people make cash payment in Big Bazaar. 19% of them uses credit card as their mode

of payment and 16% of the people makes payment in Big Bazaar through their debit card and 36% through UPI.

Comparison of factors which encourages customers to come in to Big Bazaar

People are mostly encouraged to come to Big Bazaar because of its cheap price and availability of variety of products. Around 65% of the total respondent said they are mostly encouraged to come to Big Bazaar as it has variety options. Even most of the customers said that they get goods there in a discounted price and so they come in to it. Many customers also said that they feel good about the service and ambience provided by Big Bazaar. Around 35% of customers also said that convenience is also another factor which leads them to come to Big Bazaar.Product quality is rated at very low that is only 20% which encourages the customers to come to Big Bazaar.

Services of the sales personnel in Big Bazaar

36% customers realize service of sale personnel in Big Bazaar is OK, 29% realize good, 17% realize Very Good, 13% realize Poor and 5% customers is very dissatisfied with sales personnel's in Big Bazaar.

Customers' mode of transport to Big Bazaar

Around 40% of the total respondent of comes in to Big Bazaar with their own two wheelers. The second majority of people consist of people riding four wheeler and coming in to Big Bazaar. Only 15% of people of the total respondent visits Big Bazaar on hired vehicles. 10% customers of the total respondent comes in any other mode of transport.

Parking space availability in Big Bazaar

People say big bazaar does not provide adequate parking space. Equal number of people also says that adequate space is provided for parking Big Bazaar. Only 10% of people say that more than adequate space is available for parking in Big Bazaar .

Customers preference towards Kirana store

65% of Respondents says they go to their nearby kirana store and 35% said that they don't at all go to any kirana store. This shows that majority of people go to kirana store even though they visit Big Bazaar but some customers are there who never goes to any kirana store.

Comparison of Big bazaar with other Kirana store

	Price	Service	Variety	Quality	Convenience	Shopping Experience	Ambience
Big Bazaar	70%	50%	100%	40%	25%	90%	95%
Kirana store	30%	50%	0%	60%	75%	10%	5%

70% of people say Big Bazaar provides goods at a cheaper price as compared to that of a kirana store. 50% of people say big bazaar provides better service and another 50% of them say kirana store provides better service. Each and every customer that is 100% agrees that there are more variety of products available at Big Bazaar then that of kirana store. As per quality of goods is concerned 60% of the customer say kirana store provides better qualitative products while 40% of the customers say Big Bazaar also provides qualitative products. 75% people say it is more convenient for them to go to a kirana store while 25% of them say going to Big Bazaar is more convenient for them. 90% of respondents said it is a good shopping experience at Big Bazaar while 10% of them said that they also have a good shopping experience at kirana store. As per ambience is concerned 95% of customers said Big Bazaar provides much nice ambienc than other Big Bazaar while 5% of them said that ambience provided by kirana store is also equivalent to that of Big Bazaar.

Comparison of Big bazaar with others Organized retailers based on following points

	Price	Service	Variety	Quality	Convenience	Shopping Experience	Ambience
Big Bazaar	45%	50%	55%	52%	54%	46%	58%
Kirana store	55%	50%	45%	48%	46%	54%	42%

Findings

1. Most of the customers buy their requirement in Big Bazaar on the basis of Weekly and monthly basis. Customers realized that Big Bazaar stores provide qualitative products/

service with reasonable price.

2. At present time Big Bazaar provide different types of products to the customers.
3. Continuously opening of Big Bazaar chains in different major cities, increasing quantities of the customers & profit show that Big Bazaar most accepted name in organized retail chain in India.
4. Big Bazaar mainly deal with middle income group people who want qualitative product with reasonable cost.
5. Big Bazaar has a good reputation of itself in the market.
6. Big Bazaar has positioned itself in the market as a discounted store.
7. Big Bazaar holds a huge customer base. The majority of customers belong to middle class family.
8. Impulse buying behavior of customers comes in to play most of the times in Big Bazaar.
9. It seems Big Bazaar demand is increasing. The major players in retail industries are Big Bazaar, The Tata Groups (Croma), Vishal Retail Group, Reliance Retail, Kirana stores & Sabka Bazaar etc.
10. Big Bazaar is a hypermarket as it provides various kinds of goods like apparels, grocery, stationary, food items, electronic items, leather items, watches, jewellery, crockery, decorative items, sport items, chocolates and many more. It competes with all the specialty stores of different products which provide goods at a discounted rate all through the year.

Limitations

1. Some customers were not willing to give appointment due to their busy schedule.
2. Due to very large size of the population, only a selected sample of customer could be contacted.
3. Due to time constraint and other imperative work load during the period it could not be made possible to explore more area of concern pertaining to study.
4. Also impossible for company to prove information is confidential.
5. Due to fast pace of life, some customers were not able to do justification to the

questionnaire.

6. Personal biases might have come while answer the questionnaire.
7. As per company rule many information was not disclose as the manager are busy in their daily schedule. It is not possible for us to spend more time in interaction with them.

Conclusion

The findings of this research indicate that Big Bazaar in Haldwani has successfully captured the attention of a wide consumer base through a combination of product variety, competitive pricing, and attractive promotional offers. Consumers are largely satisfied with the overall shopping experience, particularly the store's pricing strategies and customer service.However, the company could enhance its brand loyalty by improving the quality of electronics and other non-essential products. Additionally, while discounts and sales events are highly effective in attracting customers, it is essential for Big Bazaar to continue innovating its marketing strategies to maintain its competitive edge. The major drawback of Big Bazaar is that it lacks in providing enough parking space for its customers. This may discourage the customers to come to Big Bazaar and shop as they face difficulty in parking their vehicles. Even though some customers say that they don't feel problem in parking their vehicle, it is because of the parking space available to them by the mall. As it is surveyed it seems that the biggest competitors of Big Bazaar are the kirana stores, discounted specialty stores like Vishal mega mart, D Mart, The Tata Groups (Croma), Reliance Retail & Sabka Bazaar etc.

Recommendation

- Big Bazaar should include more of branded products its product category so as to attract the brand choosy people to come in to big bazaar.
- Big Bazaar should provide large parking space for its customers so that they can easily park their vehicles.
- Big Bazaar should make different cash counters and UPI counters for customers.
- Credit card payment counter should be placed differently in order to reduce the rush and save the customer's time. This will be a kind of motivator for the customers of Big Bazaar.
- The service of the sales person is needed to be improved. Personal care should be taken by the sales person for the customers so that the customers feel good.

- During the off peak hour's Big Bazaar should provide some offers to its customers so that people would be encouraged to come to big bazaar during off peak hours. The customers who are present in the mall during the off peak hours of big bazaar will definitely go in to big bazaar if surprise offers are made at that time.
- Customer care department is needed to take proper care of customer complaints and queries.

References

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson Education.
- Malhotra K. Naresh, marketing research (An applied orientation), Research design, (Prentice hall of India pvt. 5th edition)
- Berman B and Evans J.R, Retail Management (Pearson education, 10th edition)
- Louden D.L. & bitta delia consumer behavior (tata Mc. Graw hill, 4th edition)
- Newman A.J. and Cullen P,Retailing,Environment and operations(Vikas,1st Ed.)
- Mehta, A., & Sharma, M. (2017). Consumer Behavior and Marketing in India: A Case Study of Big Bazaar. Journal of Retail and Consumer Services, 37(3), 245-259.
- Solomon, M. R. (2018). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Pearson Education
- Principles of Marketing: Philip Kotler
- www.customerbehavior.com
- https://geoiq.ai/blog/big-bazaar-case-study/
- Bigbazaar.co.in
- Organizedretail.co.in
- Big Bazaar.com
- Retailing.co.in

Vol. 20 July – December. 2024 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Development and Political Mobilization: A Study of Regional Disparities in Karnataka

Sampat Shanappa Lamani
Research Scholar, Department of Political Science
Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India
Prof. Kamalaxi G. Tadasad
Professor and Chairman, Department of Political Science
Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India

Abstract

This Research Paper focuses on the relation between political mobilization and development in the regional disparities of Karnataka state. Despite being one of the most developed states in India but not all areas in Karnataka are equally benefiting from progress. This paper aims to analyze the various levels of socio-economic development, the factors leading to experiencing regional discrimination and the role of political mobilization in overcoming discrimination, mainly in North Karnataka. By using a mixed-methods approach, combining quantitative analysis of socio-economic indicators, the study identifies key patterns reflecting regional disparities. Results show that regions with low development indices must exhibit a strong political will. This article argues that policies should be developed that support the development of different regions—including North Karnataka—rather than focusing just on the capital-centric growth of Karnataka. Feeling marginalized among the people of North Karnataka, where the voice of a separate state is often heard, this research contributes to understanding the complex interplay between development and political will, providing insights into addressing regional disparities through more equitable governance and policy interventions.

Keywords: Regional Imbalance, Development, Political Articulation, North Karnataka, Political will.

Introduction

Karnataka, a key state in southern India, is marked by significant socio-economic disparities across its various regions. These disparities, rooted in historical, geographical, and political factors, have shaped both development patterns and political mobilization. This paper aims to explore the relationship between development and political mobilization, with a focus on the regional disparities in Karnataka. The state is often divided into four major regions: Coastal Karnataka, the Malnad region, North Karnataka, and South Karnataka. Each of these regions exhibits distinct socio-economic characteristics, influencing their role in political processes and development trajectories.

Karnataka's development has historically been influenced by colonial policies, the princely state of Mysore's governance, and post-independence economic reforms. The princely state of Mysore, which included southern Karnataka, received significant state investments in education, infrastructure, and public services, laying the foundation for more rapid economic development in this region post-independence. In contrast, northern Karnataka, historically part of the Nizam's Hyderabad and the Bombay Presidency, lagged behind due to inadequate investment in infrastructure and social development.This historical divide has had long-term implications on the socio-economic indicators, such as literacy rates, health services, employment opportunities, and income levels, across different regions of Karnataka.

Factors causes for regional disparities in Karnataka:

1. Historical Neglect

The Kalyana-Karnataka region (formerly Hyderabad-Karnataka),and Kitturu Karnataka (Formerly Mumbai Karnataka) part of the erstwhile Nizam's dominion and princely states, was historically neglected in terms of development. When the state of Karnataka was formed post-independence, the southern regions, which were part of the old Mysore state, had better infrastructure and governance. The northern regions, however, suffered from the lack of industrial and infrastructure investments, setting them on a slower development path.

2. Geographical Factors

Southern Karnataka enjoys a more favorable geographical setting with access to coastal areas and major urban centers like Bengaluru, Mysuru, and Mangaluru, which are economic hubs. These regions benefit from better natural resources, fertile land, and proximity to trade routes. On the other hand, northern Karnataka (especially districts like Raichur, Yadgir, and

Koppal) is largely arid and drought-prone, with agricultural productivity heavily dependent on rainfall. This hampers both agricultural output and industrial development in the region.

3. Economic and Industrial Concentration

Bengaluru has emerged as the IT capital of India, attracting massive investments and human capital from across the globe. The concentration of industries and businesses in southern Karnataka has resulted in rapid urbanization and economic growth in that region. In contrast, northern Karnataka is primarily agrarian and lacks the same level of industrialization. While there have been attempts to promote industries in the north, they have not been as successful or widespread as in the south.

4. Infrastructure Disparities

Southern Karnataka benefits from better physical infrastructure, including transportation (railways, highways, airports), energy, and telecommunications. Bengaluru has world-class infrastructure, including international airports and metro systems. In comparison, the infrastructure in northern Karnataka is underdeveloped, with poor road connectivity, limited industrial corridors, and inadequate urban facilities. This makes it difficult for industries to set up and thrive in these regions, exacerbating the economic gap.

5. Educational and Health Facilities

The availability of quality education and healthcare is skewed toward southern Karnataka. The state capital, Bengaluru, and other southern cities host numerous prestigious educational institutions, colleges, and healthcare facilities. Northern Karnataka, in contrast, faces challenges like a shortage of schools, colleges, and medical institutions, resulting in lower literacy rates and poorer health outcomes. This educational and healthcare divide limits human capital development in the northern regions.

6. Agricultural Dependency

A large portion of the population in northern Karnataka is dependent on agriculture, which is often affected by erratic monsoons and insufficient irrigation infrastructure. While southern Karnataka has benefitted from irrigation projects like the Cauvery River Basin, northern Karnataka's Krishna and Tungabhadra basins face water shortages and droughts.

This agricultural vulnerability contributes to low income levels, poverty, and slower economic growth in the north.

7. Inequitable Allocation of Resources

Disparities in government spending and resource allocation further contribute to uneven regional development. Southern Karnataka districts, particularly around Bengaluru, have historically received a larger share of state and national funds for infrastructure projects, education, and health programs, while northern districts have often been overlooked. This imbalance in public spending perpetuates underdevelopment in the northern regions.

8. Political Marginalization

Although northern Karnataka has political representation, the region has historically felt political marginalization compared to the more developed southern part of the state. Political leadership and decision-making have been concentrated in the southern regions, particularly around Bengaluru, with relatively less attention paid to the development concerns of northern Karnataka. This has led to growing demands for greater autonomy and resource allocation for northern districts.

9. Urbanization and Migration Patterns

Rapid urbanization in southern Karnataka, particularly in Bengaluru, has led to significant internal migration from the northern districts to southern cities in search of better employment opportunities. This migration pattern has resulted in the concentration of wealth, services, and development in urban areas of the south, while the rural and less urbanized northern regions are left behind in terms of development.

10. Climate and Environmental Challenges

The northern regions of Karnataka are more vulnerable to droughts and water scarcity, which has a direct impact on agriculture and livelihood. Frequent droughts in districts like Raichur, Yadgir, and Kalaburagi exacerbate poverty and underdevelopment, while the southern districts, particularly those with access to the Cauvery River, have more stable water resources.

Case Study

Quantitative analysis of socio-economic indicators helps to highlight the regional disparities in Karnataka, especially between the more developed southern regions (like Bengaluru, Mysuru) and the less developed northern regions (like Kalaburagi, Raichur, Bidar, and Koppal). These disparities can be analyzed using key socio-economic indicators, such as per capita income, literacy rates, poverty levels, infrastructure access, health outcomes, and employment patterns. Below is a quantitative assessment of these indicators to showcase regional imbalances:

1. Per Capita Income

Southern Karnataka: The regions in southern Karnataka, particularly Bengaluru Urban and Mysuru, have significantly higher per capita income due to industrial development, IT hubs, and better infrastructure.

- Bengaluru Urban: 3,05,000 (approx.)
- Mysuru: 1,60,000 (approx.)

Northern Karnataka: In contrast, northern districts have much lower per capita incomes, driven by agrarian economies and lower levels of industrialization.

- Kalaburagi: 60,000 (approx.)
- Raichur: 55,000 (approx.)
- Yadgir: 52,000 (approx.)

Analysis: The per capita income of northern districts is often less than 50% of that of southern districts like Bengaluru Urban, showcasing significant income inequality.

2. Literacy Rate

Southern Karnataka: Higher levels of education and access to quality schooling are observed in southern districts.

- Bengaluru Urban: 87.67%
- Mysuru: 82.81%

Northern Karnataka: Literacy rates are much lower in the northern districts, reflecting poor access to educational infrastructure and higher dropout rates.

- Yadgir: 51.83%
- Raichur: 59.56%
- Kalaburagi: 64.85%

Analysis: The disparity in literacy rates between southern and northern Karnataka is stark, with a gap of over 20 percentage points in some cases, particularly in female literacy, which is notably lower in northern districts.

3. Poverty and Human Development Index (HDI)

Poverty Rates:

- Bengaluru Urban: 6.5%
- Mysuru: 9.8%
- Kalaburagi: 28.7%
- Raichur: 30.1%

Human Development Index (HDI):

- Bengaluru Urban: 0.89 (very high)
- Mysuru: 0.76 (high)
- Kalaburagi: 0.58 (low)
- Yadgir: 0.52 (very low)

Analysis: Northern Karnataka districts experience significantly higher poverty rates, with nearly 30% of the population living below the poverty line in some districts like Raichur and Kalaburagi, compared to single-digit figures in Bengaluru. The HDI, which combines income, education, and life expectancy, also reflects these stark inequalities, with northern districts falling into the "low" category.

4. Health Indicators

Infant Mortality Rate (IMR):

- Bengaluru Urban: 15 deaths per 1,000 live births
- Mysuru: 20 deaths per 1,000 live births
- Kalaburagi: 37 deaths per 1,000 live births
- Raichur: 42 deaths per 1,000 live births

Maternal Mortality Rate (MMR):

- Southern Karnataka: 108 per 100,000 live births
- Northern Karnataka: 178 per 100,000 live births

Access to Healthcare: In districts like Yadgir and Koppal, there is a lack of healthcare infrastructure, with fewer hospitals and primary health centers (PHCs) per capita compared to districts like Bengaluru.

Analysis: The northern districts have much higher IMR and MMR, indicating inadequate healthcare services, poor maternal and child health outcomes, and limited access to quality medical care. There is a need for greater investment in healthcare infrastructure in these regions.

5. Agricultural Dependence and Irrigation

Agricultural Employment: A large proportion of the workforce in northern Karnataka is dependent on agriculture.

- Kalaburagi: 65% of the workforce in agriculture
- Raichur: 68% in agriculture
- Yadgir: 75% in agriculture

Irrigated Land:

- Southern Karnataka (Mandya): 80% of cultivable land irrigated (primarily due to the Cauvery River irrigation system)
- Northern Karnataka (Kalaburagi): 40% of cultivable land irrigated

Analysis: The dependence on agriculture in northern districts is much higher than in the south, where there is greater diversification into industry and services. Moreover, irrigation facilities are less developed in the north, with projects like the Upper Krishna Project facing delays. This contributes to lower agricultural productivity and increased vulnerability to droughts.

6. Infrastructure and Access to Basic Services

Road Connectivity:

- Southern Karnataka (Bengaluru): Over 90% of villages connected by paved roads.
- Northern Karnataka (Yadgir): Less than 50% of villages connected by paved roads.

Electricity Access:

- Southern Karnataka (Bengaluru): 99% electrification
- Northern Karnataka (Raichur, Kalaburagi): 75-80% electrification

Access to Drinking Water:

- Bengaluru Urban: 93% of households have access to piped drinking water.
- Yadgir: 40% of households have access to piped drinking water.

Analysis: Infrastructure development, including road connectivity, electricity, and access to drinking water, is far more advanced in the southern districts. Northern Karnataka, particularly rural areas, still struggles with basic infrastructure, which hampers economic development and quality of life.

7. Urbanization and Employment Opportunities

Urbanization Rate:

- Bengaluru Urban: 90.94%

- Mysuru: 47.62%
- Raichur: 25.75%
- Yadgir: 20.30%

Unemployment Rates:

- Southern Karnataka (Bengaluru): 5.8%
- Northern Karnataka (Yadgir, Raichur): 10-15%

Analysis: Northern Karnataka is much less urbanized compared to the south, with fewer opportunities for non-agricultural employment. Unemployment is also higher in these regions, leading to migration to cities in southern Karnataka or outside the state for work.

The capital-centric growth of Karnataka, particularly focused on Bengaluru, has resulted in significant regional imbalances when compared to the northern part of Karnataka. While Bengaluru, the state capital and a global IT hub, has experienced rapid economic growth, urbanization, and infrastructure development, the northern districts have remained relatively underdeveloped. This growth disparity has led to social and economic inequalities across the state, with resources, investments, and opportunities concentrated in and around Bengaluru, leaving northern Karnataka behind.

Conclusion

The capital-centric growth of Karnataka, with a heavy focus on Bengaluru, has led to significant regional imbalances, particularly in northern Karnataka. While Bengaluru has benefited from rapid economic development, industrialization, urbanization, and infrastructure investment, the northern districts continue to face economic stagnation, agricultural dependence, infrastructure deficits, and poor social indicators.

Addressing these disparities requires decentralizing development efforts, increasing investment in northern districts, and ensuring that government policies target the socio-economic upliftment of rural and underdeveloped regions. Without a more balanced approach to development, the regional disparities within Karnataka are likely to widen further, exacerbating social and economic

References

1. Government of Karnataka - High-powered Committee on Redressal of Regional Imbalances: Final Report, Bangalore, 2002.

2. Jamadara, Shivananda 'Discrimination-A View of North Karnataka Facts' Manohara Granthmala, Dharwad, 2016.

3. Government of Karnataka, Economic Survey of Karnataka-2020-21, Department of Planning, Program Implementation and Statistics, Bangalore, 2021

4. Amalazari, Aravinda 'Regional Imbalances in Karnataka – A Critical Approach to Special Status for Hyderabad Karnataka', University of Karnataka, 2018

5. Honnalli, Nagendra, 'Regional Imbalance and Social Development – A Case Study of North Karnataka' Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2006

6. H. R. Krishnamurthy and H. C. Veerappa Gowda, 'Development Economics', Sapna Book House Limited, Bangalore,

7. H. R. Krishnamurthy, 'Karnataka Economy', Sapna Book House Limited, Bangalore, 2021

8. Merunandan KB, 'Constitution of India An Introduction', Merugu Publications, Bangalore, 2013

9. Talwar, Sabanna 'Interregional Disparities in India', Global Research Publications, New Delhi, 2012

10. Saidapura,Sharanappa 'Regional Imbalance', Prabuddha Prakashan Kalaburagi: 2016

11. Pujari, M. Chandra 'Development Politics', Prasaranga, Kannada University, Hampi, 2019

12. Biradara, Siddu '371(J) Special Status', Gayatri Publications, Bellary, 2018

13. Saidapura, Sharanappa, 'Development Issues in Hyderabad Karnataka', Abhijit Publications, New Delhi, 2017

14. Salpekar, Aradhana and Kabra, Shraddha 'Social Development', Gnanada Publishing (P&D), New Delhi 2014

15. Agrawal, Deepak, 'Development Process of Third World Countries', Axis Books, Pvt Ltd, New Delhi, 2013

16. Bagchi, Kanaka Kanti, 'Regional Disparities in India's Socio-Economic Development',

Traditional vs. Modern Medicine: Bridging the Gap in Rural Healthcare Delivery

Dr. Satyam Dwivedi
Associate Professor, Department of Sociology
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

Abstract

Traditional and modern medicine have coexisted in India for centuries, particularly in rural areas where healthcare accessibility remains a challenge. This review-based research paper explores the integration of traditional healing systems such as Ayurveda, Siddha, and folk medicine with modern allopathic healthcare to improve rural healthcare delivery. Traditional medicine, deeply rooted in cultural and indigenous knowledge, continues to be widely used due to affordability, accessibility, and trust in ancestral wisdom. However, it faces challenges related to scientific validation, regulatory frameworks, and standardization. On the other hand, modern medicine, while effective in evidence-based treatment, struggles with accessibility, affordability, and a shortage of healthcare infrastructure in rural regions.

This paper critically examines existing literature to analyse the strengths and limitations of both systems and their potential for integration. Case studies of successful models, such as AYUSH initiatives and community health programs, are reviewed to understand how a complementary approach can enhance rural healthcare. The study highlights policy interventions, socio-cultural acceptance, and the role of technology in bridging the gap between traditional and modern medicine. It argues that a holistic healthcare model, leveraging the strengths of both systems, can lead to more inclusive and sustainable healthcare delivery in rural India. The paper concludes by recommending policy measures, research advancements, and community-driven approaches to facilitate the coexistence and collaboration of traditional and modern medicine for improved healthcare outcomes.

Keywords: Traditional Medicine, Modern Medicine, Rural Healthcare, Ayurveda, Integrative Medicine, Healthcare Accessibility, AYUSH, Folk Healing, Medical Pluralism, Health Policy

Introduction:

Healthcare in rural India faces significant challenges due to inadequate infrastructure, shortage of medical professionals, and limited access to affordable healthcare services. According to the *National Health Profile (2021),* nearly 70% of India's population resides in rural areas, but only 40% of healthcare facilities are available to them (Ministry of Health and Family Welfare, 2021). The rural-urban divide in healthcare is evident in indicators such as doctor-patient ratio, hospital bed availability, and access to specialized care. While the World Health Organization (WHO) recommends a doctor-population ratio of 1:1000, rural India struggles with a ratio of 1:10,926 (Kumar & Gupta, 2020). The shortage of healthcare personnel in rural areas is exacerbated by factors like poor infrastructure, lower salaries, and migration of medical professionals to urban centres.

Moreover, out-of-pocket expenditure (OOPE) on healthcare remains a major concern in rural India, where over 60% of medical expenses are borne by individuals, pushing many into poverty (Reddy et al., 2018). Government initiatives such as the *National Rural Health Mission (NRHM) and Ayushman Bharat* aim to improve rural healthcare access, but the implementation remains inadequate due to logistical and administrative challenges.

Given these shortcomings in modern medical infrastructure, traditional medicine continues to play a crucial role in healthcare delivery in rural India. Many communities rely on Ayurveda, Siddha, Unani, and indigenous folk healing practices due to their affordability, accessibility, and cultural acceptance (Patwardhan et al., 2015). However, traditional medicine faces issues related to scientific validation, regulatory frameworks, and standardization, necessitating an integrative approach to bridge the gap between traditional and modern healthcare systems.

Importance of Traditional and Modern Medicine in India:

Traditional Medicines in India

Traditional medicine has been an integral part of India's healthcare system for centuries, deeply rooted in indigenous knowledge and cultural practices. The *Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH)* system represents India's diverse medical heritage. Ayurveda, the most prominent traditional medical system, emphasizes holistic well-being through herbal remedies, dietary practices, and lifestyle modifications

(Sharma et al., 2017). Similarly, Unani and Siddha medicine focus on natural healing processes and disease prevention, while folk medicine relies on local knowledge of medicinal plants and rituals (Balasubramanian, 2019).

The widespread acceptance of traditional medicine in rural India is attributed to several factors:

1. **Affordability** – Herbal and indigenous remedies are often cheaper than allopathic treatments.

2. **Accessibility** – Traditional healers are readily available in villages, unlike modern healthcare facilities that are concentrated in urban centres.

3. **Cultural Acceptance** – Rural populations often prefer traditional medicine due to its spiritual and ancestral significance.

4. **Minimal Side Effects** – Many individuals believe that natural remedies have fewer adverse effects compared to synthetic drugs (Patwardhan et al., 2020).

Despite its popularity, traditional medicine faces challenges related to scientific validation, standardization, and regulation. Lack of clinical trials and evidence-based research limits its acceptance in mainstream healthcare. The *Government of India's Ministry of AYUSH* has been actively promoting traditional medicine, but integration with modern healthcare remains limited (MoHFW, 2021).

Modern Medicines in India

Modern medicine, or allopathic healthcare, is characterized by scientific research, standardized treatments, and technological advancements. It plays a critical role in treating infectious diseases, managing chronic illnesses, and performing surgeries. India's healthcare policies, such as Ayushman Bharat and NRHM, aim to strengthen rural healthcare infrastructure by establishing primary health centres (PHCs) and sub-centres (Balarajan et al., 2011). However, the availability and accessibility of modern healthcare in rural India remain inadequate due to:

1. **Shortage of Doctors and Specialists** – Rural areas suffer from a *70% deficit in healthcare professionals* (WHO, 2020).

2. **Poor Infrastructure** – Many PHCs lack essential medical equipment, electricity, and transportation facilities.

3. **High Cost of Treatment** – Despite government schemes, private healthcare remains unaffordable for many rural families (Banerjee & Duflo, 2019).

4. Lack of Awareness and Trust – Many rural communities are sceptical of modern medicine due to past experiences, misinformation, and deeply ingrained traditional beliefs (Narayan, 2017).

To improve healthcare access in rural areas, it is crucial to explore an integrative approach that combines the strengths of both traditional and modern medicine.

Theoretical Framework:

The study is grounded in the framework of *medical pluralism,* which acknowledges the coexistence of multiple healthcare systems, including traditional and modern medicine, within a society (Kleinman, 1980). Medical pluralism suggests that individuals often navigate between different medical traditions based on accessibility, affordability, and cultural beliefs. In rural India, where allopathic healthcare is limited, medical pluralism plays a crucial role in shaping health-seeking behaviour.

The concept of *integrative healthcare* further supports the study by promoting a collaborative approach between traditional and modern medicine. Integrative healthcare seeks to combine the scientific rigor of biomedicine with the holistic principles of traditional systems to create a more inclusive and accessible healthcare model (Baer, 2004). Government policies under *AYUSH* aim to institutionalize this integration, though challenges remain in terms of regulation and evidence-based validation.

From a sociological perspective, healthcare accessibility and trust in traditional medicine are influenced by social determinants such as education, economic status, and cultural beliefs (Farmer, 2004). Trust in traditional medicine is often higher in rural communities due to historical reliance and perceived cultural authenticity. However, medical marginalization of traditional healers by mainstream healthcare professionals hinders effective collaboration. Understanding these sociological dynamics is essential for implementing an integrative healthcare system that aligns with rural healthcare needs.

Research Objectives:

This review-based research paper aims to analyse and bridge the gap between traditional and modern medicine to enhance healthcare delivery in rural India. The key objectives are:

1. To examine the role of traditional medicine in rural healthcare and its impact on health-seeking behaviour.
2. To assess the challenges faced by modern healthcare systems in rural India.
3. To explore successful integrative healthcare models that combine traditional and modern medicine.
4. To evaluate government policies, particularly the role of AYUSH, in mainstreaming traditional medicine.
5. To propose strategies for a holistic and sustainable rural healthcare model that leverages both systems.

Significance of Bridging the Gap:

The integration of traditional and modern medicine is essential for creating a more inclusive and accessible healthcare system in rural India. A hybrid model that incorporates both systems can provide:

- **Affordable Healthcare** – Traditional medicine can supplement modern healthcare by offering cost-effective treatment options.
- **Improved Accessibility** – Leveraging traditional healers and AYUSH practitioners can extend healthcare reach to remote villages.
- **Holistic Health Approach –** Combining preventive aspects of traditional medicine with the curative potential of modern medicine can enhance patient outcomes.
- **Policy and Research Development –** Encouraging interdisciplinary research can validate traditional medicine and facilitate its integration into the national healthcare framework.

Bridging the gap between traditional and modern medicine requires collaborative efforts from the government, medical institutions, and local communities. Public-private partnerships, investment in rural healthcare infrastructure, and awareness programs are crucial to ensuring the success of an integrative healthcare system in India.

Review of Existing Literature:

Several studies have explored the role of traditional and modern medicine in healthcare

delivery in rural India.

Patwardhan et al. (2015) highlight the widespread use of Ayurveda in rural areas, emphasizing its deep cultural roots and accessibility. However, the study also points out barriers such as the lack of regulatory mechanisms and scientific validation that limit its integration with modern healthcare.

Balasubramanian (2019) examines the role of folk medicine in treating minor ailments and chronic conditions in rural communities. The study argues that despite their effectiveness, many indigenous healing practices remain undocumented and lack formal recognition within India's healthcare system.

Research on modern healthcare accessibility in rural India by *Balarajan et al. (2011)* identifies inadequate infrastructure and the shortage of medical professionals as key barriers to effective healthcare delivery. Similarly, *Banerjee & Duflo (2019)* discuss the high cost of private healthcare and the inefficiencies in government health schemes, which contribute to the rural population's reliance on alternative medicine.

The concept of integrative healthcare models has been explored by *Baer (2004),* who argues that combining traditional and modern medicine can improve healthcare outcomes in rural settings. *Gupta et al. (2021)* further support this view, suggesting that an integrative approach could enhance patient trust and adherence to treatment.

Studies on government policies, such as the *Ayushman Bharat and National AYUSH Mission,* indicate mixed outcomes. While *Sharma et al. (2017)* acknowledge the efforts made by the Indian government to promote traditional medicine, they argue that a lack of coordination between AYUSH practitioners and allopathic doctors hampers the successful implementation of integrative healthcare models.

Despite these challenges, case studies from states such as Kerala and Tamil Nadu demonstrate successful examples of traditional-modern integration. *Ramesh et al. (2022)* highlight Kerala's approach, where Ayurvedic hospitals work alongside allopathic institutions to provide complementary treatments, resulting in improved patient satisfaction and outcomes.

The literature collectively suggests that while traditional medicine remains a crucial part of rural healthcare, its integration with modern medicine requires policy reforms, scientific validation, and better infrastructural support. Future research should focus on evidence-based assessments of integrative healthcare models and their socio-economic impact on rural communities.

Discussion:

The review of literature highlights the critical role of traditional medicine in rural healthcare, emphasizing its deep-rooted cultural significance, affordability, and accessibility. However, modern medicine's scientific advancements and evidence-based approaches offer life-saving treatments and interventions that traditional medicine may lack. The divide between the two systems presents both challenges and opportunities for rural healthcare delivery.

A key issue emerging from the literature is the lack of integration between traditional and modern healthcare systems. While government initiatives such as the AYUSH program aim to formalize traditional medicine, there is limited coordination between allopathic and traditional healthcare practitioners. The literature also underscores the trust deficit between rural populations and modern healthcare providers, which often results in delayed medical intervention and reliance on unregulated traditional practices.

Further, the absence of scientific validation and standardization in traditional medicine remains a significant obstacle. Many studies argue that while traditional medicine offers holistic benefits, its efficacy must be rigorously tested through clinical trials. Similarly, modern healthcare faces accessibility barriers, as rural populations struggle with transportation, affordability, and availability of medical professionals.

Several studies support the idea of *medical pluralism,* which advocates for the coexistence and collaboration of different healthcare systems. The integration of traditional and modern medicine could lead to improved healthcare outcomes, particularly in rural India, where healthcare infrastructure is weak. Case studies from Kerala and Tamil Nadu demonstrate that synergizing AYUSH practices with allopathic medicine has led to better patient outcomes.

To move forward, policymakers, researchers, and healthcare professionals must work together to establish a comprehensive and integrative healthcare model. Future research should explore successful integration case studies, regulatory frameworks, and public perception analysis to develop policies that benefit rural populations while ensuring safety and efficacy.

Conclusion and Policy Recommendations:

Conclusion

The coexistence of traditional and modern medicine in rural India highlights the need for

a more integrative healthcare model that leverages the strengths of both systems. Traditional medicine continues to be an essential part of rural healthcare due to its accessibility, affordability, and cultural relevance. However, the lack of scientific validation and regulatory challenges hinder its broader acceptance within mainstream healthcare. Conversely, modern medicine, despite its scientific advancements, struggles with accessibility and affordability in rural areas. Bridging this gap requires a strategic approach that incorporates both medical systems while ensuring patient safety, efficacy, and trust.

Policy recommendations

1. **Promotion of Integrative Healthcare Models** – The government should encourage collaboration between AYUSH and allopathic practitioners by developing integrated healthcare centres in rural areas.
2. **Standardization and Scientific Validation** – More clinical trials and research should be conducted to validate traditional medicine practices and integrate them into evidence-based medical systems.
3. **Capacity Building and Training** – Training programs should be established to educate allopathic doctors on AYUSH practices and vice versa to ensure holistic patient care.
4. **Strengthening Rural Healthcare Infrastructure** – Investment in Primary Health Centres (PHCs), mobile medical units, and telemedicine can enhance healthcare accessibility in rural areas.
5. **Incorporation of Traditional Medicine in Public Health Policies** – AYUSH should be integrated into national health policies, ensuring regulatory oversight and structured implementation.
6. **Public Awareness and Community Engagement** – Educating rural populations on the benefits and limitations of both traditional and modern medicine can foster informed healthcare choices.

Future Directions

Future research should focus on evaluating successful case studies of integrative healthcare models in India, such as Kerala's Ayurveda-modern medicine integration. Additionally, interdisciplinary studies involving medical anthropology, public health, and sociology can

provide deeper insights into patient perceptions, trust, and accessibility issues in rural healthcare. Finally, exploring the role of technology and artificial intelligence (AI) in integrative healthcare delivery could open new avenues for optimizing rural health systems.

By bridging the gap between traditional and modern medicine, India can work towards achieving a more equitable, accessible, and holistic healthcare system that caters to the diverse needs of its rural population.

References:

Balarajan, Y., Selvaraj, S., & Subramanian, S. V. (2011). *Healthcare and equity in India.* The Lancet, 377(9764), 505-515.

Balasubramanian, A. V. (2019). *Indigenous Healing Practices in India: A Review of Ethnobotanical and Cultural Perspectives.* Journal of Ethnopharmacology, 250, 112493.

Banerjee, A., & Duflo, E. (2019). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.* Public Affairs.

Gupta, R., Sharma, M., & Mishra, P. (2021). *Integrative Healthcare Approaches: A Case for Bridging Traditional and Modern Medicine in Rural India.* Journal of Alternative and Complementary Medicine, 27(3), 179-187.

Kumar, A., & Gupta, P. (2020). *Doctor-Patient Ratio in Rural India: Analysing the Gap.* Journal of Health Management, 22(4), 365-380.

Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). (2021). *National Health Profile 2021.* Government of India.

Ministry of Health and Family Welfare (2021). *National Health Profile 2021.* Government of India. Baer, H. A. (2004). *Medical pluralism and the anthropology of alternative medicine.* Medical Anthropology Quarterly, 18(1), 1-4.

Narayan, R. (2017). *Trust and Mistrust in Healthcare: A Rural Perspective in India.* Social Science & Medicine, 183, 150-157.

Patwardhan, B., Gautam, M., & Sharma, H. (2020). The AYUSH strategic framework. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine,* 11(2), 167-175.

Patwardhan, B., Warude, D., Pushpangadan, P., & Bhatt, N. (2015). *Ayurveda and Traditional Medicine: A Reassessment.* Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,

Healthcare Inequality: A Comparative Study of Public and Private Healthcare Services in India

Dr. Satyam Dwivedi
Associate Professor
Department of Sociology
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

Abstract

Healthcare inequality in India remains a critical issue, with significant disparities between public and private healthcare services. This review-based study examines the structural, economic, and sociocultural dimensions of healthcare inequality by comparing public and private healthcare systems. Using a sociological lens, the paper explores accessibility, affordability, and quality of care, emphasizing how socioeconomic status, geography, and policy interventions shape healthcare choices.

The study draws on secondary data from peer-reviewed journals, government reports, and policy papers to assess the role of privatization in exacerbating healthcare disparities. Public healthcare, despite being more affordable, often faces challenges such as inadequate infrastructure, staff shortages, and bureaucratic inefficiencies. In contrast, private healthcare institutions provide better facilities but remain financially inaccessible for large sections of the population, deepening class-based inequalities. The analysis also highlights regional disparities, with urban areas benefiting from better-equipped private hospitals while rural populations struggle with limited public healthcare resources.

Applying sociological theories such as Marxist Conflict Theory, Weberian Bureaucracy, and Structural-Functionalism, this paper critically examines the underlying power structures and economic interests influencing healthcare accessibility. Additionally, policy measures like Ayushman Bharat and state-level health initiatives are reviewed to assess their effectiveness in bridging the healthcare divide.

Keywords: Healthcare inequality, public healthcare, private healthcare, sociological analysis, accessibility, affordability, policy interventions, healthcare privatization.

Introduction

Healthcare inequality in India is a critical socio-economic issue that underscores disparities in access, affordability, and quality of medical services between public and private healthcare providers. India's healthcare system operates through a dual framework comprising government-funded public hospitals and privately owned medical institutions. While the public healthcare system aims to provide affordable and universal healthcare, it often struggles with inadequate infrastructure, shortages of medical professionals, and bureaucratic inefficiencies (Patel et al., 2020). On the other hand, private healthcare institutions, though technologically advanced and well-resourced, are often financially inaccessible to the majority of the population, leading to a deepening healthcare divide (Barik & Thorat, 2015).

Defining Healthcare Inequality in India:

Healthcare inequality in India manifests in multiple ways, affecting different socio-economic groups disproportionately. The World Health Organization (WHO) defines healthcare inequality as the systematic differences in the health status or healthcare access of different population groups (WHO, 2021). In the Indian context, healthcare inequality can be understood in terms of unequal access, affordability, quality of care, and trust in healthcare institutions. Public hospitals, while more affordable, are frequently understaffed, overcrowded, and lack essential medical supplies. Meanwhile, private hospitals offer superior facilities but cater predominantly to urban, higher-income populations, thereby reinforcing socio-economic disparities. The rural-urban divide further exacerbates this inequality, with rural populations facing significant challenges in accessing timely and quality healthcare services (Mishra & Mohanty, 2022).

Key Sociological Dimensions of Healthcare Inequality:

Accessibility:

One of the most significant challenges in the Indian healthcare system is the unequal distribution of healthcare facilities. The rural-urban disparity is stark, with 70% of India's population residing in rural areas but only 40% of healthcare professionals available in these regions (NITI Aayog, 2021). Public healthcare infrastructure in rural areas is weak, with Primary Health Centres (PHCs) and Community Health Centres (CHCs) often lacking

essential medical services and specialists. The private sector, while expanding, is concentrated mainly in urban centres, leaving rural populations with limited options for advanced medical care (Dasgupta & Ranjan, 2020).

Affordability:

Affordability remains a crucial factor contributing to healthcare inequality. India has one of the highest out-of-pocket (OOP) expenditures on healthcare, with over 60% of healthcare costs being borne by individuals (World Bank, 2022). While government-funded hospitals provide free or subsidized treatment, patients often face indirect costs such as transportation and long waiting times, which deter them from seeking timely care. In contrast, private hospitals charge exorbitantly, with treatment costs often pushing middle- and lower-income families into financial distress (Baru, 2017). The role of health insurance in mitigating this issue remains limited, as public insurance schemes such as Ayushman Bharat have not yet achieved universal coverage (Kumar et al., 2021).

Quality of Care:

Quality disparities between public and private healthcare facilities are another major concern. Public hospitals frequently suffer from a lack of medical personnel, outdated infrastructure, and inadequate supply chains for essential medicines. Patients often report substandard hygiene and overcrowding in government hospitals, which negatively impacts health outcomes. On the other hand, private hospitals, while offering better facilities, have been criticized for prioritizing profit over patient welfare, leading to concerns about unnecessary treatments and inflated medical bills (Das & Chatterjee, 2021). The absence of stringent regulatory frameworks further widens the quality gap, as private institutions operate with minimal oversight compared to their public counterparts (Gupta, 2020).

Trust in Healthcare Institutions:

Trust in healthcare services plays a significant role in shaping healthcare-seeking behaviour. Public hospitals often suffer from a lack of credibility due to perceptions of inefficiency, negligence, and corruption. In contrast, private hospitals, despite their high costs, are perceived as more efficient and responsive. However, several high-profile cases of malpractice and financial exploitation in the private sector have raised ethical concerns about their operations. This dual perception further exacerbates healthcare inequality, as individuals with financial means

opt for private care, while economically disadvantaged groups are left with limited, and often subpar, public healthcare options.

Theoretical Framework:

This study is grounded in three key sociological theories. Marxist theory explains healthcare inequality as a consequence of class struggle, where privatization benefits the elite while marginalized communities struggle with inadequate public healthcare (Baru, 2017). Weberian theory highlights the role of bureaucracy and institutional inefficiencies in public healthcare, emphasizing disparities in power and access (Gupta, 2020). Functionalist theory examines how healthcare systems contribute to social stability but also create dysfunctions due to unequal resource distribution. By integrating these perspectives, this study aims to provide a comprehensive understanding of healthcare inequality in India.

Methodology:

This study employs a review-based research methodology, analysing secondary data from scholarly articles, government reports, and policy documents on healthcare inequality in India. A qualitative content analysis is conducted to examine disparities in access, affordability, quality, and trust between public and private healthcare sectors. The study also incorporates a theoretical framework based on Marxist, Weberian, and Functionalist perspectives to provide a sociological interpretation of healthcare inequality. By synthesizing existing literature, this study aims to offer policy recommendations for equitable healthcare reforms in India.

Significance of the Study:

The relevance of studying healthcare inequality in India cannot be overstated. The COVID-19 pandemic highlighted glaring disparities in healthcare access, with public hospitals being overwhelmed and private hospitals charging exorbitant fees for treatment (Chakrabarti & Sinha, 2021). Addressing healthcare inequality is essential not only for improving public health outcomes but also for achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all (United Nations, 2022).

Furthermore, government initiatives like Ayushman Bharat, launched in 2018, have attempted to bridge the gap between public and private healthcare services. However, challenges remain in terms of implementation, infrastructure, and equitable distribution of resources

(Kumar et al., 2021). This study aims to provide a sociological analysis of healthcare inequality in India, examining structural, economic, and policy-driven factors contributing to this issue. By exploring healthcare from a Marxist, Weberian, and Functionalist perspective, the study will provide a comprehensive understanding of how systemic inequalities perpetuate healthcare disparities in India.

Review of Existing Literature:

Healthcare inequality in India has been widely discussed in sociological and policy-oriented literature, with scholars focusing on aspects such as accessibility, affordability, quality, and the role of the state in mitigating these disparities. This section reviews existing research on the subject to provide a contextual understanding of the issue.

Accessibility and Healthcare Disparities:

Access to healthcare remains one of the primary determinants of health outcomes in India. Rural areas, where 70% of the population resides, lack adequate medical infrastructure and personnel (NITI Aayog, 2021). Public healthcare centres are often under-resourced, leading to high patient loads and inadequate care (Dasgupta & Ranjan, 2020). According to Reddy et al. (2018), the private sector, which constitutes 74% of total healthcare expenditure in India, remains concentrated in urban centres, thereby widening regional disparities. This urban bias in healthcare availability significantly impacts marginalized populations, particularly in backward states like Bihar and Uttar Pradesh (Mishra & Mohanty, 2022).

Affordability and Financial Burden:

Healthcare affordability is another major challenge, particularly due to the high out-of-pocket (OOP) expenditure. The World Bank (2022) reports that 60% of India's healthcare costs are borne by individuals, pushing millions into poverty each year. While public hospitals offer free or subsidized care, indirect costs such as transportation, loss of daily wages, and long waiting periods deter many from seeking treatment (Baru, 2017). Private healthcare, though efficient, is prohibitively expensive for lower-income groups. Kumar et al. (2021) argue that the lack of universal health coverage leaves a significant portion of the population financially vulnerable in times of medical crises. The implementation of schemes like Ayushman Bharat has aimed to reduce this burden, but coverage gaps and bureaucratic inefficiencies persist (Chakrabarti & Sinha, 2021).

Quality of Healthcare Services:

The disparity in healthcare quality between public and private institutions is another critical issue. Rao et al. (2019) highlight that public hospitals face chronic shortages of trained professionals, outdated infrastructure, and inconsistent medical supply chains, leading to poor service delivery. Patients frequently complain of unhygienic conditions, lack of essential drugs, and long waiting times in government hospitals (Gupta, 2020). Conversely, private hospitals, though offering better services, are criticized for high costs and over-commercialization. Das and Chatterjee (2021) note that private hospitals often engage in unnecessary procedures and inflated billing, exploiting patients for profit. Regulatory frameworks remain weak, leading to unchecked medical malpractices.

Trust and Perceptions of Healthcare Institutions:

Trust in healthcare services significantly influences health-seeking behaviour. Public hospitals suffer from credibility issues due to perceptions of inefficiency, corruption, and negligence. Many prefer private healthcare despite its high costs because of the perceived superior quality and prompt service (Rao et al., 2019). However, cases of malpractice in private hospitals, such as unnecessary medical interventions and inflated billing, have raised ethical concerns. This trust deficit in both public and private healthcare systems highlight the need for a regulatory mechanism to enhance transparency and accountability (Barik & Thorat, 2015).

Government Interventions and Policy Measures:

Government policies play a crucial role in mitigating healthcare inequality. Ayushman Bharat, launched in 2018, aimed to provide financial protection to underprivileged populations, yet challenges persist in implementation and infrastructure development (Kumar et al., 2021). Studies show that while the policy covers hospital expenses, it does not adequately address preventive and primary healthcare needs, leaving many without proper medical intervention (Chakrabarti & Sinha, 2021). NITI Aayog (2021) recommends increasing public health expenditure from 1.3% to at least 2.5% of GDP to improve service delivery in government hospitals. Furthermore, strengthening regulatory oversight for private healthcare institutions is essential to ensure ethical medical practices and curb exploitative pricing (Gupta, 2020).

Analysis and Discussion:

The analysis of healthcare inequality in India reveals significant structural disparities between public and private healthcare services. Public healthcare facilities, despite their affordability, remain underutilized due to inadequate resources, long waiting times, and perceived lower quality of care. Meanwhile, private healthcare institutions, though more efficient, exacerbate economic inequities due to their high costs. The intersection of socio-economic status and healthcare access is evident, as lower-income groups struggle with financial barriers, while the affluent benefit from advanced medical services. Additionally, rural-urban disparities persist, with rural populations relying heavily on public healthcare despite its limitations.

From a sociological perspective, Marxist theory highlights how economic power shapes healthcare accessibility, with privatization reinforcing class divisions. Weberian analysis points to bureaucratic inefficiencies that hinder public healthcare improvements. Functionalist theory suggests that while the dual healthcare system serves different segments of society, the inequalities it creates contribute to broader social dysfunctions. Addressing these disparities requires targeted policy reforms, increased public health investment, and stronger regulatory oversight to balance affordability and quality across both sectors.

Conclusion and Policy recommendations

Healthcare inequality in India is not merely a service gap but a structural issue embedded within socio-economic hierarchies. The divide between public and private healthcare services reflects broader systemic inequalities in wealth distribution, governance, and social stratification. Without strategic policy interventions and stronger public healthcare investments, healthcare inequality will continue to widen, disproportionately affecting marginalized communities. Strengthening government policies, increasing healthcare funding, and enforcing strict regulatory measures on private healthcare institutions are crucial steps toward achieving a more balanced healthcare system. Moreover, integrating public-private partnerships and expanding universal health coverage can play a significant role in bridging the gap. Future research should explore innovative policy models that promote equitable healthcare access, ensuring that all sections of society benefit from quality medical services. Policy recommendations include:

1. **Increased Public Healthcare Investment** – Raising government expenditure on healthcare to at least 2.5% of GDP.

2. **Regulatory Oversight** – Enforcing stricter price controls and ethical standards in private hospitals.

3. **Public-Private Partnerships** – Encouraging collaborations to enhance healthcare accessibility.

4. **Universal Health Coverage Expansion** – Strengthening Ayushman Bharat to include outpatient care and preventive health services.

5. **Strengthening Rural Healthcare** – Improving medical infrastructure and workforce availability in rural areas.

References

- Barik, D., & Thorat, A. (2015). Issues of unequal access to public health in India. *Frontiers in Public Health*, 3(245), 1-8.
- Baru, R. (2017). *Private healthcare in India: Social characteristics and trends.* Economic and Political Weekly, 52(17), 43-50.
- Chakrabarti, A., & Sinha, D. (2021). The impact of COVID-19 on India's healthcare inequality. *Journal of Global Health,* 11(4), 112-125.
- Das, J., & Chatterjee, P. (2021). Healthcare quality in India: Challenges and policy responses. *Lancet Global Health,* 9(3), e213-e221.
- Gupta, I. (2020). Regulation of private healthcare in India: Need for reforms. *Indian Journal of Public Administration,* 66(2), 198-212.
- Kumar, R., Mishra, A., & Sharma, P. (2021). Ayushman Bharat and the future of universal health coverage in India. *Journal of Health Policy Research,* 34(2), 76-90.
- Mishra, S., & Mohanty, S. K. (2022). Rural-urban disparities in healthcare access in India: A spatial analysis. *BMC Health Services Research,* 22(1), 212-225.
- NITI Aayog. (2021). *India's health infrastructure report.* Government of India.
- United Nations. (2022). *Sustainable Development Goals Report*. United Nations.
- WHO. (2021). *Global report on healthcare inequality.* World Health Organization.
- World Bank. (2022). *Healthcare expenditure and out-of-pocket costs in India.* World Bank Reports.